लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
Parliament Library
14-10-92

6th Lok Sabha

(खंड 27 में अंक 51 से 59 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 59 शुक्रवार, 18 मई, 1979/28 वैशाख 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1174, 1175, और 1177 से 1182	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 1176 और 1183 से 1194	25—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 11273 से 11472	35—191
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	192
कतिपय संसद सदस्यों के साथ अलीगढ़ के जिला अधिकारियों के कथित अशिष्ट व्यवहार के बारे में	193
सभा पटल पर रखे गये पत्र	194-207
गैर-सरकारी सदस्यों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही-सारांश	208
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	208
राज्य सभा से सन्देश	209
विधेयकों पर अनुमति	209
(एक) वित्त विधेयक, 1979	209
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति	
21वां और 22वां प्रतिवेदन	210
याचिका समिति	
11वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	210

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक	211
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन-प्रस्तुत	211
(दो) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा पटल पर रखा गया	211
कराधान विधियों में दी गई रियायतों के प्रभाव को अध्ययन के लिये नियुक्त की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति के बारे में वक्तव्य	211-214
श्री चरण सिंह	211-213
विधेयक पुर : स्थापित किये गये—	
(एक) तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसादक (सम्पति समपहरण) संशोधन विधेयक	213
(दो) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	213
(तीन) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	214
(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक	214
संविधान (संशोधन) विधेयक	
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव	215-271
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	215-271
श्री सोमनाथ चटर्जी	216-218
श्री सौगत राय	226-227
श्री मधु लिमये	227-232
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	222-236
श्री अरविंद बाला पजनौर	236-240
श्री चित्त बसु	240-242
श्री जी० एम० बनातवाला	242-243
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	221-263
श्री ज्योतिर्मय बसु	215-264
श्री कंवर लाल गुप्त	221-259
श्री बयालार रवि	221-262
श्री शांति भूषण	260-262
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव में संशोधन	
श्री घनिक लाल मंडल	281-282

विषय	पृष्ठ
प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
श्री लाल कृष्ण अडवाणी	282-86
नियम 377 के अधीन मामले	271
(एक) बिरला उद्योग समूह के विरुद्ध कर की बकाया राशियों के बारे में	
श्री हुकम देव नारायण यादव	271-272
(दो) आसनसोल, अंडाल और दुर्गापुर के रेलवे यार्डों में माल डिब्बों को तोड़कर सामान चुराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता	
श्री रोबिन सेन	273
(तीन) काम के बदले अनाज और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के लिये पश्चिम बंगाल को आंवटित गेहूं तुरन्त भेजने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	273-274
(चार) पुलिस सत्यापन प्रणाली, गारंटी बॉण्ड और शपथ पत्र को पुनः आरंभ करने के कारण पासपोर्ट प्राप्त करने में आ रही कठिनाई	
श्री भगतराम	274
(पांच) उन विधेयकों को जो संसद के विचाराधीन हैं, अधिनियमों के रूप में अग्रिम प्रकाशित करने की प्रथा के बारे में मामला	
श्री आर० एल० पी० वर्मा	274-275
(छः) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों को आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी किये जाने के समाचार	
श्री जी० एम० बनातबाला	275-276
(सात) तिब्बत के लोगों की उनके स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने की आवश्यकता	
श्रीमती पार्वती देवी	276
(आठ) धनबाद में पोस्टकार्डों, पत्रों और डाक टिकटों आदि की भारी कमी	
श्री ए० के० राय	277

विषय	पृष्ठ
(नो) कलकत्ता में टेलीफोन विभाग के कार्यकरण के बारे में मामला	
श्री एम० ए० हानन अल्हाज	286-287
(दस) नेपाली को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करना	
श्री के० वी० क्षेत्री	287-288
(ग्यारह) अलहीलाल ट्रैबल एजेंसी, लखनऊ द्वारा लोगों को धोखा दिये जाने के समाचार	
श्री उग्र सेन	288-289
(बारह) गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के मामले को लेकर त्याग पत्र देने की धमकी के समाचार	
श्री अनन्त दवे	289
(तेरह) आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में अभूतपूर्व समुद्री तूफान द्वारा किये गये विनाश के बारे में	
श्री टी० बालकृष्णैया	289-291
(चौदह) वेरीटीज बैराइटीज का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से करने के बाद बैराइटीज खान मालिकों और पुलवराइजिंग मिल मालिकों के सामने पेश आ रही कठिनाइयां	
श्री दारूर पुल्लिया	291—292
(पन्द्रह) केरल साइलेंट वैली हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में	
श्री के० ए० राजन	292—293
(सोलह) देश की प्रमुख बन्दरगाहों पर मिट्टी के तेल का एक समान बाह्य संस्थापना मूल्य निर्धारित करने के बारे में मामला	
श्री समर मुखर्जी	293—294
(सत्रह) ठेका श्रम प्रणाली के कारण बीड़ी उद्योग में मजदूरों के शोषण के बारे में	
श्री विजय मण्डल	294

विषय	पृष्ठ
सभा के कार्य के बारे में	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
34वां प्रतिवेदन	295—296
विधेयक पुर:स्थापित	
(एक) सीमा-शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) तथा विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1979	
(श्री मनोहर लाल का)	296
(दो) सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण का विनियमन संशोधन विधेयक, 1979 (धारा 5 आदि का प्रतिस्थापन)	
(डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय का)	296
(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1979 (धारा 1 का संशोधन)	
(श्री पी० राजगोपाल नायडू का)	297
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1979 (अनुच्छेद 334 का संशोधन)	
(श्री राम विलास पासवान का)	297
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1979 (नए भाग 13क का अन्त:स्थापन)	
(श्री हरिकेश बहादुर का)	297—299
(छ:) मृत्युदण्ड उत्सादन विधेयक, 1979	
(प्रो० पी० जी० मावलंकर का)	299—300
संविधान संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया	
(अनुच्छेद 16 का प्रतिस्थापन)	300 – 313
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री शान्ति भूषण	300—312
श्री विनायक प्रसाद यादव	300—313
जात-पात के उपदर्शन का प्रतिबन्ध विधेयक	
(श्री डी० डी० देसाई का)	314—334

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री डी० डी० देसाई	314—319
डा० रामजी सिंह	319—324
श्री गदाधर साहा	324—325
श्री रामविलास पासवान	325—327
श्री हुकमदेव नारायण यादव	329—332
श्री पी० बेंकटासुब्बैया	333—334
विधेयक पर अनुमति	335
(2) विशेष न्यायालय विधेयक	
आधे घण्टे की चर्चा	335—344
राज्यों में मद्यनिषेध नीति की कार्यान्विति	335—344
श्री एडुआर्डो फैलीरो	335—337
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	337—344
श्री चित्त बसु	340—341
श्री युवराज	341—342
डा० रामजी सिंह	343—344

लोक सभा

शुक्रवार, 18 मई, 1979/28 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा दस बजकर 34 मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नियमानुसार काम करने के लिए विमान यातायात नियन्त्रकों से नोटिस

*1174. **श्री लखन लाल कपूर :**

डा० बापू कालदाते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को नियमानुसार काम करने के लिए विमान यातायात नियन्त्रकों से नोटिस प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने विमान यातायात नियन्त्रक के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : **(श्री पुरुषोत्तम कौशिक)** : (क) विमान-यातायात नियन्त्रकों (Air Traffic Controllers) ने 22.4.79 के 5.30 बजे से लेकर 1.5.79 के 5.30 बजे तक की अवधि के लिए नियमानुसार कार्य (Work to rule) का आन्दोलन चलाया था, परन्तु उनसे फिर नियमानुसार कार्य का आन्दोलन शुरू करने का कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। "एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर्स गिल्ड" एक मान्यता प्राप्त सेवा संगठन नहीं है।

श्री लखन लाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्नों का उत्तर कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि किन कारणों से एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर्स वर्क टू रूल पर गए। पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के अधीन काम करने वाले एरोड्रोम संगठन के नागर विमानन विभाग के 400 विमान यातायात नियन्त्रक भारत के 80 एयरपोर्ट्स में कार्यरत हैं जो 1964 से पंजीकृत

एयर ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल गिल्ड नामक संस्था के सदस्य हैं, जिन के ऊपर भारत के अन्दर और बाहर विमान में यात्रा करने वाले लाखों देशी और विदेशी यात्रियों की जान और माल की सुरक्षा और सुविधा निर्भर करती है।

लेकिन पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय उन के साथ सदा से उपेक्षा की नीति बरत रहा है जिसके चलते उन में भारी क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है। क्या यही वजह नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग के कर्मचारियों को नियमानुसार काम करने के आन्दोलन में भाग लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है ?

इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उपयुक्त 400 विमान यातायात नियन्त्रकों ने अपने संगठन बनाने की सभी सेवा शर्तों को पूरा करने के बाद अपने सेवा संगठन की मान्यता के लिए डायरेक्टर जनरल सिविल एवियेशन के पास आवेदन किया था और जिस पर डायरेक्टर जनरल सिविल एवियेशन ने फरवरी 1979 में डिफेक्टो मान्यता के लिए अनुशंसा की थी ? क्या यह सही नहीं है कि उसे मन्त्रालय ने गृह मन्त्रालय के पास भेजा था और अपनी टिप्पणी के साथ भेजा था ?

अध्यक्ष महोदय : यह क्वेश्चन नहीं है।

श्री लखन लाल कपूर : मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या यह सही नहीं है कि गृह मन्त्रालय ने 27-4-79 को गिल्ड को डी-फेक्टो मान्यता प्रदान करने के लिए अपनी टिप्पणी की थी ? मन्त्री महोदय ने 3 फरवरी, 1979 को मद्रास एयरपोर्ट पर इसकी रिकगनीशन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, क्या यह सही है ? फिर मान्यता प्रदान न करने के क्या कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप छः मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री लखन लाल कपूर : मैं जानना चाहता हूं कि जब कि दूसरे एसोसियेशन बने हुए हैं जैसे कि पाइलोट एसोसियेशन है, एयर ग्राऊण्ड इन्जीनियर्स की एसोसियेशन है तब फिर एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर के कर्मचारियों को मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अध्यक्ष महोदय, सभी जानकारी तो माननीय सदस्य को है कि अब तक मान्यता देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अभी भी उनको मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। ऐसे मामले में बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ता है। यह अफसरों की एसोसियेशन का मामला है। उनको जब मैंने कहा है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने मद्रास में कहा था और डी० जी०सी०ए० ने भी उनको कहा था कि मामला सरकार के विचाराधीन है फिर उसके बाद उनको वर्क टू रूल पर जाने की जरूरत नहीं थी।

श्री लखन लाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट के रिओरगेनाइ-जेशन के लिए टाटा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने जो रिकमण्डेशंस

दी हैं उन्हें सरकार ने मन्जूर किया है । उन मन्जूर की गयी रिकमण्डेशंस में यह भी रिकमण्डेशन है कि एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल के आफिसर्स की वर्किंग कन्डीशंस अच्छी नहीं हैं । उनको नाइट ड्यूटी में बुलाया जाता है । इन तमाम बातों को देखते हुए उसने इनके अपग्रेडेशन के लिए सिफारिश की थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय ने एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल के लोगों के अपग्रेडेशन के लिए कोई अनुशंसा की है या नहीं ? क्या मन्त्री महोदय बता सकते है कि जब इस बारे में सिफारिश की जा चुकी है तो डिपार्टमेंट ने अब तक लेटर इश्यु क्यों नहीं किया ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : टाटा कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है । उन सिफारिशों में बहुत से मामले ऐसे हैं जो कि वित्त से सम्बन्ध रखते हैं और उन पर मन्त्रालय को वित्त मन्त्रालय से सहमति लेनी पड़ेगी । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रथम चरण में गजेटेड पोस्ट्स के बनाने के सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुमति मिल गयी है । उसी तरह से और जो पोस्ट्स का सवाल उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ लिया जा रहा है । इसके अलावा और जो दूसरी सिफारिशें हैं उन पर भी क्रमिक रूप से विचार करने का प्रयास किया जाएगा ।

श्रीमती मृणाल गौरे : हवाई जहाज से यात्रा करने वाले प्रवासियों की यात्रा सुरक्षित हो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर्ज पर निर्भर करती है । इसको देखते हुए क्या मन्त्री महोदय कोशिश करेंगे कि पिछले चार साल से टाटा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इनके रिक्रूटमेंट के बारे में जो कोई फैसला नहीं हो पा रहा है और न ही इनकी एसोसियेशन को, गिल्ड को मान्यता मिलती है जल्दी इन दोनों सवालों का फैसला हो । अक्टूबर, 78 से पांच महीने से यह मामला मन्त्रालय में पड़ा हुआ है । इससे असन्तोष बढ़ता है । बार बार वे वर्क टू रूल करते है । इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा होने की आशंका भी बनती है । इस वास्ते इन सब सवालों को जल्दी से जल्दी हल करने की क्या वह कोशिश करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : ईसके साथ एक नीति का सवाल भी जुड़ा हुआ है । क्या एक संगठन में, एक आर्गेनाइजेशन में एक तरह की एसोसियेशन या यूनियन रहे या उसके हर विभाग की अलग अलग यूनियंज हों या एसोसियेशन हों ? सिविल एविएशंन डिपार्टमेंट गजिटेड आफिसर्स कीअब तक एक एसोसियेशन थी जिसमें ए०टी०सी०, कम्युनिकेशन, आपरेशन तीनों विभागों के जो गजेटिड आफिसर्स थे वे उसके सदस्य थे । अब उस एसोसियेशन से निकल कर ए०टी०सी० के आफिसर्स अलग गिल्ड बनाना चाहते हैं । मान्यता देने की बात भी कहते हैं और उसकी मांग भी कर रहे हैं । अब इसका क्या असर होगा उस सब पर विचार करने के बाद निश्चित रूप से सरकार कोई निर्णय लेगी । बहुत सी जानकारी तो बिना कहे ही यहां दे दी गई है । मैं उससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता हूं ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब इन लोगों ने 2 से 5 फरवरी तक नियमानुसार कार्य करने का

आंदोलन शुरू किया, उस समय 3 फरवरी, 1979 को उन्होंने मद्रास में यह वक्तव्य दिया कि दिल्ली जाने के बाद वह इस मामले को उठायेंगे और उसे निपटायेंगे, लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है। साथ ही जब इन लोगों ने 21 से 30 अप्रैल तक नियमानुसार कार्य करने का आंदोलन चलाया, उस समय भी मन्त्री महोदय ने अपना वचन पूरा नहीं किया। क्या यह सही है कि की गयी मांगों में से दो मांगे मुख्य हैं। एक मांग यह है कि उनके 'गिल्ड' को मान्यता दी जाए और दूसरी बात यह है कि 70 विमान चालकों के पास प्रशिक्षित विमान-चालकों का लाइसेंस है। उनमें से 10 विमान चालकों के रूप में पदोन्नति के योग्य है। कम से कम इन दो मांगों को स्वीकार करने में सरकार के सामने क्या दिक्कत है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : विमान चालकों के पदों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं। विमान चालकों के पद-पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उनके प्रशिक्षित विमान चालक होने के कारण ही उनकी पदोन्नति नहीं की जा सकती।

मद्रास में दिये गये वक्तव्य का जहां तक सम्बन्ध है, मैं नागर विमानन के महा-निदेशक से मिला था और मैंने उनको बताया था कि मैं इस मामले पर विचार करूंगा। मैंने इस मामले को कार्मिक विभाग को भेजा। वह हमें अनुकूल टिप्पणियों के साथ वापस मिल गया है। यह मामला अभी भी विचाराधीन है। यह ऐसी कोई बात नहीं है जिसे लेकर अधिकारियों के इस संगठन को नियमानुसार कार्य करने का आंदोलन शुरू करना आवश्यक हो गया, विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि हमारे पास विमानों की कमी है और दूसरी प्रकार की कठिनाइयां हैं। समय पर विमान चलाने की समस्या से हम पहले ही जूझ रहे हैं। इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा करना और विलम्ब पहुंचाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आशा है कि वे उत्तर दायित्व पूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि सरकार मामले पर ध्यान दे रही है।

राजधानी में आयकर आसूचना अधिकारियों द्वारा गिरोह का पता लगाया जाना

*** 1175, श्री निहार लास्कर :** क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आयकर आसूचना अधिकारियों ने राजधानी में 15 अप्रैल, 1979 को एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है, जो वाणिज्यिक और रिहायशी सम्पदाओं के व्यापार में कुछ प्रमोटरों और दलालों द्वारा कथित रूप से चलाया जा रहा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण और आवास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय संस्थाओं के अनेक उच्च अधिकारियों के भी इसमें अन्तर्ग्रस्त होने का सन्देह है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुलफिकारूल्ला) : (क) फिलहाल उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि दिल्ली में बहुमंजिली इमारतों के आयोजकों के कुछ समूहों की आय-कर प्राधिकारियों ने निम्नानुसार तलाशियां लीं :—

अन्सल समूह	दिसम्बर 1973
रिवीरा समूह	अगस्त 1976
वडेरा समूह	सितम्बर 1976
मित्तल समूह	जनवरी 1979

आय-कर अपवंचन की मात्रा का सभी संगत कर-निर्धारणों के पूरा हो जाने के बाद पता चलेगा ।

(ख) से (घ) : उपलब्ध सूचना से न तो उस मामले में निर्माण तथा आवास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय निकायों के उच्च अधिकारियों के अन्त-र्ग्रस्त होने का पता चलता है और न ही इस सम्बन्ध में की गई किसी गिरफ्तारी का पता चलता है ।

श्री निहार लास्कर (करीम गंज) : महोदय, इस प्रश्न द्वारा मैं जो कुछ जानना चाहता था, वह स्पष्ट नहीं किया गया है । खैर, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस जांच से बेनामी बिक्री के बहुत से मामले प्रकाश में आये हैं और इस प्रकार के बिक्री सेठों, संबर्द्धकों और दलालों की एक मंडली द्वारा की जा रही हैं । यदि ऐसा है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय इन लोगों के नाम बतायेंगे और यह बतायेंगे कि उन पर नियंत्रण रखने में सरकार के सामने क्या कठिनाई हैं ?

श्री जुलफिकारूल्ला : महोदय, सभी मामले विचाराधीन हैं और फिल हाल कोई विवरण देना संभव नहीं है । अब तक केवल यही पता लग सका है कि बेनामी बिक्री के बहुत अधिक मामले नहीं हैं बिक्री 'पावती पर' की गयी हैं । वे बेनामी दस्तावेज और अतिरिक्त धनराशि लेते हैं । कुछ मामलों में यह पाया गया है । लेकिन यह निर्धारण अभी पूरा नहीं हो सका है और इनके पूरा होने से पहले पूरी जानकारी देना संभव नहीं है ।

श्री निहार लास्कर : मेरे प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि उपलब्ध सूचना से उक्त मामले में निर्माण तथा आवास मंत्रालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अन्तर्ग्रस्त होने का पता नहीं चलता । यदि ऐसा है, तो गत वर्ष मई के महीने में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों, कुछ स्कूल अध्यापकों और दूसरे लोगों को गिरफ्तार और निलंबित क्यों किया गया ? उन्हें गिरफ्तार और निलंबित किये जाने का क्या कारण है ?

श्री जुलफिकारूल्ला : महोदय, ये लोग क्यों गिरफ्तार किये गये इस बारे में यह मंत्रालय कुछ नहीं जानता और उसे यह भी नहीं मालूम कि ये लोग इन मामलों के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये हैं। अतः इस विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाने वाला दण्ड ब्याज

*1117: **श्री के० मालन्ना** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला वितरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) : क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक में एक निर्धारित स्तर पर बनाये रखे जाने वाले वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक नकद राशि अनुपात में, बैंक कर्मचारियों के आन्दोलन के दौरान कमी आ जाने पर वाणिज्यिक बैंक से लिये जाने वाले दंड ब्याज को छोड़ने से भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को पहली बार दंड ब्याज देना पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो यह स्थिति कब तक चलती रहेगी और सांविधिक नकद राशि के अनुपात में कमी आने के कारण क्या है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि भूतकाल में बैंक अपनी-अपनी सांविधिक नकद राशि अनुपात की कमी का फिर से पूरा करने के लिए अंतर-अभियाचना पूंजी बाजार (इन्टर-काल मनी मार्किट) से धनराशि लेने पर ऐसे किसी ब्याज देने से सदैव बचा करते थे परन्तु अब वे इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि सभी बैंकों ने अनुपात में कमी रिकार्ड की है ?

(क) से (घ) : सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 भारतीय रिजर्व बैंक को जो शक्ति प्रदान करता है वह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सांविधिक नकद आरक्षित अनुपात रखने में भूल करने पर वाणिज्यिक बैंकों पर जुर्माना करने के बारे में है। न कि सांविधिक नकदी और नकदी जैसी सम्पत्ति के अनुपात के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसने अभी तक उन बैंकों से दण्डात्मक ब्याज की मांग नहीं की है जो बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान सांविधिक नकद आरक्षित अनुपात के संबंध में बाकीदार रहे क्योंकि अभी कुछ बैंकों से सम्बद्ध आँकड़े आने बाकी हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि कुछ प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों ने अतीत काल में सांविधिक नकद आरक्षित अनुपात को बनाये रखने में बाकीदारियों के लिए अनेक अवसरों पर

दण्डात्मक ऋण अदा किए हैं। यह बाकीदारी नकद आरक्षितों में अस्थाई कमी के कारण हो जाती है।

बैंक कर्मचारियों के आंदोलन की अवधि के दौरान नकद आरक्षितों में कमी के मुख्य कारण यह बताये गये : वाणिज्यिक बैंकों के प्रधान कार्यालयों में शाखाओं से समय पर विवरणीयां प्राप्त न होना, निकासी (क्लियरिंग) स्थगित कर दिये जाने के कारण विलेखों की निकासी न हो पाना और निधियों में गतिशीलता न होना आदि।

नकद आरक्षितों में अस्थाई कमी को पूरा करने के लिए मांग राशि बाजार (काल मनी मार्किट) का सहारा लेने की सीमा पर ऋण के रूप में दी जा सकने वाली निधियों की समग्र उपलब्धता का अंकुश रहता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे भागीदारी प्रमाण पत्रों और मांग राशि बाजार ऋण लेने जैसे बाहरी स्रोतों पर अपनी निर्भरता को कम करें।

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग) : महोदय, मैंने वक्तव्य को ध्यान से पड़ा। इस वक्तव्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि वाणिज्यिक बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है या वह परोक्ष रूप से इन वाणिज्यिक बैंकों को इस प्रकार की गलतियां करने की अनुमति दे रहा है। वह बहुत अक्षम बन गया है। अतः इस संदर्भ में क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक नकदी-राजस्व अनुपात की कुल धनराशि कितनी है, किन-किन बैंकों ने संबद्ध आंकड़े नहीं दिये हैं, किन-किन बैंकों ने कोई आंकड़े नहीं दिये है और किन-किन बैंकों ने गलतियां की हैं। इन वाणिज्यिक बैंकों से कितने दंड ब्याज की आशा है ?

श्री जुलफिकारूल्ला : महोदय, मुझे विभिन्न बैंकों के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहां यह सब जानकारी नहीं है। लेकिन दंड ब्याज का जहां तक संबंध है, उसके वसूल किये जाने के बारे में रिजर्व बैंक ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। दंड ब्याज यदि वसूल किया गया तो वह सामान्य बैंक दर से 3 प्रतिशत अधिक हो सकता है।

श्री के० मालन्ना : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उन्होंने यह बताया है :

> "बैंक कर्मचारियों के आंदोलन की अवधि के दौरान नकद आरक्षितों में कमी के मुख्य कारण वाणिज्यिक बैंकों के प्रधान कार्यालयों में शाखाओं से समय पर विवरणियां प्राप्त न होना.....बताये गये है।"

कृषकों तथा छोटे उद्योगपतियों को उपलब्ध सुविधायें देने की दिशा में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बार-बार कहे जाने के बावजूद, कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने अभी तक ये रिपोर्ट नहीं दी हैं। ये वाणिज्यिक बैंक छोटे किसानों तथा उद्योग-पत्तियों की मदद नहीं करना चाहते और उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन बैंकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है, यदि की गयी है तो क्या, और यदि नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री जुलफिकारूल्ला : जैसा कि मैं पहले ही कह चूका हूं, बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के कारण नियमित आंकडों के प्रस्तुत किये जाने में विलंम्ब हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक उनसे ये सभी आंकडे देने के लिए कह रहा है। इस वजह से विलम्ब हुआ है।

श्री के० मालन्ना : कारण क्या है ?

श्री जुलफिकारूल्ला : कारण यह है कि आंदोलन की अवधि के दौरान और काम न किये जाने की अवधि के दौरान, वे अपनी शाखाओं से जानकारी और आंकड़े प्राप्त नहीं कर सके।

श्री एस० आर० दामाणी : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि उनके द्वारा सांविधिक कोष बरकरार न रखे जाने का कारण बैंक कर्मचारियों का आंदोलन था जो उनके नियंत्रण के बाहर था। इस स्थिति में जबकि कुछ नहीं कर सकते, रिज़र्व बैंक इन बैंकों से दंड ब्याज वसूल करने पर जोर क्यों दे रहा हैं ? वह छूट क्यों नहीं दे रहा है ?

श्री जुलफिकारूल्ला : दंड ब्याज को वसूल करने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। सभी बैंकों से आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद ही वह इस बारे में निर्णय करेगा कि दंड ब्याज वसूल किया जाये या नहीं।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजी गई धनराशि

*1178. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश के आर्थिक विकास पर श्रमिकों के बाहर भेंजे जाने के प्रभाव के बारे में विश्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय श्रमिकों, दोनों कुशल और अकुशल द्वारा कुल कितनी राशि स्वदेश भेजी गई ; और

(ग) भेजी गई इन धनराशियों के कितने प्रतिशत अंश को उत्पादक पूंजी निवेश में डाला गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग), एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश के आर्थिक विकास पर श्रम निर्यात के प्रभाव के बारे में विश्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन की सरकार को अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) : पिछले दो वर्षों में कुशल और अकुशल भारतीय श्रमिकों द्वारा भेजी गई कुल रकमों की ठीक-ठीक जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि पिछले दो वित्तीय वर्षों में अदृश्य आमदनी के कुल मिलाकर आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	करोड़ रुपए
1977-78	2117.14
1978-79	2285.71

उपर्युक्त आंकड़े सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के हैं जो मोटे तौर पर निम्नलिखित दो वर्गों के अन्तर्गत आती हैं :

(1) सभी प्रकार की प्राप्तियां जैसे हवाई कंपनियों की प्राप्तियां, जहाजी कंपनियों की प्राप्तियां, बीमा की प्राप्तियां, निवेश संबंधी आय, पर्यटन प्राप्तियां आदि और।

(2) "आवक प्रेषणाओं" से सम्बद्ध चार शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियां अर्थात (क) परिवार भरणपोषण, (ख) अनिवासियों की बचतें, (ग) प्रवासी अंतरण और (घ) मनीआर्डर प्राप्तियां।

जहां तक पहली श्रेणी की राशियों का संबंध हैं वे भारत या विदेशों में किए गए निवेशों या प्रदान की गई सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशियां मुख्यत: विदेशों में बसे भारतीयों के परिवारों और संबंधियों आदि के व्यक्तिगत और निजी इस्तेमाल के लिए होती हैं। यह बात इन रकमों को प्राप्त करने वालों पर निर्भर करती है कि वे इन्हें किस प्रकार काम में लाते हैं और इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि इन रकमों का कितना प्रतिशत उत्पादन या अन्य निवेशों में लगाया गया है। तथापि उच्च प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में इन धनराशियों के प्रवाह को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सरकार ने कई योजनाएं तैयार की है।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : मैंने व्यक्तव्य को ध्यान से पढ़ा है और मेरे विचार से पहला अवसर है जब विदेशी मुद्रा के रूप में भेजी गई धनराशि देश के उत्पादन तथा दूसरे निर्माण कार्यों में न लगा पाने की अपनी असमर्थता को सरकार ने स्वीकार किया है। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार 1977-78 में भेजी गई रकम के रूप, में इस देश को 2,117.14 करोड़ रुपये ओर 1978-79 में 2,285.71 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिली। यह बड़ी उत्साहवर्धक स्थिति है कि श्रम के निर्यात से इतनी आमदनी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : पूरी तरह से नहीं।

श्री के० राममूर्ति : मैं उस पर आ रहा हूं। इस धनराशि का एक हिस्सा श्रम के निर्यात द्वारा मिल रहा है। मैंने मंत्री महोदय से स्पष्टत: यह पूछा था कि श्रम के निर्यात द्वारा हमारे देश को कितनी रकम मिल रही है और इस देश में उसका कितना उपयोग हो रहा है। मंत्री महोदय से बहुत अच्छा उत्तर मिला है। अपनी असमर्थता व्यक्त करने की बजाय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी एकत्र क्यों नहीं करती ? उन्होंने चार श्रेणियां बनायी हैं, मनीआर्डर द्वारा और अन्य साधनों द्वारा। कम से कम अगले सत्र में मंत्री महोदय को यह सूचना जो बहुत आवश्यक है, पटल पर रखनी चाहिए। श्रम मंत्री महोदय ने हाल ही में ईरान तथा दूसरे देशों का दौरा किया। उन्होंने बताया है कि हमारे लोग बहुत शोचनीय स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं और उनकी खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा हमारे देश को मिल रहा है। मैंने पूछा : हमारे देश को कितना धन भेजा जा रहा है और देश में कितने धन का उपयोग किया जा रहा है ? लेकिन सन्तोषजनक उत्तर नहीं, दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विदेशों से भेजी गई धनराशि को उत्पादन तथा दूसरे निर्माण कार्यों में लगाने के लिए कोई योजना बनायेगी। फिलहाल यदि सरकार के पास कोई योजना न हो तो क्या भविष्य के लिए वह किसी योजना पर विचार करेगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मैंने प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए अपनी ओर से पूरी-पूरी कोशिश की है।

लाखों लोग विदेशों में कार्य कर रहे हैं और देश को इतनी अधिक विदेशी मुद्रा भेजने का श्रेय उन्हीं को जाता है। गरीब मजदूरों को भी इसका श्रेय जाता है, जो 1,000 से कम रुपये भेज रहे हैं। 10,000 से कम रुपये भेजने वाले इन लोगों को प्रपत्र करने के मामले में हमने छूट दे रखी है ; असुविधा के कारण हम कोई आंकड़े एकत्र नहीं करते। पूरे आंकड़े देना संभव नहीं है, क्योंकि उनसे इस सब के लिए प्रयत्न करने के लिए नहीं कहा जाता। इन आंकड़ों का दिया जाना संभव नहीं है। मैंने बताया है कि सकल निर्यात भिन्न प्रणालियां वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी हैं। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो 1974 में सकल निर्यात भिन्न प्राप्तियां 570 करोड़ रुपये की थी; 1975 में 1,000 करोड़ रुपये हो गयी; 1976 में 1,500 करोड़ रुपये हो गयीं; 1977 में 1,900 करोड़ रुपये हो गयी; और 1978 में यह लगभग 2,200 करोड़ रुपये हो गयी। मार्च, 1977 में यह 150 करोड़ रुपये थी, मार्च, 1978 में 218 करोड़ रुपये हो गयी और मार्च, 1979 में वह 323 करोड़ रुपये हो गयी, जो एक रिकार्ड है। स्तिथि यही है। रिजर्व बैंक को सभी बैंकों से हमारे लिखित प्रपत्रों में सूचना एकत्र करने और आंकड़ों को समलित करने में समय लगता है। डा० हेनरी आस्टिन और श्री वयालार रवि मेरी इस बात को समझेंगे कि यह जानकारी देना संभव नहीं, है कि कुशल और अकुशल श्रमिकों से अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

डा० हेनरी आस्टिन : हां।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : डा० हनेरी आस्टिन ने यदि मंत्री महोदय के उत्तर को समझ लिया है, तो वह उनके साथ मिलकर मुझे उत्तर दें।

डा० हेनरी आस्टिन : यहीं से मैं आपकी बात पर प्रश्न करूंगा। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि यद्यपि यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है, तथापि हाल ही विदेश में एक श्रम-समेलन में भाग लेते समय मुझे पता लगा कि कुछ अनधिकृत एजेंसियों ने पुरानी हुंडी प्रणाली फिर शुरू कर दी है। क्या सरकार इस कमी को दूर करने की व्यवस्था करेगी और अनधिकृत एजेंसियों के इस धन्धे को समाप्त करेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : इस प्रकार की कूट-योजनाओं का भंडाफोड़ करने की दिशा में प्रवर्तन निदेशालय बहुत सक्रिय और सतर्क है और इसमें हमें कुछ सफलता भी मिली है। अतः, इसे लेकर हम सतर्क हैं। माननीय सदस्य यदि कोई विशेष जानकारी देंगे तो मैं उनका अभारी होऊंगा।

डा० हेनरी आस्टिन : अपना प्रश्न करने से पहले में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

हाल ही में मैंने कुछ अरब देशों का दौरा किया। वहां काम करने वाले हमारे भारतीय साथियों ने एक सुझाव दिया है या एक बात कही है और उसे देशवासियों को बताने के लिए मुझ से कहा है वह हमारे देश को भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा से संबंधित प्रचार के बारे में है। दूसरे देशों के लोग भी वहां कार्य करते हैं, लेकिन वे इस प्रकार का प्रचार नहीं करते जैसा कि हमारा प्रचार संगंटन करता है, कि हमें 400 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं क्योंकि वे देश इन सब बातों की ओर बहुत ध्यान देते हैं और इस देश को विदेशी मुद्रा भेजे जाने पर कुछ रोक लगा देते हैं। कुछ देश ऐसा पहले ही कर चुके हैं और उन्होंने यह सीमा बांध दी है कि बचत का केवल 40% हिस्सा ही भेजा जा सकता है। इससे हमारे देश और वहां कार्य करने वाले हमारे देशवासियों को कितना नुकसान होता है। इसीलिए सरकार इन व्यापक तथ्यों आंकड़ों को अपने पास तो रखे, लेकिन बेहतर यह होगा कि उनका व्यापक प्रचार न करे। कठित परिस्थितियों में कार्य करने वाले हमारे देशवासी भी इसे पसंद करेंगे। इसीलिए इस संबंध में, मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस बारे में मंत्री महोदय के पास पर्याप्त जानकारी है।

मेरा मुख्य प्रश्न यह है। हमारे देशवासी, विशेष रूप से अकुशल और अर्द्धकुशल-मजदूर-जिन्हें वहां प्रवासी कहा जाता है बहुत कठिन स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि वे बारी-बारी से सोते हैं, वहां आवास कि बहुत व्यापक समस्या है। वे वहां बहुत मुसीबतों में रहते हैं। इतनी विदेशी-मुद्रा भेजने के बाद जब वे वापस आयें तो सरकार को उन्हें कुछ सुविधायें विशेष रूप से आवास के मामले में सुविधाएं देनी चाहिए। इस संबंध में वहां भारतीय समुदाय के नेताओं ने मुझसे कहा कि बेहतर यह होगा कि महानगरों और दूसरे छोटे नगरों में उनके लिए कुछ भूमि आबंटित कर दी जाये, ताकि वे उचित मूल्य पर भूमि खरीद सके और अपना मकान बना सकें। एक या दो महीने की छुट्टी पर आते हैं। इस अवधि में उनके लिए भूमि का सौदा करना, खरीदना और उस पर मकान बनाना आसान नहीं होगा। सबसे पहले

वे अपना मकान बनाना चाहते हैं ताकि बहुत देशों में आवास की भारी कमी के कारण, उन्हें जो समय बिना सोये गुजारना पड़ा है, उसे वह पूरा कर सकें। वेहतर होगा कि सरकार कुछ भूमि अधिग्रहीत करे और उन्हें उचित दाम पर बेचे। साथ ही सरकार उचित दर भवन-निर्माण सामग्री जुटा कर उन्हें भवन-निर्माण की सुविधायें दें। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विदेशों में कार्य करने वाले इन देशवासियों, विशेष रूप से कठिन स्थितियों में कार्य करने वाले इन कमजोर वर्गों के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया गया है।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले हिस्से का जहां तक संबंध है, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि व्यापक प्रचार यह न किया जाये। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रचार सभा में उत्तरों के रूप में ही होता है; हम जानबूझ कर इसका प्रचार नहीं करते। मकान खरीदने की सुविधा के बारे में सुझाव का जहां तक संबंध है, इस बारे में मंत्रिमंडल पहले ही निर्णय कर चुका है कि वे एक आवासीय मकान रख सकते हैं और खरीद सकते हैं। खेती के लिए भूमि खरीदने का जहां तक संबंध है; इसकी हमारे पास पहले ही कमी है और यह सुविधा नहीं दी जा सकती।

डा० हेनरी आस्टिन : क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की भूमि के दाम बढ़ गये हैं।

श्री हुकम चंद कछवाय : भारत से लाखों कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल व्यक्ति गए हैं। वे कुछ कम्पनियों के माध्यम से भेजे जाते हैं। जो लोग गए हैं उन से बहुत बड़ी रकम वह लेते हैं और इन लोगों को जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में से कुछ परसेंट वह वहीं पर काट लेते हैं। क्या यह सरकार के ध्यान में है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी कम्पनियों के माध्यम से लोग भारत से भेजे गये हैं और वह कितनी मात्रा में उनसे यहां पैसे लेते हैं और कितना वहाँ लेते हैं अपने एजेंटों के माध्यम से जो वहां बैठे हुए हैं ? क्या इसे आप बन्द करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल : कुशल और अकुशल लोगों के बाहर जाने के सम्बन्ध में जो कम्पनियों के माध्यम से जाते हैं और जिन के साथ इस प्रकार से धोखाधड़ी या लूट की जाती है उस का सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है लेकिन श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

विक्रय संवर्धन के लिये चालू वर्ष के दौरान अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मेले

*1179. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

(क) भारतीय उत्पादों के विक्रय संवर्धन अभियान के अंग के रूप में चालू वर्ष के दौरान अन्राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन से मेले आयोजित करने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये विभिन्न देशों में व्यापार प्राधिकरणों तथा गैर-सरकारी उद्योगों से कोई सहयोग मांगा गया है;

(ग) इन मेलों में किन-किन मुख्य भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरिफ बेग) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) (1) **भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले**

1. भारतीय प्रदर्शनी, मैक्सिको (नवम्बर-दिसम्बर, 1979)
2. भारतीय प्रदर्शनी, मनीला (फरवरी 1980)
3. भारतीय प्रदर्शनी दुबाई (तारीख अभी निश्चित की जानी है)

(2) **व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले**

1. मेनोवर, फेयर, एफ आर जी-अप्रैल 1979
2. इंटरनेशनल कारपेट एण्ड फलोर कवरिंग शो पेरिस-जून 79
3. इम्पो-एक्सपो, लन्दन, जुलाई 79
4. 17वां ओवरसीज इम्पोर्ट फेयर "पार्टनर्स फार प्रोग्रेस" बर्लिन-सितम्बर 79
5. इन्टरनेशनल आटोमोबाईल फेयर, फ्रैंकफर्ट-सितम्बर 79
6. स्पोर्टस गुड्स मैन्युफैक्चरर्स इन्टरनेशनल शो, न्यूयार्क-अक्तूबर 79
7. इन्टरनेशनल फर्नीचर फेयर, टोकियो-नवम्बर 79
8. इन्टरनेशनल साइकिल एण्ड मोटर साइकिल ऐग्जिबीशन मिलान-नवम्बर 1979.
9. इन्टरनेशनल इलैक्ट्रानिक्स एण्ड औटोमेशन ऐग्जिबीशन, बर्मिंघम-फरवरी 80
10. इन्टरनेशनल हैण्डवर्क मेसे, म्यूजम-मार्च 80
11. एक्सक्लूसिव इण्डिया ट्रेड फेयर जापान,
12. एक्सक्लूसिव इण्डिया ट्रेड फेयर, ब्रिटेन ।

(3) **चाय बिक्री अभियान के रूप में आयोजित किये जा रहे मेले**

1. हेमवर्ग (9 से 13 सितम्बर 79)
2. मैकीज डिपार्टमेन्टल स्टोर-न्यूयार्क-चाय बिक्री अभियान
   (तारीख निश्चित की जानी है)

(4) **इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किये जा रहे मेले**

एस. एम. ई. 1979 इन्टरनेशनल टूल एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग ऐक्सपोजीशन डेट्रॉइट-30 अप्रैल से 3 मई ।

(ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण तथा व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा लगाये जाने वाले मेलों के लिए टोकियो मेले के प्रकरण के अलावा, कोई सहयोग नहीं माँगा है । जापान बाह्य व्यापार संगठन ने प्रस्तावित भारतीय व्यापार मेले के लिए निःशुल्क स्थान तथा प्रचार का प्रस्ताव रखा है, हैम्बर्ग में चाय बिक्री संवर्धन अभियान चाय बोर्ड, भारतीय चाय व्यापार निगम तथा मेसर्स ऑस्ट्रीसिचे टी-सेसिलीक्लॉफ्ट (ओ. टी. जी) की संयुक्त सहयोग योजना है । न्यूयार्क में चाय बिक्री संवर्धन का आयोजन मैकीज डिपार्टमेन्टल स्टोर, न्यूयार्क की मार्फत किया जा रहा है ।

(ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण तथा व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेलों में प्रदर्शित किये जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों में ये शामिल है:—

1. वस्त्र मशीनरी
2. मशीनी औजार
3. इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर
4. आटो संघटक
5. प्रयोगशाला तथा वैज्ञानिक उपस्कर
6. मूल रसायन
7. मेषज
8. वस्त्र तथा अन्य उपभोक्ता माल
9. औटो ऐन्सिलरीज
10. ढला तथा गढ़ा माल
11. प्लास्टिक उत्पाद
12. छोटे, हाथ के तथा कटाई के औजार
13. औद्योगिक फासनर्स
14. मोटर साइकिलें
15. वाइसिकिल तथा वाइसिकिल संघटक
16. भवन निर्माणकर्ताओं से संबंधित लोहे का सामान
17. चमड़े का माल

18. खेल-कूद का सामान
19. हस्तशिल्प की वस्तुएं
20. गृह सज्जा का सामान
21. कालीन
22. लकड़ी का फर्नीचर
23. आभूषण

श्रीमती पार्वती देवी : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय मेले एशिया के देशों में आयोजित करने की क्या योजना है ? किन-किन एशियाई देशों में मेले आयोजित किये जाएंगे ? लघु उद्योगों में बनाई जाने वाली वस्तुएं प्राप्त करने और उनसे सम्पर्क करने के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री आरिफ बेग : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में ही यह स्पष्ट किया गया है कि विश्व के जिन-जिन भागों में ट्रेड फेयर एथारिटी के द्वारा ये मेले आयोजित किए जा रहे हैं उसमें दुबाई के अन्दर हम मेला आयोजित करने जा रहे हैं, मनीला, फिलिप्पाइन्स में करने जा रहे हैं और मेक्सिको में करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जापान में भी ट्रेड डेवलपमेंट एथारिटी द्वारा यह मेला आयोजित किया जा रहा है और यू. के. में भी इसको करने जा रहे हैं।

जहां तक लघु उद्योग से सम्बन्धित प्रश्न है हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इन समस्त मेलों में लघु उद्योग के सामान को प्रेफरेंस दिया जाय और इसीलिए हम ने इस बात पर जोर दिया है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिए स्माल स्केल सेक्टर को ही बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाय।

श्रीमती पार्वती देवी : अध्यक्ष महोदय, इन मेलों में अधिकतर मशीनें और शहरों में बनने वाली चीजें ज्यादा बताई जाती हैं। क्या हमारे देहातों में बनी हुई हाथ की कारीगरी की चीजों पर जोर देने पर सरकार विचार करेगी ? क्या इन्हें विदेशों में आयोजित किए जाने वाले मेलों में प्रदर्शन करने पर सरकार ध्यान देगी ?

श्री आरिफ बेग : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि इन मेलों में काटेज इण्डस्ट्रीज, स्माल स्केल सेक्टर में बनी चीजें, हस्तकर्घा का सामान प्रदर्शित करते हैं जैसे ज्वेलरी, वुडेन फर्नीचर, कार्पेट्स, होम फर्निशिंग, हैण्डीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर गुड्स आदि आदि। जैसा कि हानरेबल मेम्बर ने सुझाया है उसी प्रकार से सरकार, अपने देहाती क्षेत्रों में जो सामान बनते हैं, उनको इन तमाम मेलों में प्रदर्शित करती है।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : वक्तव्य में चाय की बिक्री अर्थात चाय के प्रचार आदि का उल्लेख किया गया है। भाग (ग) के उत्तर से स्पष्ट है कि विदेशों में आयोजित किए

जाने वाले मेलों में मशीनी औजार, इलैक्ट्रोनिक उपस्कर तथा अन्य चीजों को भी प्रदर्शित किया जायेगा। चाय का उत्पादन सरकारी, गैर-सरकारी और लघु क्षेत्रों में किया जाता है। चाय का भारत द्वारा निर्यात किया जाता है। अमरीका और दूसरे क्षेत्रों में, जहां चाय का उपभोग परम्परागत नहीं है, चाय के संवर्द्धन का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे देशों के सहयोग से भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेलों में चाय को, जो भारत का मूल उत्पाद है, प्रदर्शित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ?

श्री आरफि बेग : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने सुझाया है, सरकार इस बात की पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि हम अपनी चाय को अधिक से अधिक देशों में बढ़ावा दें, उसके सेल को बढ़ायें। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पैकज टी को बड़ी मात्रा में विश्व में फैलायें। अभी तक ऐसा होता आया कि बल्क टी हमसे खरीद कर उसको ब्लेन्ड करके बेचा जाता था लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ब्लेन्ड, हमारी चाय सारी दुनियां में चले। इस सम्बन्ध में हमें बड़ी सफलता भी मिली है। जो एग्जिविशन्स हम कर रहे हैं उसमें हम अपनी चाय और काफी को प्रेफ्रेन्स देते हैं।

श्री अनन्त दवे : जो प्रश्न पूछा गया है उसके भाग (सी) की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

मेले में प्रदर्शित किए जाने वाली मुख्य भारतीय उत्पाद

मैं जानना चाहूंगा भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिये क्या कोई कमेटी बनाई गई है और क्या कोई नार्म्स तय किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या और उस कमेटी में कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं ?

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा सहकारीता मन्त्री (श्री मोहन धारिया): व्यापार विकास प्राधिकरण तथा व्यापार मेला प्राधिकरण में विशेषज्ञ और जानकर व्यक्ति होते हैं तथा जहां कहीं भी मेलों का आयोजन किया जाता है, वहां सभी उत्पादों का प्रदर्शन करना होता है। ऐसा उन उत्पादों की विपणन सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसा कि स्वाभाविक है इन सब बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है कि किन उत्पादों को प्रदर्शित किया जाये, उनका स्तर कितना हो, उन्हें किस तरह से प्रदर्शित किया जाये और इसका अच्छी तरह से प्रचार कैसे किया जा सकता है। इसलिए बाहर इन प्रदर्शनियों के समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, मैं यथा संभव अधिक से अच्छी किस्म पर जोर दे रहा हूं और विदेशों में हमारी प्रदर्शनियां धीरे धीरे अच्छा नाम कमा रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उत्तर में अन्तर्राष्ट्रीय मेले में प्रदर्शित हथकरघा उत्पादों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हथकरघा उद्योग के संवर्द्धन, हथकरघा उद्योग और लघु

उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हथकरघा उत्पादों पर पर्याप्त ध्यान और बल देगी ?

श्री मोहन धारिया : यह मद संख्या 8 के अन्तर्गत आ जाता है। मद संख्या 8 है "वस्त्र तथा अन्य उपभोक्ता माल" इसमें मिलों में तथा विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र दोनों में उत्पादित वस्त्र आ जाता है।

श्री बयालार रवि : मन्त्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि इस अन्तराष्ट्रीय मेले से विदेशों में हमारी बिक्री की सम्भावनायें बढ़ेंगी। लेकिन दुर्भाग्य से मौजूदा व्यवस्था में अपने से बर्द्धन की योजनायें हैं। विभिन्न वस्तु बोर्डों और संस्थाओं को अपने खर्चे पर मेले आयोजित करने पड़ते हैं। मेरे विचार से वाणिज्य मन्त्रालय इस प्रकार के मेलों को वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है। क्या आप अपने मन्त्रालय के अन्तर्गत विभिन्न बोर्डों और संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले इतने महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय मेलों को वित्तीय सहायता दिए जाने के मामले पर विचार करेंगे ?

श्री मोहन धारिया : इस प्रकार के केन्द्रों के संवर्द्धन के लिए बहुत सी योजनायें हैं। जहां भी सम्भव होता है, इन बोर्डों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा, जब हम भाग लेते हैं. उस समय दो स्थितियां होती हैं। एक, व्यापार मेला प्राधिकरण या व्यापार विकास प्राधिकरण या इन बोर्डों द्वारा अलग मेले आयोजित करना या दूसरे देशों द्वारा आयोजित किए गए अन्तरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेना। कई बार भाड़े, किराये या इसी प्रकार की समस्याएं होती हैं। काफी हद तक हम भाग ले रहे हैं। लेकिन मेरे माननीय मित्र, जो समुद्र उत्पाद प्राधिकरण के सदस्य, को यदि कोई दिक्कत हो, तो मैं निश्चित रूप से उस पर ध्यान दूंगा।

दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच इन्डियन एयरलाइन्स के विमान के उड़ानों के समय में परिवर्तन

1180. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों से दिल्ली और अहमदाबाद के बीच इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की दैनिक उड़ान संख्या 461 के समय में परिवर्तन के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या संसद सदस्यों अथवा अन्य लोगों से सरकार को इस आशय के सुझाव भी मिले हैं जिनसे उड़ानों के समय में सुधार तथा संख्या में वृद्धि हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) :— हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली के बीच रात की उड़ान आई०सी०-461 के वर्तमान समय यात्रियों के लिए असुविधाजनक है तथा शिकायत करने वाले ने सुबह की उड़ान को फिर से चालू करने की मांग की है।

(ग) सर्दियों में, मौजूदा समयावली चालू किए जाने से पहले दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली मार्ग पर एक सांयकालीन उड़ान चालू करने के सुझाव प्राप्त हुए थे।

(घ) इस मार्ग पर यातायात की मांग से फिलहाल उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरे मित्र मन्त्री महोदय अच्छे व्यक्ति हैं और मैं उन्हें पसन्द करता हूं। लेकिन एक प्रस्तावना के साथ अपनी बात कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है और अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आप से कर रहा हूं। प्रश्नों को यदि गम्भीरता से न लिया जाये और उत्तर ईमानदारी से न दिए जायें तो प्रश्नकाल की क्षमता और उसका उद्देश्य क्षीण पड़ जाता है। "मन्त्री महोदय ने उत्तर दिए है। मैं यह जानता हूं कि आप उत्तर नहीं ले सकते। मैं इस बात में भी सहमत हूं कि हो सकता है कि मन्त्रियों द्वारा दिए गए उत्तर हमारे विचार से सन्तोषजनक प्रिय या अनुकूल न हों। लेकिन वे उत्तर तथ्यों पर आधारित होने चाहिए और सही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए महोदय आप सामने आते हैं। मुझे आपका आश्वासन चाहिए, क्योंकि आप, पूरी सभा और देश इस बात को जानते है कि प्रश्नकाल, सभा में एक प्रश्न के उत्तर पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। जानकारी प्राप्त करने पर होने वाले इतने व्यय के बावजूद भी यदि हमें जानबूझकर अपूर्ण सूचना दी जाये और महत्वपूर्ण को छिपाने का प्रयास किया जाये तो हम क्या करें ?

महोदय मेरे प्रश्न के भाग (ग) को देखिए। मुझे प्रसन्नता है कि सभा के माननीय नेता यहां मौजूद हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह हमारा समर्थन करें। मैं जानता हूं कि आप की तरह वह भी संसद की क्षमता में दिलचस्पी रखते हैं।

भाग (ग) पूरी तरह से स्पष्ट है :—

(ग) क्या संसद-सदस्यों अथवा अन्य लोगों से सरकार को इस आशय के सुझाव भी मिले हैं कि जिनके उड़ानों के समय में सुधार तथा संख्या में वृद्धि हो सके;"

उत्तर में यह कहा गया है :—

"सर्दियों में, मौजूदा समयावली चालू किए जाने से पहले दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली मार्ग पर एक सांयकालीन उड़ान चालू करने के सुझाव प्राप्त हुए थे।"

मैं अपने मित्र, मन्त्री महोदय पर संसद में जानबूझकर आधा सही उत्तर देने का आरोप लगाता हूं मैं उनके मन्त्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य हूं और मैं उनकी अधिक

सहायता कर सकता हूं। सुझाव दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एवं अतिरिक्त उड़ान शुरू करने के बारे में थे। लेकिन वह "अतिरिक्त" उड़ान नहीं कह रहे हैं। वह उन्होंने केवल यह कहा हैं।.....पर एक सांयकालीन उड़ान चालू करने के लिए सुझाव।" इसके बाद उन्होंने कहा है। दिल्ली-अहमदाबाद-दिल्ली।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप यदि यह चाहते हैं कि मैं प्रश्न न करूं तो मैं प्रश्न नहीं करूंगा।

प्रश्न पूछने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और इस पर भी यदि आधे-सच्चे उत्तर दिए जाएं तो हम क्या करें ? मेरे विचार से आप हमें आश्वासन देंगे। कि कम से कम अगले सत्र से तो वह नौकरशाही शैली में उत्तर न दें।

मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के बारे में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शिकायत एक है या अधिक ? शिकायत किन लोगों ने की। प्रातःकालीन उड़ान को क्या जल्दी से जल्दी फिर से शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इस प्रशंसा के लिए मैं अपने माननीय मित्र का शुक्र गुजार हूं। मुझे आशा है वह पहले की तरह उदार बने रहेंगे और सहयोग देते रहेंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं ऐसा ही करता रहूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : प्रश्न का उत्तर देने का जहां तक सम्बन्ध है, प्रश्न दिल्ली और अहमदाबाद के बीच उड़ान के बारे में था और उत्तर भी दिल्ली और अहमदाबाद के बीच उड़ान सारिणी तक ही सीमित था। उत्तर के भाग (ग) का जहां तक सम्बन्ध है, सर्दियों में एक माननीय सदस्य ने सांयकालीन उड़ान शुरू करने का अनुरोध किया था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : "अतिरिक्त"

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : हो सकता है, दूसरे माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन माननीय सदस्य, प्रो० पी० जी० मावलंकर यह जानते हैं कि एक प्रातःकालीन विमान सेवा भी थी और उन्हें अतिरिक्त सांयकालीन उड़ान के लिए कहना चाहिए था। अतः गुमराह करने या अपूर्ण उत्तर देने का कोई सवाल नहीं हैं।

समय सारिणी में परिवर्तन का जहां तक सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र इस बात को समझेंगे कि हमारे कार्य में उस समय कितनी बाधायें हैं। अहमदाबाद तथा दिल्ली और अन्य स्थानों के बीच उड़ानों को सांयकालीन से प्रातःकालीन करने के लिए बहुत बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे स्थानों पर भी परिवर्तन करना होगा। इन बाधाओं को देखते हुए, यह परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करता हूं कि समय सारिणी में परिवर्तन की मांग को बढ़ावा देने की बजाय, वह कृपा करके उन बाधाओं को समझें जिनके बीच हम कार्य कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि वह दूसरे लोगों को भी इस बारे में आश्वास्त करेंगे कि कोई भी परिवर्तन करना फिलहाल सम्भव नहीं है। इस समय हमारी एक मात्र चिन्ता यही है कि समय-सारिणी के अनुसार उड़ानों को बनाए रखा जाये। अतिरिक्त विमानों के मामले में जैसे ही स्थिति में सुधार होगा, माननीय सदस्य के सुझाव पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अन्तिम पैरा (घ) में उन्होंने कहा है कि इस मार्ग पर यातायात की मांग से फिलहाल उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का औचित्य सिद्ध नहीं होता। क्या मैं यह जान सकता हूं कि मौजूदा यातायात कितना है ? दिल्ली और अहमदाबाद के बीच यातायात सम्भावनाओं को लेकर क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक दृष्टि से तथा अन्य दृष्टियों से अहमदाबाद महत्वपूर्ण स्थान है और वह दिल्ली तथा बम्बई को जोड़ता है, क्या सरकार के पास इस बारे में ऐसे कोई विश्वासनीय आंकड़े हैं: जिनसे यह जाहिर होता हो कि यातायात में वृद्धि नहीं हो रही है। मेरी जानकारी के अनुसार यातायात तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त उड़ानों की आवश्यकता है। हां, मैं नए विमानों के आने तक प्रतीक्षा कर सकता हूं। लेकिन क्या वह मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देंगे अर्थात क्या वह प्रातःकालीन उड़ान को जल्दी से जल्दी फिर शुरू करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : यातायात की स्थिति का जहां तक सम्बन्ध है, इण्डियन एयर-लाइन्स द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार है।

दिल्ली अहमदाबाद यात्री स्थिति इस प्रकार है :

दिल्ली और अहमदाबाद के बीच जनवरी 1979 में आरवो जो रुक रुक कर जाता है, द्वारा औसतन केवल एक यात्री गया। दिल्ली अहमदाबाद उड़ान का जहां तक सम्बन्ध है, आरवों विमान का यात्री औसत 67.3 रहा। 737 विमान में यह 69.9 रहा। फरवरी 1979 में यह आरबो विमान में 71.3 तथा 737 विमान में 79 प्रतिशत रहा। मार्च, 1979 में यह आरबो में 66.9 और 737 में 30.9 रहा। इसे देखते हुए, हम यह कह सकते हैं कि विमान द्वारा और अधिक यात्री ले जाए जा सकते हैं।

श्री ओ० वी० अलगेशन : महोदय, मैं यह मानता हूं कि अहमदावाद महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मद्रास भी महत्वपूर्ण स्थान है।

अध्यक्ष महोदय : हम केवल अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। **(व्यवधान)***

श्री ओ० वी० अलगेशन : हम हैदराबाद होते हुए जाया करते थे। एक बार उसे नागपुर के लिए मोड़ दिया गया। उसे इसलिए रोका गया क्योंकि कोई यात्री नहीं थे। इसे फिर

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नही किया गया।

नागपुर होते हुए ले जाया जा रहा है अतः क्या मन्त्री महोदय इस मामले को देखेंगे और मद्रास को फिर से शुरू करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि मद्रास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय उसकी बात नहीं की जा रही हैं ।

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : जैसा कि बताया गया है कि सुबह से शाम की फ्लाइट की गयी है । क्या यह एम० पीज० के सजेशंस से की गई है ? यदि हां तो यह किस मेम्बर ने सजेशन दी थी ? यह अपमान है । क्या आप और एम० पीज़० को इसके बारे में कन्सल्ट करेंगे ।

श्री पुरुषोतम कौशिक : यह ओवर आल शेड्युलिंग जो किया गया है उसी के आधार पर अहमदाबाद की फ्लाइट शाम की की गयी है ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : क्या मन्त्री महोदय सभा को यह जानकारी देंगे कि पिछले 6 महीनों में कितने विमान सही समय पर चले और सही समय पर उतरे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : इस समय सही आंकड़े देना संभव नहीं है ।

"बंगाल देशी" निर्यात टेंडर

†1181. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हाल में आरम्भ "बंगाल देशी" निर्यात टेंडर को अब तक का सबसे अधिक मूल्य मिला है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे टेंडर आर्थिक रूप से सक्षम है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या 29 मार्च, 1979 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" तथा अन्य पत्रों में "बंगाल देशी" टेंडरों की समाचारपत्रों में की गई गम्भीर आलोचनाओं की ओर सरकार का ध्यान गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारित मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जनवरी, 1979 में, सरकार ने निर्यात के लिए बंगाल देशी रूई की 50,000 गांठें रिलीज करने का निर्णय किया। उपरोक्त रिलीज में से कोटे के आंबटन के लिए वस्त्र आयुक्त को आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए थे। सरकार द्वारा तय किया गया था कि 10,000-10,000 गांठों के दो गट्ठरों को ऊंचे मूल्य पर आबंटित किया जाना है। और दोनों रिलीज़ों के बीच एक

उपयुक्त सभ्यान्तर रखा जाना है। इसके अतिरिक्त, 20,000 गांठों को पहले-आओ-पहले पाओ आधार पर रिलीज किया जाना था और 10,000 गांठे भारयीय रूई निगम को आबंटित की जानी थीं।

2. ऊंचे मूल्य पर निर्यात रिलीज से 134.74 अमरिकी सेंट प्रति पौंड को अधिकतम कीमत प्राप्त हुई जबकि न्यूनतम प्राप्त मूल्य 105.50 अमरिकी सेंट प्रति पौंड हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ ही देश हैं और सरकार द्वारा निर्यात के लिए सीमित मात्रा ही रिलीज की गई थी, पेश की गई कीमतें असामान्य नहीं हैं। निर्यातकों को आवश्यक आबंटन पत्र, उनके द्वारा अपेक्षित बैंक गारंटी और पक्की संविदाएं पेश करने के बाद ही जारी किए गए थे। ऐसा इस दृष्टि से किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेश की गई कीमतें वास्तविक हैं और सिर्फ निर्यात आबंटन प्राप्त करने के लिए नहीं बढ़ाई गई हैं।

3. 29 मार्च, 1979 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में बंगाल देशी टेंडरों के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट को सरकार ने देखा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरकार पक्की संविदाओं का पंजीकरण करके और निर्यातकों से, अपेक्षित बैंक गारंटी प्राप्त करके इन निर्यातों पर पूरी वसूली करने के लिए पहले ही एहतियाती उपाय कर चुकी है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : अध्यक्ष महोदय, 'बंगाल देशी' का रिकार्ड मूल्य प्राप्त करने के लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन इस पर उन्हें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि उस समय जापान में नियंत्रण मूल्य क्या था। आपने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया कि आपको यह मूल्य मिल जायेगा। बैंक गारंटी और दूसरी जांच के बावजूद, निर्यातक इस बात को अच्छी तरह जानता है.....

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

डा० वसन्तकुमार पंडित : मैंने प्रश्न नहीं किया है। निर्यातक इस बात को अच्छी तरह जानता है कि कपास के निर्यात के ठेके में दो उपबंध है, एक किस्म को लेकर है और दूसरा वजन को लेकर। मंत्री महोदय भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ 10 प्रतिशत धनराशि, विदेशी मुद्रा में, विदेशी खाते में रखी जाती है और वास्तविक मूल्य वसूली बहुत कम होती है। अतः, सरकार से मेरा यह प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय ने इस बात का पता लगाया है कि उस समय जापान में नियंत्रक मूल्य क्या था और उन्होंने इस बात की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये हैं जिससे कि इन दो उपबंधों का देश के हितों के विरूद्ध दुरुपयोग न हो पाये।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : महोदय, 'बंगाली देशी' के 40,000 गांठों में से 20,000 गांठे अधिकतम बोली पर दी जानी थीं। यहां, एक दृढ़ ठेके और बैंक गारंटी के साथ यदि हमें 135 अमरिकी सेंट मिल गये हैं, तो इससे देश का नुकसान नहीं हो गया है। अब, यदि पार्टी किसी वजह से ठेका पूरा नहीं करती, तो इसके लिए हमारे बैंक

गारंटी है । अतः हमें नुकसान नहीं होगा । इसके अलावा इस पर निर्यात गारंटी होती है ताकि विदेशी मुद्रा का भी उतना ही ध्यान रखा जा सके । कोई भी पार्टी यदि ओछे या कपटपूर्ण तरीकों से देश को उसके हक से वंचित करेगी, तो मैं सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उसके विरूद्ध हर संभव कार्यवाही की जायेगी और उसके निर्यात लाइसेंस को भी फौरन रद्द कर दिया जायेगा । लेकिन हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए । यह समाचार **बिजिनैस स्टेंडर्ड** में छपा है । हमने उसे देखा है । यह शिकायत यदि सही सिद्ध हो गयी; तो कार्यवाही शुरू की जायेगी । लेकिन इसकी ओर वह 100 या 105 सेंट के विपरीत 135 सेंट प्राप्त कर सकता था । इस पर हमें प्रसन्न होना चाहिए । इन स्थितियों में हम बेकार में एक ऐसे मामले पर क्यों उत्तेजित हो रहे हैं जिसमें देश को लाभ होने की संभावना है ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : बेची गई 'बंगाल देशी' की विभिन्न खेपों का कितना मूल्य वसूल किया गया ? भारतीय कपास निगम बाद की खेपों के लिए उतना ही मूल्य क्यों नहीं वसूल कर सका, जो उसे पहली खेप के लिए मिला था ?

श्री मोहन धारिया : मूल्य 105 से 135 सेंट के बीच रहा । कुल मिलाकर, औसत मूल्य 120 सैंट रहा । भारतीय कपास निगम या किसी दूसरे निर्यातक का जहां तक सम्बन्ध है, हमने वसूली के आधार पर न्यूनतम मूल्य तय किया है । उन्हें यदि यह मूल्य मिलता है तो हम निर्यात की अनुमति देंगे, अन्यथा नहीं ।

दक्षिण का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिये भोजन और निवास की व्यवस्था

*1182. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनके परिवार के साथ छुट्टी-यात्रा रियायत की सुविधा आरम्भ किये जाने के बाद दक्षिण में, विशेषकर बंगलौर और मैसूर नगरों में, भीढ़ बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन नगरों में स्तर के अनुसार इन पर्यटकों के लिये भोजन और निवास की उचित व्यवस्था नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके लिए सस्ती दरों पर आवास की व्यवस्था करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या योजना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां । सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान करने, विशेष रूप से 30 जून, 1979 तक उसकी अवधि में विस्तार करने के बाद, कर्नाटक सहित भारत के सभी राज्यों की ओर यातायात में वृद्धि हुई है ।

(ख) से (घ) : बंगलौर और मैसूर सहित भारत के दक्षिणी राज्यों में उपयुक्त आवास की अनुपलब्धता का कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। स्वदेशी पर्यटन के महत्व को दृष्टि में रखते हुए, सरकार उनके लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने पर जोर दे रही है। महानगरों में जनता होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया जा रहा है और दिल्ली में 1250 बैड वाला एक जनता होटल पहले से ही निर्माणाधीन है। अन्य पर्यटक केन्द्रों पर भी इसी प्रकार के होटलों का निर्माण व्यवहार्यता सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के पश्चात किया जा सकता है।

तीर्थयात्रियों के यातायात के महत्व को ध्यान में रखते हुए "भारतीय यात्री आवास विकास समिति" नामक एक सोसायटी पहले ही पंजीकृत कर दी गई है, जो धर्मशालाओं/मुसाफिरखानों/सरायों के प्रबन्ध/रख-रखाव के लिए न्यासों संस्थाओं व्यक्तियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

पिछली योजना अवधियों के दौरान केन्द्रीय सैक्टर में दक्षिणी राज्यों में अनेक विकासात्मक योजनाएं शुरू की गई थीं, जिनमें पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों, वन लाजों तथा होटलों के रूप में आवास सुविधाओं की व्यवस्था शामिल थी। छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) के दौरान केन्द्रीय सैक्टर में योजना कार्यक्रम के अधीन आवास सुविधाओं के विकास के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है।

अध्यक्ष महोदय : विवरण को आप पटल पर रख सकते थे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मुझे खेद है।

श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है :

"बंगलौर और मैसूर सहित भारत के दक्षिणी राज्यों में उपयुक्त आवास की अनुपलब्धता का कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।"

इस सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि धन तथा यात्रा-पत्रों के द्वारा एल० टी० सी० योजना के अन्तर्गत क्या सुविधायें दी जा रही हैं। क्या उनकी यात्रा के लिए मौजूदा सुविधा पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें और अधिक सुविधाये देने पर विचार कर रही है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : एल० टी० सी० का जहां तक संबंध है, हम विमान-यात्रा की कोई सुविधायें नहीं दे रहे हैं। हम आवास की व्यवस्था कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी समितियों के पास

*1176. **श्री एम० गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सहकारी समितियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि सहकारी समितियों के पास पड़े तम्बाकू के समूचे स्टाक को तत्काल खरीद लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) आन्ध्र प्रदेश की तम्बाकू सहकारी समितियों की फैडरेशन ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि सहकारी समितियों के पास पड़े सारे स्टाक को राज्य व्यापार निगम को उठा लेना चाहिए ।

(ख) सरकार ने राज्य व्यापार निगम से पहले ही यह कहा है कि वह आन्ध्र प्रदेश मार्कफैड की मार्फत आन्ध्र प्रदेश की सहकारी समितियों से सरकारी खाते में 5,000 मे० टन तम्बाकू खरीदे । राज्य व्यापार निगम ने मार्कफैड के साथ संविदा की है और मार्कफैड ने राज्य व्यापार निगम को संविदागत तम्बाकू की सप्लाई शुरू कर दी है ।

उचित दर की दुकानों पर दालों की बिक्री

*1183. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दालों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो दालों को उचित दर की दुकानों पर उचित मूल्यों पर न बेचे जाने के क्या कारण है ; और

(ग) उचित दर की दुकानों पर दाल बेचना बन्द करने के क्या कारण हैं जबकि सरकार को पता है कि दालों की कीमतें बढ़ रही हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अप्रैल, 1979 में दालों के उप-समूह का थोक मूल्य सूचकांक अप्रैल, 1978 की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक था । तथापि, अक्तूबर, 1978 और अप्रैल, 1979 के बीच दालों के थोक मूल्य सूचकांक में 12.4 प्रतिशत की कमी हुई ।

(ख) व (ग) : उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दालों की सप्लाई करना संभव नहीं है, क्योंकि एक ओर पिछले 15 वर्षों से देश में उनका उत्पादन स्थिर बना हुआ है तथा

इनके आयात की संभावनाएं भी बहुत कम हैं और दूसरी ओर इनकी मांग बढ़ती जा रही है। नेफड और एन० सी० सी० एफ० द्वारा खरीदी गई दालों की सीमित मात्रा गत वर्ष राज्य सरकारों को सीमित अवधि के लिए वितरण के लिए दी गई थी।

पूर्वोत्तर अंचल में स्टेट बैंक आफ इन्डिया का उप मुख्यालय स्थापित करना

*1184. **श्री होपिंग स्टीन लिंग डोह :**

श्री पी० ए० संगमा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया का पूर्वोत्तर अंचल में औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए उप-मुख्यालय स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्ला : (क) और (ख) : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की बेहतर सेवा के लिए स्टेट बैंक, गौहाटी में अतिरिक्त मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यालय स्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है, जो असम और अरूणाचल प्रदेश के लिए उत्तरदायी होगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार शिलांग में बैंक का एक मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक है जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य क्षेत्रों का नियंत्रण करता है।

"फेक माइनर्स कास्ट आई० ए० सेवरल लैक्स" शीर्षक से कथित समाचार

*1185. **श्री जी० एम० बनातवाला** :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 11 अप्रैल, 1979 में "फेक माइनर्स कास्ट आई० ए० सेवरल लैक्स एरिअर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरूषोत्तम कौशिक) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : इस प्रकार कोई मामला इंडियन एयरलाइन्स की जानकारी में नहीं आया है।

मद्रास में अफीम के व्यापार का गिरोह

*1186. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मद्रास में 12 अप्रैल, 1979 को अफीम के व्यापार के गिरोह का सफाया कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) **और** (ख) : जी हां, सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, 12 अप्रैल, 1979 को मद्रास के सीमाशुल्क अधिकारियों ने कुल लगभग 23 किलोग्राम अफीम पकड़ी, जिसे देश से तस्कर-निर्यात किये जाने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में ग्रस्त चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दो अन्य व्यक्ति, जिन पर इस मामले में ग्रस्त होने का आरोप है अभी तक नहीं पकड़े गये हैं क्योंकि बताया जाता है कि वे देश के बाहर रह रहे हैं।

कलकत्ता हवाई अड्डे को घाटा

*1187. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि उड़ानों के वितरण में असंतुलन के कारण कलकत्ता हवाई अड्डे को बहुत नुकसान हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस असंतुलन के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई में विमान उड़ानों का बाहुल्य है जिससे यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) **और** (ख) : कलकत्ता एयरपोर्ट को यातायात, विशेषत : अंतर्राष्ट्रीय यातायात, की कमी के कारण, 1977-78 के दौरान 27.35 लाख रुपये ही हानि हुई है। दुनिया भर में जहां कहीं भी एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है, उड़ानों के वितरण में असंतुलन एक आम घटना है। एयरलाइनें उन विशिष्ट हवाई अड्डों से होकर सेवाएं परिचालित करना अधिक पसंद करती हैं जहां उन्हें व्यापार की दृष्टि से अधिक लाभ होता है और जिस क्षेत्र से उन्हें काफी यातायात मिलता है। बहुत सी विदेशी एयरलाइनों को, भारत के अन्य स्थानों पर यातायात अधिकारों के अलावा, कलकत्ता के लिये/से होकर सेवाएं परिचालित करने के भी यातायात अधिकार प्राप्त हैं। तथापि इन में से कुछ एयरलाइनें, अपने व्यापारी हितों की दृष्टि से सेवाएं कलकत्ता के लिये/से होकर परिचालित नहीं करतीं। जहां तक सरकार का संबंध है, ऐसी उड़ानों को बढ़ावा देने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि कलकत्ता से होकर जाने वाले यातायात को प्रोत्साहन मिल सके। जब द्विपक्षी विमान सेवा करारों की मार्ग सूचियों पर बातचीत की जाती है तो विदेशी एयरलाइनों को कलकत्ता को अनिवार्य रूप से सदा ही एक अवतरण स्थल के रूप में पेश किया जाता है।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर धावनपथों को अधिक लंबा व मजबूत करने और वहां अतिपरिष्कृत प्रकार के राडार उपकरण लगाने के अलावा एक नये टर्मिनल भवन, एक ऑपरेशनल ब्लाक, एक आधुनिक होटल, तथा एप्रोच रोडों की व्यवस्था करने और रेडियो दिक्चालन सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने में काफी भारी रकम खर्च की गयी है।

इसके अलावा, यह भी निर्णय ले लिया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो सके, बम्बई हवाई अड्डे से होकर और अधिक उड़ानों की अनुमति न दी जाय, ताकि विदेशी एयरलाइनों को अपनी उड़ानों को अन्य स्थानों के साथ साथ कलकत्ता एयरपोर्ट से होकर परिचालित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार विदेशी एयरलाइनों द्वारा अपने यातायात अधिकारों के अन्तर्गत कलकत्ता के लिये/से होकर अनुसूचित विमान सेवाएं परिचालित करने का स्वागत करेगी और उसे प्रोत्साहन देगी।

(ग) और (घ) : बम्बई हवाई अड्डे पर विशेष रूप से रात के समय भीड़ हो जाती है क्योंकि अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रात 10 बजे से सुगह 6 बजे के बीच वहां से उड़ान करती अथवा वहां उतरती हैं। बम्बई हवाई अड्डे पर इस भीड़-भाड़ को खत्म करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक नये अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो टर्मिनल का कार्य हाथ में ले लिया है। इस परियोजना के पहले चरण के 1980 में पूरा हो जाने की आशा है।

उद्योग तथा निर्यात के लिए सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी वित्तीय सहायता

*1188. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** : निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा नौ राज्यों में 1977-78 में उद्योग तथा निर्यात हेतु मंजूर की गयी वित्तीय सहायता पिछले वर्षों की तुलना में कम है ;

(ख) यह कितनी कम है और जिन 9 राज्यों में कम सहायता मंजूर की गयी है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं से सभी राज्यों को समान सहायता प्राप्त हो ?

(क) जी, हां।

(ख) 1976-77 की तुलना में 1977-78 में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी सहायता की राशि में निम्नलिखित नौ राज्यों में 48.89 करोड़ रुपये की कमी आयी है : असम, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा आंध्रप्रदेश।

(ग) विभिन्न राज्यों की सहायता मंजूर करने की वित्तीय संस्थाओं की क्षमता इस बात पर निर्भर होती है कि उन्हें उन राज्यों से कितने अर्थक्षम प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। सहायता मंजूर करते समय वित्तीय संस्थाएं ऐसे आवेदनों को निपटाने पर विशेष ध्यान देती हैं जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों से प्राप्त हुए हों। इसके अलावा इन संस्थाओं ने विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्यों में, तकनीकी परामर्शी (कंसलटेंसी) संगठन भी प्रयोजित किए हैं ताकि नये और छोटे उद्यमकर्त्ताओं को उनकी परियोजना के निर्धारण/निर्माण में और तकनीकी तथा प्रबंधकीय सलाह देने में परामर्श सेवाएं दी जा सकें।

उत्पादन शुल्क छूट योजना में परिवर्तन

*1189. **डा० विजय मंडल :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत सरकार ने उत्पादन शुल्क छूट योजना तथा विशेषकर लघु क्षेत्र के लिए छूट की सामान्य योजना में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन परिवर्तनों से लघु क्षेत्र को कुछ राहत मिलेगी तथा उत्पादन में वृद्धि होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) **से (ग) :** एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सरकार ने, 69 विनिर्दिष्ट मदों के छोटे निर्माताओं के फायदे के लिए वर्ष 1978 के बजट में चालू की गई सामान्य छूट योजना और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाले लघु एककों पर लागू होने वाली छूट-योजना, दोनों में कुछ परिवर्तन किए हैं।

(ख) सामान्य छूट-योजना में किए गए परिवर्तन ये हैं :—

(1) संगत छूट-प्रदायी अधिसूचना में एक शर्त निर्धारित की गई है कि यदि कोई विनिर्माता उत्पादन-शुल्क लगने योग्य ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता है जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की एक से अधिक मदों के अन्तर्गत आती हों तो ऐसा विनिर्माता छूट का पात्र तभी होगा जब पूर्ववर्त्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वदेश में खपत-हेतु उसकी उत्पादन शुल्क लगने योग्य सभी वस्तुओं की कुल निकासियां 20 लाख रुपये से अधिक की नहीं हों।

(2) ऐसी व्यवस्था की गई है गई कि विनिर्दिष्ट वस्तुओं (छूट-योजना के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं) के मूल्य को, जिन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत जारी की गई किसी अन्य छूट-प्रदायी अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से समस्त उत्पादन शुल्क से छूट दी गई हो, 5 लाख रुपये की छूट-सीमा और 15 अथवा 20 लाख रुपये की निकासी सीमा, जैसा भी मामला हो, संगणित करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लघु-निर्माताओं पर 1 अप्रैल, 1979 से लागू छूट-योजना में ये परिवर्तन किए गए हैं :—

(1) पूर्ण-छूट सीमा को 30 लाख रुपये से घटा कर 15 लाख रुपये कर दिया गया है ; 15 लाख रुपये से अधिक लेकिन 30 लाख रुपये से अनधिक की निकासियों पर अब 8 प्रतिशत की कानूनी दर की अपेक्षा 4 प्रतिशत की रियायती दर से शुल्क लगेगा।

(2) छूट-योजना के अन्तर्गत, निकासियों का विनिर्दिष्ट मूल्य संगणित करते समय निर्यात-निकासियों के मूल्य को हिसाब में नहीं लाया जाएगा।

(3) किसी लघु निर्माता की पात्रता उसकी, केवल मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की निकासी के संबंध में निर्धारित की जायगी। 1 अप्रैल 1979 से पूर्व, इस प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्माता द्वारा उत्पादित सभी उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुओं के मूल्य को हिसाब में लिया जाता था।

(ग) सामान्य छूट-योजना में किए गए परिवर्तनों से और लघु-एककों को राहत मिलने की आशा है। मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लघु-निर्माताओं पर लागू होने वाली छूट-योजना में किए गए परिवर्तनों से लघु-एककों को वित्तीय दृष्टि से और राहत मिलेगी। नई योजना के अन्तर्गत लघु-एककों को किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.8 लाख रुपये के शुल्क का फायदा मिल सकता है जबकि पिछली योजना के अन्तर्गत 1.5 लाख रुपये का फायदा मिल सकता था। यह भी आशा की जाती है कि इस योजना में किए गए परिवर्तनों से लघु-एककों को अपना निर्यात बढ़ाने और उन एककों को, जो मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के अलावा उत्पादन शुल्क लगने योग्य अन्य वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

बोम्बे डाइंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि०, बम्बई में शेयर धारिता

*1190. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स विश्व व्यापार प्राइवेट लि० तथा स्टर्लिग सेलिंग एजेंसीज प्राइवेट लि०, काठमांडू, नेपाल के बोम्बे डाइंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० बम्बई में काफी शेयर है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक भारतीय राजनैतिक 'मूवमेंट' इन नेपाली फर्मों को अपने बेनामियों के माध्यम से चला रहा है ; और

(ग) शेयरधारिता का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान लाभांश के रूप में कितनी धनराशि भेजी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पड़ोसी मित्र देशों में निगमित और कार्यरत कंपनियों के बारे में ऐसी सूचना देना न तो व्यावहारिक है और न ही बांछनीय ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विश्व व्यापार प्राइवेट लिमिटेड

अवधि	शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी का प्रतिशत	सकल लाभांश जिस पर कर लगेगा
			(रुपये)
1976-77	68,201	3.93%	3,41,005.00
1977-78	81,841	3.94%	4,09,205.00
1978-79	81,841	3.94%	4,09,205.00
स्टर्लिग इंडस्ट्रियल एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड			
1976-77	52,865	3.05%	2,64,325.00
1977-78	63,438	3.04%	3,17,190.00
1978-79	63,438	3.04%	3,17,190.00

ग्रामीण ऋण नीति

*1191 : **श्री दुर्गा चन्द** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ग्रामीण ऋण नीति की समीक्षा के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नई ग्रामीण ऋण नीति की घोषणा कब तक की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्ला) (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास के लिए, संस्थागत ऋण की व्ययस्था की समीक्षा करने के वास्ते श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है ।

(ख) इस समिति की रचना नीचे लिखे अनुसार है :—

(1) श्री बी० शिवरामन	अध्यक्ष
(2) श्री जी० वी० के० राव	सदस्य
(3) श्री एम० रामकृष्णैया	सदस्य
(4) श्री एम० आर० श्रौफ	सदस्य
(5) श्री एल० सी० जैन	सदस्य
(6) श्रीमती एस० सत्यभामा	सदस्य
(7) डा० एच० बी० शिवमरागी	सदस्य सचिव

इस समिति के विचारणीय विषय नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(1) कृषि और सम्बद्ध प्रयोजनों, जिनमें ग्रामीण उद्योग, हाट व्यवस्था, विधायन और समेकित ग्रामीण विकास से सम्बद्ध अन्य सेवाएं शामिल हैं, के लिए दीर्घावधि ऋण की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के ढांचे और परिचालनों की समीक्षा करना ।

(2) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सघन बनाने के संदर्भ में अल्पावधि और मध्यावधि ऋण ढांचे को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्रामीण स्तरों पर दीर्घावधि ऋण ढांचे से जोड़ने की आवश्यकता और सम्भावना की जांच करना ।

(3) सहकारी वित्तीय संस्थाओं के तीन स्तरों और दो स्तरों वाले ढांचे के परस्पर गुणावगुण पर विचार करना और यदि आवश्यक हो तो सुधार के सुझाव देना ।

(4) कृषि वित्त निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली पराक्षर्शी सेवाओं का अध्ययन करना और इसके तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच संतोषजनक समन्वय प्राप्त करने के लिए सुधार सुझाना ।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग विषयक कार्यों की ओर यथोचित ध्यान देते हुए ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में उसकी भूमिका की समीक्षा करना ।

(6) उपर्युक्त बातों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के विषय में सिफारिशें करना ।

(ग) समिति से आशा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट इस वर्ष के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक को दे देगी ।

भारत जापान संयुक्त उद्यमों में कमी

*1192. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 12 अप्रैल, 1979 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार गत छः वर्षों के दौरान भारत जापान संयुक्त उद्योगों तथा व्यापार और औद्योगिक सहयोगों में धीरे धीरे कमी हुई है ;

(ख) जापान से प्रतिवर्ष भारतीय माल के निर्यात में अनुमानत : कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या जापानी तकनीकी सहायता वाले किन्ही औद्योगिक परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या भारत जापान व्यापार तथा औद्योगिक सहयोगों के संबंध में बाधाओं को दूर करने हेतु जापान सरकार के साथ हाल में कोई बातचीत की गई है ; यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जापानी फर्मों के साथ औद्योगिक सहयोग के लिए मंजूरियों की संख्या की दृष्टि से उनमें गिरावट आई । 1973 में जबकि 38 मंजूरियां दी गई थीं, 1976 में 10 मंजूरियां दी गई । हां, तब से सुधार हुआ है क्योंकि 1977 और 1978 में मंजूरियों की संख्या बढ़कर 20 और 28 हो गई ।

(ख) जापान को भारतीय माल के निर्यात में बराबर वृद्धि हुई है । 1973-74 में 358.52 करोड़ रु० के निर्यात हुए जो बढ़कर 1977-78 में 504.74 करोड़ रु० के हुए ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जून 1978 में जापान की सरकार के साथ समीक्षा वार्ताएं हुई । जिन विषयों पर चर्चा हुई वे हैं, आर्थिक स्थिति की समीक्षा, द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेष जिनमें निर्यात उत्पादन के लिए या घरेलू आवश्यकताओं के लिए भारत में विदेशी निवेश शामिल हैं और तीसरे देशों में जापान के साथ संयुक्त उद्यम ।

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के सांख्यिकी विंग को सुदृढ़ बनाया जाना

***1193. श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग आंकड़ों के शीघ्र एकत्र: करने और उनका विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के सांख्यिकी विंग को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को आंकड़े एकत्रित करने तथा उन पर निगरानी रखने तथा सप्ताह दर सप्ताह ऋण विस्तार पर नजर रखने के लिए अपनी मशीनरी के पुनर्गठित का निर्देश दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्य क्या निर्देश दिये गये हैं :, और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दोषी बैंकों को दण्ड देने का निर्णय किया है ?

(क) से (घ) यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के सांख्यिकीय स्कंधों को मजबूत बनाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम जैसी कोई चीज आरम्भ नहीं की है । पिछले व्यस्त मौसम के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के बड़े पैमाने पर ऋण विस्तार के सन्दर्भ में, रिजर्व बैंक के गवनर्र ने 16 मार्च, 1979 को वाणिज्यिक बैंकों को सम्बोधित अपने एक पत्र में उनसे यह कहा है कि वह आंकड़े एकत्र करने और उनकी जांच करने के अपने आंतरिक तंत्र को मजबूत बनायें ताकि वह प्रति सप्ताह अपने ऋण विस्तार पर बारीकी से नजर रख सकें । इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक निर्धारित सांविधिक नकदी और नकदी जैसी सम्पति का अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात बनाये रखें । रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 30 मार्च, 1979 के बाद से साँविधिक नकदी और नकदी जैसी सम्पत्ति और नकद आरक्षित अनुपातों में रहने वाली कमी के सम्बन्ध में उसके बराबर राशि पर पुनर्वित्त/पुनर्भुगतान के अंश पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज कर लगाया जाएगा । बैंकों से यह भी कह दिया गया है कि 30 मार्च, 1979 के बाद उन बैंकों को जिनके सांविधिक नकदी और नकदी जैसी सम्पत्ति और नकद आरक्षित अनुपातों में कमी पायी जाएगी, पुनर्वित्त/पुनर्भुगतान सुविधाएं तभी मिल सकेंगी जबकि वह इस विषय में निर्धारित स्तर को पूरा कर लें ।

जनता होटलों का निर्माण करने के लिए निजी उद्यमकर्ताओं को अनुमति दिया जाना

***1194. श्री चिमनभाई एच० शुक्ल :**

श्री सी० आर० महाटा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने देश में जनता होटलों का निर्माण करने के लिए निजी उद्यम-कर्ताओं को अनुमति प्रदान की है ;

(ख) यदि हाँ, तो जनता होटलों का निर्माण करने के लिए किन व्यक्तियों/प्राइवेट फर्मों को अनुमति दी गई है ;

(ग) ऐसे होटलों का निर्माण किन स्थानों पर किया जायेगा ;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ड़) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जनता होटलों का निर्माण करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती । तथापि, उद्यमकर्त्ताओं से अनुरोध प्राप्त होने पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग होटल परियोजनाओं का अनुमोदन करता है बशर्ते स्थान उपयुक्त हो और परियोजना में निर्धारित मूल मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम स्तर की सुविधाओं तथा परिसुविधाओं की व्यवस्था की गई हो ।

(ख) और (ग) : अभी तक किसी परियोजना के लिये अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया । यद्यपि ऐसे स्थानों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जहां जनता होटल स्थापित किये जा सकते हैं, यह वांछनीय है कि इस प्रकार के अत्यधिक आवश्यक आवास का निर्माण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटक रुचि के स्थानों पर किया जाये ।

(घ) और (ङ) : निम्न तथा मध्यम कीमतों वाले होटलों को वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

बोरों की कीमत

11273. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 में बोरों की जो कीमत थी, उसकी तुलना में बोरों की कीमत इस समय लगभग दुगुनी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) बोरों की कीमतों में उनकी 1976 की कीमतों की तुलना में कुछ वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण है सप्लाई सम्बन्धी रुकावटें ।

(ख) टाट की कीमतों में और अधिक वृद्धि न होने देने के लिए वायदा बाजार आयोग ने प्रतिरक्षा व्यापार के सम्बन्ध में विनियामक आदेश जारी किये हैं ।

स्टेशन अधीक्षकों के पदों पर कार्यरत अनुसुचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों का शेष कोटा

11274. श्री श्याम सुन्दरलाल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) एयर इण्डिया में 1968 तथा 1978 के बीच स्टेशन अधीक्षकों के कितने पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गये ;

(ख) इन में से कितने पद अनुसुचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार इन जातियों के व्यक्तियों को लेकर भरे गये ;

(ग) क्या इन जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षण कोटे को देखते हुए, इन पदों हेतु भर्ती के लिए कोई उचित प्रक्रिया अनुपादित की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इन संवर्गों में शेष कोटे को भरने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं और इन पदों/स्टेशन अधीक्षकों के पदों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा या प्रादेशिक लिखित सेवा के लोगों पर भी विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ङ) 31 दिसम्बर, 1978 तक एयर इण्डिया एक सांझा रोस्टर रखती थी जिसमें सहायक स्टेशन अधीक्षकों तथा उनसे ऊपर के वर्ग सम्मिलित थे। 1968-78 की अवधि के दौरान, एयर इण्डिया ने इस वर्ग में 183 रिक्तियों पर सीधी भर्ती की। यद्यपि 1968-78 के दौरान स्टेशन अधीक्षकों के 23 पद भरे गये, तथापि रोस्टर के लिए पदों की ग्रुप-रचना (Grouping) के कारण वास्तविक भर्ती में इस चक्र में स्टेशन अधीक्षक के हिस्से कोई "प्वायंट" नहीं आया। नियुक्त किए गए 183 उम्मीदवारों में से 144 सामान्य वर्ग के थे, 28 अनुसुचित जाति के थे तथा 11 अनुसूचित जनजाति समुदाय के थे। इसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग में केवल 3 पद पीछे से चले आ रहे बचे थे। इन पीछे से चले आ रहे पदों को भरने के लिए, एयर इण्डिया ने केवलमात्र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए विशेष रोजगार सूचना जारी की है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आर० बी० डी० ताड़तेल का आयात

11275 श्री एस० आर० दामाणी : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा कुछ देशों से आर० बी० डी० ताड़तेल के बड़े पैमाने पर आयात को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ करार को अन्तिम रूप दिया गया है और किस मूल्य पर तथा कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से तेल बेचने का है अथवा गैर सरकारी एजन्सियों के माध्यम से ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : **(क) व (ख)** राज्य व्यापार निगम मलेशिया/सिंगापुर से आर० बी० डी० ताड़ के तेल की कुछ मात्रा का आयात करने के लिए अनुबन्ध करता रहा है। यह अनुबन्ध करने का कार्य अब भी जारी है। मूल्यों में पोत लदान अवधि, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूल्य रुख और अन्य संगत बातों के आधार पर परिवर्तन हुआ है।

(ग) इस तेल के वितरण की योजना खाद्य तेलों की उस समग्र बाजार स्थिति पर निर्भर करेगी जो समय-समय पर देश में व्याप्त होगी ।

अपेक्षाकृत छोटे चाय बागानों के लिए राज सहायता

11276 श्री समर मुखर्जी : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन अपेक्षाकृत छोटे चाय बागानों की संख्या क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों में वर्षवार राजसहायता, ऋण आदि प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) बागवार कितनी धनराशि दी गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : **(क) तथा (ख)** चाय बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 10.12 हैक्टेयर से कम के बागान लघु उपजकर्ता माने जाते हैं। जबकि चाय बागान वित्त योजना तथा चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना के अन्तर्गत ऋण सहायता के लिये इस श्रेणी से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अनुमोदित आवेदनपत्रों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्रोपण उपदान योजना के अन्तर्गत दी गई राशि का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	अनुमोदित आवेदनपत्रों की संख्या	दी गई राशि (लाख रु० में)
1976-77	520	1.00
1977-78	571	3.38
1978-79	935	10.07

पिछले तीन वर्षों के दौरान हर महीने उपदान के रूप में दी गई राशि में पिछले वर्षों में दी गई स्वीकृतियों से सम्बन्धित किस्तों के सम्बन्ध में दी गई राशि भी शामिल है दिये गये उपदान का बागान-वार ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है ।

राज्यों में विदेशी सहायता का उपयोग

11277. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों तथा संयुक्त राष्ट्र की एजेन्सियों के माध्यम से हमें कुल कितनी विदेशी सहायता मिली है ; और

(ख) इस सहायता में से कितनी-कितनी किन-किन राज्यों में खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) विभिन्न देशों से और संयुक्त राष्ट्र संघ अभिकरणों सहित बहुपक्षीय अभिकरणों से कुल मिलाकर वर्ष 1976-77 में 1,599 करोड़ रुपये और वर्ष 1977-78 में 1,288 करोड़ रुपये की सकल सहायता प्राप्त हुई थी। वर्ष 1978-79 में प्राप्त सकल सहायता का संशोधित अनुमान 1,460 करोड़ रुपए का है ।

(ख) विदेशी सहायता भारत सरकार को प्राप्त होती है और यह सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए उपलब्ध साधनों के केन्द्रीय पूल में शामिल कर ली जाती है ।

राज्य सरकारों को उपयुक्त सक्षम परियोजनाएं प्रस्तुत करने और उन्हें तेजी से कार्यान्वित करने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि (1978-83) में राज्यों की आयोजनाओं के लिऐ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रत्येक वर्ष स्थानीय मुद्रा के खर्च के लेखे संवितरित सहायता की 70 प्रतिशत तक राशि देने का फैसला किया है ।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कार्यक्रम सहायता की राशि मुख्यत: वस्तुओं, फालतू पुर्जों, संघटकों और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के काम आती है। ये आयातित वस्तुएं विभिन्न गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों, संस्थाओं, राज्यों और केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों के लिए होती हैं । राज्यों के लिए किए गए आयात को अलग अलग करके बताना कठिन है क्योंकि सहायता से वित्तपोषित आयातों के आकड़े राज्य वार नहीं रखे जाते।

सहायता का काफी बड़ा अंश कृषि, सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, डेरी विकास, ग्राम विद्युतीकरण आदि से सम्बद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होता है। ये परियोजनाएं कई राज्यों में फैली होती है और राज्य सरकारों की पंच वर्षीय आयोजनाओं का अंग होती हैं। विदेशी सहायता से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं की सूची और उनके अन्तर्गत निकाली गई सहायता की राशियों आदि का ब्यौरा

केन्द्रीय सरकार के 1979-80 के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के, जो पहले ही सभा-पटल पर रखा जा चुका है, अनुबन्ध 4 के पृष्ठ 163 से 189 तक में दिया गया है।

चुंगी समाप्त किये जाने के कारण राज्यों को सहायता

11278. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार चुंगी समाप्त किये जाने के बाद राज्य सरकारों को हुए घाटे के लिए मुआवजा देने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने प्रतिशत घाटा पूरा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से जोकि चुंगी लगाती है, इसे समाप्त करने संबंधी उपयुक्त विधान बनाने के लिए, अनुरोध करने के बारे में केन्द्र सरकार के इरादे की घोषणा पिछले वर्ष के बजट भाषण में की गई थी। चुंगी समाप्त करने तथा राजस्व में होने वाली हानि को पूरा करने सम्बंधी व्यवस्थाओं के मामले में किसी एक मतैक्य पर पहुंचने के लिए, उनके सहयोग को प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किए गए। जब कि राज्य सरकारों ने चुंगी समाप्त करने की वांछनीयता की आमतौर पर सराहना की है, उन्होंने यह कहा है कि स्थानीय निकायों के लिए चुंगी राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसकी हानियों को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए राजस्व के पर्याप्त वैकल्पिक संसाधनों का पता लगाना कठिन होगा। इसलिए, उन्होंने चुंगी समाप्त किए जाने की वजह से राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। इन विचार विमर्शों को ध्यान में रखते हुए मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

एयर इंडिया के असबाब एकक द्वारा हवाई अड्डों पर सामान का ढेर लगाया जाना

11279. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयर इंडिया के असबाब एकक द्वारा हवाई अड्डों के संचालनात्मक क्षेत्र में अन्धाधुन्ध तरीके से सामान का ढेर लगाने के बारे में अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है, जो विशेष रूप से दिन के समय महसूस की जाती हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयर इंडिया को लिखा था कि वह इस बात को सुनिश्चत

करे कि एयर इंडिया के कार्गो हैंगर के सामने, जोकि टैक्सी-पथ के बहुत निकट स्थित है, कोई भी कार्गो ट्रांलियां आदि खड़ी न की जाएं। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप मार्च तथा अप्रैल के दौरान एयर इंडिया वेयरहाउस में निम्नलिखित कारणों से सामान की अत्यधिक भीड़ एवं जमाव हो गया :—(1) वर्ष की समाप्ति एवं "लेटर आफ क्रेडिट" की समाप्ति के कारण एक्सपोर्ट कार्गो में बृद्धि, (2) कस्टम्स द्वारा इनलैंड प्वायंटों से आने वाले ट्रांजिट कार्गो को सामान्यतः वेयरहाउस के साथ वाले शेड में रखने की अनुमति को वापस लेना, तथा (3) भारतीय समय के अनुसार 10.00 बजे से 19.00 बजे के दौरान मुख्य धावन-पथ नम्बर 09/27 के बंद होने के कारण वेयरहाउस तथा कार्गो काम्प्लेक्स के बीच शिपमेंट को ले जाने की गति का मंदा पड़ जाना और इस अवधि के दौरान वैकल्पिक धावन-पथ नम्बर 14/32 के प्रयोग के कारण माल ढोने की प्रक्रिया में रुकावट पैदा होना क्योंकि इस प्रक्रिया में धावन-पथ 14/32 को पार करके जाना अनिवार्य हो जाता है।

बाद में भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों की एक बैठक में समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया।

आई० एल० टी० डी० और वजीर सुल्तान एंड कंपनी, हैदराबाद को तम्बाकू की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों अथवा फर्मों पर आयकर की बकाया राशि

11280. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आई० एल० टी० डी० और वजीर सुल्तान एंड कंपनी, हैदराबाद को तम्बाकू की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, इन व्यक्तियों अथवा फर्मों ने कितनी मात्रा में व्यापार किया है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यापार से संबंधित लोगों अथवा फर्मों पर आयकर की बकाया राशि का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारूल्लाह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

आल इंडिया ग्रिण्डलेस बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन से ज्ञापन

11281. **श्री पुण्डलीक हरि दाणवे** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** आल इंडिया ग्रिण्डलेस बैंक एम्पलाईज फेडरेशन द्वारा की गई मांगों के बारे में 9 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2609 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत सरकार ने आल इंडिया, ग्रिण्डलेस बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन, बम्बई का ज्ञापन उचित कार्यवाही हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कब भेजा था ;

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और वह निकट भविष्य में कब कार्यवाही करेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारूल्लाह) : (क) यह ज्ञापन 2 फरवरी 1979 को रिजर्व बैंक को भेज दिया गया था।

(ख) ज्ञापन में उठाये गये प्रश्नों के बारे में रिजर्व बैंक ने ग्रिण्डलेज बैंक से टिप्पणी मांगी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों के बारे में वांचू समिति की सिफारिश

11282. **श्री श्यामलाल घुर्वे : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भारत में कराधीन पद्धतियों सम्बन्धी वांचू समिति ने अपने प्रति-वेदन में यह नोट किया था कि निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के सीमित अवसर हैं और यह सिफारिश की थी कि आयकर निरीक्षकों और आयकर अधिकारी श्रेणी-II के पदों के लिए उन्हें विभागीय परीक्षायें देने का अवसर दिया जाना चाहिए ;

(ख) क्या सरकार ने निदेशालय में इन कर्मचारियों को इन विभागीय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारूल्लाह) : (क) प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि निदेशालयों में कर्मचारियों का चुनाव उनकी गोपनीय पंजिकाओं के आधार पर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों से किया जाना चाहिए, और उनकी तैनाती निदेशालयों में अगले उच्चतर ग्रेड में सांविधिक आधार पर की जानी चाहिए, तथा निरीक्षक और आय-कर अधिकारी, ग्रेड-II के लिए विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने की उनकी हकदारी कायम रहनी चाहिए।

(ख) तथा (ग) : अभी समिति की सिफारिश पर अंतिम निर्णय लिया जाना है।

कपड़े का पूरा कोटा उठाने में असमर्थ सहकारिताएं

11283. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : **क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सहकारिताएं सूती कपड़ा उद्योग द्वारा पेशकश किये गये कपड़े का पूरा कोटा उठाने में असमर्थ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सहकारिताओं के वितरण कार्य में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पुर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जहां तक नियंत्रित कपड़े का संबंध है, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से वितरित करने के लिए निर्धारित कपड़े का संपूर्ण कोटा उठाया जाता है। अन्य किस्मों के अनियंत्रित कपड़े के बारे में वस्त्र उद्योग द्वारा सहकारी समितियों के लिए इस समय कोई निर्दिष्ट कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और सहकारी समितियां अनियंत्रित वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है, जिनमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम की चुनी और कुछ निजी मिलों से तैयार किए जाने वाले 'को आप' छाप के वस्त्रों का विपणन भी शामिल है।

जहाज से माल भेजने से पूर्व उसकी अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने वाली एजेंसियां

11284. **श्री नाथू सिंह** : **क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन एजेंसियों के क्या नाम हैं जो (एक) सिले-सिलाये वस्त्रों, (दो) इंजीनियरी उत्पादों तथा (तीन) तैयार चमड़े तथा उससे बनी बस्तुओं (जिनमें जूते भी शामिल हैं) का, जहाज से भेजे जाने से पूर्व अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर रही है;

(ख) इन तीन ग्रुपों में जहाज से भेजने से पूर्व किन-किन उत्पादों का निरीक्षण किया जाता है;

(ग) इन तीन उत्पादों ग्रुपों में जहाज से भेजने से पूर्व के निरीक्षण के अधीन कौन-कौन से उत्पाद नहीं आते हैं; और

(घ) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद/एजेंसी द्वारा लाइसेंस प्रदत्त एजेंसियों द्वारा उक्त निरीक्षण कार्य किये जाने का प्रावधान है और जहाज से भेजने से पूर्व निरीक्षण करने के लिये इन प्राधिकृत एजेंसियों के नाम क्या हैं और वे क्या मूल्य वसूल करती हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) सिले सिलाए वस्त्र अनिवार्य पोत-लदान निरीक्षण के अन्तर्गत नहीं आते हैं वस्त्र समिति अधिनियम 1963 के अन्तर्गत, वस्त्र समिति और साथ ही मैसर्स कौनसुमैक्स, बुड़ापेस्ट हंगरी को होने वाले निर्यात के संबंध में और मैसर्स राजनदेएक्सपोर्ट सोवियत संघ को होने वाले निर्यात के संबंध में निरीक्षण की पेशकश किए जाने पर सूती, ऊनी और मानव निर्मित रेशों और उनके ब्लेंड़ों से बने सभी प्रकार के सिले सिलाए परिधानों का निरीक्षण करते हैं।

जहां तक (1) इंजीनियरी उत्पादों तथा (2) तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं (जूते सहित) का सम्बन्ध है, स्थिति नीचे दी जाती है :—

(क) **उन मदों के लिए अभिकरणों की सूची जो कि पोत-लदान पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत आती हैं।**

बस्तु	**अभिकरण का नाम**
(1) इंजीनियरी उत्पाद	जैसा कि अनुबंध 1 में सूचीबद्ध है।
(2) तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं (जूतों सहित)	जैसा कि अनुबंध 1 में सूचीबद्ध है।

(ख) **लदानपूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद**

(1) इंजीनियरी उत्पाद	जैसा कि अनुबंध 1 में सूचिबद्ध है।
(2) तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं (जूतों सहित)	जैसा कि अनुबंध 1 में सूचीबद्ध है।

(ग) **वे उत्पाद जो अब तक लदानपूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत नहीं आते थे**

(1) इंजीनियरी उत्पाद	जैसा कि अनुबंध 2 में सूचीबद्ध है।
(2) तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं (जूतों सहित)	जैसा कि अनुबंध 2 में सूचीबद्ध है।

(घ) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7(ङ) के अन्तर्गत पोत-लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण स्थापित करने अथवा उन्हें मान्यता

देने के लिए उपबंध है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत यह बताने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित वस्तु से सम्बन्धित किसी चिन्ह अथवा सील को यह प्रमाणित करने अथवा मान्यता देने की व्यवस्था है कि ऐसी वस्तु उस पर लागू होने वाली मानक विशिष्टी के अनुरूप है। इस अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अभिकरण उन दरों पर, जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं, लदान-पूर्व निरीक्षण करने के लिए फीस लेने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4537/79)

विवरण

उत्पादों की सूची	निरीक्षण प्रभिकरणों की सूची
(1) **इंजीनियरिंग उत्पादन**	
1. ढले लोहे के मेनहोल कवर तथा फ्रेम।	1. कार्गो इन्स्पैकर्टस एण्ड सुपरिन्टैंडेंस कं० आफ इंडिया प्रा० लि०,बम्बई (कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास)।
2. ढले लोहे के जीमन में लगाये जाने वाले पाइप तथा जुड़नार।	2. जनरल सुपरिन्टैंडेंस कं० (इंडिया) प्रा० लि० बम्बई, (कलकत्ता, वास्को-डे-गामा)।
3. हल्के इंजीनियरिंग उत्पाद।	3. इंजीनियरी माल के लिये सरकारी क्वालिटी चिन्ह केन्द्र उद्योग महा निदेशालय, पंजाब तथा हरियाणा। (अम्बाला, अमृतसर बटाला, फरीदाबाद, जगादरी, जालन्धर, लुधियाना, मालेर-कोटला, सोनीपत)।
(क) घरेलू वस्तुएं	
1) पीतल के बर्तन	
2) बर्नर सहित ब्लो लैम्प।	
3) तांबे के बर्तन।	
4) आम इस्तेमाल के लिये नरम इस्पात की बालटियां।	4. इन्सपैक्शन एन्ड टैस्टिंग कं० (इंडिया) प्रा० लि०, कलकत्ता, (साराजापादा, वास्को-डे-गामा)।
5) तेल-प्रेशर वाली लालटेनें।	
6) तेल-प्रेशर वाले स्टोव।	
7) कैंचियां।	5. लायड्स रजिस्टर आफ शिपिंग कलकत्ता (अहमदाबाद, बम्बई, कोचीन, दुर्गापुर, वास्को-डे-गामा, जमशेदपुर, मद्रास, राउरकेला तिरुचरापल्ली, विशाखा-पतनम, यमुनानगर)।
8) छाते।	
(ख) भवन निर्माण सम्बन्धी लोहे का सामान	
1) दराज ताले, अलमारी के तपले, बक्स के ताले, सूटकेस पार्टफोलियो तथा ब्रीफकेस के ताले।	6. एस० एन० दस्तूर एण्ड कं० प्रा० लि०, कलकत्ता (बम्बई, नई दिल्ली)।

2) बाड़ लगाने के लिये जस्तेदार
इस्पात की कांटेदार तार ।

दिल्ली में सहकारी समितियों का अधिक्रमण

11285. **श्री किशोरी लाल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) दिल्ली में कितनी सहकारी समितियों का अधिक्रमण कर दिया गया है, ऐसी सहकारी समितियों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण है; तथा कब से ऐसा किया गया है ; और

(ख) इन सहकारी समितियों को चलाने के लिए नियुक्त किये गये प्रशासकों के नाम क्या हैं; उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं और ऐसे प्रशासकों को क्या पारिश्रमकि दिया जाता है ?

• **वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग)** : (क) व (ख) 21 समितियों की प्रबंध समितियों का अधिक्रमण किया गया है । इनके अधिक्रमण के कारण ये हैं कि इन समितियों की प्रबंध समितियों ने लगातार व्यतिक्रम किए हैं और इन्हें दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, दिल्ली सरकारी समिति नियम और समितियों की उपविधियों द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्यों को निभाने में लापरवाह पाया गया है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	समिति का नाम	अधिक्रमण की तारीख	प्रशासक का नाम	पारिश्रमिक
1	2	3	4	5
1.	दि उजवा कोआपरेटिव पोलट्री एस्टेट लि०	8-12-1972	श्री एस० बी० रायजादा	शर्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
2.	दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव वैजिटिबल ग्रोअर्स मार्किटिंग फेडरेशन लि०	6-3-1976	श्री जी० आर० माटा	—वही—
3.	फारमर्स सर्विस सोसायटी लि०, नांगलोई	25-3-1976	श्रीमती बी० जिंदगर उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।
4.	बवाना कोआपरेटिव एम/पी सोसायटी लि०	23-1-1976	श्रीं एक्स० के० महतो, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।
5.	पड़पड़गंज कोआपरेटिव एम/पी सोसायटी लि०	15-1-1977	श्री एक्स० के० महतो, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।
6.	नरेला कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०	21-3-1978	चौ० हरी राम मुख्य प्रशासक	शर्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
7.	शाहपुर जाट कोआपरेटिव वैजिटेबल मार्केटिंग सोसायटी लि०	9-5-1978	दिल्ली कोआपरेटिव वेजिटेबल ग्रोअर्स मार्केटिंग फेडरेशन लि०	चूंकि वेजिटेबल फेडरेशन प्रशासक है, अत: कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

1	2	3	4	5
8.	जय जबान कोआपरेटिव वैजिटेबल मार्केटिंग सोसायटी लि०	7-7-1978	दिल्ली कोआपरेटिव वेजिटेबल ग्रोअर्स मार्केटिंग फेडरेशन लि०	चूंकि वेजिटेबल फेडरेशन प्रशासक है, अतः कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।
9.	अशोका कोआप० वैजिटेबल मार्केटिंग सोसायटी	14-7-1978	—वही—	—वही—
10.	समालका कोआप० वैजिटेबल मार्केटिंग सोसायटी लि०	27-7-1978	—वही—	—वही—
11.	सर्व हितकारी कोआप० एच०/बी० सोसायटी लि०	24-8-1978	श्रीमतो बी० जिन्दगर, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।
12.	हिन्दुस्तान कोआपरेटिव एच०/बी० सोसायटी लि०	29-11-1976	श्रीमती बी० जिन्दगर, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।
13.	जैन कोआप० एच०/बी० सोसायटी लि०	14-4-1978	श्रीमती बी० जिन्दगर, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।
14.	लेबर कोआप० एच०/बी० सोसायटी लि०	30-12-1976	श्री एक्स० के० महतो, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखे।
15.	गुजरांवाला कोआप० एच०/बी० सोसायटी लि०	4-5-1978	—वही—	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।
16.	कालकाजी वेस्ट फ्रैन्ड कोआप० एच०/बी० सोसायटी लि०	15-6-1978	श्रीमती बी० जिन्दगर, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।
17.	नव सेना कर्मचारी सिविलियन कोआप० टी०/सी० सोसायटी सिविलियन	23-2-1977	श्री एक्स० के० महतो, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें।

1	2	3	4	5
18.	आर्डिनेस वर्कस कोआप० टी०/सी० सोसायटी लि०	29-4-1977	श्रीमती बिमला जिन्दगर, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें ।
19.	ट्रांस्पोर्ट सेक्शन कोआप० टी०/सी० सोसायटी लि०	21-6-1977	श्री एक्स० के० महतो, उप पंजीयक	नीचे लिखे टिप्पण को देखें ।
20.	दिल्ली स्टेट कोआप० बैंक लि०	6-7-1974	श्री जे० एन० गुप्त आई० ए० एस०	शर्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।
21.	दिल्लो कज्यूमर्स कोआप० होलसेल स्टोर	4-10-1969	8-7-77 से 10-7-78 तक श्री एस० के० वतरा 10-7-78 से 23-10-78 तक श्री एम० डब्ल्यू० के० युसुफजाई 25-10-78 से 5-5-79 तक श्री पी० एन० गुप्त 5-5-79 से अब तक श्री बंसीधर	प्रशासकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है ।

टिप्पण : श्री एक्स० के० महतो और श्रीमती बिमला जिन्दगर पूर्णकालिक प्रशासक हैं और वे घानी सिविल सर्विस अधिकारी हैं । जिन समितियों में वे प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं उन समितियों द्वारा सितम्बर, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक उनके वेतन की अनुपातिक रूप में प्रतिपूर्ति की गई है । इन समितियों से सितम्बर, 1977 से मार्च, 1979 तक 1,16,617.76 रुपये की प्रतिपूर्ति की है ।

आलू का निर्यात

11286. श्री **मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के आलू का निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1979-80 के लिये क्या निर्यात लक्ष्य रखे गये हैं ;

(ग) क्या आलू की घबराहट पूर्ण बिक्री तथा किसानों के पास इसके भारी स्टाक को देखते हुए इस वर्ष आलू का बड़े पैमाने पर निर्यात करने का प्रस्ताव है ;

(घ) अप्रैल, 1979 के दौरान आलू की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ; और

(ङ) 'नेफेड' ने राज्य विपणन संस्था के माध्यम से गुजरात से कितनी मात्रा में आलू की खरीद की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1978-79 के दौरान आलू का निर्यात 17,170 मे० टन था जिसका मूल्य 1.69 करोड़ रु० था।

(ख) तथा (ग) : निर्यात मौसम नवम्बर 79—अप्रैल 1980 के लिए अभी लक्ष्य निर्धारित किया जाना है।

(घ) अप्रैल 1979 के दौरान निर्यात किये गये आलू की मात्रा 2,780 मे० टन थी।

(ङ) नेफेड ने गुजरात में आलू की खरीद नहीं की है।

नई दिल्ली के ट्रांस्मिटिंग केन्द्र में ट्रांस्मिटिंग सैटों की लागत

11287 श्री **एस० आर० रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) नई दिल्ली के ट्रांस्मिटिंग केन्द्र पर स्थापित ट्रांस्मिटिंग सैटों की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) देश भर में उन के मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कुल कितने ट्रांस्मिटिंग केन्द्र हैं और प्रत्येक की लागत कितनी है ;

(ग) कितने ट्रांस्मिटिंग केन्द्रों पर अग्निशामक उपायों की सम्पूर्ण व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या इन सेटों के लिए वातानुकूलन व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टिलर्स पर आयात शुल्क के बारे में काम को कर्मचारी संघ एरणाकुलम से अभ्यावेदन

11288. **श्री बी० के० नायर** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि 'कामको' कर्मचारी संघ अपना डाकघर, एरणाकुलम से कोई ऐसा अध्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें टिलर्स से आयात शुल्क हटाने के स्वदेश में टिलर बनाने वाले कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उपयुक्त राजसहायता अथवा अन्य किसी साधन से स्वदेशी उत्पादन की सहायता करने का उनका कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) आयातित शक्ति चालित टिलरों के सम्बन्ध में दी गई सीमा शुल्क से छूट केवल स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा आयात किये जाने वोले शक्ति चालित टिलरों तक सीमित है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय उद्योग के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे, आयातों की मात्रा में घट-बढ़ की जा सकती है । इसके अलावा, देश में निर्मित शक्ति चालित टिलरों को उत्पादन शुल्क की अदायगी से पहले ही छूट मिली हुई है ।

(ग) शक्ति चालित टिलरों के देशी उत्पादकों को राज-सहायता देने का एक प्रस्ताव है ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जातीय अनुसूचित जनजातिय अनुभाग अधिकारी

*11289. **श्री मही लाल** :

श्री चतुर्भुज :

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण में कुल कितने अनुभाग अधिकारी (सामान्य) हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा इस वर्ग में पूरा है और पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 40 सूत्री "रोस्टर" रखा जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले खाली पदों के बारे में ब्यौरा क्या है और क्या अनुभाग अधिकारियों के पद भरते समय पिछले चले आ रहे और आगे ले जाये गये षदों को इन समुदायों के पात्र व्यक्तियों में से भरा जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण में इस समय 11 अनुभाग अधिकारी (सामान्य) मौजूद हैं और उनमें एक अनुसूचित जाति का है ।

(ख) अनुसूचित जाति के एक अनुभाग अधिकारी की कमी है । भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तम प्राधिकरण आरक्षण के लिए 40 प्वायंट रोस्टर का अनुसरण करता है ।

(ग) और (घ) 1976 में जब अनुभाग अधिकारी के पद भरे गये थे, उप समय पदोन्नति के लिये निर्धारित आवश्यक सेवावधि वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई विभागीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था । तब से लेकर अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है तथा अनुसूचित जनजाति के एक उम्मीदवार की पदोन्नति के आदेश 10 मई, 1979 को जारी कर दिए गए हैं । उसके जल्दी ही अपने पद का कार्य भार संभाल लेने की आशा है । अभी भी अनुसूचित जाति के कोटे में एक अनुभाग अधिकारी की कमी है । इस कमी को भावी रिक्तियों की पूर्ति करते समय पूरा कर दिया जाएगा ।

मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य राजनीतिक दलों की आयकर विवरणियां

11290. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) किन-किन राष्ट्रीय तथा राज्य राजनीतिक दलों ने गत तीन वर्षों के दौरान आय कर विवरणियां प्रस्तुत की हैं ;

(ख) कर की कितनी राशि निर्धारित की गई है और उपरोक्त अवधि के दौरान, वर्षवार, प्रत्येक दल द्वारा कितनी कितनी राशि अदा की गई है ; और

(ग) क्या किसी दल और उसके राज्य एककों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्ला) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में इलाहाबाद बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार

11291. **श्री प्रद्युमन बल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद बैंक ने उड़ीसा में, विशेषतया, ग्रामीण क्षेत्रों में, गत 10 वर्षों से अपने बैंकिंग कार्यों का विस्तार नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इलाहाबाद बैंक ने अपनी पूंजी के बहुत बड़े भाग का पूंजीनिवेश उड़ीसा टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, घोंडवार तथा उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम नाम दो फर्मों में किया है ;

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक फर्म में कितनी धनराशि का पूंजीनिवेश किया गया है और उड़ीसा में इलाहाबाद बैंक ने कुल कितना पूंजीनिवेश किया है; और

(घ) उड़ीसा के इलाहाबाद बैंक की नई शाखायें खोलने में विकास कार्य क्या है ?

(क) : जी, नहीं। 1 जुलाई, 1969 में उड़ीसा में इलाहाबाद बैंक की दो शहरी शाखाएं थी। दिसम्बर, 1978 के अंत तक इस बैंक की शाखाओं की संख्या चौदह तक पहुंच गयी जिनमें से तीन ग्रामीण स्थानों पर और छः शहरी स्थानों पर थीं और इनके अलावा राज्य में एक और शाखा खोलने का लाइसेंस इस बैंक के पास मौजूद था।

(ख) और (ग) : जून, 1978 के अन्त में इलाहाबाद बैंक की उड़ीसा में स्थित शाखाओं में 4.7 करोड़ रुपये की जमा राशियां थी। इन शाखाओं के ऋण 3.1 करोड़ रुपये बैठते थे। इनके अतिरिक्त बैंक ने राज्य सरकार और उसके सम्बद्ध निकायों की प्रतिभूतियों में 2.3 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ था। किन्तु बैंकों में प्रचलित प्रथा और रिवाज के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(घ) रिजर्व बैंक की पुनरीक्षित शाखा लाइसेंस नीति का उद्देश्य है कि कम बैंक वाले जिलों में बिना बैंक वाले ग्रामीण और अर्ध शहरी स्थानों पर शाखाएं खोली जाएं। इस विषय में मौलिक उत्तरदायित्व हर जिले के लीड बैंक या और वहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो तो उसका होगा। उड़ीसा में इलाहाबाद बैंक का कोई लीड दायित्व नहीं है।

सरकारी खर्च में कमी करने के बारे में एक समिति का गठन

11292. **प्रो० पी० जी० मावलंकार क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने सरकारी खर्च के संबंध में विचार करने तथा उसे कम करने के उपाय ढूंढने के लिये कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उक्त समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) और (ख) लोक सभा के सदस्य श्री एस०एन० मिश्र की अध्यक्षता में एक व्यय आयोग गठित करने का निर्णय किया गया है। आयोग के अन्य सदस्यों के नामों के संबंध में उनकी सहमति प्राप्त कर लेने के बाद शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) उन क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें कार्य-कुशलता को हानि पहुंचाए विना अथवा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किफायत की जा सकती हो।

(2) ऐसे क्रिया-कलापों का पता लगाना जो अत्यावश्यक नहीं हैं अथवा जहां भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच अथवा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच कार्य परस्पर व्यापी हों और इस प्रकार के क्रिया-कलापों को क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने अथवा युक्तियुक्त करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

(3) पदों के निर्माण और कार्मिकों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना और कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को उचित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए उपायों का सुझाव देना।

(4) मुख्य परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन, निरीक्षण और मूल्यांकन के आयोजन करने की विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना ताकि उत्तरदायित्व से विमुक्त हुए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आ सके, लागत में वृद्धियों और विलम्बों को टाला जा सके और किए गए व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

(5) व्यय की स्वीकृति देने और उस पर नियंत्रण रखने की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना और यह सुझाव देना कि वित्तीय नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए और साथ ही साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक शीघ्रता लाने के लिए इन व्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जा सकता है ; और

(6) किसी अन्य संगत मामले पर विचार करना और समुचित सिफारिशें करना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बारमाल्ट माल्टिंग द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान

11293. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना विभाग ने इस बारे में कोई जांच की है कि गुड़गांव स्थित बारमाल्ट माल्टिंग ने, इस तथ्य के बावजूद कि वह लघु उद्योग के अन्तर्गत नहीं आती है, कारखाने में स्थापित लाखों रु० मूल्य के कण्डेन्सरों और अन्य मशीनरी के बारे में किसी भी उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया है ; और

(ख) यदि कोई जांच नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) गुड़गांव स्थित बरमाल्ट माल्टिंग कारखाने को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 68 के अंतर्गत आने वाले माल्ट और माल्ट सत्व का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस मंजूर किया गया है। दिनांक 18-6-77 की अधिसूचना सं० 176/77 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के उपबन्धों के अनुसार, टैरिफ मद सं० 68 के अंतर्गत आने वाले माल को (मूल्य सीमा के अधीन रहते हुए) उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट दी गयी थी, बशर्ते उत्पादन के कारखाने में लगाये गये संयंत्र और मशीनों पर समय-समय पर किये गये पूंजी-निवेश का कुल मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। चूंकि यह कारखाना, उसके द्वारा निर्मित माल पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा करता रहा था और यह अधिसूचना सं० 176/77 द्वारा यथा उपबंधित शुल्क से छूट का लाभ नहीं उठा रहा था, इसलिए इस बात का कोई अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ कि कारखाने में लगाये गये संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की जांच की जाय और यह भी निर्धारित किया जा सके कि क्या उक्त कारखाना लघु क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसका पूंजी निवेश 10 लाख रुपये से कम हो। यह पता लगा लिया गया है कि बारमाल्ट माल्टिंग कारखाने में लगे कंडेसर और अन्य मशीनरी, उन्होंने अन्य कारखानों में खरीदी थी। कारखाने में लगायी गयी मशीनों पर शुल्क की अदायगी के सत्यापन का प्रश्न समान्यतः नहीं उठेगा अथवा उसकी जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि इसका कारखाने में निर्मित उत्पादन शुल्क माल के शुल्क-निर्धारण से कोई संबंध नहीं है।

राज्य व्यापार निगम के उच्च अधिकारियों के निवासों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

11294. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री पी० एम० सईद :

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में राज्य व्यापार निगम के कुछ उच्च अधिकारियों के निवासों पर छापे मारे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा उनके पास पाई गई आस्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशकों के पद पर गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति

11295. **श्री यादवेन्द्र भक्त :**

श्री श्यामलाल दुबे : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यहा सच है कि गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशकों अथवा समकक्ष पदों पर गैर-सरकारी व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में इनमें से कितने व्यक्ति विभाग के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे ; और

(ग) विभाग, जिसमें वे नियुक्त किये गये हैं, के बारे में उनके अनुभव और अर्हतायें क्या हैं ?

(क) जी ,हां ।

(ख) और (ग) जहां तक भारतीय स्टेट बैंक, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का संबंध है यह सूचना संलग्न विवरण (अनुबंध) में दे दी गयी है । इन बैंकों के बोर्डों में नियुक्त गैर-सरकारी निदेशक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लिये गये हैं, जिन्हें कि ऐसे मामलों का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है जो कि बैंकों के काम में उपयोगी हो सकते है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जीवन बीमा निगम, विविध बीमा निगम आदि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और जिस सीमा तक वह उपलब्ध होगी सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4538/79)

एयर इंडिया द्वारा "सब-चार्टर" सेवा बन्द किया जाना

11296. **श्री अनन्त दवे : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या एयर इंडिया के "सब-चार्टर" सेवा बन्द किये जाने के कथित निर्णय से निर्यातकों के लिये समस्या पैदा हो गई है और एयर इंडिया को राजस्व में हानि हुई है ;

(ख) दुबई के खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिये नागर विमानन महानिदेशक द्वारा किन कारणों से अनुमति दी जाती थी ;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के बाद एयर इंडिया को राजस्व की कुल कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या इस हानि की जिम्मेदारी निश्चय की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) एयर इंडिया ने सब-चार्टर परिचालित न करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा गल्फ के देशों के लिए चार्टर उडानों की अनुमति उन देशों की विनाशशील कार्गो के निर्यात संबंधी मांगों की पूर्ति के लिये दी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कामनी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा तांबे के तार की अवैध बिक्री के बारे में शिकायत

11297. **श्रीमती मृणाल गौरे** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग की कामनी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बम्बई के विरूद्ध इस आशय की शिकायत मिली है कि उसमें आयात विनियमों का उल्लंघन करके 8000 टन आयातित तांबे के तार को अपने उत्पादन में काम न लेकर अवैध रूप से बेचा है ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायत की जांच की जा रही है।

कार निकोबार द्वीप के आदिवासियों के समूचे व्यापार का श्री अखोजी के हाथों में केन्द्रित होना

11298. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार द्वीप समूह में आदिवासियों का समूचा व्यापार गत कई वर्षों से एक व्यक्ति श्री अखोजी अथवा उससे नियंत्रणाधीन फर्म के हाथों में केन्द्रित है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायत मिली है कि उक्त फर्म ने आदिवासियों से बहुत ही सस्ती दरों पर नारियल आदि खरीदे और उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं निषिध दरों पर बेची ; और

(ग) क्या कार निकोबार के आदिवासियों को उनके उत्पादों के विक्रय तथा उन्हें उपभोक्ता बस्तुयें सप्लाई करने के लिये कार निकोबार में एक सहकारी संस्था बन चुकी है परन्तु इस संस्था में मुख्य कार्यकारी का पद अव भी श्री अखोजी के पास है, यदि हां, तो उक्त द्वीप के आदिवासियों को इसी व्यापार गृह के शोषण से बचाने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एल्लेन हिनेन्गी लिमिटेड केन्द्रीय सहकारी विपणन तथा संभरण समिति ने पहली जुलाई, 1977 से निकोबार वाणिज्यिक कंपनी, जो कार निकोबार द्वीप में सांझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही थी, की सभी गतिविधियों को अपने हाथ में ले लिया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) एक केन्द्रीय सहकारी विपणन तथा संभरण समिति 5 अप्रैल, 1977 को बनाई गई थी । समिति के सदस्यों ने जो आदिवासी हैं, समिति के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक जाडवेट पुरुष को चुना है । यह समिति उनके स्वामित्व तथा प्रबंध में है । इस समिति के गठन के बाद श्री अखोजी द्वारा उनका शोषण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आई० एफ० सी० आई० और आई० डी० बी० आई० द्वारा ऋण जारी करने में अनियमितताएं

11299. **श्री भारत भूषण** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान आई० एफ० सी० आई० और आई० डी० बी० आई० द्वारा ऋण जारी करने में कुछ अनियमितताएं हुई बताई गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि आई० एफ० सी० आई० ने तकनीकी परामर्श का पालन नहीं किया है अथवा कभी कभी तकनीकी परामर्श नहीं लिया है ;

(ग) क्या आई० डी० बी० आई० ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या संसद् की एक समिति अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्वतन्त्र जांच कराये जाने का सुझाव दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (घ) : सरकार को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) के कार्यचालन के सम्बन्ध में विभिन्न आरोपों वाले अनेक अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए थे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) से इन अभ्यावेदनों आदि की जांच करने का अनुरोध किया गया था और उसने सरकार को सूचना दी है कि इन पर ब्यौरेवार विचार किया गया है और इस विषय में उनका यह निश्चित मत है कि इन आरोपों का कोई सुदृढ़ आधार नहीं है। इसने यह भी सूचना दी है कि साधारणतः सभी परियोजनाओं को, विशेषतः बड़े पूंजी निवेश और नयी टैक्नीलोजी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को आई० एफ० सी० आई० तकनीकी सलाह समितियों को भेज देता है और वस्तुतः इन समितियों की सलाह के आधार पर अनेक परियोजनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिये गये हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि आई० एफ० सी० आई० ने तकनीकी सलाह नहीं मानी है अथवा कुछ अवसरों पर तकनीकी सलाह ली ही नहीं है। जहां तक आई० डी० बी० आई० द्वारा जारी किये गये ऋणों का प्रश्न है सरकार के ध्यान में कोई अनियमितताएं नहीं आयी हैं।

(ङ) जो कुछ भी कहा गया है उसको देखते हुए संसद की किसी समिति अथवा सी० बी० आई० द्वारा किसी स्वतंत्र जांच का प्रश्न नहीं उठता।

भारत और बंगलादेश के बीच रेल तथा स्टीमर सुविधाओं का विस्तार

11300. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पहले यह सहमती हुई थी कि भारत और बंगलादेश के बीच व्यापार तथा वाणिज्य की बेहतर सुविधाओं के लिए दोनों देशों के बीच रेल तथा स्टीमर सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए बंगलादेश रेलवे को स्यालदह तक जाने और भारतीय रेलवे को सिलहट तथा बंगलादेश के अन्य भागों में जाने की अनुमति दी जाती थी ;

(ग) क्या भारत बंगलादेश के बीच व्यापार तथा वाणिज्य का विकास करने के लिए ऐसी रेल तथा स्टीमर सुविधायें पहिले भी विद्यमान थीं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत-बंगलादेश के बीच व्यापार तथा वाणिज्य सुविधाओं का विकास करने के लिये दो देशों के बीच रेल तथा स्टीमर सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : भारत तथा बंगलादेश के बीच, द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिये रेल तथा स्टीमर परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सरकारी स्तर पर, करार किये गये हैं तथा उनके ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) रेल यातायात

भारत तथा बंगलादेश रेलवे के बीच रेल यातायात के परस्पर आदान-प्रदान पर लागू होने वाले नियम "फन्डामेंटल एण्ड सबसीडियरी रूप" में समाविष्ट हैं, जो दोनों देशों द्वारा अनुसमर्थित किये जा चुके हैं और जो 1-1-73 से लागू हैं। इन नियमों के अन्तर्गत, माल-यातायात का परस्पर आदान-प्रदान सीमा पर किया जायेगा तथा स्वीकृत मार्गों से दोनों देशों के राज्य क्षेत्रों में किसी भी स्थान के लिये बुक किया जायेगा। मार्ग निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. **बड़ी लाइन**

   1) बोंगान-बेनापोल

   2) राजाघाट-दरसाना (पूर्व रेलवे)

2. **छोटी लाईन**

   1) राधिकापुर-विराल

   2) न्यू गीतलदाह-लालमुनीरहट

   3) महिशासन-कुलोरा
      (उत्तरी सीमांत रेलवे में)।

तथापि, बोंगान-बेनापोल मार्ग चालू नहीं है।

2. **स्टीमर यातायात**

भारत तथा बंगलादेश सरकारों के बीच 1-11-72 को हुए अन्तर्देशीय जल परिवहन तथा व्यापार के संलेख के अन्तर्गत इस समय अन्तर्देशीय जल यातायात सेवाएं कलकत्ता व बंगलादेश तथा असम व बंगलादेश के बीच चल रही हैं। इस संलेख के अन्तर्गत भारत तथा बंगलादेश के बीच अन्तर्देशीय जल यातायात सेवाएं 1972 से प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत तथा बंगलादेश के बीच लाइनर व्यापार की व्यवस्था भारत-श्रीलंका-बंगलादेश-बर्मा सम्मेलन द्वारा की जाती है, जिसके कुछ बंगलादेश शिपिंग लाइन्स तथा भारतीय शिपिंग लाईन्स सदस्य हैं।

राज्य व्यापार निगम के उप-प्रबन्धक की बहाली

11301. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :**

श्री महीलाल :

श्रीराम कवार बेरवा :

श्री चतुर्भुज : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति सथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के एक उप-प्रबन्धक ने मार्च, 1974 में 16 लाख रुपये के मूल्य की 50 टन सामग्री की दोहरी सप्लाई को रोक लिया था तथा इसकी रिपोर्ट कर दी थी और इसके फलस्वरूप कुछ अधिकारियों को सतर्कता जांचों का सामना करना पड़ा था ;

(ख) क्या बाद में इस अधिकारी को एक भ्रष्टाचार के एक झूठे मामले में फांस लिया गया था और राज्य व्यापार निगम ने इस मामले के आधार पर बिना कोई विभागीय जांच किये 27 जून, 1974 को इस अधिकारी की सेवायें समाप्त कर दी थीं और संवर्ग-1 के ऊंच पद पर उसकी नियुक्ति रोक ली थी जिस पर उसे नियुक्ति के लिये राज्य व्यापार निगम ने उसे 17 जून, 1974 को चुना था ;

(ग) क्या यह सच है कि विशेष न्यायाधीश ने 28 अक्तूबर, 1977 के अपने निर्णय में भ्रष्टाचार के मामले को अस्वीकार करके उक्त अधिकारी को स्पष्ट रूप से मुक्त किया था ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम उक्त अधिकारी को सेवा में बहाल न किये जाने तथा पिछली तारीख से वरिष्ठता और फलतः मैनेजर के पद पर पदोन्नति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : राज्य व्यापार निगम के एक उप विपणन प्रबन्धक ने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने की अपनी ड्यूटी करते समय कि कहीं किसी पार्टी को नायलोन मोल्डिंग पाऊडर की 'दोहरी' रिलीज तो नहीं हो गई, बताया कि 7 पार्टियों को कुल मिलाकर 700 किग्रा० (निबल 50 मे० टन) के दोहरे रिलीज का आर्डर हुआ है। इस गलती के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी। तथापि जिस अधिकारी को रिलीज आर्डर की जांच करने का काम सौंपा गया था, उसे बाद में किसी और मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चूंकि यह अधिकारी अभी भी परिवीक्षाधीन था, अत: निगम के नियमों तथा कार्यालय के साथ उस नियुक्ति अनुबन्ध के अनुसार निगम ने उसकी सेवाएं समाप्त करने का विनिश्चय किया जिसमें निगम को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह परिवीक्षा के दौरान किसी कर्मचारी को एक महीने का नोटिस अथवा उसके बदले एक महीने का वेतन देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है। यह कार्यवाही केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से की गई थी।

अधिकारी के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक फौजदारी मुकदमा दायर किया था जिसका अधिकारी ने विरोध किया था। अधिकारी को इस आधार पर छोड़ दिया गया था क्योंकि मुकदमें में आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका। चूंकि नियमों के अनुसार अधिकारी की सेवाएं परिवीक्षा के दौरान समाप्त कर दी गई थीं, अतः उसको बहाल नहीं किया गया और न उसे पिछली तारीख से वरिष्ठता दी गई। तथापि विशेष मामले के तौर पर भर्ती की सामान्य शर्तों का ध्यान न रखते हुए निगम ने उसे उप विपणन प्रबन्धक ग्रेड-2 का पद दिया जिस पद पर वह सेवा समाप्त किये जाने के समय था। बाद में वह अधिकारी खुले विज्ञापन के जरिए सीधी भर्ती कोटे के आधार पर उप विपणन प्रबन्धक ग्रेड-1 के रूप में चुन लिया गया है और उस पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

इस्पात तथा खान मन्त्री के विरुद्ध कथित कर चोरी के मामले

11302. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) के विरूद्ध कर चोरी के अनेक मामले हैं जैसा कि 1-15 फरवरी, 1979 के "जन जागे प्रगति की ओर" के संस्करणों में प्रकाशित हुआ है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनका न्यायालय और न्यायाधिकरण आदि में निपटान हो गया है ; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) सरकार को उच्च न्यायालय में दायर किये गये आय-कर सम्बन्धी (कुछ विचाराधीन तथा कुछ निपटाये गये) मामलों की सूची के बारे में छपे समाचार की जानकारी है, जिनमें श्री बीजू पटनायक तथा उनके परिवार के सदस्यों का या तो अपीलकर्त्ता अथवा प्रतिवादी के रूप में उल्लेख किया गया है।

(ख) तथा (ग) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्ज एसोसियेटेड जनरल लिमिटेड

11303. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि मैसर्स एसोसियेटेड जनरल्स लिमिटेड के लेखा खातों में 31 मार्च, 1971 से 1 अप्रैल 1977 की अवधि के दौरान 62 लाख रु० से अधिक की नकदी की प्राप्तियां दिखाई गई हैं और उन व्यक्तियों के नामों का कोई उल्लेख नहीं जिनसे यह नकद राशि प्राप्त हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आरोप लगाया गया है कि सारी धनराशि लेखा बाह्य राशि है ;

(ग) यदि हां तो क्या जांच की गई है अथवा की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कारवाई की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) इन नकदी प्राप्तियों को कम्पनी की आय के रूप में हिसाब में लिया गया है तथा इन्हें दाखिल की गई आय विवरणी और निर्धारित आय में शामिल किया गया है ।

(ग) तथा (घ) : यह पता लगाने के लिये कि ऊपर उल्लिखित रकम किन स्रोतों से प्राप्त हुई है, मामले की छानबीन की जा रही है ।

मद्रास में स्थावर संपदा डीलर और फाइनेंसियर से आयकर की वसूली

11304. **श्री आर० कोलनथाई वलू** : क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मद्रास में स्थावर संपदा डीलर और फाइनेंसियर जे० बी० बिल्डर पर आयकर के कितने मामले अनर्णित पड़े हुए हैं और उस पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) इस बकाया राशि को वसूल न करने के क्या कारण हैं और इनकी बकाया राशि किस अवधि के लिये जमा हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनके खिलाफ अनियमित कार्यों के लिये बहुत से कानूनी मामले पड़े हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) उनके रिकार्ड के सन्दर्भ में उनसे देय आयकर की बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कारगार कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क), (ख) तथा (ङ) : सही नाम जे० बी० बिल्डर के बजाय जे० पी० बिल्डर्स जान पड़ता है । जे० पी० बिल्डर्स के मामले में विभिन्न-कर-निर्धारण वर्षों के कर निर्धारणों तथा देय/वापसी योग्य रकम की स्थिति अनुबन्ध में दी गई है ।

(ग) अनियमित कार्यकलापों से सम्बन्धित किसी कानूनी मामले के बारे में कर-निर्धारितों के खिलाफ रिकार्ड में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-पत्र

अनुबन्ध

कर-निर्धारण वर्ष	विवरणी में दिखाई गई आय (रु०)	अन्तिम रूप से निर्धारित आय (रु०)	देय कर की बकाया रकमें (रु०)	स्रोत पर काटा गया कर (रु०)	विशेष
1969-70	20,570	विचाराधीन	—	—	धारा 146 के अन्तर्गत, कर-निर्धारण कार्यवाही पुनः चालू की गई।
1972-73	58,500	78,000	(22,171 धारा 139 और 217 के अन्तर्गत केवल व्याज	—	आयकर आयुक्त (अपील) के दिनांक 30 जनवरी 1979, के आदेश को लागू करने के लिये, 29 मार्च, 1971 को पूरे हुए मूल कर-निर्धारण में 12 फरवरी, 1979 को संशोधन किया गया।
1973-74	12,575	52,000	27,187	—	—
1976-77	3,36,970 (हानि)	विचाराधीन	—	34,461	विवरणी 6-3-1979 को दाखिल की गई।
1977-78	4,34,834 (हानि)	विचाराधीन	—	11,430	विवरणी 6-3-1979 को दाखिल की गई।
1978-79	विवरणी अभी दाखिल नहीं की गई				
			49,358	45,891	

उपर्युक्त स्तम्भ 5 से देखा जा सकता है कि कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 और 1977-78 की हानि को विवरणी में दिखाया गया तथा साथ ही स्रोत पर काटे गये कर के रूप में 45,891 रु०

जमा दिखाये गये हैं । इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित स्रोत पर काटी गई 45,891 रु० की रकम को वापिस किया जाना है । उपर्युक्त को देखते हुए करों की शुद्ध बकाया रकम केवल 3,467 रु० है

(49,358 रु०-45,891 रु०) ।

नरोडा गांव की अधिगृहीत जमीन को रिलीज करना

11305. **श्री अहसान जाफरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि लगभग 5,000 बीघा जमीन 1942 में अहमदाबाद में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जधिगृहीत की गई थी;

(ख) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है, क्या सारी भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है;

(ग) क्या यह सच है कि नरोड़ा गांव में खसरा नं० 183-184 आंशिक रूप से अधिगृहीत है हलांकि सारी जमीन "रनवे" के अन्तर्गत आती है और जमीन को भविष्य में रिलीज किया जाना सरकार के लिए संभव नहीं है; और

(ध) क्या सरकार जमीन को रिलीज कर रही है यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) से (घ) : अहमदाबाद सिविल हवाई अड्डे के लिए 1942 में 4361.7 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया था । नरोड़ा गांव की खसरा नं० 183-184 को छोड़ कर अधिग्रहण (requisition) की गई समस्त भूमि अधिग्रहण (acquire) कर गई ली है। खसरा नं० 183-184 का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा 131 रुपये प्रति वर्ष की दर से मुआवजे के रूप में किराया दिया जा रहा है। इस भूमि को विमोचित नहीं किया जा सकता तथा अंतिम रूप से अभिग्रहण (acquire) करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उड़ीसा को वनस्पति की सप्लाई

11306. **श्री सरतकार** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या केन्द्र सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य में वनस्पति की सप्लाई की कोई सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या राज्य स्तर पर अथवा उड़ीसा औद्योगिक संवर्धन तथा निवेश निगम की ओर से कोई सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि हां तो केन्द्र सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) यद्यपि उड़ीसा में वनस्पति का उत्पादन करने वाला कोई एकक नहीं है, तथापि राज्य में वनस्पति की पूर्ण मांग वनस्पति तैयार करने वाले राज्यों से भेजी जाने वाली मात्रा द्वारा पूरी की जा रही है।

(ख) व (ग) : उड़ीसा में 15,000 मीटरी टन की वार्षिक क्षमता का एक वनस्पति एकक लगाने के लिए सितम्बर 1978 में मैसर्स इण्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इंवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा को एक औद्योगिक लाइसैंस जारी किया गया है।

घाटे वाले सीमेंट और पटसन एककों के साथ 'टाइम्स ग्रुप' का विलय करने के बारे में समाचार

11307. **डा० रामजी सिंह :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने दिनांक 10 मार्च, 1979 के 'लिरिटी" घाटे वाले सीमेंट और पटसन एककों के साथ 'टाम्इस ग्रुप' के विलय करने के बारे में समाचार को देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्लिफकारूल्लाह) : (क) और (ख) आपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

लाइसेंसिंग विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले

11308. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात के कार्यालय में लाइसेंसिंग्स विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार करने के कोई मासले सरकार के ध्यान में आये हैं ;

(ख) अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये उद्योगपतियों, व्यापारियों का पक्षपात करने के बारे में उनके द्वारा किस प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। 1-1-1976 से 30-4-1979 की अवधि के दौरान आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के संगठन में राजपत्रित अधिकारियों (क तथा ख दोनों श्रेणी) पर भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित 12 मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं।

(ख) तीन मामलों में आरोप ये थे कि उन्होंने जो परिसम्पतियां अर्जित की हैं वे आय के उनके ज्ञात साधनों से मेल नहीं खाती तथा बाकी में ये आरोप थे कि फर्मों के साथ उन्होंने पक्षपात किया है ।

(ग) दो मामलों में अदालतों में आरोप पत्र दायर किये गये । दो अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया । एक की "भर्त्सना" की गई और दो मामलों में रिकार्ड करने योग्य चेतावनी दी गई । पांच मामलों की जांच की जा रही है ।

सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात में गड़बड़ी करने के लिये काली सूची में रखे गये व्यक्तियों/कम्पनियों के नाम

11309. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात में गड़बड़ी करने के सम्बन्ध में जिन लोगों अथवा फर्मों को काली सूची में रखा गया है, उनके नाम क्या है ;

(ख) क्या इन व्यक्तियों की सदस्यता, जो निर्यात समिति अथवा परिषद के सदस्य थे, भी समाप्त कर दी गई हैं;

(ग) किन्न-किन्न दोषी व्यक्तियों या कम्पनियों के मामले विचाराधीन है तथा कब से; **और**

(घ) उन पर कब निर्णय किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

असम के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक

11310. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या असम के 750 चाय बागानों में लगभग छः लाख श्रमिक कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) चाय बोर्ड श्रमिक कल्याण निधि का अनुमानित बजट क्या है और उसका वास्तविक व्यय कितना है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1976 के दौरान आसाम में 753 चाय इस्टेटों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या 4.04 लाख थी ।

(ख) बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत चाय बागान कर्मचारियों के कल्याण तथा विभिन्न आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना उद्योग की कानूनी जिम्मेदारी है। तथापि चाय बोर्ड कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लाभ के लिये शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ प्रतिपूरक सहायता देता रहा है।

ऐसा अनुमान है कि 1978-79 के दौरान चाय बोर्ड द्वारा श्रम कल्याण पर खर्च की जाने वाली राशि 7,52,700 रु० होगी जब कि 1977-78 में 5,92,807 रु० की राशि खर्च की गई थी।

कोका कोला द्वारा स्वदेश भेजे गए धन में कोका कोला की बोतलें भरने वालों के अंशदान की प्रतिशतता

11311. **श्री श्याम सुन्दर दास :**

श्री दलपत सिंह परास्ते : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कोका कोला द्वारा भारत से स्वदेश भेजे गए धन में कोका कोला की बोतलें भरने वालों के अंशदान की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : कोका कोला निर्यात निगम ने देश में वाणिज्यिक क्रियाकलाप बन्द कर दिया है। जब कम्पनी कार्यरत थी उस समय कंपनी को वाणिज्यिक स्रोत्रों से जो प्राप्तियां होती थी उनमें बोतलें भरने वालों द्वारा अदा की जाने वाली राशियां भी एक स्रोत थीं। किन्तु धनराशियां स्वदेश भेजने की अनुमति केवल लाभ, मुख्यालय क्षेत्र कार्यालय व्यय, सेवा प्रभार और आयात के संबंध में ही दी गई थी। वर्ष 1975 के बाद की अवधि में अब तक कोई भी धनराशि स्वदेश भेजने की अनुमति नहीं दी गई है।

निर्यात कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये राज्यों को 6 सूत्री योजना का सुझाव

11312. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) राज्यों को उनके निर्यात कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिये सुझायी गई 6 सूत्री योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस 6 सूत्री योजना के प्रकाश में बिक्री/खरीद कर के अन्तर्गत घोषित माल की सूची बढ़ा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन्हे राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) माननीय सदस्य शायद स्टाफ रिपोर्टर द्वारा दी गई उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो, "एक्सपोर्ट प्रोमोशन ड्राईव: 6 प्वांइट प्लान फार स्टेट्स" शीर्षक के अन्तर्गत 4 जनवरी, 1979 के" इक्नामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में मुख्य मंत्रियों के उप

सम्मेलन का उल्लेख है जो वाणिज्य मंत्री द्वारा, अन्य बातों के साथ साथ निर्यात के संवर्धन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिये, 5 जनवरी, 1979 को बुलाया गया था। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकारों को उनके विचार के लिये सुझाव भेजे गये थे, जिनमें नीचे लिखे छः सुझाव शामिल हैं:—

(1) निर्यात उत्पादन के लिये प्रोत्साहन और सुविधाएं।

(2) बिजली में कटौती जैसी बाधाओं के बारे में विशेष रूप से विचार करना।

(3) निर्यातों में राज्य सरकारों की सीधी भूमिका।

(4) राज्य स्तरीय शीर्ष विपणन संगठन।

(5) राज्य निर्यात निगमों की भूमिका।

(6) निर्यात उत्पादन के लिये वित्तीय सहायता।

(ख) तथा (ग) : यह शायद उस सुझाव की ओर संकेत करता है जो मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, संविधान के अनुच्छेद 286 को सशोंधित करने के लिये किया गया था ताकि संसद निर्यात व्यापार में विशेष महत्व की वस्तुओं की घोषणा कर सके और राज्य सरकारों द्वारा ऐसी वस्तुओं के विक्रय अथवा क्रय पर कर लगाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध और शर्तें लागू कर सके। प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है "घोषित वस्तुओं" की सूची को अन्तिम रूप देने का प्रश्न तभी उठेगा जब संविधान को संशोधित किया जायेगा जिससे संसद ऐसा कर सके।

विवरण

(कीमत करोड़ रु० में)

वर्ष	बंगला देश को निर्यात	बंगला देश से आयात	व्यापार शेष
1972-73	168.24	3.46	+ 164.78
1973-74	58.77	17.04	+ 41.73
1974-75	42.23	9.18	+ 33.05
1975-76	62.19	4.65	+ 57.54
1976-77	54.57	6.07	+ 48.50
1977-78	51.61	1.16	+ 50.45
1978-79 (अप्रैल-जून)	13.54	0.28	+ 13.26

हाजी मस्तान और डा० धर्मतेजा द्वारा देय, आय-कर राशि वसूल किया जाना

11313. **श्री राधव जी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) 31 मार्च, 1979 को हाजी मस्तान और धर्म तेजा की ओर आयकर की कुल कितनी राशि वकाया थी;

(ख) दोनों कर दाताओं से वकाया राशि वसूल करने के लिये गत दो वर्षों से क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) दोनों कर-दाताओं के सम्बन्ध में आयकर के मामले कितने वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं और उनका निपटान कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्लिफकारूल्लाह) : (क) श्री हाजी मस्तान और डा० धर्मतेजा की ओर आय-कर की वकाया रकम, 31 मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार है :—

	आयकर की वकाया रकम (लाख रुपयों में)	देय नहीं वनी मांग (लाख रुपयों में)
हाजी मस्तान	291.15	1.67
डा० धर्म तेजा	277.60	शून्य

(ख) श्री हाज़ी मस्तान के मामले में वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं और कर-निर्धारिती और उसके रिश्तेदारों, सहयोगियों और विश्वास-भाजनों की भी सभी ज्ञात चल और अचल-सम्पत्तियां कुर्क कर ली गई हैं।

डा० धर्मतेजा के मामले में निर्धारिती की केवल ज्ञात परिसम्पत्तियां अर्थात् उसके क्षतिपूर्ति-बंध-पत्र कुर्क कर लिये गये और बेच दिए गये। जो विक्री से प्राप्त रकम आयकर विभाग तथा भारतीय जहाजरानी निगम दोनों में वांटी गयी। इस प्रकार कर की वकाया की 372.94 लाख रुपये की वसूली हुई।

(ग) श्री हाजी मस्तान के मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 और 1978-79 के कर-निर्धारण विचाराधीन हैं। यह वताना संभव नही है कि ये कर-निर्धारण कब तक निपटाये जा सकेंगे। तथापि, ये कर निर्धारण कानूनी समय.सीमा के भीतर निपटा दिये जाएंगे।

डा० धर्मतेजा के मामले में अद्यतन स्थिति के अनुसार कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक के तथा 1978-79 के कर-निर्धारण विचाराधीन पड़े हैं। कर-निर्धारण वर्ष

1974-75 से 1976-77 तक के कर निर्धारणों के मामले में समझौता आयोग द्वारा समझौता किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (2) के अधीन नोटिस जारी कर दिया गया है और उसे कर-निर्धारिती पर तामील कर दिया गया है परन्तु अभी तक आयकर की कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई है।

वे अधिकारी जिनके विरुद्ध न्यायालयों में मामले विचाराधीन हैं

11314. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) इनके मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ विभागों में उन अधिकारियों का नाम तथा पदनाम क्या है जिनके विरूद्ध न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं तथा उक्त मामले कब से चल रहे हैं; और

(ख) जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्लिफकारूल्लाह) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी उद्यमों द्वारा अनुत्पादक मदों पर व्यर्थ पैसा खर्च किया जाना

11315. **श्री सी० आर० महाटा :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम अपने उच्च प्रबन्धक कार्य-कारियों को ऐश्वर्यपूर्ण सुविधाएं प्रधान करने के लिए अनुत्पादक मदों पर सार्वजनिक धन का अपव्यय कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ससंदीय समिति (1977-78) (छठी लोक सभा) ने सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने प्रधान कार्यालयों पर किए गए आसाधारण रूप से अधिक व्यय बिषयक अपनी दसवीं रिपोर्ट, में सिफारिश सं० पैरग्राफ 2.8 से 2.11 तक, यह टिप्पणी की है कि कुछ सरकारी उद्यमों ने विलासितापूर्ण साज-सामान की व्यवस्था की है जिसका उनके कारोबार से कोई ताल-मेल नहीं है। इन उद्यमों के बारे में तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई है। उद्यमों के सम्बद्ध प्राधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उद्यमों के शीर्ष प्रबन्धकों के लिए ऐसे फिजूल-विलासितापूर्ण साज-सामान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिर भी, सरकार ने समय-समय पर प्रशासनिक एंव गैर-योजना खर्च, जिसमें कार्यालय के साज-सामान का खर्च शामिल है, सम्बंधी सभी मदों में ज्यादा से ज्यादा किफायत बरतने पर जोर दिया है।

पड़ोसी देशों में भारतीय इंजीनियरिंग मेला

11316. **श्री धर्मवीर बशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पूर्णतया भारतीय इंजीनियरिंग मेला, इण्डोनेशिया, इण्डी-79, द्वारा मोके पर और भावी बातचीत द्वारा किये गए व्यापार का व्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार किसी अन्य पड़ोसी देश में ऐसे मेले आयोजित करने का है और यदि हां, तो उसका नाम क्या है ।

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) लगभग 12 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात आदेश मौके पर बुक किए गए थे । और मेले के दौरान की गई पूछताछ के फलस्वरूप लगभग 16 करोड़ रु० मूल्य के आदेश मिलने की आशा है ।

(ख) पूर्णतः भारतीय इंजीनियरी प्रदर्शनी का आयोजन इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दो वर्षों में एक बार किया जाता है । अगली प्रदर्शनी (इण्डी 81) का स्थान अभी तय नहीं हुआ है ।

औद्योगिक पुनर्वित्त निगम द्वारा उद्योगकर्त्ताओं की सहायता के लिये धनराशि दी जाना

11317. **श्री एस०एस० सोमानी :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।—

(क) क्या ओद्योगिक पुनर्वित्त निगम द्वारा उद्योगकर्ताओं को नये एककों की स्थापना और उनके विस्तार और विद्यमान संयंत्रों के विविधिकरण के लिए सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का व्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) और (ख) भारत सरकार की प्रेरणा से भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु और बिकेन्द्रीकृत उद्योग की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक (एपैक्स) वित्तीय संस्था बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया है । इस कार्यकारी दल की शर्तें और निबंधन नीचे दिए गये हैं :—

(1) लघु और विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना और सुझाव देना तथा इस संदर्भ

में, इस प्रयोजन के लिए एक अलग वित्तीय अभिकरण स्थापित करने की संभावना पर विचार करना ।

(2) विधायी और प्रशासकीय दोनों ही प्रकार के उन मामलों पर विचार करना कि नये वित्तीय अभिकरण की वास्तविक स्थापना से पहले विचार कर लेना आवश्यक है (जैसे कि क्या इस प्रकार का वित्तीय अभिकरण स्वतंत्र होना चाहिए अथवा वह रिजर्व बैंक के तत्वावधान में चलना चाहिए और यदि हां तो किस प्रकार) ।

(3) इस प्रश्न पर विचार करना कि इस प्रकार का अभिकरण पूरे लघु उद्योग से संबद्ध विषयों को व्याप्त करे या लघु उद्योग और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग-अलग अभिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए ।

(4) नये वित्तीय अभिकरण की गतिविधियों के क्षेत्र का निर्धारण और उन की जांच जैसे उसे पुनर्वित्त परिचालन, हाट व्यवस्था परिचालन आदि सौंपना । और

(5) प्रस्तावित वित्तीय अभिकरण और वर्तमान ऋण स्रोतों जैसे वाणिज्यिक बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के बीच संबंध का निर्धारण और उस पर विचार ।

मैसर्स बाटा इन्डिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों को अनिवार्य जमा राशि योजना के अन्तर्गत जमा राशि का भुगतान

11318. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई मंजूरी की एक भी किश्त का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें पहली किश्त का भी भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री जुल्फिकारूल्लाह : (क) तथा (ख) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों (जो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के संबंध में अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जमा रकमों के स्रोतों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं) से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को अनिवार्य निक्षेपों की जो किश्तें दी जा चुकी हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल के सभी एककों के कर्मचारियों ने 30 जून 1976 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त वेतन जमा खाता की चार किश्तें, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा खाता (पुराना) की तीन किश्तें तथा इस के बाद की अवधि

के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा खाता (नया) की पहली किश्त की वापसी अदायगी ले ली है ।

(2) बिहार में मोकामा एकक के कर्मचारियों को अत्यन्त कठिनाई के आधार पर सभी शेष रकमों की वापसी अदायगी दी जा चुकी है जबकि पटना स्थित एकक के कर्मचारियों को 30 जून 1976 की अवधि के लिए अतिरिक्त वेतन जमा खाता की चार किश्तें तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा खाता (पुराना) की तीन किश्तों की वापसी अदायगी की जा चुकी है। इसी मामले में अतिरिक्त मंहगाई जमा भत्ता खाता (नया) की पहली किश्त की वापसी अदायगी के लिए आवेदन पत्र क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने केवल अप्रैल 1979 में ही प्राप्त किए हैं लेकिन इनमें त्रुटियां पाई गई हैं । तदनुसार एकक के प्रबन्धक मंडल से एक संशोधित आवेदन पत्र मांगा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(3) उपर्युक्त कम्पनी के कर्मचारियों से संबंधित वापसी अदायगी का कोई आवेदन पत्र किसी भी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास विचारार्थ नहीं पड़ा है ।

बैंकिग सेवा भरती बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क

11319. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** :

श्री आर०के० महालगी : क्या **उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बैंक भरती बोर्ड, बम्बई के निदेशक को आल इंडिया यूथ फेडरेशन, बम्बई कमेटी से 23 फरवरी 1979 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । जिसमें बैंकिग सेवा भरती बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से 20 रुपये परीक्षा शुल्क लिए जाने का विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यूथ फेडरेशन के प्रतिनिधियों से अगले दिन हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यूथ फेडरेशन के अभ्यादेशों में उठाये गये मुद्दों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी हां ।

(ख) आल इंडिया यूथ फेडरेशन कमेटी ने बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड द्वारा लिये जाने वाले परीक्षा-शुल्क की प्रणाली को समाप्त करने का अनुरोध किया था । यूथ फेडरेशन के प्रतिनिधियों की बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड, बम्बई और बैंक आफ इंडिया, बंबई के अधिकारियों

से 24 फरवरी, 1979 को बातचीत हुई थी । शुल्क लिए जाने के कारण उन्हें स्पष्ठ कर दिये गये थे । यह भी स्पष्ट किया गया था कि आवेदन पत्र-शुल्क के रूप में इकट्ठा किया गया शुल्क बड़ी मुश्किल से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के पर्चों को पूरा करता है और ये शुल्क कमाने की दृष्टि से नहीं लिये जाते हैं ।

(ग) भरती का कार्य करने में आने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए, सरकार बैंकिंग सेवा भरती बोर्डों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को अनुचित नही समझती ।

फलों के निर्यात के कारण फलों के मुल्यों पर प्रभाव

11320. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1979-80 में बड़े पैमाने पर फलों का निर्यात करने का है ; और

(ख) फलों का बड़े पैमाने पर निर्यात किये जाने का देश में फलों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1979-80 के दौरान फलों का निर्यात पिछले वर्ष हुए निर्यात की तुलना में अधिक होने की संभावना है ।

(ख) देश में फलों की कीमतों पर निर्यातों का प्रभाव नगण्य है, क्योंकि कुल जितनी मात्रा में फलों का निर्यात किया गया है, उसका प्रतिशत देश में फलों के कुल उत्पादन की दृष्टि से बहुत कम है ।

मूल ग्रेड तथा उच्च ग्रेड के लोह अयस्क का निर्यात

11321. **कुमारी अनन्तन** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मूल ग्रेड का उच्च ग्रेड के लोह अयस्क का निर्यात उनके निर्धारित ठेके से कम स्तर पर करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) मूल ग्रेड तथा उच्च ग्रेड के लोह अयस्क के ठेके निर्यात के ठेके संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) विश्व इस्पात उद्योग में मंदी और उसके परिणामस्वरूप विश्व ने लोह अयस्क की मांग में गिरावट के कारण, खरीदारों ने संविदाकृत मात्राओं से कम मात्राएं उठाई हैं । इसके बावजूद 1978-79 में लोह-अयस्क के ऊंचे ग्रेड और आधारभूत ग्रेड के वास्तविक निर्यात 1977-78 के निर्यातों से अधिक थे ।

(ख) खरीदारों को सारी संविदाकृत मात्रा उटाने के लिए राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कीमतों को कम किए बिना यथासम्भव निर्यातों का विविधीकरण किया जाए और नए बाजारों का पता लगाया जाए।

फिजूलखर्ची रोकने के लिए किए गये उपाय

11322. **श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) फिजूल खर्ची रोकने तथा सादगी लाने के लिए सरकारी स्तर पर क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) उन उपायों का मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी उपक्रमों के प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) किन मदों के बारे में फिजूलखर्ची पर रोक लगाई गई है और पहले तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में कितनी बचत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्लिफकारूल्लाह) : (क) से (ग) सरकार द्वारा फिजूल-खर्ची को रोकने के लिए किए गए उपायों में, पदों को बनाने/भरने पर पाबंधी, यात्रा भत्ता और समयोपरि भत्ता जैसे भत्तों का विनियमन, तथा स्टाफकारों, टेलीफोनों और अन्य आकस्मिकता व्यय और फर्नीचर की खरीद, सम्मेलनों के आयोजन, सरकारी मनोरंजन, बिजली के उपभोग आदि जैसी अन्य मदों पर खर्च में कमी शामिल है। ये उपाय किफायत का वातावरण बनाए जाने के इरादे से किए गए हैं। जबकि इन उपायों के परिणामस्वरूप हुई बचत की मात्रा को बताना संभव नहीं है, फिर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बचतें काफी नहीं होंगी। इसी कारण से अब सरकार ने लोक व्यय के अलग-अलग पहलुओं की अपेक्षाकृत अधिक बारीक और व्यापक जाँच एक आयोग द्वारा कराने का निर्णय किया है जिसकी नियुक्ति की घोषणा संसद में 10 मई, 1979 को की गई थी।

उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क निदेशालय में सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान न किया जाना

11323. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क निदेशालय आदि में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को जो अपने माता-पिता के साथ सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है, हांलाकि बच्चे वयस्क हैं और जो मकान किराया अपने माता-पिता को देते हैं;

(ख) क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों को जो सरकारी क्वार्टरों में अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ आवास में रहते हैं, मकान किराया भत्ता दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने माता-पिता के साथ रहने वाले तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के सम्बन्ध में एक समान नीति का पालन करने का है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन सरकारी कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से भुगतान करने का है जिन्हें मकान किराया भत्ता नहीं दिया गया है ; यदि वे यह लिख कर दें कि वे अपने माता-पिता को किराया देते रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) जी, हां। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को, जो अपने माता-पिता के साथ सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं, नीचे दिए गए सरकारी आदेशों के अनुसार मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है :—

"कोई सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा, यदि :—

(क) वह ऐसे सरकारी आवास में रहता है जो किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को बिना किराए के आबंटित किया गया हो ; अथवा

(ख) वह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त सरकारी उपक्रमों अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठनों जैसे नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि द्वारा उसके पति/पत्नी अथवा उसके माता-पिता/पुत्र/पुत्री को आबंटित आवास में रहता/रहती है।"

प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों में ऐसे केवल चार मामले हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियो के बच्चों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वे अपने माता-पिता के साथ सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं।

(ख) जी, हां। परन्तु ऐसे मामलों में जहां पति/पत्नी/माता-पिता/बच्चे, जिनमें से दो या दो से अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकार, स्वायत्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठनों जैसे नगरपालिका, पत्तन न्यास आदि के कर्मचारी हों, किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को आंबटित आवास में रहते हैं, उनमें से केवल एक ही मकान किराया भत्ता ले सकता है बशर्ते कि उनका आबटिती के साथ उपर्युक्त संबंधों में से कोई भी रिश्ता नहीं हो।

(ग) और (घ) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

शत्रु सम्पत्ति (पूर्वी पाकिस्तान) के लिये आवेदकों को दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने हेतु समय सीमा में वृद्धि

11324. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार शत्रु सम्पत्तियों (पूर्वी पाकिस्तान) के लिए

आवेदकों को दस्तावेजी साक्ष्यों के पेश करने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए इस सम्बन्ध में प्रचार करने तथा पेश करने की समय-सीमा में वृद्धि करने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान और उसके बाद जिन भारतीय राष्ट्रिकों, कंपनियों आदि की पाकिस्तान में परिसम्पत्तियां पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी, उन्हको अनुग्रहपूर्वक अनुदान की अदायगी की योजना के अन्तर्गत, दावे संबंधी ऐसे आवेदन पत्रों के बारे में, जो पहले ही शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के कार्यालय में दर्ज किये जा चुके हैं, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों के उच्च अधिकारियों के विदेशी दौरे पर खर्च

11325. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1976 से मार्च, 1979 तक की अवधि में सरकारी उपक्रमों ने अपने उच्च अधिकारियों के विदेशी दौरों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की ;

(ख) क्या इस मद पर खर्च में गत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि होती रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे खर्च पर नियंत्रण करने तथा मितव्ययिता बरतने का सुनिश्चय कराने के लिए कोई एजेन्सी बना रखी है ?

वित्त राज्य मन्त्री : (**श्री सतीश अग्रवाल**) (क) **और** (ख) वांछित सूचना सरकारी उद्यमों से एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) सरकारी उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों आदि द्वारा किए गए विदेशी दौरे के बारे में नीति सरकार के सरकारी उद्यम कार्यालय जैसे केन्द्रीय अभिकरण द्वारा निर्धारित की जाती है। इन अनुदेशों के कार्यान्वयन का परिवीक्षण सामान्यतः उन प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जो अपने उद्यमों के बारे में नियामक कार्य करते हैं। इन मंत्रालयों से सरकारी निदेशकों के माध्यम से यह सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की जाती है कि विदेश यात्राओं के विषय में सरकार अर्थात सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी अनुदेशों का परिपालन किया जाय और खर्च में किफायत बरती जाय ।

उत्तर बंगाल में पर्यटक लौज

11326. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उत्तर बंगाल में पर्यटक-लौजों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक पर्यटक-लौज उत्तर बंगाल के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान बक्सा फोर्ट में भी बनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) उत्तर बंगाल में फिलहाल एक वन-गृह को शामिल करते हुए, दस पर्यटक-गृह कार्य कर रहे हैं, जिनका प्रबंध पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत बक्सा-फोर्ट में पर्यटक-गृह के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय पर्यटन विभाग उसी क्षेत्र में जलदापारा वन्य-जीव विहार-स्थल में मदारी-हाट पर एक वन गृह का पहले ही निर्माण कर चुका है । इसका संचालन भी पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम द्वारा ही किया जाता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केलीफोरनिया की "सेल्फ रीयलाईजेशन फेलोशिप" से दक्षिणेश्वर पश्चिम बंगाल की "योगदा सतसंग सोसाइटी" को प्राप्त उपहार

11327. **डा० सरदीश राय** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अमरीका में केलीफोरनिया का "सेल्फ रीयलाईजेशन फेलोशिप" नामक संगठन गत अनेक वर्षों से हमारे देश में विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों को आधुनिक चिकित्सा उपकरण और यंत्र भेज रहा है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर की "योगदा सतसंग सोसाइटी" भी उनमें से एक संगठन है जिसे उक्त उपहार मिलते रहे हैं और गत तीन वर्षों में ऐसे उपहारों का मूल्य क्या है ;

(ग) क्या ऐसे उपहारों पर सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों से छूट दी गई और ऐसी प्रत्येक मद के लिए कितनी राशि की छूट दी गई ;

(ग) क्या ऐसी उपहार वस्तुओं का प्रयोग उसी प्रयोजनार्थ किया गया जिसके लिए वे आई थीं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उन वस्तुओं के दुरुपयोग के संबंध में कोई जांच की जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) और (ख) सीमा शुल्क गृहों के पास आयात के संबंध में सूचना, भारत में आयातकर्त्ताओं के सन्दर्भ में होती है, और विदेशों से ऐसा माल भेजने वालों के सन्दर्भ में नहीं । बम्बई कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और

दिल्ली के सीमा शुल्क गृहों से ऐसी सूचना, के आधार पर, जो वे एकत्र कर सके प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिनमें "दक्षिणेश्वर, पश्चिम बंगाल की योगदा सतसंग सोसाइटी अथवा अन्यों ने अमेरिका की "सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप" से चिकित्सा उपकरणों और औजारों का उपहार के रूप में आयात किया हो।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कच्ची ऊन पर आयात शुल्क को समाप्त करना

11328. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :**

श्री श्याम सुन्दर लाल :

श्रीमती मोहसीना किदवई : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ऊनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से ऊन तथा ऊनी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकार से अनुरोध किया है कि कच्ची ऊन पर आयात शुल्क समाप्त किया जाये ; और

(ख) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् से इस प्रकार की कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती। परन्तु, कच्ची ऊन पर आयात शुल्क से छूट देने के सम्बन्ध में अन्य एजेन्सियों से दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इन दरख्वास्तों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

11329. **श्री के० लकप्पा,**

श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं जैसे वनस्पति, सरसों का तेल, और दालों आदि के मूल्यों में 15% की वृद्धि हुई है जबकि बजट में कर केवल 5% है;

(ख) क्या कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी जिन पर कर नहीं लगाये गये हैं, वृद्धि हुई है और यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन-कौन सी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन् ने उन्हें इस मामले की छानबीन करने और वनस्पति उत्पादकों के साथ समझौता करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां ,तो इस मामले में उन्होंने और उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए उनका विचार क्या अन्य कदम उठाने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) फरवरी, 1979 के अंतिम सप्ताह और अप्रैल, 1979 के अंतिम सप्ताह के बीच दिल्ली में वनस्पति, सरसों के तेल तथा दालों (मूंग को छोड़कर) के फुटकर मूल्य 15% से कम बढ़े हैं।

(ख) दिल्ली में अरहर, मूंग, उड़द चावल चीनी तथा गुड़ जैसी कुछ वस्तुओं के मूल्य बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद की अवधि के दौरान बढ़े हैं। इनके मूल्यों में वृद्धि सामन्यतः मौसमी कारणों की वजह से हुई है। चीनी के मूल्य में वृद्धि का कारण चीनी मिलों द्वारा बाजार में चीनी छोड़ने के लिए अपनाई गई नई क्रियाविधि है। गुड़ के मूल्य चीनी के बढ़े मूल्यों की सहानुभूति में बढ़े हैं।

(ग) व (घ) कार्यकारी पार्षद, दिल्ली प्रशासन से 2 अप्रैल, 1979 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें केन्द्रीय बजट की घोषणा के परिणामस्वरूप दिल्ली में वनस्पति के मूल्यों के बढ़ने की बात कही गई है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठा रही है कि वनस्पति के मूल्यों को एक उचित स्तर पर बनाया रखा जा सके।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों को सलाह दी है कि वे उद्योग तथा व्यापार में विद्यमान समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई करें। राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की सलाह भी दी गई है। चीनी के मूल्यों के बारे में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय स्थिति का पुनर्विलोकन कर रहा है और इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही कर रहा है। वर्ष 1979-80 का बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद से आम खपत की कई एक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क घटाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाने के तेलों का आयात करना जारी है, ताकि देश में इनकी सप्लाई बढ़ाई जा सके। उत्पादन बढ़ाने संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण नीति को अब भी प्रतिबंधात्मक बनाये रखा गया है। स्थिति का निरंतर पुनर्विलोकन किया जा रहा है ताकि आम आदमी की जरूरत की कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किये जा सकें।

केरल में एयर कार्गो कम्लेक्स

11330. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार का विचार केरल में एक एयर कार्गो कम्पलेक्स स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावित कम्पलेक्स त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार के सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) केरल सरकार ने राज्य में एक एयर कार्गो कम्पलेक्स की स्थापना के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण के तौर पर एक परिवहन संभाव्यता सर्वेक्षण कराया था। परिवहन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने त्रिवेंद्रम में एक एयर कार्गो कम्पलेक्स स्थापित करने का सुझाव दिया। त्रिवेन्द्रम में बुलाई गई बैठक में बातचीत करने के बाद त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक एयर कार्गो कम्पलेक्स को स्थापना करने की सुकर बनाने का विनिश्चय किया गया। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को भी सभी सम्बन्धों ने स्वीकार कर लिया कि कार्गो कम्पलेक्स का प्रबन्ध केरल स्टेट इंडस्ट्रियल एन्टरप्राईसिज लि०, जो एक सरकारी उपक्रम है द्वारा, किया जाना चाहिए। यद्यपि स्थायी परिसर में कम्पलैक्स के निर्माण के लिए कार्यवाही जारी रहेगी, तथापि इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि हवाई अड्डे के क्षेत्र के भीतर स्थित अस्थायी परिसर में निर्यात की चुनिंदा मदों के लिए तत्काल सीमाशुल्क क्लियरेंस व अन्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत लेखा वाह्य आय प्रकट करने वाले व्यक्ति

11331. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

1974-75 के दौरान स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत अपना लेखा वाह्य धन प्रकट करने वाले लोगों की संख्या एवं उनके नाम क्या हैं और उन व्यक्तियों की संख्या एवं उनके नाम क्या हैं जिनके मामले में उनके घोषित किये गये काले धन में से आधा पैसा सफेद धन के रूप में उनके लेखों में जमा करा दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : वित्तीय वर्ष 1974-75 में स्वेच्छया आय प्रकट करने के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं थी। आय तथा धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975, राष्ट्रपति द्वारा 8 अक्तूबर 1975 को जारी किया गया और उसके अन्तर्गत प्रकटन 8 अक्तूबर 1975 से 31 दिसंबर 1975 तक किये जा सकते थे। तथापि, निर्धारिती अपनी आय/धन का स्वेच्छया प्रकटन वित्तीय वर्ष 1974-75 में आय-कर अधिनियम की धारा 271 (4क) तथा धन-कर अधिनियम की धारा 18 (2क) के उपवन्धों के अन्तर्गत कर सकते थे, और वे निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, उक्त अधिनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार अर्थ-दण्ड को कम अथवा माफ करवाने के हकदार थे।

वित्तीय वर्ष 1974-75 में समस्त देश में आय-कर तथा धन-कर प्राधिकारियों को, धारा 271 (4क) तथा धारा 18 (2क) के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने के निमित्त, बहुत बड़ी संख्या में आवेदन

पत्र प्राप्त हुए थे । संगत कर-निर्धारण पूरे किये जाने और अर्थ-दण्ड की कार्यवाही शुरू किये जाने के बाद ही आयुक्त द्वारा इस बात का पता लगाया जा सकता था कि कोई मामला-विशेष वास्तव में स्वेच्छया प्रकटन का मामला था अथवा नहीं । इस सूचना को इकट्ठा करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या तथा नाम क्या-क्या हैं जो वित्तीय वर्ष 1974-75 में धारा 271 (4क) तथा धारा 18 (2क) के अन्तर्गत आये, और जिन्होंने वास्तव में आय/धन का स्वेच्छया प्रकट न किया । यदि माननीय सदस्य ऐसे मामलों के बारे में सूचना चाहते हों जिनमें निर्धारित धन की सीमा से ऊपर के अर्थ-दण्ड की रकम को वित्तीय वर्ष 1974-75 में धारा 271 (4-क) तथा धारा 18 (2-क) के अन्तर्गत वास्तव में माफ किया गया अथवा घटाया गया हो, तो इसे इकट्ठा करके पेश किया जा सकता है ।

धारा 271 (4-क) तथा धारा 18 (2-क) के अन्तर्गत आय प्रकट करने वाले व्यक्ति घोषित की गई सम्पूर्ण आय/धन को अपने खातों में दर्ज कर सकते थे । चूंकि इस तरह से घोषित किये गये 'काले धन' अथवा उसके किसी अंश को लेखा-पुस्तकों में 'जमा' दिखाने की कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए विभाग के रिकार्डों से इस बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

जीवन बीमा निगम कटक के डिवीजनल मैनेजर के विरुद्ध अभ्यावेदन

11332. **बापूसाहेब परूलेकर** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या कुछ वरिष्ठ संसद सदस्यों ने जीवन बीमा निगम, कटक के डिवीजनल मैनेजर के विरुद्ध वित्त मन्त्री तथा जीवन बीमा निगम के चेयरमैन को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और कब, अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम, कटक डिवीजन का व्यापार सब समय से कम रह गया है और डिवीजनल में कर्मचारियों में गम्भीर द्वेष व्याप्त है और इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी, हां । जीवन बीमा निगम के कटक स्थित डिवीजनल मैनेजर के खिलाफ जुलाई-अगस्त, 1978 में कुछ संसद सदस्यों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें कर्मचारियों के एक वर्ग का पक्ष लेने, लम्बे-चौड़े दौरे करने, अयोग्य उमीदवारों को पदोन्नति देने के लिए अवैध परितोषण स्वीकार करने आदि के आरोप लगाए गए थे ।

(ख) जी, हां । जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने इस संबंध में निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दिया । जांच की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और न ही तथ्यों पर खरा उतरा है ।

(ग) यह अधिकारी कटक डिवीजन में 9 मई, 1977 को डिवीजनल मैनेजर के पद पर आया था अधिकारियों के वार्षिक तबादलों के अन्तर्गत अब उसे कटक से स्थानान्तरित कर दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में कटक डिवीजन के कारबार के आंकड़े नीचे दिए गए हैं;

वर्ष	सम्पन्न कारबार बीमे की राशि (करोड़ रुपए)
1974-75	29.77
1975-76	35.53
1976-77	32.75
1977-78	29.41
1978-79	31.51

यद्यपि वर्ष 1977-78 के दौरान कटक डिवीजन के कारबार में कुछ कमी आई, थी लेकिन यह प्रवृति अब रोक ली गई है और वास्तव में इससे अगले वर्ष यानी 1978-79 में कारबार में वृद्धि हुई है। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि कटक डिवीजन के कर्मचारियों के बीच कोइ गम्भीर विद्वेष या वैमनस्य की भावना नहीं है।

भारतीय साईकिलों की विदेशों में मांग

11333. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भारतीय साईकिलों की मांग है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और गत 2 वर्षों में इससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या प्रोत्साहन दिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) विश्व के बहुत से देशों में भारतीय साईकिलों की मांग है, जिन में मिस्र, ईरान इटली, कीनिया, मारिशस, नाइजीरिया, सं० रा० अमरीका तथा जाम्बिया शामिल हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान बाईसिकलों की बिक्री से कमायी गयी विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	कमायी गई विदेशी मुद्रा (लाख रु० में)
1977-78	793.03
अप्रैल, 1978 से जनवरी, 1979	259.44

(ग) उद्योग को निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता आयात प्रतिपूर्ति तथा उत्पादन के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री पर शुल्क वापसी जैसे सामान्य निर्यात लाभ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। निर्यात संवर्धन के बारे में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद विभिन्न उपाय करती है जैसे कि, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, विदेशों में प्रतिनिधि मण्डलों व सर्वेक्षण दलों की प्रतिनियुक्ति, प्रचार आदि। यह परिषद निर्यातों के निमित्त बाइसिकलों के नियमित उत्पादन के लिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधन प्राप्त कराने में भी निर्यातकों की मदद करती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विदेशी दौरे

11334. **डा० बलदेव प्रकाश** : **क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) वित्त मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन अधिकारियों के (चेयरमैन, निदेशक, आदि) नाम क्या हैं जिन्होने 1978-79 के दौरान विदेशों के सरकारी दौरे किये;

(ख) उन्होंने किन किन देशों के दौरे किये और उनके उक्त दौरों के प्रयोजन क्या थे; और

(ग) प्रत्येक अधिकारी द्वारा विदेश में कुल कितने दिन व्यतीत किये गये और उस पर कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्टाफ ढांचा

11335. **श्री अहमद हुसन** : **क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) आसाम में कार्यरत विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों का वर्तमान स्टाफ ढांचा क्या है और विभिन्न बैंकों में (आसाम में) स्टाफ का ग्रुप/वेतन-मान-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन पदों के लिए भरती की कौन-कौन सी पद्धतियां निर्धारित हैं जिनका पालन किया जाता है और यदि अब तक कोई पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गये हैं तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) विभिन्न पदों/नये बनाये गये पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को तरजीह न दिये जाने का क्या कारण है जबकि अन्य राज्यों में स्थित अन्य शाखाओं से लोगों को बुलाया जा रहा है और इन बैंकों के कुल कर्मचारियों में उनकी संख्या कितनी है ;

(घ) विभिन्न भारतियों में स्थानीय लोगों को तरजी देने हेतु सरकार का कितनी जल्दी कार्यवाही करने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए विशेषकर उक्त क्षेत्र के लिए बैंक कर्मचारियों की भर्ती हेतु बैंकिंग सेवा आयोग मंजूर करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (ङ) यथासम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

चमनलाल लेखराज द्वारा राजकोष में धोखा धड़ी

11336. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**

श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने दिनांक 21 अप्रैल, 1979 के ब्लिट्ज में प्रकाशित प्रेस समाचारों (रिपोर्टों) को देखा है जिसमें यह कहा गया है कि श्री चमनलाल लेखराज ने भारत सरकार से आयात लाइसेंस लेकर राजकोष में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फर्म से आयकर के रूप में करोड़ों रुपये सरकार के बकाया हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : सरकार ने प्रेस रिपोर्ट को देखा है ।

जनवरी, 1964 में सरकार को चमनलाल ग्रुप ऑफ फर्म्स के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली थीं जिनमें यह कहा गया था कि 1963 की निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत इस पार्टी द्वारा

किये गये निर्यातों के निमित्त आयात लाइसेंस के लिये उसका दावा छलपूर्ण है। छानबीन के दौरान यह पता लगा कि निर्यात के लिये जो आयात लाइसेंस लिये गये थे, उनके सिर्फ एक भाग के लिए ही पार्टी ने विदेशी मुद्रा प्राप्त की थी। चूंकि पार्टी उन निर्यातों के लिये जिनका उन्होंने दावा किया था विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में असफल रही थी, उनको पांच वर्षों अर्थात अप्रैल, मार्च, 1966 से अप्रैल मार्च, 1970 तक के लिए आयात सुविधायें प्राप्त करने के अयोग्य करार दिया गया था। अक्तूबर, 1966 में इस मामले को और छानबीन और मुकदमेबाजी के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चमनलाल ग्रुप ऑफ फर्म्स की विभिन्न पार्टियों के विरुद्ध एक मुकद्दमा दायर किया परन्तु सरकार द्वारा उनको छोड़ दिया गया।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से मालूम की गई स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :—

1. मै० आर्यवर्त निर्यात निगम

नियमित मांग	—	11,34,189 रु०
जुर्माना, अनुच्छेद 271(1)(ग) के अन्तर्गत	—	1,32,854 रु०
वार्षिकी जमा	—	1,37,927 रु०
ब्याज-अनुच्छेद 220(2) के अन्तर्गत	—	63,339 रु०
योग	—	14,68,309 रु०

2. श्री रोशनलाल (मृत) — 13,72,352 रु०

3. श्रीमती कृष्णा कुमारी — 39,387 रु०
(इसमें 21,40,094 शामिल नहीं है जिनकी वसूली रुकी हुई है)

4. श्रीमती शकुन्तला देवी — 20,181 रु०
(इसमें 6,79,224 शामिल नहीं है जिनकी वसूली रुकी हुई है)

5. श्री अक्षणी कुमार — 2,649 रु०

6. चमन एस्टेट्स (प्रा०) लि० — 37,80,652 रु०

7. मै० स्टील (1957) प्रा० लि०

नियमित मांग	—	22,52,396 रु०
जुर्माना अनुच्छेद 140क, 271(1)(क) के अन्तर्गत	—	5,78,412 रु०

ब्याज-अनुच्छेद 220(2) के अन्तर्गत	2,61,776 रु०
योग	30,92,584 रु०

8. चमन ओवरसीज (पी०) लिमिटेड

नियमित मांग	1,97,604/- रु०
जुर्माना अनुच्छेद 271 (क) (ग) के अन्तर्गत	38 000/- रु०
ब्याज-अनुच्छेद 220(2) के अन्तर्गत	17,802/- रु०
योग	2.53,406/- रु०

9. श्री चमन लाल

नियमित मांग	11 34,189/- रु०
जुर्माना अनुच्छेद 271(1)(ग) के अन्तर्गत	1,32,854/- रु०
वार्षिकी जमा	1,37,927/- रु०
ब्याज अनुच्छेद 220(2) के अन्तर्गत	63,339/- रु०
योग —	14,68,309/- रु०

10. मै०-चमन लाल एण्ड ब्रदर्स

नियमित मांग	5,88,183/- रु०
जुर्माने अनुच्छेद 271(1)(क)/271(1)(ग) के अन्तर्गत	42,71,980/- रु०
ब्याज अनुच्छेद 220(2) के अन्तर्गत	4,76,239/- रु०
योग —	53,36,402/- रु०

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकारी संवर्ग के पदों के लिए अधिकारियों की भर्ती

11337. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के कार्यकारी संवर्ग के पदों के लिए अधिकारियों की भर्ती करने हेतु "कोर सैक्टर सर्विस" बनाने के बारे में निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

राज्य व्यापार निगम के जरिए खाद्य तेलों के आयात के लिये सारणीकरण योजना की समीक्षा

11338. **श्री धीरेन्द्रनाथ बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय वाणिज्य संघ, कलकत्ता ने हाल ही में मंत्रालय को दिये गये अपने ज्ञापन में राज्य व्यापार निगम के जरिए खाद्य तेलों के सरणीकृत आयात की सरकारी नीति की आलोचना की है ;

(ख) क्या उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा ओ०जी०एल० के अन्तर्गत वर्तमान अनुभव और आयात को अनुमति देने संबंधी नीति को पुनः लागू करने के संदर्भ में सरणीकरण योजना की समग्र समीक्षा का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) व (ख) जी हां ।

(ग) सरकार चैम्बर द्वारा दिये गये तर्कों से सहमत नहीं है । खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत करने का निर्णय कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों को देखते हुये किया गया है मार्गीकरण से सरकार खाद्य तेलों के आयात और उपयोग की परिवीक्षा तथा नियन्त्रण बेहतर ढंग से कर सकेगी । इससे, भविष्य में किये जाने वाले आयात के लिए अग्रिम योजना भी बनाई जा सकेगी, जिसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि तेलों के देशी उत्पादकों को उचित संरक्षण तथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । यह तेलों तथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । यह तेलों तथा तिलहनों के क्षेत्र में जल्दी से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिये सरकार ने कई एक अन्य कानूनी उपाय पहले ही आरम्भ किये हुये हैं । मार्गीकरण से अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ने से रोकने में भी मदद मिली है, जो अन्यथा हमारे अपने देश के ही आयात प्रतिस्पर्धियों के कारण बहुत अधिक बढ़ जाने थे । इसके अलावा,

इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने को भी नया बल मिला है। इसलिये सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं है कि खुले आम लाइसेंस के अन्तर्गत निजी व्यापारियों द्वारा आयात करना फिर से आरम्भ किया जाये अथवा यह कि इनके आयात को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत करने के निर्णय को बदला जाए। चेम्बर को जवाब भेजा जा चुका है।

इण्यिन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग 737 के ईंजनों की मरम्मत करने के लिये व्यवस्था किया जाना

11339. **श्री ईश्वर चौधरी** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार बोइंग-737 के इन्जनों की मरम्मत करने की अपनी व्यवस्था करने का है जो इस समय एयरइन्डिया अथवा विदेशी फर्मों द्वारा की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) और (ख) बोइंग 737 विमान पर लगाये गये जे०टी० 8 डी० इन्जनों की ओवरहाल की व्यवस्था का प्रबंध करने के एक प्रस्ताव का इण्डियन एयरलान्स द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को टैक्सी और स्कूटर के लिए प्रति मील किए जाने वाला भुगतान

11340. **श्री सुखेन्द्र सिह : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकारी दौरों और यात्रा के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को टैक्सी और स्कूटर के लिए इस समय किस दर से भुगतान किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये दर बहुत पुराने पड़ गए हैं और पेट्रोल के मूल्य में हुई वृद्धि के परिणाम-स्वरूप स्कूटर और टैक्सी के किरायों में हुई वृद्धि के अनुसार इन दरों में वृद्धि नहीं की जा रही है ;

(ग) इस समय दिल्ली में स्कूटर और टैक्सी के प्रति किलोमीटर वास्तविक किराए और सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रतिमील भुगतान दर के आंकड़े तुलनात्मक दृष्टि से क्या हैं ; और

(घ) प्रति मील भुगतान की राशि को स्कूटर और टैक्सी के वास्तविक किराए के बराबर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्लिफकारूल्लाह) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दौरों के दौरान स्वीकार्य सड़क मील-दूरी की विद्यमान दरें मोटर साइकिल/स्कूटर द्वारा की गई यात्राओं के लिए 25 पैसे प्रति किलोमीटर तथा पूरी टैक्सी/अपनी कार द्वारा की गई यात्राओं के लिए 75 पैसे प्रतिकिलोमीटर है। इसकी तुलना में दिल्ली में आटो-रिक्शा और टैक्सी के लिए वास्तविक किराया प्रभार जो 5-3-79 से प्रभावी है, निम्न प्रकार है :—

	आटो-रिक्शा	टैक्सी
प्रथम 1.6 किलोमीटर के लिए	1/-रुपया	2/-रुपए
इसके पश्चात् प्रत्येक किलोमीटर के लिए	62.50 पैसे	1.25/-रुपए

सड़क मील-दूरी भत्ते की दरें तीसरे वेतन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रणाली की लाइनों पर समय-समय पर संशोधित की गई हैं जो वाहनों की परिचालन और अनुरक्षण लागत (पेट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि सहित) को हिसाब में लेती है। सड़क-मील दूरी की विद्यमान दरें 1-4-78 से प्रभावी हुईं। पेट्रोल की कीमतों में अभी हाल ही में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन दरों में संशोधन करने के संबंध में निर्णय अभी सरकार द्वारा लिया जाना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु निर्धारित किया जाना

11341. **श्री ए० सुन्नासाहिब** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु निर्धारित कर दी गयी है ;

(ख) क्या जनरल मैनेजर के पद पर इस समय कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन की आयु, नाम, वेतन और वर्तमान संवर्ग में सेवा की अवधि क्या है और वे किन बैंकों में काम कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (जुल्लिफकारूल्लाह) : (क) जी, हां, सभी 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिवर्षता (सुपरएनुएशन) की एक आयु निश्चित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बिहार सरकार को दिए गए अनुदान तथा ऋण

11342. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में बिहार के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकार को कितनी राशि के अनुदान और ऋण दिए हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया था और राज्य सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : **(क) और (ख)** : बिहार में जन-जाति विकास के लिए राज्य में ऐसे क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है जहां 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक जन-जातीय केन्द्रीकरण हैं तथा इन क्षेत्रों के लिए एक जन-जाति उप-आयोजना तैयार की गई है। जन-जाति उप-आयोजना का वित्त-पोषण करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार को अनुदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार को 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि तथा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय निम्नलिखित है :—

वर्ष	दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय
	(रुपए लाखों में)	
1975-76	281.00	282.00
1976-77	614.00	600.39
1977-78	807.50	726.58

जन-जाति क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग की गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा वार्षिक आयोजना पर किए जाने वाले विचार-विमर्श के दौरान समीक्षा की जाती है।

पूंजीगत माल का आयात

11343. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रर्याप्त विदेशी मुद्रा रिजर्व को देखते हुए, गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष देश में पृथक पृथक कृषि और विद्युत ऊर्जा सम्बन्धी क्षेत्रों से सम्बन्धित पूंजीगत माल के आयात के लिए उसका कितना उपयोग किया गया ; और

(ख) कृषि और विद्युत ऊर्जा क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्राइवेट तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा पृथक-पृथक आयात किये गये पूंजीगत माल का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

11344. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने अप्रैल, 1979 में सांकेतिक हड़ताल की थी और क्या बैंक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालों की संख्या देश में बढ़ रही है जिसके परिणाम-स्वरूप एक ओर श्रमिक अशांति है और दूसरी ओर सामान्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर रोक लगाने के लिए एक कानून अधिनियमित करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी हां । भारतीय रिजर्व बैंक के श्रेणी III के कर्मचारियों ने बैंक के लिपिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नये समझौते की मांग के समर्थन में अप्रैल, 1979 में सांकेतिक हड़ताल की थी । इससे अपने आप में यह सिद्ध नहीं होता कि हड़तालों की संख्या में वृद्धि हुई है और श्रमिक असंतोष है । हड़ताल के कारण बैंक के काम में अस्तव्यस्तता नहीं आती ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों में आरक्षित स्थानों का भरा जाना

11345. **श्री राम चरण** : क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ऐसे सरकारी उपक्रमों में जहां कोटा पूरा नहीं किया गया है, ग्रेड एक और ग्रेड दो में आरक्षित रिक्त स्थानों/कोटा/पदों को भरने के लिए विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा उसी प्रकार से कराने पर विचार कर रही है जैसा कि हाल ही में सी० एस० एस० के ग्रेड एक के पदों के सम्बन्ध में किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो जिन सरकारी उपक्रमों में श्रेणी एक और दो के आरक्षित पदों का कोटा अभी भरा जाना है, वहां ऐसे कोटे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए विभागीय परीक्षाएं कब तक कराने का विचार है ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) विभिन्न स्तरों पर की गई भर्ती, जिसमें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के समस्तरीय पद शामिल हैं, में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रश्न की ओर सरकारी उद्यमों, सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा निरंतर ध्यान दिया जाता है । उस विषय में निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट, शुल्क रियायत और इन्टरव्यू के लिए यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है ।

(2) यह निश्चित किया गया है कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का इण्टरव्यू, जिस दिन या प्रवरण समिति की जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का इण्टरव्यू हो उससे अलग दिन या अलग बैठक में किया जाए ।

(3) सरकारी उद्यमों को यह सलाह दी गई है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए सेवा-कालीन प्रशिक्षण संगठन को विशेष महत्त्व प्रदान करें ।

(4) यह निर्धारित किया गया है कि आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर सरकारी उपक्रमों और प्रशासनिक मंत्रालयों में इस कार्य के लिये विशेष रूप से नामित अधिकारियों द्वारा कड़ी निगाह रखी जाए ।

(5) समूह "क" और समूह "ख" के पदों पर भर्ती में भारी कठिनाई यह रही कि इनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार सुलभ न हो सके । इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान ने इन संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को भर्ती बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये हैं ।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की नामिका तैयार की है जिसमें से प्रवरण समितियों आदि की सहायता के लिए ऐसे कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ने पर उनके नाम अन्य सरकारी उद्यमों को भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।

(7) प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार समिति की आवधिक बैठकों में भी सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी स्थिति की समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में निदेश दिये जाते हैं कि सरकारी उपक्रमों में ऐसे कार्मिकों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती सुनिश्चित करने के लिए और क्या उपाय किये जाएं।

(8) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेशों में संयुक्त उद्यम सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन

11346. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करके विदेशों में संयुक्त उद्यम सम्बन्धी अपनी नीति का हाल में पुनर्विलोकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं ; और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों की स्थापना को शासित करने वाले संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति 1.12.1978 को पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1803 के उत्तर के साथ संलग्न थी। नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में और कोई संशोधन नहीं हुआ है।

कर की बकाया राशि की वसूली

11347. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** 16 मार्च 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) व्यक्तियों/फर्मों के प्रथम दस नामों से 31 दिसम्बर, 1978 का 29.62 करोड़ रुपये की कर की कुल बकाया राशि को वसूल करने के लिए गत तीन महीनों की अवधि के दौरान क्या विशेष प्रयास किये गये थे ; और

(ख) इसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) लोकसभा में 16 मार्च 1979 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3593 के उत्तर में उल्लिखित चोटी के 10 मामलों में कर को वसूल करने/कर की बकाया को घटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये :

(1) जहाँ वसूली के लिए उपलब्ध परिसम्पित्तियां थीं, वहां उनमें से बकाया कर को वसूल करने के उपाय किये गये।

(2) जहां अपीलें विचाराधीन थीं, वहां उनका निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया ।

(3) दीवालिया घोषित किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाहियां तथा समझौता आयोग और उच्च न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन पड़ी याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए प्रयत्न किये गये तथा किये जा रहे हैं, क्योंकि बकाया कर की एक बड़ी रकम ऐसी कार्यवाहियों में फंस जाती है ।

(ख) ऊपर उल्लिखित प्रयासों के परिणामतः उपर्युक्त दस मामलों में बकाया कर की रकम में, 31-12-1978 तथा 31-8-1979 के बीच के तीन महीनों में 9.43 करोड़ रु० की कटौती हुई ।

प्रशिक्षणों को नियोजित करना

1134९. **श्री मुकन्द मण्डल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) ऐसे प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है जिन्होंने इंडियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है लेकिन उन्हें वहाँ नियोजित नहीं किया गया है ;

(ख) उनको नियोजित करने के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण कैसा है ;

(ग) क्या प्रशिक्षुओं को नियोजित करने के सम्बन्ध में सरकार राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र परिषद् के साथ किसी समझौते पर पहुची है ; और

(घ) यदि हाँ, तो समझौते का क्या हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) यद्यपि अप्रेंटिसेस एक्ट में नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि वह उसके द्वारा प्रशिक्षित अप्रेंटिसों को अपने यहां ही खपाए, तथापि इंडियन एयरलाइन्स रोजगार के मामले में अप्रेंटिसों को निम्नलिखित रियायतें प्रदान करती है :—

(1) अप्रेंटिसों को इंडियन एयरलाइन्स में पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति है, चाहे रोजगार कार्यालय उनके नाम भेजे या न भेजे ।

(2) अन्य बातें समान होने पर, अप्रेंटिसों को रोजगार के मामले में, यदि वे उपयुक्त पाए जाते हैं तो, बाहर के उम्मीदवारों की बजाय तरजीह दी जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"वेण्टोलिन इनहेलर" का आयात

11349. **श्री राजेश्वर राव** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने "वेण्टोलिन इनहेलर", जो दमे के रोगियों के लिए एक जीवन रक्षक औषधि है, के आयात पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस जीवन रक्षक औषधि के आयात पर से रोक उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सदस्य महोदय ने जिस सम्पाक का उल्लेख किया है वह एक ब्रांड का नाम है। इस मद जैसी दूसरी मदें चूंकि देश में बनाई जा रही हैं, अतः स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा अब इसके आयात की अनुमति नहीं दी जा रही।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में डी० डी० ए० द्वारा की गई प्लाटों की नीलामी में बोली देने वालों के बारे में रिपोर्ट

11350. **श्री बयालार रवि** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनको दिल्ली में डी० डी० ए० द्वारा की गई प्लाटों की नीलामी में बोली देने वालों के बारे में राजस्व आसूचना विभाग से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में प्रत्येक प्लाट के लिए, जिसमें राजेन्द्र प्लेस काम्प्लेक्स में 700 वर्ग मीटर का प्लाट शामिल है तथा जो 1.33 करोड़ रुपये में बेचा गया था, सबसे अधिक की बोली लगाने वाले तीन बोली दाताओं के नाम शामिल हैं ; और

(ग) उक्त प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है तथा बोली दाताओं के नाम क्या हैं तथा इन बोली दाताओं ने सबसे अधिक की ऐसी बोली के लिए अपनी आय के क्या स्रोत की घोषणा की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (ग) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। तथापि, संसद के एक प्रश्न के सम्बन्ध में दिल्ली के आयकर प्राधिकारियों से मार्च, 1979 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजेन्द्र प्लेस काम्प्लेक्स,

दिल्ली स्थित एक भू-खण्ड की नीलामी किये जाने के बारे में, पहली बार सूचना प्राप्त हुई। आयकर आयुक्त ने रिपोर्ट दी थी कि राजेन्द्र प्लेस काम्प्लेक्स स्थित भूखण्ड संख्या 22 को 1,32,37,000 रुपये में बेचा गया और यह कि उच्चतम बोली लगाने वाली पार्टी मैसर्स भाटिया एण्ड सहगल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन थी, जिसने नीलामी के तुरन्त बाद 17-1-1979 को बैंक ड्राफ्ट से 34 लाख रु० की रकम जमा की जो बोली का लगभग 25 प्रतिशत बैठती थी। प्रारम्भिक जांच के दौरान जमा की गई इस रकम के स्रोत निम्न प्रकार बताए गए :—

बैंकों से ऋण	—	27 लाख रुपये
व्यक्तिगत स्रोतों से (परिवार के सदस्यों तथा सहायक कम्पनियों आदि से ऋण)	—	7 लाख रुपये

बताया गया है कि इस सम्बन्ध में आगे जांच जारी है। यह भी रिपोर्ट मिली कि मैसर्स भाटिया एण्ड सहगल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के भागीदार श्री ए० के० भाटिया के अनुसार, दूसरी उच्चतम बोली मैसर्स स्किपर बिल्डर्स (प्रा०) लिमिटेड द्वारा लगायी गयी तथा तीसरी उच्चतम बोली मैसर्स यूनाइटेड बिल्डर्स द्वारा लगायी गई। रिपोर्ट मिली है कि उक्त पार्टियों के बारे में अभी जांच जारी है।

राजेन्द्रप्लेस, नई दिल्ली में नीलामी के समय आयकर अधिकारियों की उपस्थिति

11351. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड़, नई दिल्ली में अनुमानतः 667 वर्ग मीटर के प्लाट की नीलामी के समय कोई आय कर एजेंसी उपस्थित थी ;

(ख) यदि हां, तो एजेंसी का ब्यौरा क्या है और किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों ने वहां उसका प्रतिनिधित्व किया ;

(ग) क्या आयकर विभाग के पास कोई ऐसा चार्ट है जिसमें प्लाट की उक्त नीलामी में बोली लगाने वालों तथा सबसे अधिक बोली लगाने वालों के नाम हों ;

(घ) क्या प्लाट की उक्त नीलामी में सभी 5-7 बड़े-बड़े बोली लगाने वाले व्यक्ति आयकर दाता हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्होंने इतनी बड़ी राशि कैसे प्राप्त कर ली ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) आय-कर प्राधिकारी, सबसे ऊंची बोली लगाने वालों के नाम तथा पते, बोली की रकम तथा अदायगी के तरीके आदि के

बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करके दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भू-खण्डों की नीलामी के समय बोली लगाने वालों पर निगरानी रखते रहे है। नई दिल्ली में पूसा रोड़ स्थित राजेन्द्र प्लेस में 667 वर्ग मीटर के एक भू-खण्ड की नीलामी के समय कोई आय-कर एजेन्सी मौजूद नहीं थी।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आय-कर प्राधिकारियों के पास ऐसा कोई चार्ट उपलब्ध नहीं है। तथापि, नीलामी किये जाने के बाद, उक्त भू-खण्ड की नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले पांच व्यक्तियों के नाम आय-कर प्राधिकारियों द्वारा दर्ज किये गये हैं।

(घ) तथा (ङ) उपर्युक्त नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले पांच ज्ञात व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति वर्तमान आय-कर निर्धारिती हैं। बताया जाता है कि उनमें से एक ने फरवरी 1979 में आय की विवरणी दाखिल की है। इन तीनों के पूंजी-निवेशों के स्रोत की जांच, संगत वर्षों के लिए उनका आय-कर निर्धारण करते समय, आय-कर प्राधिकारियों द्वारा, विधिवत् तय की जायेगी।

सबसे ऊंची बोली लगाने वाली एक नयी कम्पनी है, जिसने नीलामी के तत्काल पश्चात् 17 जनवरी 1979 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा 34 लाख रु० जमा किये जो कि बोली की रकम का लगभग 25 प्रतिशत है। जमा की गयी इस रकम के स्रोत, प्रारम्भिक जांच के दौरान, नीचे दिये अनुसार बताये गये :—

बैंकों से ऋण	27 लाख रु०
व्यक्तिगत स्रोतों से ली गई रकम (परिवार के सदस्यों तथा सहायक कम्पनियों आदि से ऋण)	7 लाख रु०

बताया गया है कि मामले की आगे जांच की जा रही है।

ऊंची बोली लगाने वाले इन पांच व्यक्तियों में से बाकी रह गये बोली लगाने वाले व्यक्ति के बारे में आय-कर प्राधिकारी ब्यौरा इकट्ठे कर रहे हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में जनरल मैनेजर का पद

11352. **श्री तेज प्रताप सिंह :**

श्री रतन सिंह राजदा :

श्री टी० एस० नेगी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1978 में पिछले जनरल मैनेजर के सेवा निवृत्त होने के बाद भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में किसी जनरल मैनेजर की नियुक्ति नहीं की गई है ;

(ख) क्या निगम बिना जनरल मैनेजर के अनिश्चित समय तक कार्य करने में समर्थ है ;

(ग) यदि हां, तो जनरल मैनेजर का पद समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं जिससे उसके वेतन, भत्ते तथा अन्य सिब्बन्दी आय की बचत की जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो जनरल मैनेजर का पद भरे जाने के लिए शीघ्रता से व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्ति करना इस निगम के निदेशक मन्डल के अधिकार क्षेत्र में आता है। निदेशक मंडल ने इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि क्योंकि संयुक्त दो महप्रबन्धकों को पिछले तीन/चार वर्षों में जल्दी जल्दी पदोन्नति मिली है और दोनों लगभग 44 वर्ष की आयु के हैं इसलिए महाप्रबन्धक के पद को भरने विषयक निर्णय को एक वर्ष के लिए मुल्तबी रखा जाय। इस बीच दोनों संयुक्त प्रबन्धकों को पर्याप्त अधिकार दे दिये गये हैं और वे अध्यक्ष की समग्र देख रेख में काम करते हैं।

हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा विवादास्पद उत्पादन शुल्क लिया जाना

11353. **श्री गौरी शंकर राय** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मोटर्स ने वर्ष 1975-77 के बीच कारों और ट्रकों पर 5 करोड़ रुपये का विवादास्पद उत्पादन शुल्क लिया;

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिये था; और

(ग) क्या यह सच है कि कम्पनी उक्त राशि को रख रही है और ; इसे उपभोक्ताओं, व्यापारियों अथवा राज्य राजकोष को अभी तक वापिस नहीं लौटाया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) मांगी गयी सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

गत तीन महीनों के दौरान भारत में पर्यटकों के आगमन में कमी

11354. **श्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में भारत में पर्यटकों के आगमन में कमी हुई है ;

(ख) 1978 की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में 1979 के प्रत्येक माह के दौरान विदेशी पर्यटकों के सम्बन्ध में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। भारत की ओर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 1978 की तदनुरूप अवधियों के मुकाबिले पिछले 3 महीनों (फरवरी से अप्रैल, 1979) के दौरान 4.8 प्रतिशत, अथवा जनवरी से अप्रैल 1979 तक 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) 1978 की तदुनुरूप अवधि की तुलना में 1979 के प्रत्येक माह के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में वृद्धि की प्रतिशतता नीचे दी गई है:—

पर्यटक आगमन में प्रतिशत वृद्धि

माह	1977 की तुलना में 1978 में	1978 की तुलना में 1979 में
जनवरी	14.0	10.4
फरवरी	20.1	3.7
मार्च	16.5	0.1
अप्रैल	12.5	12.1

(ग) और (घ) 1978 की तदुनुरूप अवधि की तुलना में 1979 के पहले चार महीनों के दौरान, पर्यटक आगमन में वृद्धि की अपेक्षाकृत न्यूनतर दर का आंशिक कारण कुछ मार्गस्थ क्षेत्रों में स्थितियों के बिगड़ जाने से स्थल-मार्ग द्वारा आगमन में कमी हो जाना है।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए विज्ञापन छापने वाले दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं

11355. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :**

श्री एम० ए० हनान अहलाज : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार जीवन बीमा निगम ने जिन-जिन दैनिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए हैं उनके नाम राज्यवार तथा भाषावार क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए प्रचार-खर्च का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) और (ख) दो विवरण अनुबन्ध-एक और अनुबन्ध-दो संलग्न हैं।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4539/79)

कुवैत से सामान का आयात अथवा निर्यात

11356. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : **क्या वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) कुवैत के साथ किन-किन वस्तुओं का निर्यात तथा आयात होता है ;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए कमीशन एजेन्ट के रूप में कुछ व्यक्ति अथवा कम्पनियां नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कुवैत से आयात की जाने वाली मुख्य मदें है: विनिर्मित उर्वरक, अमोनिया और सलफर तथा बिना तपा लोहा पाइराइट। भारत से कुवैत को निर्यात की जाने वाली मुख्य मदें हैं : मांस जौं, ताजे फल व गिरिदार फल, काफी, चाय मसाले, सूती माल, पटसन से बनी बस्तुएं, भवन निर्माण सामग्री, लोहे और इस्पात की छड़ें, राइस एन्गल्स, ट्यूबें, और फिटिंग्ज, धातु का सामान, घरेलू सामान, सड़क मोटर वाहन, प्लास्टिक की वस्तुएं और आभूषण आदि।

(ख) तथा (ग) विदेशों के साथ व्यापार के उद्देश्य के लिए सरकार कमीशन एजेन्ट नियुक्त नहीं करती। कुछ मामलों में अलग-अलग संगठनों ने शायद एजेन्ट नियुक्त किए हुए हों। ऐसे के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय अध्ययन दल का 1975 में राजस्थान का दौरा

11357. **श्री चतुर्भुज** : **क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय अध्ययन दल ने 1975 में राजस्थान का दौरा वहां पर्यटन विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है और यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कब तक विचार कर लिया जायेगा तथा वहां पर्यटन केन्द्र कब तक बनाये जायेंगे और क्या इस बारे में ब्योरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल ने, जिसमें केन्द्रीय और राज्य पर्यटन विभाग, एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइंस, भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय यात्रा अभिकर्त्ता संघ के प्रतिनिधि शामिल थे, जुलाई-अगस्त, 1976 के दौरान राजस्थान का दौरा किया। सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट राज्य सरकार को नवम्बर, 1976 में प्रस्तुत की गयी थी।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट की उल्लेखनीय बातें ये हैं— मौजूदा और नये केन्द्रों की पर्यटन संभाव्यता का अध्ययन और मूल्यांकन, मौजूदा पर्यटक केन्द्रों पर आवास, परिवहन और संचार जैसी सुविधाओं में सुधार और वृद्धि के लिए सुझाव और नये पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए सिफारिशें, स्मारकों, किलों, महलों और मन्दिरों की मरम्मत और रख-रखाव, पर्यावरण संबंधी नियोजन और स्वच्छता, राजस्थान के पारस्परिक हस्तशिल्पों, मेलों और त्यौहारों, लोक-वार्ताओं और लोक-नृत्यों का विकास, संवर्धन और प्रचार, अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों ही प्रकार के पर्यटकों के लिए मरुस्थल त्रिभुज-जोधपुर-बीकानेर-जैसलमेर; उदयपुर और भरतपुर आदि जैसे राजस्थान के विभिन्न प्रमुख केन्द्रों की तथा वहां पर एक मुश्त यात्राओं हेतु सुझाव, राज्य पर्यटन निगम का संगठनात्मक नियोजन और सिफारिशों का कार्यान्वयन। रिपोर्ट पर आधारित पर्यटक केन्द्रों के विकास का कार्य केन्द्रीय सैक्टर और राज्य सैक्टर के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए और अलग-अलग स्कीमों की पारस्परिक प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए प्रारम्भ किया जायेगा।

उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशि के रूप में प्राप्त किया गया धन

11358. **श्री पद्मचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक उड़ीसा राज्य से जमाराशि के रूप में धन प्राप्त कर रहे हैं परन्तु प्राप्त हुई ऐसी सम्पूर्ण राशि का उड़ीसा में ऋण के रूप में पूंजी-निवेश नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में जमाराशि के रूप में प्रत्येक बैंक द्वारा अब तक कुल कितना धन प्राप्त किया गया है और वहां कितना धन लगाया गया है; और

(ग) उपरोक्त पूंजी-निवेश में से छोटे किसानों सीमांत किसानों, कुटीर एवं लघु उद्योगों को कितना-कितना धन दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटाई गई सारी जमाएं ऋण के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होती। आजकल बैंक की मांग और सामयिक देनदारियों का 40 प्रतिशत नकदी और नकदी जैसी सांविधिक परिसम्पत्तियों और नकद प्रारक्षित निधि के अनुपात के रूप में रख लिया जाता है।

सितम्बर 1978 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमाएं बिहार में 217.44 करोड़ रुपये थी। उनके ऋणों की कुल राशि उस राज्य में उस तारीख को 122.39 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, इन बैंकों ने राज्य सरकारों और उनके सम्बद्ध निकायों की प्रतिभूतियों में 95.44 करोड़ रुपये लगाये हैं। इस तरह उड़ीसा राज्य में सितम्बर, 1978 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के धन के वितरण की राशि 217.83 करोड़ रुपये थी, जो उस राज्य में जुटाई गई जमाओं से अधिक थी।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1977 के अंत में (हाल के ताजा उपलब्ध) बैंक वार आंकड़े अनुबन्ध में दे दिये गये हैं।

अनुबन्ध

विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

बैंक का नाम	जमाएं	ऋण		
		जोड़	जिसमें	
			कृषि	छोटे पैमाने के उद्योग
			प्रत्यक्ष *	अप्रत्यक्ष	
(क) भारतीय स्टेट बैंक समूह	72,66	40,48	11,19	3,01	4,66
(ख) 14 राष्ट्रीकृत बैंक					
सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	7,02	2,59	19	19	24
पंजाब नेशनल बैंक	6,52	3,25	3	—	58
बैंक आफ इंडिया	5,69	5,36	43	27	39
बैंक आफ बड़ोदा	3,25	1,85	15	10	43
केनरा बैंक	9,57	3,41	37	10	59
यूनियन बैंक आफ इंडिया	6,26	3,53	15	3	—

1	2	3	4	5	6
सिंडीकेट बैंक	3,89	2,08	12	—	19
यूनाटेड कमर्शियल बैंक	29,49	15,81	1,82	2,78	2,15
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	18,45	13,09	1,17	1.05	1,12
इंडियन ओवरसीज बैंक	9,50	7,78	50	4	45
इंडियन बैंक	6,59	2,63	34	1	21
देना बैंक	39	62	—	—	14
बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—	—	—	—
इलाहाबाद बैंक	4,93	3,49	2	10	11
जोड़ (ख) :	111,55	65,49	5,29	4,67	6,60
जोड़ (क) (ख) :	184,21	105,97	16,48	7,68	11,26

* केवल कृषि कार्यों के लिए किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त के सम्बन्ध में जोतवार आंकड़े उपलब्ध हैं। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिए किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष कृषि वित्त 5 एकड़ तक की जोत वाले किसानों को दिये गये थे।

एक रुपये के नये नोटों का मुद्रण

11359. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक रुपये के नये नोट छापना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक रुपये के नोटों के मुद्रण को प्रायोगिक तौर पर बन्द किया गया है या वह कार्यवाही एक रुपये की करेंसी को धीरे-धीरे अंतिम रूप से बन्द करने के निर्णय का परिणाम है ;

(ग) एक रुपये की इस 'पेपर करेंसी' के मुद्रण को बन्द करने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार को इस निर्णय के विरुद्ध जनता से विरोध पत्र मिला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुलफिकारुल्लाह) : (क) से (ग) एक रुपए के नोटों की छपाई और सप्लाई को बन्द नहीं किया गया है। लेकिन एक रुपए के सिक्कों की

की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए एक रुपए के नोटों की छपाई को कम कर दिया गया है और दो रुपए के नोटों की छपाई में उतनी ही वृद्धि कर दी गई है।

(ख) एक रुपए के सिक्कों को चलन में लाने के लिए रिजर्व बैंक एक रुपए की करेंसी की मांग के कुछ प्रतिशत भाग के बराबर की करेंसी को सिक्कों के रूप में अनिवार्य रूप से जारी करता है। इसके प्रति कुछ विरोध भी प्रकट किया गया है।

अनुसूचित जातियों को वाणिज्यि विमानचालक लाइसेंस शुल्क से छूट दिया जाना

11360. **श्री राम लाल राही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेस शुल्क के भुगतान से अनुसूचित जातियों को छूट प्राप्त है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें ऐसी छूट देने के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय लेने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण शुल्क की अदायगी करने से अनुसूचित जातियों को छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस समय इस संबंध में सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

तथापि, सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो निजी विमानचालक लाइसेंस स्तर तक उड़ान प्रशिक्षण लें, 20 वज़ीफे देने की एक स्कीम है।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में अफीम उत्पादन के लिए लाइसेंस मंजूर किया जाना

11361. **श्री लालजी भाई** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को 1978-79 में अफीम के उत्पादन के लिए लाइसेंस मंजूर न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) जी, हां। अफीम मिश्रित औषधियों की कच्ची सामग्री की अत्यधिक सप्लाई के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की सीमित मांग को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1978-79 की फसल के दौरान पोस्त

की काश्त के रकबे को कम करने का निर्णय किया गया था और उसके परिणामतः अफीम की काश्त हेतु काश्तकारों को कोई नये लाइसेंस नहीं दिए गए।

भारत और बंगला देश के बीच व्यापार

11362. **श्री चित्त बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1972-73 से 1978-79 तक बंगला देश और भारत के बीच कितना व्यापार हुआ है ;

(ख) भारत से किन प्रमुख वस्तुओं और बंगलादेश से किन प्रमुख वस्तुओं का आयात किया जाता है ;

(ग) दो देशों के बीच व्यापार के परिणाम और व्यापार संतुलन का ब्यौरा क्या है ;

(घ) बराबरी के स्तर पर लाने के लिये व्यापार प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) बंगलादेश के साथ व्यापारिक सम्बन्ध में सुधार करने में मुख्य बाधाएं क्या हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस अवधि के दौरान बंगलादेश को निर्यात की गई प्रमुख मदें ये रही हैं : वस्त्र यार्न, कोयला, लोहा और इस्पात, मशीनरी और यातायात के उपस्कर, रसायन, कच्चे उर्वरक कच्चे खनिज आदि।

इस अवधि के दौरान आयात की गई प्रमुख मदें ये रही हैं ; अखबारी कागज, मछली और कच्चा पटसन आदि।

(घ) जी नहीं। तथापि, व्यापार अंतर को न्यूनतम करने के लिए बंगला देश से अपने आयात बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए आयात की कुछ नई मदों का पता लगाया जा रहा है।

(ङ) फिलहाल इस प्रकार की कोई बाध्यताएं नहीं हैं। तथापि, व्यापार के वास्तविक प्रवाह के क्षेत्र में यातायात संबंधी कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं। उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

रुपयों में मूल्य (करोड़)

वर्ष	बंगलादेश को हुए निर्यात	बंगला देश से हुए निर्यात	व्यापार का संतुलन
1972-73	168.24	3.46	+164.78
1973-74	58.77	17.04	+ 41.73
1974-75	42.23	9.18	+ 33.05
1975-76	62.19	4.65	+ 57.54
1976-77	54.57	6.07	+ 48.50
1977-78	51.61	1.16	+ 50.45
1978-79 (अप्रैल-जून)	13.54	0.28	+ 13.26

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में स्थान की बुकिंग और पुष्टि में भ्रष्टाचार

11363. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ानों में स्थान की बुकिंग और उसकी पुष्टि के बारे में इंडियन एयरलाइन्स में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों पर फालतू पैसे देकर बुकिंग प्राप्त करने के बारे में यात्रियों से कुछ इक्का-दुक्का शिकायतें आती रही हैं। विशेष ब्यौरों के अभाव में, इनमें से अधिकांश शिकायतों की तसदीक करना संभव नहीं हो पाता। तथापि, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है जो ऐसे भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाते हैं। कुछेक मामलों में, दोषी पाए गए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

विदेशों से धन राशि भेजा जाना

11364. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा विदेशी मुद्रा रिजर्व के बारे में तैयार किये गये पेपर को देखा है जिसमें यह चेतावनी दी गई है कि यह नहीं समझा जाना चाहिये यह रिजर्व हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहेंगे ;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के इस विचार से सहमत है कि आगे से विदेशों से भेजे जाने वाली राशि की बढ़ी दर में कमी आयेगी ; और

(ग) क्या भारतीय उद्योग की निर्यात प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिये सरकार की विदेशी मुद्रा के उपयोग की कोई योजनाएं है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित "मार्जिन" नामक त्रैमासिक पत्रिका के जनवरी 1979 के अंक में इस संबंध में छपे लेख को देखा है ।

(ख) यह स्वीकार किया जाता है कि हाल के वर्षों में विदेशों से आने वाली मुद्रा में जिस दर से वृद्धि हुई है, उसे आने वाले वर्षों में कायम नहीं रखा जा सकेगा ।

(ग) उदार बनाई गई आयात नीति के अन्तर्गत बहुत सी विशिष्ट मदों का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दे दी गई है और खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) की सूची का काफी विस्तार कर दिया गया है और अब उसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ चमड़ा मशीनें, कपड़े सीने तथा हौजिरी की मशीनें और कई प्रकार के मशीनी औजार शामिल कर लिए गए हैं । इसी प्रकार, पंजीकृत निर्यातकों को कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं । नई नीति में शत-प्रतिशत निर्यात प्रधान उद्योगों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का विश्वव्यापी आधार पर आयात किए जाने की व्यवस्था है चाहे उनमें से कुछ देश में बनाई जा रही हों या नहीं । वे वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक), जिन्होंने 1977-78 या 1978-79 में से किसी एक वर्ष अपने वार्षिक उत्पादन के कम से कम 5 प्रतिशत भाग का निर्यात किया हो, कतिपय विशिष्ट कच्चे माल, संघटक और लोहे तथा इस्पात की मदों के लिए खपत प्रमाण-पत्र के पूरे मूल्य के अलावा 10 प्रतिशत तक का अतिरिक्त आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं । विदेशी मुद्रा भण्डार का लाभप्रद रीति से उपयोग किए जाने के लिए ये उपाय किए गए हैं इनमें उत्पादन लागत को कम करने तथा उत्पादों की कोटि में सुधार करने में सहायता मिलेगी और इनसे अन्ततोगत्वा भारतीय उद्योगों की निर्यात के क्षेत्र में प्रतियोगितात्मक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा ।

बम्बई में मांस के निर्यात के विषय पर हुई गोष्ठी

11365. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(ग) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के सहयोग से मांस निर्यातकर्त्ताओं ने बम्बई मांस के निर्यात के विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें देश से मांस के निर्यात में भारी वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के महानिदेशक ने भी आगामी पांच वर्षों में मांस के निर्यात का वार्षिक लक्ष्य 8 लाख टन कर देने का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के विचार क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के महानिदेशक ने बताया था कि 1982-83 तक उत्पादन में 8 लाख मे० टन की वृद्धि की जा सकती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़कर उस समय तक लगभग 16 से 17 लाख मे० टन हो जायेगा।

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की सिफारिशों पर कृषिगत निर्यातों के कार्यदल द्वारा विचार किया गया था। कार्यदल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकों से सेवा-प्रभार वसूल किया जाना

11366. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राज्य व्यापार निगम निर्यातकों से उनके माल के मूल्य में वृद्धि के बदले में उनसे सेवा-प्रभार वसूल करता है ;

(ख) क्या इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे माल की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता में कमी होती है ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम को ऐसा सेवा-प्रभार वसूल करने की अनुमति किन कारणों से दी गई है जबकि सरकार बिचौलियों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राज्य व्यापार निगम के सेवा प्रभार निगम द्वारा दी गई सेवाओं के स्वरूप तथा मात्रा के अनुसार लिए जाते हैं। ऐसी सेवाओं में ये शामिल हैं : बाजार सर्वेक्षण, नए बाजारों का पता लगाना, संभाव्य क्रेताओं के साथ संपर्क स्थापित करना, तकनीकी परामर्श देना

तथा अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास करना । ये प्रभार उचित हैं तथा इनसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की प्रतियोगी क्षमता में कमी नही आती है ।

सरकार उपक्रमों में आयकर अधिकारियों की नियुक्ति

11367. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि बहुत से आयकर अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके पदों के वेतन-मानों सहित तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) इस समय समूह 'क' के तीन आयकर अधिकारी और समूह 'ख' के दो आयकर अधिकारी ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्र०सं०	नाम और आयकर विभाग में धारित पद	स्तम्भ 2 में उल्लिखित पद का वेतनमान	प्रतिनियुक्ति पर धारित पद और कब से	स्तम्भ 4 में उल्लिखित पद का वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	श्री महादेव शास्त्री, आयकर अधिकारी, समूह 'क' वरिष्ठ वेतनमान	रु० 1100-50 1600	संयुक्त मंडल प्रबन्ध (आयकर), खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली जनवरी, 1979	रु० 1300. 1900
2.	श्री जे० जी० पेंडसे, आयकर अधिकारी, समूह 'क' वरिष्ठ वेतमान	-यथोपरि-	संयुक्त निदेशक वित्त तथा लेखा), तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बम्बई 15 मई 1978	रु० 1500-60-1800-100-2000.

1	2	3	4	5
3.	श्री गणपत राय आयकर अधिकारी समूह 'क' वरिष्ट वेतनमान	रु० 1100-50-1600.	उप प्रबन्धक (आयकर) भारत का खाद्य निगम नई दिल्ली 26 सितम्बर 1977.	रु० 1100-50-1600.
4.	श्री पी० राजेन्द्रम्, आयकर अधिकारी, समूह ख'	रु० 650-1200	लेखा अधिकारी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तिरुचिरापल्ली 1 सितम्बर 1975	रु० 725-1325.
5.	श्री जे० एस० कपूर आयकर अधिकारी, समूह 'ख'	रु० 650-1200.	वरिष्ट कर विश्लेषक, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पालिसी, नई दिल्ली 17 नम्बर 1978	रु० 1100-50-1600.

बिहार में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण

11368. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बिहार की कितनी सहकारी समितियों ने 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋणों के लिए आवेदन पत्र दिये और इस अवधि में प्रत्येक की कितनी राशि दी गई ; .

(ख) कितनी सहकारी समितियों को ऋण नहीं दिए जा सके तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) शेष सहकारी समितियों को ऋण देने के संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 219,21 और 119 सहकारी समितियों को क्रमशः वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान ऋण मंजूर नहीं किये जा सके, जिसका कारण पूरी सूचना न होना, परियोजना का

आत्मनिर्भर न होना, राज्य सरकार की सलाह से आवेदनों का जांच कार्य पूरा न होना आदि हैं।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शेष सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। उन्हें ऋण प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर और उनके द्वारा पात्रता के मानदण्ड को पूरा किए जाने पर दिया जाएगा।

(मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4540/79)

मेसर्स राम इंजीनियरिंग वर्क्स धनबाद (बिहार) द्वारा कर अपवंचन

11369. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मैसर्स राम ईंजीनियरिंग वर्क्स, वाईपास रोड, धनवाद (बिहार) के भागीदारों के नाम क्या हैं। तथा प्रत्येक भागीदार द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) मैसर्स राम इंजीनियरिंग वर्क्स धनवाद (बिहार) का कर निर्धारण व्यष्टि के रूप में किया जाता है और इस फर्म के मालिक श्री राम गोपाल वागरिया हैं। 31 मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार, फर्म के इस मालिक द्वारा उपर्युक्त कम्पनी के साथ लगाई गई पूंजी 1,31,816 रु० है।

(ख) 31 मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार आयकर की कोई रकम बकाया नहीं है।

श्री सरदार वल्लभभाई पटेल खांड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड, धोराजी को मंजूर किया गया ऋण

11370. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या एन० सी० डी० सी० द्वारा गुजरात के सौराष्ट प्रदेश के राजकोट जिले के श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल खांड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड धोराजी को लगभग 110 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण कब मंजूर किया गया था ;

(ग) क्या यह ऋण सहकारी समिति को इस बीच दे दिया गया है और यदि हां तो कितनी राशि का ऋण कब दिया गया था ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सहकारी समिति को यह ऋण राशि कब तक दे दी जायेगी ;

(ङ) क्या इस ऋण के भुगतान के बारे में गुजरात सरकार को भी कुछ करना है। और यदि हां, तो उसके द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है और क्या गुजरात सरकार ने यह कार्यवाही इस बीच पूरी कर ली है ; और

(च) इस सहकारी समिति ने यह ऋण किस प्रयोजन के लिए और कब मांगा था और इसके भुगतान में विलम्ब किन कारणों से किया जा रहा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (च) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी विकास, निगम ने श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड धोराजी (गुजरात) को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है । तथापि, गुजरात सरकार ने इस चीनी कारखाने को पुनः स्थापना सहायता के रूप में 31-3-1979 को 110 लाख रुपये की अतिरिक्त अंशपूंजी प्रदान की है यह जुलाई, 1978 में तैयार की गई पुनःस्थापना योजना के एक भाग के रूप में किया गया। इस योजना की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :—

(क) राज्य सरकार गन्ने की खेती के लिए वटर, मोज और फोफल बांधों से पर्याप्त जल उपलब्ध कराने और खांडसारी एककों के संचालन को इस प्रकार से विनियमित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध करेगी कि जिससे इस कारखाने को गन्ने की उपलभ्यता लाभप्रद स्तरों से कम न होने पाये।

(ख) राज्य सरकार पांच वर्ष की अवधि के लिए गन्ने पर क्रय कर से/को छूट देने। स्थगित करने पर विचार करेगी और तत्पश्चात् समिति की वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा करेगी।

(ग) राज्य सरकार चीनी कारखाने को हुई नकद हानियों को पूरा करने के लिए उसे 110 लाख रुपये की अतिरिक्त अंशपूंजी प्रदान करने पर विचार करेगी।

(घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अतिदेय ब्याज को मिलाने और किश्तों, जिनमें अशोधित किश्तें भी शामिल हैं, की अदायगी पहली जुलाई, 1980 से आरंभ करने के लिए भुगतान समय-सूची फिर से तैयार करने पर विचार करेगा।

(ङ) जीवन बीमा निगम किश्तों का भुगतान पहली जुलाई, 1980 से आरंभ करने के लिए समय-सूची पुनः तैयार करने पर विचार करेगा।

(च) समिति अपने सदस्यों के साथ गन्ने के विकास के लिए प्रबंध : करेगी, ताकि वे प्रतिवर्ष, कमी/सूखे के वर्षों के दौरान भी लगभग 2 लाख मीटरी टन गन्ना प्राप्त कर सके। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गुड़ बनाने के लिए गन्ना दिए जाने पर भी उन्हें पर्याप्त गन्ना प्राप्त हो सके।

(छ) समिति अपने सदस्यों से 10/- रु० प्रति मीटरी टन की दर से नावापसी जमा काट लेगी, जो हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंशपूंजी में परिवर्तित किया जा सकेगा। गन्ने के आपूर्ति करने वाले गैर-सदस्यों को सदस्य बनाया जायेगा।

(ज) समिति 1978-79 के मौसम के दौरान खेत में पड़े गन्ने का मूल्य ज्यादा से ज्यादा 105 रु० प्रति मीटरी टन दे और भावी वर्षों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राज्य सरकार के परामर्श से मूल्य नियत करेगी।

(झ) राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ और गुजरात राज्य सहकारी चीनी कारखाना संघ संयंत्र तथा मशीनरी के बारे में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में समिति की सहायता करेंगे और मशीनरी की उन मदों की संस्थापना करने में उन्हें मदद देंगे जो लाइसेंससुदा पेराई क्षमता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

(ञ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकार को 110 लाख रु० की उक्त वित्तीय सहायता के एक भाग की प्रतिपूर्ति करने पर विचार करेगा, वशर्ते गुजरात सरकार सहित सभी संबंधितों द्वारा इस पुनःस्थापना कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें स्वीकार करली जाएं।

कृषि निर्यात निगम

11371. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मरकार का विचार कृषि अधिशेष और विदेशी विपणन में समन्वय लाने के लिए एक कृषि निर्यात निगम स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) मामला विचाराधीन है।

मैसर्स ठाकुरदास देवकिशन निजामगंज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के नाम आयकर की बकाया राशि

11372. **डा० महादीपक सिंह शाक्य:** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मैसर्स ठाकुरदास देवकिशन निजामगंज, औरंगाबाद (डैक्शन) महाराष्ट्र में कितने भागीदार हैं और फर्म की स्थापना के समय उनमें से प्रत्येक ने कितनी पूंजी लगाई थी और इस ससय प्रत्येक भागीदार की कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) इस पर अब तक आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ; वह एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

मैसर्स जय आयरन इंजीनियरिंग वर्क्स, हाबड़ा (पश्चिम बंगाल) की ओर आयकर की वकाया राशि

11373. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) मैसर्स जय आयरन इंजीनियरिंग वर्क्स, अब्दुल रोड़, हावड़ा, पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी, उस समय इसके कितने भागीदार थे, प्रत्येक भागीदार ने कितना पूंजी निवेश किया था; इस समय इस फर्म में कितने भागीदार हैं तथा उनकी पूंजी निवेश कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस फर्म के एक भागीदार को, फर्म का नाम बदलकर, उसको भागीदारी से बंचित कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक भागीदार की ओर आयकर की कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे इकट्ठा किया जा रहा है और यथा-सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायेगा ।

औषधों पर उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क

11374. **श्री युवराज** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार औषधों के मूल्यों में कमी करने के उद्देश्य से सभी औषधों पर उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में कमी करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्पादित औषधों पर न केवल करों में कमी करने का है बल्कि कच्ची सामग्री के आयात पर भी करों में कमी करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार औषधों में मुनाफाखोरी (जो कि इनकी मूल्य वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है) रोकने हेतु उपाय करने का है, और यदि हाँ तो मूल्य कम करने के उद्देश्य से करों में कमी कब की जायेगी, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में रजय मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) वर्ष 1979 के बजट के अंग के रूप में, 22 विनिर्दिष्ट थोक-औषधियों को; यदि उनका इस्तेमाल विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और दवाइयों में किया जाता है, मूल तथा उपसंगी सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई है। 17 विनिर्दिष्ट औषधीय मध्यवर्त्ती द्रव्यों पर भी सीमा शुल्क की दर को मूल्यानुसार 75% से घटाकर मूल्यानुसार 25% कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी पेटेंट अथवा स्वत्वाधिकार वाली दवाइयों को विशेष उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है।

(ग) पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय द्वारा जारी किया गया औषध (मूल्य-नियंत्रण) आदेश, 1979, जो 31 मार्च, 1979 से प्रभावी हुआ, का आशय औषधि-विनिर्मातिओं की मुनाफाखोरी को रोकता है। इसके अलावा, उक्त मन्त्रालय ने आदेश जारी करके जीवन रक्षक औषधियों तथा दवाइयों की ऐसी निर्वितियों के अधिकतम खुदरा मूल्यों को भी कम कर दिया है जिनमें शुल्क-युक्त थोक-औषधियों का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त, उक्त मन्त्रालय ने, विदेशी कम्पनियों द्वारा मुनाफाखोरी किए जाने के आरोपों की जांच करने तथा एसी कम्पनियों के मुनाफों को विनियमित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति भी नियुक्त की है।

प्रीति पेपर बोर्ड मिल्स (प्रा०) लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की अदायगी तथा उनकी ओर आयकर की बकाया राशि

11375. **श्री दयाराम शाक्य** : **क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रीती पेपर बोर्ड मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, 22 बड़ा शिवतल्ला मेन रोड़, कलकत्ता ने गत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया तथा उनकी ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म की स्थापना से अब तक इस फर्म के वर्षवार कितनी पूंजी लगाई तथा इसके भागीदारों की संख्या कितनी हैं तथा उन अन्य उद्योगों और ट्रेडों के नाम क्या हैं जिनमें वे भागीदार हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगाई गई तथा उनकी ओर गत तीन वर्षों के लिये आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्राल्य में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) मैसर्स प्रीती पेपर बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड कलकत्ता द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम निम्नलिखित है :—

1976-77	1977-78	1978-79
95,000 रु०	81,000 रु०	1,42,000 रु०

आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः गत तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए सीमा शुल्क की राशि के

सम्बन्ध में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स प्रीति पेपर बोर्ड मिल्स लिमिटेड कलकत्ता, पश्चिम बंगाल राज्य में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसके पंजीकरण की तारीख 15-12-1958 है। कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में किए गए पूंजीनिवेश का पता चलता है, कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित अवधि के दौरान समाप्त	चुकता पूंजी
तुलन-पत्र की तारीख	लाख रु० में
31-12-1967 से 31-12-1975 तक	8.48

नाफेड द्वारा प्याज और मूंगफली के तेल का निर्यात

11376. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) नाफेड द्वारा अब तक कितने टन मूंगफली का तेल और कितने टन प्याज का किन-किन देशों को कब-कब निर्यात किया गया;

(ख) दिसम्बर, 1979 के अन्त तक कितने टन और मूंगफली का तेल और प्याज का निर्यात किया जायेगा;

(ग) नाफेड द्वारा निर्यात हेतु कितने कितने टन मूंगफली का तेल और प्याज किन-किन राज्यों के किन-किन जिलों से कब-कब और किस-किस मूल्य पर खरीदा गया;

(घ) नाफेड ने किसानों और सहकारी समितियों से किन कारणों से प्याज विलम्ब से खरीदा;

(ङ) जनवरी से ही नाफेड ने प्याज की खरीद शुरू क्यों नहीं की थी जबकि प्याज जनवरी के शुरू में ही बाजार में आने लगता है ; और

(च) क्या नाफेड आगामी 1980 की प्याज की फसल में जनवरी के आरम्भ से ही उसकी खरीद शुरू कर देगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1978-79 के दौरान एक लाख मे० टन प्याज का निर्यात मुख्यत: सिंगापुर, मलेशिया, श्री लंका, दुबाई, माहे-सेयचेल्स, मस्तक, दोहा, कतार, वेहरीन' कुबैत, मारिशस, साऊदी अरब, अदन, दमन, (जोर्डन), नेपाल, सोवियत संघ, मालदीव को किया गया था। 1978-79 में नेफेड द्वारा मूंगफली के तेल का कोई निर्यात नहीं हुआ।

(ख) ऐसी आशा है कि मई 79 से अक्तूबर 79 तक 85,000 मे० टन प्याज का निर्यात किया जायेगा। अप्रैल 79 से दिसम्बर 79 के दौरान 12,000 मे० टन मूंगफली का तेल निर्यात किया जाएगा।

(ग) 12,000 मे० टन मूंगफली के तेल का निर्यात नेफेड द्वारा 1977-78 में तैयार किए गए बफर स्टाक में से हैं। नेफेड ने नासिक क्षेत्र से 52,000 मे० टन प्याज, चकन से 20,000 मे० टन, सौराष्ट्र से 5,000 मे० टन तथा दक्षिण क्षेत्र से 7,000 मे० टन प्याज खरीदा। प्याज के सम्बन्ध में कीमत रेंज दक्षिण क्षेत्र में 45 रु० से 90 रु० तक, महाराष्ट्र में 45 रु० से 70 रु० तक, गुजरात में 35 रु० थी।

(घ) तथा (ङ) नेफेड ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत पहले अपना खरीद कार्य शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में नवम्बर-78 के मध्य में तथा गुजरात में अप्रैल 1979 के पहले सप्ताह में खरीद शुरू की गई थी।

(च) खरीद कार्य शुरू करना, फसल की मात्रा उसकी कीमत तथा निर्यात की जाने वाली मात्रा पर निर्भर होगा।

अनियमित निकायों द्वारा जमाराशि के रूप में धन लिया जाना

11377. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गुजरात चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, अहमदाबाद, आल इंडिया शर्राफ फेडरेशन, अहमदावाद और बम्बई शराफूस एसोसिऐशन, बम्बई ने उनकी और राज्य मन्त्री की क्रमशः 13 फरवरी, 7 मार्च और 19 मार्च, 1979 को 1978 के बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक संख्या 183-अनियमित निकायों द्वारा जमाराशि के रूप में धन लिये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में अभ्यावेदन भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनमें किस प्रकार की मांगें की गई हैं;

(ग) उनमें से कितनी मांगें अभी तक सरकार द्वारा मान ली गई हैं; और शेष कब तक मान ली जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) और (ख) जी हां। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को ये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें उठाये गये प्रश्नों में मुख्य यह है कि अनियमित निकायों द्वारा जमाएं स्वीकार करने पर पाबन्दी से देसी बैंकिंग

व्यवस्था और व्यापार तथा उद्योग के छोटे उत्पतकर्त्ताओं और कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि वस्तुओं की हाट व्यवस्था के लिए ऋण मिलने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) और (घ) सरकार ने उचित कार्यवाही के लिए इन प्रश्नों को नोट कर लिया है ।

कपास उत्पादकों को ऋण दिया जाना

11378. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कपास उत्पादकों को ऋण देने के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कोई अन्तिम निर्णय किया है और यदि हां, तो कब और कैसा ;

(ख) कपास उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा कितना ऋण और कितने मार्जिन पर दिया जाता है;

(ग) कपास की नई किस्मों लम्बी तार वाली और अन्य किस्मों का मार्जिन कैसा, कब और कितना कितना तय किया है;

(घ) कपास उत्पादकों को ऋणों पर ब्याज की दर पहले क्या थी और अब क्या है; और

(ङ) इन ऋणों को चुकाने की निर्धारित समय सीमा क्या है और क्या यह समय सीमा अब बढ़ा दी गई है और कितनी बढ़ाई गई है और किस प्रकार से ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कपास उत्पादकों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं । इसलिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कपास उत्पादकों को ऋण देने में ऋण की अधिकतम मात्रा मार्जिन, ब्याज की दर, भुगतान आदि की समय सीमा के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम निर्णय करने का प्रश्न नहीं उठता । कपास उत्पादकों को दिये गये ऋण का वर्गीकरण कृषि-ऋण के रूप में किया गया है और वाणिज्यिक बैंक कपास उत्पादकों का वित्त पोषण अपने कृषि ऋणों के एक अंग के रूप में करते हैं । आमतौर से कृषि ऋणों के मामले में उपलब्ध विभिन्न रियायतें कपास उत्पादकों को भी उपलब्ध होंगी ।

राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति में गतिरोध

11379. **श्री अन्नत राम जायसवाल** :

श्री गंगा भक्त सिंह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कई राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी कई वर्षों से अपने वेतनमानों के अधिकतम वेतन पर रुके हुए हैं और उन्हें भविष्य में कोई पदोन्नति प्राप्त होने की आशा नहीं है;

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन एक योजना है जिसके अन्तर्गत अपने वेतनमानों के अधिकतम वेतन पर पहुंचने पर कर्मचारियों को अगला वेतनमान सुनिश्चित होगा;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन कर्मचारियों की दक्षता में सुधार करने के लिए कोई प्रोत्साहन देने के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जो अपने वेतमानों के अधिकतम वेतन पर रुके हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का वर्तमान वेतन ढ़ाचां तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधारित है जो 1-1-1973 से प्रभावी हुआ । संशोधित वेतनमान में उनके वेतन का नियतन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित-वेतन) नियमावली, 1973 में यथा-समाविष्ट वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए फार्मूले के अनुसार किया गया था । यह संभव है कि कर्मचारियों की कुछ श्रेणीयां वेतन के नियतन की प्रक्रिया में तुरन्त ही अथवा एक अथवा दो वेतन वृद्धियां प्राप्त करने के पश्चात संशोधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गई हों ।

गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से तीसरे वेतन आयोग ने, कुछ मापदण्डों के पूरा करने की शर्त के अधीन रहते हुए, समूह ग' और 'घ' संवर्गों में सेलेक्शन ग्रेड लागू करने की सिफारिश की थी । इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा सभी मन्त्रालयों/विभागों को आवश्यक मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए है । सरकार ने, श्रेणी-1 की विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में सेलेक्शन ग्रेड को भी लागू करना सिद्धान्त रूप से मान लिया है इसमें कनिष्ट अथवा मध्वर्ती प्रशासनिक ग्रेड में 1500-2000 रुपए अथवा 1800-2000 रुपए के वेतनमान के पदों वाली संगठित इंजिनियरिंग सेवाएं भी शामिल हैं ।

"स्मगलर्स पैराडाइज" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

11380. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को कछार, आसाम से निकलने वाले अर्ध साप्ताहिक 'गति' के 6 अप्रैल 1979 के अंक में "स्मगलर्स पैराडाइज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है ; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ख) देश के उस भाग में तस्करी की रोकताम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) और (ख) : जी हाँ । उक्त समाचार में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत-बंगलादेश सीमा के आर-पार कछार क्षेत्र में वस्तुओं

की तस्करी किये जाने का उल्लेख है। परन्तु, सरकार को मिली रिपोर्टों से इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। उस क्षेत्र में तस्करी बाकायदा नियंत्रण में है। सीमा के आर-पार तस्करी की किसी भी कोशिश को विफल बनाने के लिये निवारक और गुप्त सूचना एककों को सतर्क रखा गया है।

सिंथेटिक फैब्रिक्स का आयात

11381. **श्री के०एस० बीरभद्रप्पा : वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) क्या यह सच है कि भारत में भी सिंथेटिक फैब्रिक्स का पर्याप्त उत्पादन होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिंथेटिक फैब्रिक्स का अब भी भारत में आयत किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) घरेलू उत्पादन और आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए मानव निर्मित रेशें/यार्नों से बने वस्त्रों को 1979-80 की आयात नीति में रोक लगी सूची में रखा गया है। तथापि, पंजीयित निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत उनके आयात की अनुमति संश्लिष्ट सिले सिलाए परिधानों के निर्यातों के आधार पर दी जाती है। आयात की अनुमति केवल निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से ही दी जाती है, अन्यथा नहीं।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण की राशि

11382. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) 1978-79 के दौरान जीवन बीमा निगम ने कितनी राशि के ऋण दिये ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और एकत्र होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मंगलौर हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार

11383. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमनान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मंगलौर हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) मंगलौर विमानक्षेत्र का वर्तमान-धावन-पथ उसकी भौगोलिक परिसीमाओं के कारण और विस्तार करने के लिये उपयुक्त नहीं है । एक दूसरे धावनपथ के, जो नियमित बोइंग-737 परिचालनों तथा बड़े विमानों के लिए और अधिक विकसित किये जाने के लिए उपयुक्त हो, निर्माण की संभावना पर विचार करने के लिए फिलहाल एक सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

मंगलौर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन में सुधार

11384. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने मंगलौर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन में सुधार करने के लिये कोई व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) **और** (ख) जी, हां । बोइंग-737 विमानों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार एवं सुधार करने का प्रस्ताव है ।

मैसर्स नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी और मैसर्स धरित्तरी ट्रेडिंग कम्पनी भद्रक (उड़ीसा) की ओर आयकर की बकाया राशि

11385. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी, चन्दन बाजार, भद्रक, उड़ीसा और मैसर्स धरित्तरी ट्रेडिंग कम्पनी, चन्दन बाजार, भद्रक की स्थापना कब हुई थी तथा उक्त फर्मों की स्थापना के समय इसके भागीदारों की संख्या कितनी थी तथा उनकी इस समय संख्या कितनी है तथा उनमें से प्रत्येक भागीदार ने उसकी स्थापना के समय कितनी पूंजी लगाई और उनका इस समय पूंजी निवेश कितना है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के लिए उपर्युक्त फर्मों के प्रत्येक भागीदार की और आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ; वह एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

मैसर्स शक्ति आयरन फाउंड्री हाबड़ा के नाम बकाया कर

11386. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) मैसर्स शक्ति आयरन फाउंड्री 77/ए, नेताजी सुभाष रोड अब्दुल रोड, पोदारा, हाबड़ा-3 की स्थापना किन तिथियों को हुई थी और इसके भागीदारों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन फर्मों के प्रत्येक भागीदार के नाम करों की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

परफैक्ट पैक लि० फरीदाबाद द्वारा उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की अदायगी तथा उनकी ओर आयकर की बकाया राशि

11387. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) परफैक्ट पैक लि०, 21 न्यू इण्डस्ट्रियल टाउनशिप, फरीदाबाद ने गत तीन वर्षों, में उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की कितनी-कितनी अदायगी की और उनकी ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस फर्म के चालू होने से अब तक इस फर्म ने वर्षवार कितनी पूंजी लगाई ; और इसके भागीदारों की संख्या क्या है तथा उन अन्य उद्योगों और ट्रैडों के नाम क्या है, जिनमें वे भागीदार हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगाई गई तथा उनकी ओर गत तीन वर्षों के लिए आयकर की कितनी राशि बकाया हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) मैसर्स परफैक्ट पैक प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद द्वारा गत तीन वर्षों में अदा किए गए उत्पादन शुल्क की रकमें निम्न-लिखित हैं :

	लाख रु० में
1976-77	8.08
1977-78	7.90
1978-79	13.16

आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं द्वारा अदा किए गए सीमा शुल्क का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अत. गत तीन वर्षों में अदा की गयी सीमा-शुल्क की रकम के सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। कम्पनी की ओर आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) मैसर्स परफैक्ट पैक प्राइवेट लिमिटेड एक कम्पनी है जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसके पंजीकरण की तारीख 7-2-1972 है। कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे कम्पनी में किए गए पूंजी-निवेश का पता चलता है, कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध कम्पनी के तुलन-पत्रों के अनुसार निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित तारीख को समाप्त

वर्ष का तुलन-पत्र	लाख रु० में
31-3-73	5
31-3-74	21
31-3-75 से 31-3-78 तक	41

स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०, नई दिल्ली द्वारा उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क का भुगतान और उनकी ओर आयकर की बकाया राशि

11388. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०, नेहरू हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ने गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क अदा किया और उनकी और आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) जब से यह फर्म चालू हुई है तब से इसने वर्षवार कितनी पूंजी लगाई है और इसके भागीदारों की संख्या कितनी है और उन अन्य उद्योगों और देशों के नाम क्या हैं जिनमें वे भागीदार हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगाई गई तथा उनकी ओर गत तीन वर्षों के लिए आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का कोई वर्षवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः गत तीन वर्षों में अदा की गयी सीमा शुल्क की रकम के सम्बन्ध में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किए गए केन्द्रीय उत्पान शुल्क की रकम तथा उसकी ओर आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

अलोक पेपर इन्डस्ट्रीज, इन्दौर द्वारा उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क का भुगतान और उन पर आयकर की बकाया राशि

11389. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) अलोक पेपर इण्डस्ट्रीज, एफ/7, इंडस्ट्रियल एस्टेट, पोलो ग्राउंड इन्दौर (मध्य प्रदेश) द्वारा गत तीन वर्ष के दौरान उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क (अलग-अलग) का कितना भुगतान किया गया और उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इस फर्म की स्थापना से अब तक वर्षवार इसमें कितनीं राशि लगाई गई, इसके कितने भागीदार हैं और वे अन्य किस-किस उद्योग एवं व्यवसायों में भागीदार हैं और उनमें कितनी पूंजी लगाई गई हैं और उन पर पिछले तीन वर्षों से सम्बन्धित आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। अतः गत तीन वर्षों में अदा किए गए सीमा शुल्क की राशि के सम्बन्ध में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम तथा आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक ऋण के और विस्तार पर अंकुश लगाना

11390. **पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे बैंक ऋण के और विस्तार पर अंकुश लगायें ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान वर्ष में धन की सप्लाई में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस वृद्धि से देश में मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां। 15 मार्च 1979 को मुख्य बैंकों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में व्यस्त मौसम की ऋण संबंधी नीति पर समीक्षा करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आग्रहपूर्वक यह कहा कि

वस्तु-भिन्न ऋण के और ज्यादा विस्तार पर बैंकों को बराबर अंकुश लगाए रखना चाहिए, क्योंकि पहले ही इसमें काफी ज्यादा विस्तार हो चुका है। यह भी कहा गया कि ऋण का विनियमन इस तरह किया जाना चाहिए कि उससे उन ऋण कर्त्ताओं को कर्ज दिए जाने की बजाए जिन्होंने पहले की बैंकों से काफी ज्यादा कर्ज ले लिया हो, केवल अत्यधिक आवश्यक जरूरतें ही पूरी की जा सकें।

(ख) 1978-79 (31 मार्च 1978 से 30 मार्च 1979 तक) के बीच मुद्रा उपलब्धि में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) यद्यपि 1978-79 (साप्ताहिक औसत) के बीच मूल्य स्तर में बहुत मामूली अर्थात 0.1 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि इसके मुकाबले 1977-78 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, फिर भी सरकार मूल्यों की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएगें।

कीनिया में ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

11391. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक कीनिया (अफ्रीका) क्षेत्र में ग्रामीण बैंक खोलेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो कब, कितने और किस लिये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जूल्फिकारूल्लाह) . (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम के पास जमा हुए भंडार का मूल्य

11392. **श्री वसंत साठे :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) राज्य व्यापार निगम से पास 31-3-79 को जमा भंडार का मद-वार मूल्य क्या था और प्रत्येक मामले में माल जमा हो जाने के क्या कारण हैं और कितनी धनराशि का घाटा हुआ है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों में इसी अवधि के इन से पहले दो बर्षों की तुलना में राज्य-व्यापार निगम के पास भण्डार जमा होने के मामले में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो मानक निदेशकों (स्टेण्डर्ड इण्डीकेटर्स) के अनुसार ब्यौरा क्या है और भंडार जमा होने के कारणों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और किये गये/किये जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) स्टाक जमा होने के कारणों के साथ-साथ जमा स्टाक के मदवार मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आंकड़े अनन्तिम हैं। यदि घाटा हुआ है तो उसकी मात्रा का पता वर्ष 1978-79 के लेखे को अन्तिम रूप देने के बाद ही चलेगा।

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम की बढ़ी हुई भूमिका के कारण, जिससे सरकार को नीतियों के अनुसरण में निगम पर नए सामाजिक दायित्व आ गए हैं, स्टाक में काफी वृद्धि हुई है।

विवरण

जमा होने के कारणों के साथ-साथ 31-3-79 को राज्य व्यापार निगम के पास जमा स्टाक का मूल्य दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	मद	31-3-79 को स्टाक	मूल्य करोड़ रु० में (अनन्तिम) (संचयन के कारण)
आयात			
1.	खाद्य तेल	47.00	कीमत स्तर को बनाए रखने के लिए 2 से 3 महीने के लिए स्टाक का प्रबंध अपेक्षित है।
2.	अखाद्य तेल	1.60	वास्तविक प्रयोक्ताओं को आबंटित स्टाक।
3.	अखबारी कागज	3.20	ये स्टाक लक्ष्य स्तर से कम है क्योंकि राज्य व्यापार निगम को अभी संशोधित बफर स्टाक तैयार करना है।
4.	वस्त्र संबंधी कच्चा माल	1.50	पुराना स्टाक निपटाया जा रहा है।
5.	रबड़	6.70	वास्तविक प्रयोक्ताओं को आवंटित किया गया लेकिन उनके द्वारा माल उठाया नहीं गया।
		60.00	

1	2	3	4
	निर्यात		
6.	चीनी	5.80	पारवहन स्टाक जहाज लदान की प्रतीक्षा में है।
7.	तम्बाकू, राज्य व्यापार निगम का खाता	3.10	राज्य व्यापार निगम के खाते में तथा उसकी जोखिम पर खरीदा गया।
	सरकार खाता	6.25	कीमत समर्थन कार्यक्रम के उपाय के रूप में सरकारी खाते में खरीद की गई।
		15.15	
	घरेलू		
8.	आयातित कार	0.50	सामान्य
9.	चावल	0.15	कार्गो तैयार करने के कार्यों के परिणाम-स्वरूप स्वीपिंग है।
10.	लाखदाना	0.20	कीमत समर्थन कार्यों के परिणामस्वरूप
		0.85	
	कुल योग :	76.00	

मकान बनाने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक के कर्मचारियों को ऋण

11393. **श्री बसन्त साठे** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक अपने स्टाफ को मकान बनाने के लिए ऋण देते हैं और इस प्रयोजनार्थ स्टाफ से किस दर पर ब्याज लिया जाता है और अन्य ग्राहकों से कितनी दर पर और यदि अलग अलग दरों वाला ब्याज लेकर कोई भेदभाव किया जाता है तो

उसका ब्यौरा क्या है, इस बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार जनता के किसी भी व्यक्ति की तरह अपने स्टाफ के बचत बैंक खाते स्वीकार करती है परन्तु अन्य ग्राहकों की अपेक्षा एक प्रतिशत ब्याज अधिक देती है और इस प्रकार ग्राहकों के बीच भेदभाव करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करने पर सोच रही है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) हालांकि सरकारी क्षेत्र के बैंक आम जनता को मकान बनाने के लिये ऋण नहीं देते हैं, परन्तु वे अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये रियायती ब्याज दर पर अथवा ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करते हैं। इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(ख) बैंक, आमतौर से, बैंक कर्मचारियों द्वारा जमा की गई राशियों पर 1 प्रतिशत अधिक ब्याज देते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार दी जा सकती हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पिल्ले समिति की रिपोर्ट से कार्यान्वयन से अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के वास्ते दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की एक समान दर लागू करने का प्रस्ताव है। जहां तक उनके कर्मचारियों द्वारा जमा की गई राशियों पर 1 प्रतिशत अधिक ब्याज की दर का प्रश्न है, यह बैंकिंग प्रणाली में सुपरिचित वाणिज्यिक प्रथा पर आधारित है तथा साथ ही कर्मचारियों के कल्याण का भी एक उपाय है।

तम्बाकू के निर्यात कार्य में संलग्न फर्में

11394. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** :

श्रीमती पार्वती देवी : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान ईराक, इटली, ब्रिटेन, जापान और अन्य देशों को तम्बाखू का निर्यात करने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक आयातकर्त्ता देश के लिए व्यक्तिगत सप्लायर सम्बन्धी वर्ष-वार विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : उन निर्यातकों के नाम, जिन्होंने वर्ष 1976 से 1978 के दौरान इराक, इटली तथा जापान को तम्बाकू निर्यात किया, संलग्न विवरण में दिए जाते हैं। प्रायः सभी निर्यातक ब्रिटेन को तम्बाकू निर्यात करते हैं। अलग अलग निर्यातकों के प्रत्येक देश को तम्बाकू के निर्यातों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तम्बाकू के निर्यात के लिए 1979 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के पास तम्बाकू के लगभग 125 निर्यातक पंजीयित हैं।

विवरण

उन तम्बाकू निर्यातकों के नाम जिन्होंने इटली को तम्बाकू निर्यात किया ।

1. बोमीडिला ब्रदर्स लि०, गुन्टुर ।
2. पोलिसेट्टी सोमासुन्दरम (प्रा०) लि०, गुन्टुर ।
3. डनकेन्स एग्रो इंडस्ट्रीज़ लि०, नेशनल लीफ टुबाको कम्पनी डिवीज़न, गुन्टुर ।
4. कन्क्षीमल्ला राघवैया एण्ड कम्पनी, चिल्कालुरीपेट ।
5. श्री लक्ष्मी टुबाको कम्पनी, गुन्टुर ।
6. श्री वेंकटेश्वरा लीफ टोबाको सप्लायर्स अंगोल ।
7. श्री जयलक्ष्मी टोबाको कं० (प्रा०) लि०, गुन्टुर ।
8. चेगु कृष्णामूर्ति एण्ड कं०, गुन्टुर ।
9. मद्दी लक्ष्मैया एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०, चिलकुरीपेट ।
10. नव भारत टोबाको कं० थ्रोवागुन्टा ।
11. गुन्टुर डिस्ट्रिक्ट टोबाको ग्रोअर्स एण्ड क्योरर्स कोआपरेटिव मार्किटिंग सोसाइटी लि०, अंगोल ।
12. विजय सरद्धी टोबाको कं० टंगुटुर ।
13. जय एन्टरप्राइसेस, गुन्टुर ।
14. एम० एम० कृष्णनैया मद्दीपड्डु ।
15. साउथ इंडिया लीफ टोबाको कम्पनी, मद्दीपड्डु ।
16. मांडवा वैंक्टारायडु कं० मद्दीपड्डु ।
17. गोल्डन लीफ टोबाको कम्पनी टंगुटुर ।
18. आई० टी० सी० लि०, आई० एल० टी० डी० डिवीज़न, गुन्टुर ।
19. श्री अन्जानिया टोबाको कम्पनी, अंगोल ।
20. के० थिरूपथीरायडु एण्ड चगन्ती कोनेवा टोबाको कं० (प्रा०) लि०, गुन्टुर ।
21. ईस्ट इंडिया टोबाको कं० लि० गुन्टुर ।
22. मिट्टापल्ली आदिनारायणा एण्ड कं०, गुन्टुर ।
23. एग्रिमकोर (प्रा०) लि०, गुन्टुर ।
24. गुडुरी कोटैया एण्ड कं०, टंगुटुर ।
25. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, गुन्टुर ।

उन तम्बाकू निर्यातकों के नाम जिन्होंने जापान को तम्बाकू निर्यात किया ।

1. आई० टी० सी० लि०, आई० एल० टी० डी० डिवीज़न, गुन्टुर ।
2. पोलिसेट्टी सोमासुन्दरम (प्रा०) लि०, गुन्टुर ।
3. ईस्ट इंडिया टोबाको कम्पनी लि०, गुन्टुर ।
4. साईलमैन खान एण्ड महबूब खान टोबाको लि०, गुन्टुर ।
5. मद्दी वेंकटरतनम एण्ड कम्पनी लि०, चिलकालुरीपेट ।
6. गोल्डन टोबाको कम्पनी, लि०, गुन्टुर ।
7. डनकन्स एग्रो इंडस्ट्रीज़ लि०, एन० एल० टी० सी० डिवीज़न, गुन्टुर ।

उन तम्बाकू निर्यातकों के नाम जिन्होंने इराक को तम्बाकू निर्यात किया

1. साइलमैन खान एण्ड महबूब खान टोबाको लि०, गुन्टुर ।
2. आई० टी० सी० लि०, आई० एल० टी० डी० डिवीजन, गुन्टुर ।
3. श्री लक्ष्मी टोबाको कम्पनी, गुन्टुर ।
4. श्री जयलक्ष्मी टोबाको कम्पनी (प्रा०) लि० गुन्टुर ।
5. बोमीडाला ब्रदर्स लि०, गुन्टुर ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निविदाओं के माध्यम से डी० ए० पी० का आयात

11395. **श्री एम० ए० हनान अहलाज :**

श्रीमती पार्वती देवी : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने डी० ए० पी० के आयात के लिए निविदायें मांगी थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निविदायें निविदा-दाताओं के सामने नहीं खोली गयीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि खरीद सप्लाई स्रोत पर ध्यान दिये बिना ही एक ऐसी फर्म से की गई जिसने (सी० एण्ड० एफ० आधार पर) निविदा ही नहीं दी ; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य विवरण क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अगस्त 77, मार्च 78 और अगस्त 78 में तीन निविदा पूछताछों के आधार पर डी० ए० पी० के आयात किए ।

(ख) ऐसी सभी निविदा खरीदों से संबंधित पद्धति के अनुसार निविधाएं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में खोली गई और न की निविदा-दाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में।

(ग) तथा (घ) तीनों अवसरों पर जिन पार्टियों ने निविदा भरी थी उनको प्रतियोगी कीमतों के आधार पर आर्डर दिए गए। इसके अलावा, अलग से इन अवसरों पर वे प्रतियोगी कीमतें भी तय की गई जिन कीमतों पर डी० ए० पी० के लिए दीर्घावधि सप्लाई संविदा के अन्तर्गत माल प्राप्त करना था। इस प्रकार इस प्रक्रिया से यह सुनिश्ति हो गया कि मौके पर तथा दीर्घावधि आधार पर खरीद करने के लिए कीमतें प्रतियोगी हों।

तम्बाकू की खरीद के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा विलम्ब से कार्यवाही करना

11396. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरकार ने इस वर्ष 15,000 मीट्रिक टन तम्बाकू खरीदने का निर्णय किया था, परन्तु राज्य व्यापार निगम ठीक समय पर कार्यवाही करने में असफल रहा, जिससे एकाधिकारियों और निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों को उत्पादकों का शोषण करने का अवसर मिल गया ; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा विलम्ब से कार्यवाही करने के कारणों के बारे में सरकार जांच करेगी और उतरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम को फरवरी 1979 के तीसरे सप्ताह में 1979 की फसल में से आंध्र प्रदेश से सरकारी खाते में 10,000 मे० टन० वी० एफ० सी० तम्बाकू खरीदने का निदेश दिया। आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू का विपणन फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हुआ। राज्य व्यापार निगम ने सरकारी खाते में वी० एफ० सी० तम्बाकू की खरीद फरवरी के अन्त/मार्च के आरम्भ में शुरू की। सरकारी खाते में 10,000 मे० टन की खरीद के अलावा 1979 की फसल में से राज्य व्यापार निगम लगभग 5000 मे० टन की वाणिज्यिक खरीद कर रहा है।

ग्वालियर को बी-2 नगर घोषित करना

11397. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि जालंधर और भोपाल नगरों के नगर क्षेत्रों में आसपास के गांवों को शामिल करके सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा नगर सीमाओं में वृद्धि किये जाने के पश्चात् क्रमशः पंजाब और मध्य प्रदेश में उक्त दो नगरों को बी-2 नगर घोषित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि असाधारण राजपत्र संख्या 104 दिनांक 12 मार्च, 1979 के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने नगर क्षेत्र में आस-पास के लगभग 75 गावों को शामिल करके ग्वालियर नगर के नगर क्षेत्र में वृद्धि की है और बी-2 नगर के लिए उसका दर्जा बढ़ा दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में ग्वालियर को बी-2 नगर घोषित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) भोपाल के नगर पालिका क्षेत्र में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप इसे बी-2 श्रेणी के नगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1971 की जनगणना के अनुसार इस नगर के पहले के नगर पालिका क्षेत्र में नये क्षेत्रों की जनसंख्या को मिलाये जाने की वजह से यह नगर बी-2 श्रेणी का पात्र हुआ है। ज़ालंधर अभी 'सी' श्रेणी का ही नगर है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार से ग्वालियर के नगर पालिका क्षेत्र में वृद्धि करने संबंधी अधिसूचना के प्राप्त होने पर, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि वे 1971 की जनगणना के अनुसार ग्वालियर नगर निगम में मिलाए गए नए क्षेत्रों की जनसंख्या बताएं। उनसे उत्तर प्राप्त होने पर, इस नगर का दर्जा बी-2 श्रेणी के रूप में बढ़ाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्यटन के केन्द्रों के लिए स्थानों का चयन

11398. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) मध्य प्रदेश में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्यटन केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य में चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन स्थानों का चयन सरकार के परामर्श से किया गया था ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि जो स्थान चुने गये हैं वे राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये स्थान नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने जिन स्थानों का सुझाव दिया था उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ चुने केन्द्रों पर पर्यटक ग्रामों को विकसित करने की योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटक ग्रामों को विकसित करने के लिए मॉडल-प्लान तैयार कर रहा है। इन ग्रामों में आर्थिक दृष्टि से सभी तरह के पर्यटकों के अनुकूल विभिन्न श्रेणियों का आवास उपलब्ध होगा। अन्य सुविधाओं में एक केफ़टेरिया, विश्राम गृहों, पेट्रोल पम्प, एक सर्विस स्टेशन, प्रादेशिक दस्तकारी के विक्रय हेतु दुकानों और सम्भवतः सांस्कृतिक

मनोरंजन के लिए एक मैदान की व्यवस्था होगी। जैसे ही योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप प्रदान किया जायेगा, तभी मध्य प्रदेश में अवस्थापित किए जाने वाले पर्यटक ग्रामों के बारे में राज्य सरकार से परामर्श करते हुए निर्णय लिया जायेगा।

पुनरीक्षित सेवा-निवृति लाभों के बारे में निर्णय का पुनरीक्षण

11399. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दो वर्ष के जनता शासन में गत 18 महीनों में सेवा-निवृत हुए लोगों को ही लाभ देने के लिए ही पुनरीक्षित सेवा निवृति लाभ, जिसमें मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाना भी शामिल है, 30 सितम्बर, 1977 से लागू करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस निर्णय को पुनरीक्षित करने के बारे में विचार कर रही है ताकि उन सभी लोगों को यह लाभ मिल सके, जो मार्च, 1977 को जनता सरकार के आने के दिन या उसके बाद सेवा निवृत हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श दातातंत्र) के कर्मचारी पक्ष ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की मंजूरी और 1-9-74 से मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के सम्बन्ध में कुछ माँगे की थीं। चूंकि सरकार इन मांगों को स्वीकार करने में असमर्थ थी, इसलिए ये अगले संयुक्त परामर्शदाता तंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता की योजना के अनुसार मध्यस्थता बोर्ड को भेज दिए गए थे। हालांकि यह मामला मध्यस्थता बोर्ड को भेजा गया था, फिर भी इन मामलों को अध्यस्थता बोर्ड से बाहर निपटाने के लिए कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत की गई। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय प्रभाव और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मंहगाई भत्ते और पेंशन योजनाओं में कुछ सुधार करके एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में जिसे कर्मचारी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया 30-9-1977 से औसत सूचकांक स्तर 272 पर मंहगाई भत्ता वेतन में मिलाया जाना शामिल था।

(ख) जी, नहीं।

नाथद्वारा मन्दिर के मुख्य पुजारी के पुत्र के विवाह पर खर्च की गई राशि

11400. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री शंकर सिंह जी वाघेला :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

डा० विजय मंडल : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) क्या सरकार ने 3 मार्च 1979 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार को देखा है जिसमें यह कहा गया है कि नाथ द्वारा मन्दिर के मुख्य पुजारी के पुत्र के विवाह के अवसर पर दो करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 25,000 उपासकों ने उस समारोह को देखा और उसमें भाग लिया ; और

(ग) क्या इस समारोह पर हुए व्यय के बारे में जांच की गयी है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर प्रधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ से पता चला है कि विवाह-समारोह को देखने के लिये लगभग 10,000 भक्त नगर में उपस्थित थे। तथापि, आगे यह भी बताया गया है कि समारोह में वस्तुतः शामिल हुए व्यक्तियों की संख्या 1,000 आंकी गई है।

(ग) प्रारम्भिक पूछताछ से पता चला है कि इस विवाह समारोह पर, आभूषणों और वस्त्रों के मूल्य के अलावा, अनुमानतः 10 लाख रु० खर्च हुए होंगे।
आयकर आयुक्त ने बताया है कि यह विवाह मार्च 1979 में ही हुआ है, इसलिये इस पर किये गये खर्च पर, कर निर्धारण वर्ष 1980-81 के संबंध में की जाने वाली कर-निर्धारण कार्यवाही करते समय विचार किया जायेगा। तथापि, आयकर आयुक्त ने खर्च की मात्रा और उसके स्रोतों का पता लगाने के लिये इस स्तर पर ही आवश्यक पूछताछ करने के निमित्त आयकर अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी हैं।

वे औद्योगिक घराने/व्यापारी/भूतपूर्व शासक जिन पर आपातकाल में छापे मारे गये थे

11401. **श्री वसन्त साठे** : क्या **उप प्रधान मंत्री वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि जिन औद्यिगिक घरानों/व्यापारियों तथा भूतपूर्व शासकों पर आपातकाल के दौरान काले धन/ लेखा वाह्य सम्पत्ति और कर अहवंचन की ऐसी ही अनियमितताओं का पता लगाने के लिये छापे मारे गये हैं, उन्होंने गत दो वर्षों में या तो अपने आप को विल्कुल बचा लिया या वे मामूली सा जुर्माना देकर छूट गये हैं ; और

(ख) आपातकाल के दौरान ऐसे 25 बड़े मामलों का ब्वौरा क्या है और उनकी नवीनतम स्थिति क्या है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जुल्फिकारूल्लाह) (क) आपात स्थिति में जिन बड़े औद्योगिक घरानों/व्यापारियों तथा भूतपूर्व शासकों के मामलों में छापे मारे गये उनमें तलाशियों के दौरान पकड़ी गई सामग्री के वारे में, प्रत्येक मामले में, संगत कर-निर्धारणों को अंतिम रूप

देते समय, विधिवत् हिसाब में लिया जाता है। इस संबंध में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधार पर, कानून के मुताविक आवश्य कायंवाही की जाती है।

(ख) आयात स्थिति के दौरान ली गयी तलाशियों में जिन 25 मामलों में अधिकतम मूल्यवान परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं उनकी सूची संलग्न है। उनकी नवीनतम स्थिति का पता लगाने में काफी समय श्रम लगेगा। यदि माननीय संसद सदस्य किसी मामले विशेष के वारे में सूचना चाहते हों तो वह प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विवरण

आपात स्थिति के दौरान तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही में जिन चोटी के 25 मामलों में अधिकतम मूल्यवान परिसम्पतियां पकड़ी गयी थीं, उनकी सूची।

क्र० सं०	नाम
1.	श्री शंकर अग्रवाल, हैदराबाद
2.	मेससं अमेरिकन स्प्रिंग एण्ड प्रेसिंग वर्क्स (प्रा०) लि०, बम्बई
3.	कुलदीप सिंह स्वानी, बम्बई
4.	मेसर्स त्रिभुवनदास भीमजी झवेरी, बम्बई
5.	श्री एम० आर० शिवदासानी, बम्वई
6.	श्री शशि कान्त पी० शाह, बम्बई
7.	श्रीमती षासी पालनजी मिस्त्री, बम्बई
8.	श्री माधवराव सिंधिया स्वर्गीय श्री जे० एम० सिंधिया का हिन्दू अविभक्त परिवार श्रीमती विजय राजे सिंधिया (ग्वालियर की भूतपूर्व शासक) बम्बई
9.	मेसर्स मोहन लाल रायचन्द, बम्बई
10.	श्रीमती लुइसा भारिया रेगो, बंगलौर
11.	श्री सीताराम जुयपुरिया, कानपुर
12.	मेसर्स बिठोबा साओ एम० भादूसाओ, नागपुर
13.	स्वर्गीय कारुमुत्तु त्यागराज चेट्टियार, मद्रास
14.	श्री ए० आर० रामस्वामी चेट्टियार, प्रबन्ध-निदेशक, श्री विसालम चिट फण्ड मद्रास
15.	तमिलनाडु फार्मर्स सर्विस को-आप० फैडरेशन लिमिटेड, मद्रास
16.	श्री पूकरमल गुरुदयाल, कलकत्ता

17. श्री राधेश्याम प्रसाद वाजोरिया, कलकत्ता
18. श्री रामेश्वर प्रसाद वाजोरिया, कलकत्ता
19. श्री हीरालाल पस्सारी, कलकत्ता
20. श्री शिवकुमार अग्रवाल, कलकत्ता
21. श्रीमती भगवती अग्रवाल, कलकत्ता
22. श्री राम प्रसाद मिश्र, कलकत्ता
23. गोस्वामी वेराज रायजी रणछोड़ रायजी, अहमदाबाद
24. श्रीमती मंजु देवी वागारिया, कलकत्ता
25. डा० जगत सिंह दोसंझ, जालन्धर

आन्तरिक उड़ानों के लिये कनाडा से नये विमान खरीदे जाना

11402. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स की आन्तरिक उड़ानों के लिये कनाडा और अन्य देशों से नये विमान खरीदने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि प्रस्तावित नये विमानों की कोई परीक्षण-उड़ान भारत में की जा रही है और यदि हां, तो कहां, कब और कैसे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स फ्रांस तथा यू० एस० ए० से विमान लेकर अपने विमान-बेड़े में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। एयरबस इंडस्ट्री, फ्रांस, द्वारा निर्मित एक एयरबस विमान की डिलीवरी अक्तूबर, 1979 में होनी है। कारपोरेशन द्वारा 1980 तथा 1981 के दौरान दो अतिरिक्त एयरबस विमानों तथा छः बोइंग-737 विमानों की खरीद के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है।

दिसम्बर, 1978 में एक दुर्घटना में नष्ट हुए बोइंग-737 विमान के बदले में एक दूसरे विमान के 1980 के मध्य में प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ग) एयरबस तथा बोइंग-737 विमानों की ऐसी कोई निरीक्षण उड़ाने करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिये नकद प्रतिपूर्ति समर्थन

11403. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** इंजीनियरी वस्तुओं के लिये नकद प्रतिपूर्ति समर्थन के बारे में 16 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3429 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक, प्रति वर्ष, इंजीनियरी वस्तुओं के लिये कुल कितनी राशि नकद प्रति-पूर्ति समर्थन के रूप में दी गई ;

(ख) वर्ष 1979-80 के लिये कितनी राशि रखी गई है ;

(ग) क्या इस बारे में अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1970-71 से 1978-79 के दौरान इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात पर दी गई नकद मुआवजा सहायता की वर्ष-वार राशि निम्नोक्त प्रकार है :—

		करोड़ रु०
1970-71	—	16.53
1971-72	—	18.16
1972-73	—	22.63
1973-74	—	24.11
1974-75	—	31.63
1975-76	—	58.15
1976-77	—	70.33
1977-78	—	102.19
+1978-79	—	97.23

+वर्ष 1978-79 के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(ख) अलग अलग उत्पाद समूह के लिए नकद मुआवजा सहायता देने के लिए कोई राशि अलग से नहीं रखी जाती । सभी उत्पाद समूहों को नकद मुआवजा सहायता देने के लिए धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है और उसी आधार पर बजट में व्यवस्था की जाती है ।

(ग) तथा (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मन्त्रालय के अधीन नियुक्त किये गये कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन

11404. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :**

श्री अमर राय प्रधान क्या **वाणिज्य, पूर्ति नागरिक तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के अधीन नियुक्त किये गये कई कार्यकारी दलों ने निर्यात और आयात की समस्याओं तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये है ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यकारी दलों द्वारा विभिन्न विषयों पर दी गई महत्वपूर्ण सिफारशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा की जानी है ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) निर्यातों के लिए कार्यप्रधान कार्यक्रम तैयार करने के प्रयोजन के लिए वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय ने कई कार्यदल स्थापित किये हैं। निम्नोक्त कार्यदलों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है :—

1. रत्न तथा आभूषण संबंधी कार्यदल।
2. इलैक्ट्रौनिक्स संबंधी कार्यदल
3. कृष्य निर्यातों संबंधी कार्यदल।
4. चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुओं संबंधी कार्यदल।
5. लकड़ी का फर्नीचर संबंधी कार्यदल।
6. निर्यात सेवाओं संबंधी कार्यदल।
7. लघु उद्योग संबंधी कार्यदल।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक अधिकार प्राप्त अंतः मंत्रालय समिति गठित की गई है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4541/79)

अफीम की फसल

11405. **चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका ध्यान 5 अप्रैल, 1979 के इण्डियन एक्सप्रैस के कालमों में "कैशिंग इन आन बम्पर हारवेस्ट" शीर्षक से छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अफीम की अधिक खपत का पंजाब में मालवा और माझा तथा हरियाणा में सिरसा और हिसार तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर भी लोगों की क्षमता पर इस हद तक प्रभाव पड़ा है कि सेनाओं में उनकी भर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) लोगों को उससे छुटकारा दिलाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों में यह पता नहीं चलता कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अफीम की खपत ज्यादा है अथवा यह कि इसका सशस्त्र सेनाओं में भर्ती पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

व्यसनी व्यक्तियों द्वारा अफीम के भक्षण पर राज्य सरकारों का कड़ा नियंत्रण है । देश में पंजीकृत व्यसनी व्यक्तियों की बर्ष 1956 में कुल संख्या 2,09,506 से उत्तरोत्तर घट कर वर्ष 1977 में 55,003 रह गई है।

घड़ियों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस

11406. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पार्टियों द्वारा "एस० की० डी०" और "सी० के० डी०" स्थितियों में जिनकी पुर्जों को मिलाकर जोड़ने की दुकानें नहीं हैं, घड़ियों का आयात करने के लिये वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान जारी किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इससे राजकोट, मोरवी और पोरबन्दर में घड़ी बनाने वाले बहुत से छोटे एकक बन्द हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) आयात लाइसेंस केवल उन पार्टियों को ही दिए गए हैं जिनके पास पुर्जे जोड़ने की सुविधाएं हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अफीम की प्रचुर फसल के बारे में समाचार

11407. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका ध्यान 5 अप्रैल, 1979 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि इस वर्ष अफीम की प्रचुर फसल होगी और तस्कर खुले आम अफीम को पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लाने में व्यस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि गत वर्ष अर्थात् 1977-78 में उत्पादित 1610 मी० टन अफीम के मुकाबले चालू वर्ष 1978-79 में यह उत्पादन लगभग 1300 मी० टन होने का अनुमान है। विद्यमान विनियमों के अनुसार, काश्तकारों को अफीम की अपनी सारी उपज नारकोटिक्स विभाग को सौंप देनी होती है। अफीम की काश्त, इसे लाने ले जाने, इसके परिवहन और कब्जे पर, पूरा और कड़ा नियंत्रण रखा जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसे अवैध माध्यमों में नहीं ले जाया जाता।

बीमाशुदा व्यक्तियों को जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई सुविधाएं

11408. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम द्वारा उन लोगों को क्या-क्या विशिष्ट सुविधाएं दी गई हैं जिन्होंने अपना बीमा कराया हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : संभवतः माननीय सदस्य पालिसीहोल्डरों को जीवन बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में प्रदान की जाने वाली सेवा और उन्हें दी जाने वाली ऋण सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। पालिसीहोल्डरों को उपलब्ध सुविधाओं में ये शामिल है :—

(1) पालिसी का जब्त न किया जाना :

यदि किसी पालिसीहोल्डर ने तीन वर्ष तक प्रीमियम अदा किया हो और संयोग वश और आगे प्रीमियम अदा न कर सकता हो तो वह चुकता राशि का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

(2) गारंटीशुदा समर्पण मूल्य :

यदि पालिसीहोल्डर ने तीन वर्ष तक प्रीमियम अदा किया है और वह आगे प्रीमियम अदा नहीं कर सकता तो यह पालिसी का समर्पण मूल्य प्राप्त करने का हकदार है।

(3) रियायती दिन :

जीवन बीमा निगम, देय तारीख को अदा न किए गए प्रीमियमों की राशि रियायती दिनों के अन्दर-अन्दर बिना कोई ब्याज लिए स्वीकार कर लेता है।

(4) चालू न रही पालिसी का फिर से जारी किया जाना :

यदि पालिसीहोल्डर किसी पालिसी का प्रीमियम अदा करना बन्द कर देता है और प्रीमियम अदा न किए जाने के कारण पालिसी व्यपगत हो जाती है तो वह प्रीमियम की ब्याज सहित बकाया रकम अदा करके और लगातार अच्छे स्वास्थ्य का संतोषजनक साक्ष्य पेश करके पालिसी को फिर से चालू करवा सकता है।

(5) **प्रीमियम की अद्यतन अदायगी न किए जाने पर भी पूरी बीमाकृत राशि की अदायगी :**

(क) यदि पालिसीहोल्डरों ने कम से कम 3 वर्ष तक प्रीमियम की रकम अदा की हो और यदि अदा न किए गए देय पहले प्रीमियम की अदायगी की तारीख से छः महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाए तो अदा न किए गए प्रीमियम की रकम काट कर दावे की पूरी रकम अदा की जाती है।

(ख) यदि प्रीमियम की रकम पांच वर्ष तक अदा की गई हो और अदा न किए गए देय पहले प्रीमियम की अदायगी की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पालिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाए, उसे अदा न किए गए प्रीमियमों की रकम काटकर दावे की पूरी रकम अदा कर दी जाती है।

(6) **अन्य सुविधायें :**

(1) यदि कोई पालिसीहोल्डर बाढ़, सूखा जैसी दैवी विपत्ति से ग्रस्त हो जाए और रियायती दिनों के अन्दर भी प्रीमियम अदा नहीं कर सके तो वह रियायती दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी विलम्ब शुल्क अथवा ब्याज अथवा लगातार अच्छे स्वास्थ्य का साक्ष्य पेश किए बिना ही, प्रीमियम अदा कर सकता है। बिपत्ति की अवधि में पालिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाने की सूरत में उसके उत्तराधिकारियों को अदा न किए गए प्रीमियम की रकम काट कर दावे की पूरी रकम दे दी जाती है।

(2) जीवन बीमा निगम ने प्रीमियमों की राशि वसूल करने के लिए विभिन्न बैंकों और डाकघरों के साथ प्रबन्ध किया हुआ है।

(7) **ऋण :**

कोई भी पालिसीहोल्डर जिसने कम से कम तीन वर्ष तक प्रीमियम अदा किया हो, पालिसी की जमानत पर ऋण लेने का हकदार है। जीवन बीमा निगम पालिसी-होल्डरों को उनकी पालिसियों की जमानत पर "अपने घर के मालिक आप बनिए" योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए ऋण देता है।

बैंक तथा संस्थाओं द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले

11409. **श्री कंवरलाल गुप्त : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बैंकों तथा संस्थाओं में नियुक्त उन अधिकारियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों में गबन तथा धोखाधड़ी के मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए हैं ;

(ख) प्रत्येक मामला किस तारीख को भेजा गया ;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रत्येक मामले में क्या रिपोर्ट दी गई थी और सरकार ने क्या कार्यवाही की ;

(घ) प्रत्येक मामले में कितना धन अन्तर्ग्रस्त था ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्ला) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचना दी है कि 1 अप्रैल, 1977 से 30 मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान उसने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों के विरुद्ध 56 मामले दर्ज किए हैं। इन 56 मामलों में से 47 मामले सम्बद्ध बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कहने पर दर्ज किए गए हैं। इन कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्यत: ये थे : गबन, खयानल, ऋणों और अग्रिमों की अनियमितता और/अथवा अनधिकृत मंजूरी, अनुपात से अधिक परिसम्पित्तियां होना, षड्यंत्र, ठग्गी, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत के गलत दावे, जालसाजी, पार्टियों के प्रति अनुचित पक्षपात, लेखों की वहियां/अभिलेखों की जालसाजी और हेराफेरी धन को जालसाजी के साथ निकालना, रिश्वत मांगना और स्वीकार करना, कल्पित ऋणकर्ताओं को ऋण की मंजूरी, स्वीकृत ऋणों पर कमीशन प्राप्त करना आदि। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर 56 मामलों में से 8 के बारे में अनुबन्ध में दिखाई गई कार्रवाई की जा चुकी है। जांच के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामले को खत्म कर दिया और 47 मामले जांच/विभागीय कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं और यदि इन मामलों के ब्यौरे पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए तो जाँच/विभागीय कार्रवाई पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

(ङ) जालसाजियों और भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में सभी बैंकों की अपनी निर्देश पुस्तकें हैं जिनमें से इस विषयक आवश्यक सावधानियों और संरक्षणों का ब्यौरा दिया गया है। इसकी बराबर समीक्षा की जाती है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सतर्कता कक्ष स्थापित किये हैं और मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए हैं। सतर्कता के मामलों की जांच करने के इलावा इन सतर्कता कक्षों से यह भी अपेक्षित है कि ये धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि, रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करें। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार भी समय-समय पर अलग-अलग बैंकों को हिदायतें देते रहते हैं। ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकना सुनिश्चित हो सके।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	विवरण: आरोपों का स्वरूप और अंतर्ग्रस्त राशि	विवरण: की गई कार्रवाई
1. और 2.	श्री एल० डी० कंचन, भूतपूर्व प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, बम्बई	ऋणों की अनियमित मंजूरी/अंतर्ग्रस्त राशि 67,800 रुपये है। रिश्वत मांगी।	मुकदमा दायर दम दिया गया है। तदैव
3.	श्री एम० एम० खान, मुख्य खंजांची, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, औरंगाबाद		
4.	श्री आर० जे० मिश्र, गोडाउन कीपर, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता	15.000 रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।	तदैव
5.	श्री वी० सी० प्रयाल, एजेंट, बैंक आफ इण्डिया, खरकेला	400 रु० की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।	तदैव
6.	श्री राकेश निगम, टेलर अफसर और श्री जे० पी० मल्होत्रा, क्लर्क, यूनियन बैंक आफ इन्डिया, खारी बावली शाखा, दिल्ली	जालसाजी से पैसा निकालना/अन्तर्ग्रस्त राशि 1,57,800 है।	तदैव
7.	श्री वी० सी० बोरा, प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, शिल शाखा	2,000 रु० अनियमित रूप से निकालना।	न्यायालय द्वारा 26 जून, 1978 को दण्डित
8.	श्री वी० के० सरकार, आफिसर ग्रेड-I, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता	ऋण के एक आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए एक पार्टी से पैसा मांगा और अग्रिम याला भुत्ते का झूठा दावा किया।	बैंक द्वारा भर्त्सना की गई।

यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा की गई धोखाधड़ी

11410. **श्री भारत भूषण** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या 9 जुलाई, 1977 के "ब्लिट्ज" में छपे इस आशय के समाचार के आधार पर कोई जांच की गई है कि यूनियन बैंक आफ इंडिया ने लगभग 40 व्यापारियों को ऋण देने के मामले में 15 से 20 करोड़ रुपये तक की धोखाधड़ी की थी ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) **और** (ख) सरकार ने 9 जुलाई 1977 के साप्ताहिक ब्लिट्ज में "बैंक एड वासेज टु प्लीज काकस-यूनियन बैंक, टेन करोड़ डाउन ड्रेन" शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार देखा था। बैंक का ध्यान इस समाचार की ओर,आकर्षित किया गया था और बैंक ने जहां आवश्यक हुंआ उचित अनुवर्ती कार्रवाई की हैं।

पर्यटन विभाग और भारतीय पर्यटन विकास निगम के विदेशों में विभिन्न कार्यों के लिए भेजे गए अधिकारी

11411. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पर्यटन विभाग और भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारी विभिन्न कार्यों के लिए विदेशों में भेजे गये थे और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में राजनीतिक प्रभाव वाले कुछ अधिकारियों को ही बार-बार विदेशों में भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने अधिकारी विदेश भेजे गए और प्रत्येक अधिकारी का कितनी बार चयन किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए समय-समय पर विदेशों में विभिन्न प्रकार के नियत कार्यों पर प्रतिनियुक्त किया जाता है ताकि वे देश के हित और संवर्धनात्मक एवं मार्केटिंग गतिविधियों संबंधी कार्य करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय बचनबद्धताओं का निर्वाह कर सकें। नामांकन कार्यों सम्बन्धीं आवश्यकताओं पर आधारित होते है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सी० पी० सी० (एस० टी० सी० की सहायक) के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

11412. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सी० पी० सी० (एस० टी० सी० की सहायक) में कितने मामलों में जांच की ;

(ख) टैट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और बाइथोंमाइसिन की खरीदारियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) दो ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह पाया कि सी० पी० सी० और आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने एक फर्म को निर्धारित नीति का उल्लंघन करके टैट्रासाइक्लीन, हाइड्रोक्लोराइड आदि के लिए आयात लाइसेंस देने की व्यवस्था की थी ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री कांति देसाई द्वारा किया गया व्यवसाय

11413. **श्री वसंत साठे** :

श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के पुत्र श्री कान्ति देसाई द्वारा चलाये गये किसी व्यवसाय को बन्द किया गया था और क्या उसके बाद उसी व्यवसाय को उसी नाम से उनके पुत्रों द्वारा चलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो श्री कांति देसाई द्वारा यह व्यवसाय किस नाम से चलाया गया था, व्यवसाय का स्वरूप क्या था, व्यवसाय किस वर्ष बन्द किया गया, व्यवसाय को नियंत्रण में लेने वाले पुत्रों के नाम क्या हैं ; श्री कांति देसाई द्वारा व्यवसाय से अपने संबन्ध तोड़ दिये जाने के बाद चलाए गए व्यवसाय से प्राप्त लाभ में उनका शेयर कितना है ; और

(ग) व्यवसाय को नियंत्रण में लेते समय पुत्रों की आयु क्या थी और क्या उक्त अन्तरण पर कोई कर दिया गया था और यदि हां तो कितना ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) श्री कांति देसाई ने 31 मार्च 1965 तक मेसर्स पी० एम० ट्रेडर्स के नाम से कारोबार किया। पता चला है कि यह कारोबार उनके पुत्रों अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने नही संभाला। तथापि, उसी नाम से अर्थात मेसर्स पी० एम० ट्रेडर्स के नाम से जिसमें भारत के० देसाई, मास्टर जगदीप के० देसाई तथा अन्य भागीदारों के रूप में शामिल थे, एक नया कारोबार 1 जनवरी 1974 से अस्तित्व में आया।

यह बताया गया है कि इस कारोबार का श्री कांति देसाई द्वारा 9 वर्ष पहले बन्द किए गए मेसर्स पी०एम० ट्रेडर्स के कारोबार से कोई संबंध नहीं था।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत में काजू उद्योग का सुचारु ढंग से चलाना

11414. **श्री अहसाब जाफरी** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि 1970 में सरणीकरण से पूर्व काजू उद्योग वर्ष में 300 दिन तक चलते थे और सरणीकरण के पश्चात् अब उद्योग वर्ष में केवल 80 दिन तक चलते हैं। यदि हाँ, तो भारत में काजू उद्योग को सुचारु रूप से चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि सी० सी० आई० की असफलता के कारण काजू उद्योग में 2.5 लाख श्रमिक बेरोजगार हैं ; यदि हाँ, तो आयात के बारे में निजी क्षेत्र के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु एक विशिष्ट अवधि के लिए कच्चे काजू के आयात के सरणीकरण को समाप्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि सी०सी०आई० को इसलिए बताया गया था ताकि वह कच्चे काजू का आयात समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में तथा प्रतियोगात्मक मूल्य पर कर सके ; यदि हां, तो क्या यह जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी उसमें सफल हुई है ; यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। काजू के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने की योजनाओं के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जो कच्चा काजू भारत में आयात किया जा सकता था, उसकी मात्रा के प्रतिकूल मौसम तथा अन्य परिस्थितियों की वजह से कम फसल/वसूली होने और उन देशों के द्वारा जो कि हमारे परम्परागत सप्लायर थे, निर्यातों की विविधता की नीति अपनाए जाने और साथ ही साथ उनकी प्रोसेसिंग क्षमता में उत्तरोत्तर बृद्धि होने जैसे कारणों से कमी आई है। चूंकि ये कारण भारतीय काजू निगम के बस के बाहर थे, इसलिए उनकी ओर से कोई कमी रह

जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तथापि, आयात नीति की समय समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) भारतीय काजू निगम की स्थापना, काजू उद्योग के निर्यात अभिमुख क्षेत्र को समुचित कीमतों पर कच्चे काजू की निरन्तर सप्लाई बनाए रखने के लिए की गई थी। यह उद्देश्य ऊपर (ख) में बनाई गई सीमाओं के अध्यधीन प्राप्त कर लिया गया है।

खाद्य तेल शोधक उद्योग का बन्द होना

11415. **डा० पी०बी पेरियासानी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या शोधित खाद्य तेल के अंधाधुंध आयात के कारण सम्पूर्ण खाद्य तेल शोधक उद्योग बन्द होने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में खाद्य तेल शोधक उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) व (ख) खाद्य तेलों के आयात के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम, जो खाद्य तेलों के आयात के वर्गीकरण का अभिकरण है, द्वारा किए जाने वाले अधिकांश आयात कच्चे तेल के रूप में होते है और शोधित तेल की केवल सीमित मात्रा का ही आयात किया जा रहा है। इस प्रकार शोधित खाद्य तेलों के अंधाधुंध आयात का कोई प्रश्न नहीं है। कच्चे तेल के रूप में आयातित खाद्य तेलों के अलावा देश में उत्पादित तिलहनों/खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा के भी पेरने और शोधित करने के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। इसलिए देश में शोधक उद्योग के बंद होने का प्रश्न नहीं उठता।

इंडिया स्टीमशिप कम्पनी द्वारा मेसर्स मेंकिनन एण्ड एजेन्सी बम्बई के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करना

11416. **श्री निहार लास्कर** :

श्री पी० एम० सईद :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन लिमिटेड से मैकिनन मैकेजी एण्ड कंपनी के 10-10 रुपये के 10,00,000 इक्विटी शेयर प्राप्त करने के इंडिया स्टीमशीप कंपनी के प्रयास संबंधी अनुरोध पर पुर्नविचार करने का फैसला किया था ;

(ख) यदि हां, तो जिस मामले पर पहले फैसला हो चुका था उस पर पुर्नविचार करने के क्या मुख्य कारण है ;

(ग) क्या तीन सरकारी एजेन्सियां अर्थात् एम० आर० टी० पी० सी०, कम्पनी कार्य विभाग और नौवहन विकास निधि समिति प्रस्तावों की जांच कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) ब्रिटिस इंडिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लि०, यू०के० ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 19(5) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन पत्र दिया था जिस में मैसर्स मैकिनन मैकेंजी एण्ड कंपनी लि०, बंबई में अपनी सारी 40 प्रतिशत की शेयरधारिता इंडिया स्टीमशिप कंपनी लि० कलकत्ता को बेचने की अनुमति मांगी थी । भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया और ब्रिटिस इंडिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी ने इस संबंध में पुनर्विचार करने के लिए बैंक से अभ्यावेदन किया है ।

इंडिया स्टीमशिप कंपनी ने कंपनी कार्य विभाग को दो आवेदन पत्र दिये हैं जिनमें से एक एकाधिकारी तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 23(4) के अंतर्गत है और दूसरा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 372 (4) के अंतर्गत है इन आवेदन पत्रों में उक्त शेयरों को प्राप्त करने की अनुमति मांगी गई है । इन आवेदन पत्रों पर विचार हो रहा है ।

ब्रिटिश इंडिया स्टीमशिप नेवीगेशन कंपनी लि० का अभ्यावेदन और इंडिया स्टीम-शीप के आवेदन पत्र भी सरकार के विचाराधीन हैं । चूंकि इस विषय में विदेशी मुद्रा विनियमन अधनियम, कंपनी अधिनियम और एकाधिकारी तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत तथा नौवहन विकास निधि समिति के अनुमोदन की आवश्यकता है । इसलिए इस मामले पर अन्तर-मंत्रालय के आधार पर विचार हो रहा है ।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा विशिष्ट सुती कपड़ा उपकरणों का निर्माण

11417. **श्री निहार लास्कर :**

श्री पी० एस० सईद :

श्री ए०आर० बद्रीनारायण : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ भविष्य में प्रतिमास कपड़े की 10,000 गाठों का निर्माण करने के लिए विशेष 'को आप' ब्रांड सूती कपड़ा उपकरणों का निर्माण कराने का विचार कर रहा है जो दूसरों से पांच से दस प्रतिशत तक सस्ता होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र राज्य में इस दिशा में सूत्रपात किया गया है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा सुझाये गये डिजाइन और विशिष्टियों के अनुसार धोती तथा पौपलीन जैसे कपड़े की किस्में बनाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम और प्राइवेट क्षेत्र में कपड़ा मिलों के साथ व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ का विशेष 'को आप' छाप सूती कपड़ा उपकरण का विनिर्माण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की बंबई और मद्रास शाखाएं कुछेक कपड़ा मिलों से 'को आप' छाप के अंतर्गत विनिर्मित लांग क्लाथ पापलीन जैसे कपड़ों की कुछ चुनी किस्में पहले से ले रही हैं। इस समय उत्पादन प्रतिमाह 1,000 गांठों से कम है, लेकिन राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ अंन्ततः प्रतिमाह 1,000 गांठों का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ये कपड़े अन्य छाप के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 से 10 प्रतिशत सस्ते होंगे।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम और कुछ निजी मिलों के साथ अपने द्वारा सुझाये जाने वाले डिजाइनों और विशिष्टियों के अनुसार धोतियां, पापलीन आदि जैसे 'को आप' छाप के कपड़े तैयार कराने के लिए प्रबंध कर लिए हैं। ज्यों ही कुछ और मिलों के साथ भी प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सहकारी समितियों द्वारा बेचने के लिए कपड़े की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध की जायेगी।

निजी कम्पनियों की साम्य पूंजी में सरकार द्वारा निवेश

11418. **श्री एस०आर० रेड्डी** : **क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या निजी कंपनियों का साम्य पूजी में निवेश करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पूंजी निवेश के क्या लाभ हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सरकारी उपक्रमों में मनोरंजन व्यय में कमी का उत्पादन पर प्रभाव

11419. **डा० बापू कालदाते** : **क्या उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी उपक्रमों में मनोरंजन व्यय में कमी का दक्षता पर प्रभाव पड़ा है और उत्पादन कम हुआ है ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सरकार ने सरकारी उद्यमों को आतिथ्य सत्कार के व्यय के बारे में सादगी और किफायत बरतने की सलाह दी है। 5 स्टार होटलों

अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के निवास स्थानों पर पार्टियां आयोजित करते समय कितना खर्च किया जा सकता है, उसकी सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। सरकार का यह विचार है कि इन अनुदेशों के लागू हो जाने के कारण, सत्कार व्यय में कमी हो जाने से सरकारी उद्यमों में कार्यकुशलता एवं उत्पादन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

सब्जियों और फलों का निर्यात

11420. **डा० बसंत कुमार पंडित** :

श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में कितने मूल्य की ताजी सब्जियां तथा ताजे फलों का निर्यात किया गया ;

(ख) भारत से ताजी सब्जियां और ताजे फलों के निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं ; और

(ग) ताजे फलों और सब्जियों की कुल मांगे कितनी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) ताजी सब्जियों तथा ताजे फलों के निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) आलू तथा प्याज को छोड़कर ताजे फलों व सब्जियों के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती है बम्बई/दिल्ली से आबूधाबी, बहरीन, दुबई कुवैत, मस्कट तथा दोहा को भेजे जाने वाले ताजे फलों तथा सब्जियों के लिए भी सरकार ने संवर्धनात्मक हवाई भाड़ा दरें तय की हैं। बम्बई/मद्रास से आष्ट्रेलिया को भेजे जाने वाले ताजे आमों के लिए भी विशेष संवर्धनात्मक हवाई भाड़ा दरें तय की गई हैं। कुछ मदों पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस तथा शुल्क वापसी भी उपलब्ध है। आलू तथा प्याज को छोड़कर अन्य ताजी सब्जियों के निर्यात राज्य सरकार के अभिकरणों की मार्फत करने की अनुमति है वशर्ते कि वे पूर्णत: निर्यातों के लिए सब्जियों का अतिरिक्त उत्पादन शुरू करें और निर्यात की गई मात्रा अतिरिक्त उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(ग) कृषिगत निर्यात संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार ताजे फलों और सब्जियों (जिनमें प्याज और आलू भी शामिल हैं) की निर्यात सम्बन्धी मांग 5.7 लाख मे० टन होने का अनुमान है।

विवरण

ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात

मात्रा मे०, टन में

मूल्य लाख रु० में

मदें	1976-77		1977-78		1978-79 (अनन्तिम)	
1.	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. ताजे फल	10390.8	354.43	12539.1	551.16	7090.8	477.59
2. आलू	44670.9	585.15	104.8	1.38	18008.1	177.60
3. प्याज	163533.1	1885.12	56821.1	907.35	100486.0	1422.00
4. अन्य ताजी सब्जियां	7167.9	181.35	5981.8	212.56	2423.7	136.75

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति की स्थापना

11421. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की वर्तमान व्यवस्था का पुनर्विलोकन करने और इन प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधारों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री ने भी समिति को कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये हैं ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी, हां । भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 मार्च, 1979 को, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए श्री शिवरामन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है । आशा है कि समिति दिसम्बर, 1979 के अंत तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

(ख) और (ग) जी नहीं । किन्तु इस समिति में कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधि शामिल है ।

केन्द्रीय कर न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव

11422. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस समय उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने वाले आयकर तथा संबंधित मामलों को निपटाने के लिए क्षेत्रीय ब्रांचों सहित केन्द्रीय कर न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई सुझाव आमंत्रित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (ग) प्रत्यक्ष-कर कानून समिति (चौकसी समिति) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के पैराग्राफ 11-6.10 11-6.22 में, प्रथमत: केवल प्रत्यक्ष-कर कानूनों के अंतर्गत मुकदमों का निपटान करने के लिए एक अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाला केन्द्रीय कर न्यायालय स्थापित करने के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं और साथ ही यह उपबंध करने की भी सिफारिश की है कि भविष्य में यदि आवश्यक समझा जाय तो उक्त न्यायालय के कार्यों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर अन्य सभी केन्द्रीय कर कानूनों

पर भी लागू किया जाए। समिति के अनुसार आरंभतः केन्द्रीय कर न्यायालय की न्यायपीठ अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, मद्रास और नागपुर में स्थापित की जानी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि कर न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से अथवा, जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र हों, उनमें से नियुक्त किया जाना चाहिए और उनकी सेवा शर्तें, वेतनमान तथा अन्य विशेशाधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होने चाहिएं। चौकसी समिति द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त होने वाले किसी भी सुझाव पर भी विधिवत् विचार किया जाएगा।

"हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी प्लेज इन्टू फारेन हैंड्स" शीर्शक से समाचार

11423. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति सथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका ध्यान 13 जनवरी, 1979 के 'इकनामिक टाइम्स' बंबई में 'हिन्दुस्तान डायमंड कंपनी प्लेज इन्टू फारेन हैंड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) समाचार में, हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी के परिचालन से संबंधित कतिपय समस्याओं का उल्लेख था। इन समस्याओं को अभी सहयोगियों के साथ सुलझाना है। कंपनी का विदेशी हाथों में खेलने का कोई प्रश्न नहीं है।

भारत और जापान के बीच वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग में कमी

11424. **श्री सी० आर० महाटा :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में भारत और जापान के बीच वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ल) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में अतिथि गृहों, मनोरंजन और विदेशी दौरों पर व्यय

11425. **श्री कंवर लाल गुप्ता** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत दो वर्षों में सबसे बड़े 20 सरकारी उपक्रमों के अतिथि गृहों, मनोरंजन और विदेशी दौरों पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उपरोक्त उपक्रमों के प्रशासनिक व्यय क्या हैं ;

(ग) उन 20 उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें सबसे अधिक घाटा हुआ है और घाटे की राशि कितनी है और इसके क्या विशेष कारण हैं ; और

(घ) सरकारी उपक्रमों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : **(क) और (ख)** अपेक्षित सूचना सरकारी उद्यमों से एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) अधिकतम घाटा उठाने वाले 20 उद्यमों के बारे में सूचना तथा उनके घाटे के कारणों और सरकार द्वारा उनका कार्यचालन सुधारने के लिए किए गए उपायों का विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाले 20 उद्यमों के नाम घाटे की रकम और उसके कारणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

विवरण

क्र०सं०	उद्यम का नाम	1977-78 में हुआ निचला घाटा (करोड़ रुपयों में)	घाटे के मुख्य कारण
1	2	3	4
1.	कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियां	92.03	अलाभकर मूल्य
2.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	67.20	क्षमता का कम उपयोग
3.	हिन्दुस्तान कापर लि०	31.11	क्षमता का कम उपयोग और मल्य अधिप्राप्ति में कमी ।

1	2	3	4
4.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	30.81	क्षमता का कम उपयोग और ब्याज की रकम बढ़ जाना ।
5.	भारी इंजीनियरी निगम	30.26	औद्योगिक सम्बन्ध ठीक न रहना और उत्पादन में गिरावट ।
6.	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपो०	24.91	उत्पादन में कमी और आर्डरों का रद्द होना ।
7.	भारतीय नौवहन निगम	14.74	समुद्री जहाज भाड़ा बाजार में मन्दी ।
8.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	11.77	खनिज लोहे के उठाव में कमी और मूल्य में गिरावट ।
9.	बोकारो स्टील लि०	10.10	अधिक पूंजी परिव्यय और उत्पादन कायम करने की अवस्था ।
10.	मुगल लाइन्स लि०	9.08	समुद्री जहाज भाड़ा बाजार में मन्दी ।
11.	फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	8.86	क्षमता का कम उपयोग ।
12.	बर्न स्टैन्डर्ड लि०	6.74	उत्पादन में गिरावट ।
13.	जेसप एण्ड कं०	5.02	अलाभकारी मदों का उत्पादन ।
14.	भारत एल्युमिनियम कं० लि०	3.91	क्षमता का कम उपयोग ।
15.	कोचीन शिपयार्ड लि०	5.15	उत्पादन वृद्धि में कमी ।
16.	स्कूटर्स इण्डिया लि०	3.57	उत्पादन कायम करने में कमी ।
17.	सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि०	3.53	क्षमता का कम उपयोग ।

1	2	3	4
18.	टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन	2.80	अलाभकारी मदों के उत्पादन में कमी ।
19.	हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक्स लि०	2.11	उत्पादन में गिरावट ।
20.	जूट कारपोरेशन आफ इण्डया	1.95	मंदा कारोबार ।

(घ) इन उद्यमों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए किये गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है ।

(1) उत्पाद मिश्र का विविधी-करण

(2) संतोलक सुविधाओं की व्यवस्था, संयत्रों का आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन

(3) अनुसंधान और विकास

(4) मांग बढ़ाने के लिए निर्यात संबंधी प्रयास

(5) संघटकों की वेहतर सप्लाई के लिए सहायक एककों का विकास

(6) कच्चे माल/संघटकों और पूंजीगत माल की आयात प्रतिक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना ।

(7) प्रोत्साहन देकर तथा प्रबंध में भागीदारी पद्धित अपना कर श्रम उत्पादकता बढ़ाना ।

(8) प्रशिक्षण द्वारा प्रचालन क्षमता विकसित करना ।

(9) औद्योगिक सम्बन्धों और प्रबन्धकीय कार्यकुशलता में सुधार ।

सरकारी क्षेत्र का विस्तार

11426. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विस्तार को रोकने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि 15 अप्रैल, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स के पृष्ठ संख्या एक पर प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त समाचारपत्र में इस समाचार के प्रकाशन का आधार क्या है?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

होटल उयोग में विदेशी सहयोग की समीक्षा

11427. **श्री लखन लाल कपूर :**

डा० बापू कालदाते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने होटल उद्योग में वर्तमान विदेशी सहयोग की समीक्षा की मांग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटक और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) **और (ख)** जी, हां। सरकार के संबंधित मन्त्रालयों/विभागों से परामर्श करते हुए पुनरीक्षा की जा रही है।

इकनामिक पार्लियामेण्ट के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा दिया गया सुझाव

11428. **श्री लखन लाल कपूर :**

डा० बापू कालदाते :

श्री पी० ए० संगमा :

श्री नाथू सिंह : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने "इकनामिक पार्लियामेण्ट" के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के सुझाव पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ख) क्या यह प्रस्तावित पार्लियामेण्ट वर्तमान पार्लियामेण्ट के मुकाबले होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) तथा (ख) : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की ओर से वित्त मंत्रालय में इकनामिक पार्लियामेंट की स्थापना किए जाने के बारे में कोई सुझाव या सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल सघं के अध्यक्ष ने एक समाचार सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया है कि एक इकनामिक पार्लियामेंट की स्थापना जरूरी हैं, जिसमें राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं पर निर्बाध चर्चा तथा स्वच्छन्द वहस की जा सके।

(ग) इस प्रश्न से कि क्या इकनामिक पार्लियामेंट कायम होनी चाहिए अथवा इस प्रश्न से कि क्या इस तरह की संसद वर्तमान संसद का विपरीत पक्ष होगी, इतनी बड़ी नीति संबंधी बातें उत्पन्न होती है कि इस प्रश्न के उत्तर में उनका जवाब नहीं दिया जा सकता।

तस्करी के माल का निपटान

11429. **श्री निहार लास्कर : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय सरकार के अभिरक्षण में कुल कितने मूल्य का तस्करी का माल है जिनका अभी निपटान किया जाना है ;

(ख) क्या कुछ माल बहुत अधिक समय से सरकार के अभिरक्षण में है ;

(ग) तस्करी के माल का कुल मूल्य कितना है ;

(घ) अप्रैल, 1979 के अन्त तक कितने माल का निपटान हुआ है ; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कितने माल का निपटान किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ङ) पकड़े गए/जब्तशुदा तस्करी के माल का, जो निपटान के लिये तैयार है, 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए था। यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में इस माल का निपटान कर दिया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

पत्तन नगरों में विक्रेताओं द्वारा बेची गई नकली वस्तुओं के बारे में प्रचार अभियान

11430. **श्री निहार लास्कर: क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने उन व्यक्तियों को, जो किसी भी विदेशी वस्तु के लिये लालायित रहते हैं, सूचित करने के लिये प्रचार अभियान चलाने का निर्णय किया है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य पत्तन नगरों के पटरियों पर विक्रेताओं से उनके द्वारा खरीदी गई 75 प्रतिशत से अधिक वस्तुयें नकली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या ये वस्तुयें भारत में निर्मित की जाती हैं लेकिन इन पर "इंग्लैंड में निर्मित अथवा किसी अन्य देश में निर्मित" की मोहर लगा दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ग) जी हां। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तस्करी का माल पकड़े जाने के कुछ मामलों में ऐसा माल पाया गया जो नकली था लेकिन उस पर विदेशी मार्के लगे हुए थे।

(ख) इस समय, श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ परामर्श से विस्तृत व्यवस्था के संबंध में विचार किया जा रहा है।

देश में बैंक सुविधाओं का विस्तार

11431. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश में बैंकिंग सुविधाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शाखा लाइसेंस नीति का पुनर्निर्धारण किया है कि अगले तीन वर्षों में बाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार के प्रयासों का लक्ष्य उन कमी वाले जिलों के बिना बैंक वाले ग्रामीण और अर्ध शहरी स्थानों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना बन जाय, जहां प्रति शाखा जन संख्या औसत प्रति ग्रामीण/अर्धशहरी शाखा 20,000 से अधिक है।

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निदेशालय का आगमन (इन्डक्शन) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

11432. **श्री के० मालन्ना** :

श्री पीयूष तिरकी :

श्री मदन तिवारी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रशिक्षण निदेशालय ने सितम्बर, 1978 में प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को उनके आगमन (इन्डक्शन) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये कोई अर्ध सरकारी पत्र जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अर्ध-सरकारी पत्र में प्रशिक्षाणर्थी अधिकारियों के लिये अनिवार्य शर्तें क्या थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह पाठ्यक्रम 'आवासीय' रूप में अनिवार्य माना गया था ;

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षण अधिकारियों को किस स्थान पर ठहराया गया था और क्या वह स्थान आवासीय था अथवा उस स्थान के मकान मालिक के पास कोई होस्टल लाइसेंस है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थान का चयन करने वाले, जो होस्टल प्रयोजनों के लिये नहीं हैं, अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) स्थिति के औचित्य के अनुरूप, बावर्दी, कार्यकारी सेवा में भरती किये गये नए कर्मचारियों को, सेवा में प्रवेश के समय गहन प्रशिक्षण दिया जाना होता है ताकि वे इस सेवा के योग्य सदस्य बन सकें। हमारे विभाग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रशिक्षण में, विभाग में उन्हें अपने सेवा काल के दौरान जिन तकनीकी विषयों के संबंध में कार्य करना होता है, उनका शिक्षण दिए जाने के अलावा उनके कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले संबंधित विषयों का सामान्य शिक्षण और शारीरिक प्रशिक्षण भी शामिल है।

ऐसे पाठ्यक्रम के लिए जो अनिवार्य रूप से रोजाना कई-कई घंटे तक चलता हो और जिसमें ऊषाकालीन शिक्षण सत्र और स्थानीय निरीक्षण दौरे आवश्यक हों, प्रशिक्षणार्थियों को किसी केन्द्रीय स्थान पर आवास की सुविधा देना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बाहर से आने वाले अनेक प्रशिक्षणार्थी स्वयं अपने आवास आदि की उपयुक्त व्यवस्था कर पाने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए इस संबंध में प्रशिक्षण संस्था की ओर से कुछ सहायता आवश्यक हो जाती है।

अन्य बातों के साथ-साथ इन कारणों तथा इस बात को, कि प्रशिक्षण निदेशालय से सम्बद्ध होस्टलों में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त था, ध्यान में रखते हुए, निदेशालय को वैकल्पिक आवास की तलाश करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस निदेशालय को करोल बाग में अपना प्लेस के नाम से ज्ञात एक ऐसे परिसर को ढूंढने में सफलता मिल गई जो प्रशिक्षण-स्थल के नजदीक ही था। तथा जिसका मालिक इन प्रशिक्षणार्थियों को जायज शर्तों पर आवास देने के लिए तैयार था।

इस प्रकार की व्यवस्था के लिए किसी कानून अथवा विनियमों के अनुसार किसी लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता भी थी या नहीं और, यदि थी तो क्या इस मामले में ऐसा कोई लाइसेंस या अनुमति ली गई थी या नहीं, ये सब ऐसे विषय हैं जिनका संबंध पूर्वोक्त परिसर के मालिक से है।

प्रशिक्षणार्थियों को पूर्वोक्त आवास की सुविधा का प्रस्ताव उनको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने के बारे में भेजे गये पत्र में किया गया था। इसके बावजूद भी, ऐसे कुछ प्रशिक्षणार्थी ऊपर उल्लिखित स्थान पर नहीं ठहरे, जिन्हें या तो वैकल्पिक होस्टल में आवास मिल गया था अथवा जो इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपस्थिति संबंधी शर्तों को पूरा करने में व्यवधान डाले बिना ठहरने के लिए अपनी निजी व्यवस्था कर सकने की स्थिति में थे।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा सरकारी उपक्रमों के लेखों की परीक्षा

11433. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के लेखों की परीक्षा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराने का सरकार का कोई विचार नहीं है। किन्तु, इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन, एयर इण्डिया, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आदि जैसे सांविधिक निगमों तथा पंजीकृत कम्पनियों के रूप में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखों की परीक्षा या तो एक मात्र लेखा परीक्षक अथवा अनुपूरक लेखा परीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के वार्षिक लेखों की परीक्षा व्यावसायिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती हैं जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से कम्पनी के विधि विभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकारी क्षेत्र की इन कम्पनियों की लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चाहे तो खुद अलग से भी कर लेता है।

दक्षिणी भारत में खाड़ी के यात्रियों के लिये उड़ानों की अपर्याप्तता

11434. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी के अधिकांश दक्षिण भारतीय यात्रियों को पास के हवाई अड्डों पर उड़ानों की अपर्याप्तता के कारण बम्बई में उतारा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) गल्फ के देशों से आने वाले अधिकांश यात्रियों का गंतव्य दक्षिण भारत के नागर, विशेषतया केरल होता है। इसलिए एयर इंडिया त्रिवेन्द्रम से गल्फ के विभिन्न देशों के लिये सप्ताह में चार वापसी उड़ानों (round trips) परिचालित कर रही है जिनमें 1152 सीटें उपलब्ध होती हैं। इन सीटों से शेष बचे यात्रियों को दक्षिण भारत के अपने गंतव्य स्थानों को बंम्बई के मार्ग से जाना पड़ता है।

(ख) एयर इंडिया इस बात के प्रति जागरूक है कि त्रिवेन्द्रम और गल्फ के देशों के बीच अधिक उड़ानों की आवश्यकता है, परन्तु यह त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट की और अधिक उड़ानें संभाल सकने की क्षमता पर निर्भर करता है। सितम्बर, 1979 से एयर इंडिया की त्रिवेन्द्रम और गल्फ के देशों के बीच सेवाओं की संख्या को प्रति सप्ताह चार से बढ़ा कर पाँच कर देने की योजना है।

उड़ानों के वितरण में असंतुलन

11435. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात का जमाव हो जाने के कारण पूर्व, उत्तर-पूर्व तथा दक्षिणी क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या देश में अनियोजित तथा असंतुलित उड़ानों के कारण अन्य हवाई अड्डों को भारी हानि हो रही है ; और

(ग) स्थिति के सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) बम्बई में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जमाव के कारण यात्रियों को कठिनाई होती है। इस असंतुलन का अधिकांश कारण परिचालकों का बम्बई को तरजीह देना है, कोई योजनागत दोष नहीं। किसी खास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों का ऐसा जमाव हो जाना दुनिया भर में एक आम घटना है।

कलकत्ता तथा मद्रास में अवतरण करने के लिये विदेशी परिचालकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अवतरण प्रभारों में रियायत देने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि जहां तक संभव हो सके बम्बई में किसी भी विदेशी एयरलाइन को और अधिक यातायात अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें। एक नये अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण करके, बम्बई हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिये सुविधाओं में और वृद्धि की जा रही है। इस टर्मिनल भवन के 1980 के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है।

पटसन का निर्यात

11436. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत दो वर्षों के दौरान पटसन का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कच्चे पटसन के कोई खास निर्यात नहीं हुए हैं, सिवाय इसके कि व्यापार योजना के उपबंधों के अधीन जो बचन वद्धताएं हुई हैं, उनके कारण कुछ थोड़ी मात्राओं में कच्चे पटसन का निर्यात किया गया है।

देश का दौरा करने वाले विदेशी नेताओं के साथ दिल्ली में वार्ता

11437. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्होंने बर्ष 1979 की प्रथम तिमाही के दौरान देश का दौरा करने वाले विदेशी नेताओं विशेषतः वाणिज्यिक तथा व्यापारिक मामलों के अध्यक्षों के साथ दिल्ली में चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त वार्ता के फलस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार के लिये किसी करार सहित कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के नाम जिनके साथ वाणिज्य मंत्री ने 1979 की पहली तिमाही में दिल्ली में चर्चा की।	परिणाम
(1)	(2)
1. कनेडा के लघु व्यवसाय और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री।	संयुक्त उद्यमों सहित द्विपक्षीय तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए उपायों का पता लगाना। भारत-कनेडियन संयुक्त आयोग की संभाव्यता के बारे में और विचार किया गया।
2. मलयेशिया के प्रधान मंत्री	विकासशील देशों के प्रयासों में और अधिक गति की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस बात पर बल दिया गया कि सामान्य

1		2
		उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए एशियाई देशों के बीच और अधिक सहयोग की भी आयश्यकता है। मलयेशिया के साथ स्थायी दीर्घावति सम्बन्ध विकसित करने के लिए सहयोग पर बल दिया गया।
3.	महामहिम मोहम्मद रमजान, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, फिजी सरकार।	इन वार्ताओं में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के मसले तथा आपसी सहयोग के विषय शामिल थे। विशेषरूप से जहाजरानी की समस्याओं पर चर्चा हुई।
4.	महामहिम डा० जजमेद्दीन दजानी, जोर्डन के उद्योग और व्यापार मंत्री	वाणिज्य मंत्री तथा जोर्डन के मंत्री ने सामान्यतः भारत और जोर्डन के वीच व्यापार की संभाव्यताओं पर चर्चा की और यह अनुभव किया कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार के विस्तार की काफी गुंजाइश है।
5.	नार्वे के पैट्रोलियम और ऊर्जा मंत्री	वाणिज्य मंत्री तथा नार्वे के मंत्री के आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में चर्चाएं की जिनमें द्विपक्षीय व्यापार भी शामिल था।
6.	मि० सी० डी० मासु, तंजानिया के उद्योग मंत्री	व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी आपसी हित के मसलों पर विशेष रूप से तंजानिया से भारत को लौंग के निर्यात के बारे में चर्चा हुई।
7.	मि० शेख हमीदाई केन, उद्योग मंत्री, सिनेगल।	विशेषरूप से आपसी व्यापार तथा वाणिज्यिक विषयों सम्बन्धी मसलों पर चर्चा हुई, सेनेगल के मंत्री ने भारत से लगभग 1,00,000 मे० टन चावल खरीदने में रुचि दर्शाई। उन्हें बताया गया कि भारत चावल सप्लाई करने की स्थिति में है।

1	2
8. महामहिम मेटोड रोटर, यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री ।	चर्चाएं मुख्य रूप में द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों और उनके व्यापार के और आगे विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में थी ।
9. महामहिम मि० एम० आर० कुजमिन, प्रथम विदेश व्यापार उपमंत्री सोवियत संघ ।	सामान्यतः व्यापार से सम्बन्धित मसलों पर चर्चा हुई । भारत से उतने ही मूल्य के चावल के निर्यात के बदले में सोवियत संघ से 6,00,000 मे० टन कच्चे तेल के निर्यात के बारे में एक करार पर 14 मार्च, 1979 को हस्ताक्षर किये गये ।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की विमान परिचारिकाओं को प्रारम्भिक एवं सेवा में प्रशिक्षण

11438. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया की विमान परिचारिकाओं को उनकी नियुक्ति के पश्चात् और अपनी ड्यूटी आरम्भ करने से पूर्व विशेष, प्रशिक्षण मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सेवारत विमान परिचारिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि हां, तो कैसे और कब ;

(घ) क्या उपरोक्त प्रारम्भिक एवं सेवा में प्रशिक्षण दोनों एयरलाइनों की विमान परिचारिकाओं के लिए समान है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर इंडिया निम्नलिखित विषयों में तीन महीने का विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करता है :—

(1) विमानन इतिहास

(2) उड़ान सुरक्षा

(3) फर्स्ट एड (प्राथमिक उपचार)

(4) पैसेंजर हैंडलिंग

(5) पैसेंजर सुविधाएं

(6) भोजन सेवा प्रक्रिया

(7) भोजन

(8) मदिरा

(9) पनीर

(10) घोषणा

भू-प्रशिक्षण पूरा होने पर विमान परिचारिकाओं को छः महीने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण (practical training) के लिये भेजा जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स में निम्नलिखित विषयों में 8 सप्ताह की अवधि के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है :—

—फर्स्ट एड

—हिंदी तथा अंग्रेजी घोषणाएं

—उड़ान सुरक्षा

—खान-पान नीतियां, भोजन सेवा प्रक्रिया तथा ग्राहकों की प्रतिक्रिया

—कम्पनी सूचना तथा विमानन इतिहास

—सामान्य नियम, यात्री मनोविज्ञान, संपर्क दक्षता तथा यात्री सुविधाएं

—जन संपर्क, व्यक्तित्व विकास तथा शिष्टाचार

—तकनीकी तथा आपाती प्रक्रियाएं

—सुरक्षा तथा अपहरण-विरोधी उपाय

—केबिन सेवा

(ग) जी, हां। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों के दौरान, तकनीकी तथा आपाती प्रक्रियाओं, घोषणाओं यात्री संबंधों तथा उड़ान सुरक्षा को सम्मिलित किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक एयरलाइन की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को छोड़ कर, प्रारंभिक तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण एक जैसा ही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बम्बई मद्रास और कलकत्ता में ऋणों और अग्रिम राशियों की वसूली

11439. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बम्बई मद्रास और कलकत्ता शहरों में ऋणों और अग्रिम राशियों की वसूली के लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो एक लाख रुपये और उससे अधिक की राशि को वसूल करने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दायर किये गये कितने मामले बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के न्यायालयों में 31 मार्च, 1979 को विचाराधीन थे ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में पार्टियों के पते मालूम नहीं है और समाचार पत्रों में नोटिसों के माध्यम से न्यायालयों द्वारा समन जारी किये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे नोटिसों की संख्या कितनी है और कितनी राशियों के लिये दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी हां।

(ख) 30-3-1979 की स्थिति की तुरत उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बम्बई में 313 मामले, कलकत्ते में 352 मामले और मद्रास में 203 मामले एक लाख रुपये और उससे अधिक के लिए दायर किये हैं।

(ग) न्यायालय मान्य कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तामील (सर्विस) के लिये प्रतिवादी को समन जारी करते हैं और आवश्यक होने पर वे समाचार पत्रों के माध्यम से ऐवजी तामील (सबटीट्यूट सरविसेज) के रूप में नोटिस जारी करते हैं।

(घ) बैंक द्वारा दायर किये गये मामलों विषयक कार्य आमतौर से स्थानीय शाखा कार्यालयों में किया जाता है इसलिए जिन मामलों में समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये गये हैं ; उनकी संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

तैयार चमड़े का निर्यात

11440. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1976,1977 और 1978 में कुल कितनी मात्रा में तैयार चमड़ा निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या रहा ;

(ख) वर्ष 1976, 1977 और 1978 में चमड़े के सामान का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या रहा ;

(ग) तैयार चमड़े के स्थान पर चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) तैयार चमड़े और चमड़ा निर्माताओं के लिये निर्यात संवर्धन परिषद ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ङ) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान चमड़े की तैयार वस्तुओं के निर्यात की कुल मात्रा और उसके मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	मात्रा (लाख कि.ग्रा. में)			मूल्य (लाख रुपयों में)		
	1976-77		1977-78		1978-79	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
						(अनन्तिम)
तैयार चमड़ा	129	10,523	126	10,980	—	18,126
चमड़े की वस्तुएं	—	1,750—	—	2,253	—	1,787

(ग), (घ) तथा (ङ) : तैयार चमड़े और चमड़ा विनिर्माताओं की निर्यात संवर्धन परिषद् के कुछ सदस्यों के अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें उन्होंने तैयार चमड़ा निर्यातों पर रोक तथा चमड़ा माल के निर्यात के लिए बेहतर सुविधाओं के सुझाव दिए हैं। सरकार द्वारा पहले ही कतिपय कदम उठाए जा चुके हैं जिनमें से कुछ ये हैं :—

(1) फुटवियर मशीनरी सहित चमड़ा माल की मशीनरी को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शामिल करना ।

(2) फुटवियर सहित चमड़ा माल को निर्यात उत्पादों की प्रवर सूची के अन्तर्गत लाना ।

(3) चमड़ा माल निर्यातकों द्वारा अपेक्षित मदों के आयात को सुकर बनाने की दृष्टि से प्रतिपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत कुछ मदों को हटा लिया गया है ।

(4) काफी संख्या में टेनिंग मशीनों पर आयात शुल्क को 40% से घटाकर 25% करना ।

इसके अतिरिक्त, चमड़ा तथा चमड़ा माल संबंधी कार्यदल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तैयार चमड़ा निर्यातों की बजाय चमड़े से बनी चीजों के जिनमें जूते भी शामिल हैं, निर्यात शुरू करने का सुझाव शामिल है। इन सिफारिशों पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

बजट का उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रभाव

11441. **प्रो० समर गुह :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं का सामान्य जनता के उपयोग की अन्य वस्तुओं पर बजट के तुरन्त प्रभाव के बारे में कोई नवीनतम मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां तो ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इन मदों संबंधी तथ्य क्या हैं जिन पर लोक सभा में बजट पेश करने के अगले दिन से ही बढ़े हुए कर लागू कर दिये गये थे ;

(घ) क्या इस बात की चिन्ता किये बिना ही कि वित्त विधेयक पर सभा पुनः विचार कर सकती है अथवा नहीं; व्यापारियों ने बहुत सी वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये हैं ;

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(च) क्या जिन बहुत सी वस्तुओं पर कर नहीं लगाये गये थे उनके मूल्य भी बढ़ा दिये गए हैं और दैनिक उपयोग की उन मदों, जिन पर कर लगा हो अथवा नहीं, के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सदन को पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि थोक कीमतों के सूचक अंक पर उत्पादन-शुल्क का प्रभाव अनुमानतः लगभग एक प्रतिशत होगा। यद्यपि 24 फरवरी से 14 अप्रैल, 1979 के बीच सूचक अंक में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है फिर भी सरकार अपने अनुमानों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती। जहां तक उपभोक्ता मूल्यों का सबंध है, उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में फरवरी 1979 से मार्च, 1979 के बीच 0.9 % वृद्धि हुई है।

(ग), (घ) तथा (ङ) जैसाकि 20 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7978 के उत्तर में बताया गया है अधिकांश बजट प्रस्ताव 28 फरवरी की मध्य रात्रि से पहली मार्च से लागू होते हैं और रेल भाड़े तथा डाक प्रभार जैसे कुछेक प्रस्ताव ही पहली अप्रैल अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तारीख से लागू होते हैं।

(च) वस्तुओं की कीमतों में अनेक कारणों से वृद्धि होती है तथा बजट प्रस्ताव केवल एक ही कारण होते हैं। फिर भी, सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखती है तथा कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए जब भी आवश्यक होता है सरकार कार्यवाही करती है।

उदाहरण के लिए, अनिवार्य वस्तु अधिनियम तथा नाप तोल (डिब्बा बन्द वस्तु) मानक नियमावली के अन्तर्गत, राज्य सरकारों से शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए कहा गया है।

स्टैनलैस स्टील की चादरों पर आयात शुल्क

11442. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**

श्री दयाराम शाक्य : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आल इंडिया स्टैनलैस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसियेशन ने सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन किया है कि स्टैनलैस स्टील पर बजट के भार से उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) क्या सरकार स्टैनलेस स्टील की चादरों तथा बड़े पैमाने पर आयात पर आयात-शुल्क घटाने पर विचार कर रही है ताकि मांग और सप्लाई के बीच का अन्तर पूरा किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को कुछ दरखास्तें मिली हैं जिनमें, स्टेनलैस स्टील की चद्दरों पर शुल्क की वर्तमान दर में वृद्धि अथवा कटौती करने के लिए कहा गया है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों में दिये गये भत्ते

11443. **श्री गंगा भक्त सिंह :**

श्री के० ए० राजन : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें पता है कि देश में विभिन्न सरकारी उपक्रमों, में भत्तों के रूप में एक बड़ी राशि दी जाती है, जिसका हिसाब रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो भत्ते देने का क्या औचित्य है और इसकी क्या कसौटी है ; और

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तों में उनके निर्दिष्ट सेवाकाल के दौरान मिलने वाले अनुलाभों का उल्लेख होता है। सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार सामान्यतः कम्पनी की कार उनके निजी काम के लिए इस्तेमाल करने और रिहायशी

मकान की सुविधा दी जाती है। कम्पनी की कार वे प्रतिमाह अधिकतम 500 कि० मी० तक चला सकते हैं और उसके हार्स पावर के मुताबिक उन्हें निर्दिष्ट राशि अदा करनी होती है। ये कार्यकारी अधिकारी अपने सम्बद्ध निदेशक मंडलों द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय भी कर सकते हैं। इन कार्यकारी अधिकारियों को कम्पनी के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायात, नगर प्रतिपूरक भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, अपंगता छुट्टी, छुट्टी का नकद भुगतान आदि जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सरकारी उद्यमों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को उपर्युक्त अनुलाभों एवं सुविधाएं इसलिए प्रधान की जाती हैं ताकि उन्हें वे आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं तो दी जा सकें जो गैर सरकारी क्षैत्र के अन्तर्गत उसी श्रेणी के कार्यकारी अधिकारियों को सुलभ हैं तथा इन्हें इस बात के लिए भी प्रोत्साहिति किया जाता है कि वे निष्ठापूर्वक अच्छे से अच्छा कार्य करें।

(ग) आपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

दस सर्वाधिक धनी अभिनेता, अभिनेत्री, उद्योगपतियों तथा भूतपूर्व नरेशों पर आयकर और धन कर की बकाया राशि

11444. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन दस सर्वाधिक धनी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों, 10 उद्योगपतियों तथा 10 भूतपूर्व नरेशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अधिकतम धन कर दिया है तथा उन्होंने कितने धन की घोषणा की है और कितने धन का मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) उक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक पर धनकर तथा आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) उक्त व्यक्तियों में से उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर बकाया राशि का भुगतान न करने अथवा आय छुपाने के लिए मुकदमे चलाए गए अथवा चलाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फकारूल्लाह) : (क) से (ग) आपेक्षित सुचना मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे क्षेत्रीय कार्यालयों से इकट्ठा किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही संकलित की जाएगी और एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कोलम्बो को सूखी मछली का निर्यात

11445. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और विशेष रूप से अक्तूबर, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि के दौरान बम्बई स्थित राज्य व्यापार निगम के कार्यालय के माध्यम से कोलम्बो को कुल कितने मूल्य की सूखी मछली का निर्यात किया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधियों के दौरान बम्बई से सूखी मछली का ऐसा निर्यात कुल कितने मूल्य का किया गया, जो राज्य व्यापार निगम, बम्बई के माध्यम से नहीं हुआ था ।

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम (बम्बई) के माध्यम से सूखी मछली के निर्यात में गिरावट आ रही है ;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान कितने मूल्य की सूखी मछली का निर्यात किया गया, कितनी धनराशि वस्तुतः प्राप्त की गई है और क्या राज्य व्यापार निगम ने सामान के बीजक मूल्य पर अथवा प्राप्त की गई वास्तविक राशि पर कमीशन लिया है ; और

(ङ) क्या सूखी मछली के कम होते हुए निर्यात व्यापार को ध्यान में रखते हुए, सरकार इसके निर्यात व्यापार को राज्य व्यापार निगम से गैर-सरणीकृत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क)	1976-77	84.63 लाख रु०
	1977-78	176.79 लाख रु०
	1978-79	70.83 लाख रु०
अक्तूबर 1978 से मार्च 1979 तक		18.79 लाख रु०

(ख) बम्बई से सुखाई गई मछली के निर्यातों की कुल कीमत :—

1976-77	84.63 लाख रु०
1977-78	179.50 लाख रु०
1978-79	78.30 लाख रु०
अक्तूबर, 1978 से मार्च 1979 तक	24.27 लाख रु०

निर्यात जो राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत नहीं हुए

1976-77	शून्य
1977-78	2.71 लाख रु०
1978-79	7.47 लाख रु०
अक्तूबर, 1978 से मार्च, 1979 तक	5.48 लाख रु०

(ग) 1978-79 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत सुखाई गई मछली के निर्यातों में कमी आई।

(घ) धनराशि जो वास्तव में वसूल हुई :

1976-77	82.07 लाख रु०
1977-78	157.63 लाख रु०
1978-79	66.12 लाख रु०

राज्य व्यापार निगम के 3% सेवा प्रभार बीजक कीमत पर वसूल किए जाते हैं।

(ङ) सरकार सुखाई गई मछलियों के निर्यात को राज्य व्यापार निगम से विमार्गीकृत करने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

सोने की तस्करी

11446. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि 150 करोड़ रुपये मूल्य का सोना प्रति वर्ष भारत में चोरी छिपे लाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) यद्यपि देश में तस्कर-आयकर किए गए सोने के मूल्य का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि सोने की तस्करी पर वाकायदा नियंत्रण बना हुआ है। सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1977 में कुल 162 लाख रुपये तथा वर्ष 1978 में 153 लाख रुपये मूल्य का अवैध सोना पकड़ा गया था।

सरकार ने देश में सोने की तस्करी के विरुद्ध अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निवारक तथा गुप्त सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना और इसके लिए महत्वपूर्ण समाहर्तालयों में विशेष कक्षों की स्थापना करना भी शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और आसानी से पार किए जा सकने योग्य अन्य स्थानों पर सोने की तस्करी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए निवारक तथा गुप्त सूचना यूनिटों को भी सावधान कर दिया गया है। भूसीमा/समुद्री तटों पर आसानी से पार किए जा सकने योग्य क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और इस काम के लिए काफी संख्या में बाहनों की व्यस्था कर दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की तलाशियां लेने के लिए प्रमुख अन्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर फिस्कर सेटों और फ्लोरोस्कोपिक यूनिटों जैसे इलेक्ट्रानिक गेजिट और यंत्रों की व्यवस्था कर दी गई है।

मैसर्स आटो पिन्स

11447. **श्री भानु कुमार शास्त्री :**

श्री मनोहर लाल : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अप्रैल 1976 के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा मैसर्स आटो पिन्स की ली गई तलाशियों के दौरान उन्होंने इस कम्पनी के मुख्य लेखाकार और निकट के सहयोगी मास्टर विशन दास गुलाटी से अपराधी ठहराने वाले कुछ दस्तावेज पकड़े थे जिनमें इस कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों की काले धन की विक्री के लेख रखे गए थे जिनमें करोड़ों रुपये की राशि सम्बद्ध थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (ग) मैसर्स आटो पिन्स (इं०) रजिस्टर्ड तथा इसकी सहयोगी कम्पनियों के परिसरों में अप्रैल 1976 में ली गई तलाशी के दौरान मास्टर विशनदास गुलाटी के परिसरों से बहुत से कागजात पकड़े गए जिनमें लेखा-वहियों में दर्ज नहीं की गई विक्री से सम्बन्धित वाउचर तथा माल के वास्तविक प्रेषण को प्रकट करने वाली पैकिंग पर्चियां शामिल थीं। उक्त कागजात में किसी सहयोगी कम्पनी के सम्बन्ध में नहीं अपितु केवल मैसर्स आटो पिन्स (इं) रजिस्टर्ड के सम्बन्ध में लेखा-वहियों में दर्ज विक्रियों के अलावा की गई विक्रियों का साक्ष्य निहित है। पकड़े गये कागजात मुख्यत: कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित हैं, जिस (वर्ष) का आयकर निर्धारण उनकी विचाराधीन है। कागजात की छानवीन की जा रही है और उसमें निहित सामग्री का कर-निर्धारण पूरा करते समय पूरा पूरा उपयोग किया जायेगा।

दिसम्बर, 1978 में हैदराबाद के निकट हुई विमान दुर्घटना

11448. **डा० विजय मंडल :**

श्री शंकर सिंह जी बघेला :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री सी० के० जाफिर शरीफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका ध्यान 14 अप्रैल, 1979 के इंडियन एक्सप्रैस में (पृष्ठ 11) दिसम्बर में वेगमपेट हवाई अड्डे के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यदि समय पर पर्याप्त चेतावनी दी गई होती तो इस दुर्घटना को रोका जा सकता था ; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट के पूरे तथ्य क्या हैं तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना की एक जांच अदालत द्वारा की जा रही है।

(ग) जब जांच अदालत की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तो उसमें बताए गए दुर्घटना के कारणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की जाएगी तथा उपचारी कार्यवाही की जाएगी।

व्यवसायियों के रूप में काम करने वाले सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों की कर योग्य आय की गणना के लिये परिवहन व्यय की छूट

11449. **श्री रीतलाल प्रशाद वर्मा** :

श्री गेव एम० अवारा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** व्यावसायिक सेवा अथवा अशंकालिक सेवा का काम करने वाले सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों की कर योग्य आय की गणना के लिए परिवहन व्यय की छूट के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में 6 अप्रैल 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) जब ये व्यक्ति उनके द्वारा इस प्रकार अर्जित अतिरिक्त आय पर आय-कर का भुगतान करते हैं तो उनको राहत न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) ऐसे मामलों में इस समय दी जा रही छूट के बारे में सही स्थिति क्या है और ;

(ग) इन व्यक्तियों को आवश्यक राहत देने के लिए, जैसे वकीलों, डाक्टरों और अन्य व्यावसायिक सेवा करने वालों को दी जाती है, सरकार का अग्रेतर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) तथा (ख) कानून में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार, व्यावसायिकों के रूप में अथवा आंशकालिक सेवा पर काम करने वाले सेवा-निवृत्त सरकारी अधिकारी, या तो व्यावसायिकों के रूप में, उनके द्वारा अर्जित आय के बारे में धारा 37 के अन्तर्गत अथवा अंशकालिक सेवा से अर्जित उनकी आय के बारे में धारा 16 (1) के अन्तर्गत, परिवहन-व्यय की छूट के हकदार हैं।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए आगे और कोई उपाय किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

नशाबन्दी लागू किये जाने के कारण हानि के लिए राज्यों को मुआवजे का भुगतान

11450. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर पूर्ति :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री सौगत राय : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नशाबन्दी लागू किये जाने के कारण आबकारी राजस्व में होने वाली हानि के लिए राज्यों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए वर्ष 1979-80 के बजट प्राक्कलनों में प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध की जाएगी ;

(ग) राज्यों ने कितने मुआवजे की मांग की है ;

(घ) कुल कितना प्रावधान किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने शत प्रतिशत मुआवजे की मांग की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) वर्ष 1977-78 के वास्तविक आबकारी राजस्व को आधार मानकर राज्यों को 1978-79 से प्रारम्भ होने वाले तथा 1983-84 तक प्रत्येक वर्ष में आबकारी राजस्व की निर्धारित हानि का 50% तक मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। इस प्रयोजन के लिए 1979-80 के केन्द्रीय सरकार के बजट में 30 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली राशि 1977-78 के वास्तविक आबकारी राजस्व की तुलना में चालू वर्ष में आबकारी राजस्व में हुई निर्धारित हानि की मात्रा पर निर्भर करेगी।

(ङ) बिहार, उत्तरप्रदेश, त्रिपुरा, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक ने नशाबन्दी लागू किये जाने के कारण आबकारी राजस्व की हानि के लिए पूरे मुआवजे का अनुरोध किया है।

कच्चे रबड़ की कमी

11451. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश को 1979-80 में 60,000 टन कच्चे रबड़ की कमी का सामना करना पड़ेगा ?

वाणिज्यक, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : जी नहीं ; 1979-80 के दौरान रबड़ की मांग और घरेलू पूर्तियों में लगभग 35,000 मे० टन के अन्तर का अनुमान लगाया गया है।

चाय पर कृषि आयकर हटाया जाना

11452. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उद्योग का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया था और अन्य बातों के साथ-साथ चाय पर लगे ऊंचे कृषि आयकर को, जिसका चाय बागान के विभाग पर प्रतिकूल प्रवाभ पड़ रहा है, कम करने अथवा समाप्त करने का अनुरोध किया था ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) चाय रोपण कर्त्ताओं के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कृषि आयकर की ऊंची दरों के, जैसाकि वे समझते हैं, चाय उद्योग पर प्रभाव की ओर आकृष्ट किया है। चूंकि कृषि आयकर एक राज्य-विषय है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को यथोचित मामलों में लेवी की दर में संशोधन की बात पर विचार करने के लिए ही कह सकती है।

'टाप आफिशियल्ज, स्मगलर्स लिंक ड्योरिंग इमरजेंसी' शीर्षक से समाचार

11453. **श्री चिमनभाई एच० शुक्ल** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने दिनांक 11 अप्रैल, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "टाप आफिशियल्ज, स्मगलर्स लिंक ड्योरिंग इमरजेंसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से इनकी जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) संभवतः प्रश्न का संकेत, 19 अगस्त 1978 को पालम हवाई अड्डे पर, लगभग 58 लाख रुपये मूल्य के तराशे तथा पालिश किए हीरों के, जब उनका भारत से तस्कर निर्यात किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, पकड़े जाने से सम्बन्धित मामले की ओर है। इस मामले में की गई जांच-पड़ताल से सीमा शुल्क के तीन कर्मचारियों—एक सहायक समाहर्ता, एक अधीक्षक और एक निरीक्षक के ग्रस्त होने का पता लगा। ये कर्मचारी उस समय पालम हवाई अड्डे पर कार्यरत थे। एक अधिकारी के विरुद्ध जिसे मुअत्तल भी किया जा चुका है, इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

अन्य दो अधिकारियों के सम्बन्ध में, विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने के लिए, आगे जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, चूंकि इस मामले में जांच-कार्य शुरू नहीं कर पाया है, इसलिए राजस्व आसूचना निदेशालय को आवश्यक जांच करने के लिए कहा गया है ।

सीमैन्स तथा हिन्दुस्तान लीवर की विदेशी साम्य पूंजी

11454. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने सीमेन्स और हिन्दुस्तान लीवर के 51 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी के लिए किये गए आवेदन-पत्रों पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स सीमेंस इंडिया लिमिटेड, बम्बई के मामले में एक आशय-पत्र जारी किया गया है कि कम्पनी देश में अपने क्रियाकलापों को अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर जारी रख सकती है कि वह अपनी अनिवासी शेयरधारिता को कम करके 40 प्रतिशत पर ले आएगी ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० के मामले में एक अन्तिम निदेश जारी कर दिया गया है कि वह देश में अपने क्रियाकलापों को अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर जारी रख सकती है कि वह अपनी अनिवासी शेयरधारिता को कम करके 40 प्रतिशत पर ले आएगी ।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिकारियों/कर्मचारियों को धमकाना तथा उनके प्रति भेदभाव

11455. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :**

श्री महीलाल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के मुख्यालय में तथा पालम विमान पत्तन कार्यालय में काम कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर सामाजिक व्यवहार तथा वातावरण की दृष्टि से डराया-धमकाया जाता है और उनके प्रति भेदभाव बरता जाता है ;

(ख) क्या कुछ अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने उनके प्रति किये जा रहे भेदभाव तथा दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्राधिकारियों को शिकायत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सामाजिक बुराई के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऐसी एक घटना हुई है। अनुसूचित जाति के एक सहायक ग्रेड-III (टाइपिस्ट) ने एक महिला सहायक ग्रेड-II (स्टेनोग्राफर) के व्यवहार के विरुद्ध एक शिकायत की थी। कसूरवार ने बाद में एक बेशर्त लिखित क्षमायाचना की जिसे शिकायतकर्ता ने स्वीकार कर लिया। अतः महिला सहायक को चेतावनी देकर मामला समाप्त कर दिया गया।

'प्रोब बिगिन्स इन्टू इन्कमटेक्स फ्राड' शीर्षक से समाचार

11456. **श्री भगत राम** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें लगभग एक करोड़ रु० के आयकर के अपवंचन के सम्बन्ध में 26 नवम्बर, 1978 के इण्डियन एक्सप्रेस (चण्डीगढ़ संस्करण) में 'प्रोव विगिन्स इन्टू इन्कमटेक्स फ्राड' शीर्षक से शिकायत समाचार की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्लिफकारूल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त समाचार श्री वेद प्रकाश गुप्त नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर आधारित प्रतीत होता है। मामले की छानबीन की गई है और यह पाया गया है कि शिकायत में कोई सार नहीं है। इसलिए आगे कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर कलेक्टरी के कुछ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की आय के पुनः निर्धारण सम्बन्धी शिकायतें

11457. **श्री मनोहर लाल** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर कलेक्टरी में कुछ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की आय के पुनः निर्धारण के मामले में वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रत्यक्ष कराधान) को पेश की गई 27 दिसम्बर, 1978 की शिकायत के सम्बन्ध में क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी जांच इस समय किस चरण में है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : शिकायत को आवश्यक जांच पड़ताल के लिए सम्बन्धित आय-कर आयुक्तों के पास भेज दिया गया है। जांच जारी है।

पार्ले एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा वाराणसी बाटली कम्पनी, बम्बई की ओर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर की बकाया राशि

11458. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पार्ले एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, चकला, अन्धेरी ईस्ट-वैस्टर्न हाईवे, बम्बई तथा वाराणसी बाटली कम्पनी, लक्ष्मी बिल्डिंग, चर्चगेट, 'डी' रोड, बम्बई ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी राशि का उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क जमा किया और उनकी ओर उक्त शुल्क की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) इन कम्पनियों के भागीदारों तथा शेयरधारियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं, उपरोक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया रही और इस राशि के वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्ताओं/निर्यातकर्ताओं के सम्बन्ध में सीमा शुल्क की वसूली का कोई वर्षवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है । अतः कम्पनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए सीमा शुल्क की रकम के सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना अपलब्ध नहीं है । जहां तक सीमा शुल्क की बकाया रकम का सम्बन्ध है, यदि कोई हो तो उस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम तथा कम्पनी की ओर इस शुल्क की बकाया रकम, यदि कोई हुई, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) मैसर्स पार्ले एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक कम्पनी है जो महाराष्ट्र राज्य में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसके पंजीकरण की तारीख 24-3-1952 है ।

मैसर्स वाराणसी बाटली कम्पनी से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी कोटे के कुप्रबन्ध के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

11459. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कोटे के कुप्रबन्ध के कारण सरकार को 33 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी दैनिक 'आवाज' से आयकर की वसूली

11460. **श्री ए० के० राय** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) हिन्दी दैनिक 'आवाज' धनबाद के शेयर-धारियों के नाम क्या हैं और 1977-78 में उनके पूंजी में कितने प्रतिशत शेयर थे ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान उक्त दैनिक की आस्तियों में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत तथा तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उनके आयकर वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्लिफकारूल्लाह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, उसे इकट्ठा किया जा रहा है और यथा-सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

जोतिन्द्र स्टील ट्यूब लिमिटेड के कार्यालय पर आयकर अधिकारियों द्वारा छापा मारा जाना

11461. **श्री सुधीर घोषाल** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने मैसर्स जोतिन्द्र स्टील ट्यूब (लिमिटेड), आसफ अली रोड के कार्यालय पर हाल के वर्षों में तथा वर्ष 1974 के बाद छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो इन छापों का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या अधिकारियों ने कोई विसंगती पाई थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) से (घ) आयकर प्राधिकारियों ने 6 जून 1974 को मैसर्स जोतिन्द्र स्टील ट्यूब्स (लिमिटेड), आसफ अली रोड़ के परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान 53,000 रु० की नकदी, लेखाबहियां तथा दस्तावेज पकड़े गए थे। पकड़ी गई सामग्री के आधार पर, कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के कर-निर्धारण में बताये नहीं गये स्रोतों से प्राप्त आय शीर्ष के अन्तर्गत, नकदी पकड़ी जाने के कारण

वृद्धियां की गई थीं। अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त ने अपील किये जाने पर इस रकम को निकाल दिया था। अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की गई थी परन्तु उस अपील को खारिज कर दिया गया।

इण्डियन एयरलाइन्स के मद्रास क्षेत्र में ग्रुप "ए" से "डी" में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति आदि

11462. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि नियुक्तियों, पदोन्नतियों एवं स्थायीकरण के समय अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने सम्बन्धी आदेशों का इण्डियन एयरलाइंस निगम में क्या विशेषकर उसके मद्रास क्षेत्र में ग्रुप "ए" से "डी" तक के सभी संवर्गों में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यदि पहले की कोई रिक्तियां रह गई हैं तो उन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और अवधि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों के कुछ उम्मीदवारों, जो इण्डियन एयरलाइंस के मद्रास स्थित कार्यालय में सिविल इंजीनियर के पद के लिए हाल ही में नई दिल्ली में हुई साक्षात्कार परीक्षा में शामिल हुए थे, के मामलों पर अगले संवर्ग में पदोन्नति सम्बन्धी सरकारी आदेशों के अनुसार विचार नहीं किया गया ; यदि हां, तो इस मामले में एक रोस्टर रखने हेतु कार्यवाही के करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : **(क) और (ख)** जी नहीं, अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए आरक्षण आदेशों का इण्डियन एयरलाइंस द्वारा अनुपालन किया जाता है। इण्डियन एयरलाइंस में सिविल इंजीनियरों के पद पूर्णतया योग्यता के आधार पर चयन द्वारा भरे जाते हैं और इसीलिए आरक्षण आदेश ऐसे वर्गों पर लागू नहीं होते।

तिलहन परिष्करण सहकारी समितियां

11463. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय देश में तिलहन परिष्करण सहकारी समितियां कितनी हैं ;

(ख) उनमें से मूंगफली परिष्करण सहकारिताएं कितनी हैं और प्रत्येक राज्य में उनकी जिलेवार संख्या कितनी है और वे किस प्रकार की हैं ; और

(ग) इन परिष्करण सहकारिताओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान किस प्रकार की सहायता दी और 1979-80 के दौरान दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) देश में 268 तिलहन संसाधन सहकारी समितियां हैं ।

(ख) इनमें से मूंगफली संसाधन सहकारी समितियों की संख्या 16 है । इन एककों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केन्द्रीय अभिकरण की हैसियत से राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी तिलहन संसाधन एककों को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, ब्लाक लागत वहन करने और कार्यकर पूंजी जुटाने के लिए उपांत धन (मार्जिन मनी) सहायता देने के लिए ऋण तथा उपदान के रूप में निम्नलिखित प्रकार वित्तीय सहायता दी है :—

1976-77	261.70 लाख रुपए
1977-78	145.92 लाख रुपए
1978-79	112.48 लाख रुपए
1979-80	300.00 लाख रुपए

(उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है)

विवरण

अनुबन्ध

राज्य तथा जिलावार मूंगफली संसाधन सहकारी समितियां

क्र० सं०	स्थान जहां एकक स्थित है	दैनिक क्षमता टनों में		
		तेल मिल	विलायक संयंत्र	शोधक/वनस्पति
आंध्र प्रदेश				
1.	करीमनगर (जिला करीम नगर)	75	50	20
2.	अनन्तपुर (जिला अनन्तपुर)	75	50	—
गुजरात				
3.	राजकोट (जिला राजकोट)	140	60	—
4.	अमरेली (जिला अमरेली)	100		-

1	2	3	4
कर्नाटक			
5. बिनकडाकट्टी (जिला धरवार)	60	100	20
6. रायचुर (जिला रायचुर)	45	30	15
7. दावनगेरे (जिला चित्रदुर्ग)	75	50	—
महाराष्ट्र			
8. लातूर (जिला उस्मानाबाद)	70	50	12
पंजाब			
9. खन्ना (जिला लुधियाना)	48	60	50
10. कपूरथला (जिला कपूरथला)	70	50	10
राजस्थान			
11. फतेहनगर (जिला उदयपुर)	75	50	—
तमिलनाडु			
12. कोयम्बटूर (जिला कोयम्बटूर)	50	30	20
13. वृद्धाचलम (जिला साउथ आरकोट)	50	40	—
14. तिरुवनामलाई (जिला नार्थ आरकोट)	75	50	—
उत्तर प्रदेश			
15. बिटरोई (जिला बदांयू)	35	50	—
16. हरदोई (जिला हरदोई)	50	60	—

कोका कोला की बोतलें भरने वालों द्वारा करों की अदायगी

11464. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोका कोला की बोतलें भरने वाली सबसे बड़ी फर्म ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय करों के रूप में कितनी राशि की अदायगी की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतोश अग्रवाल) : आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के मामले में सीमा शुल्क की वसूली का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। अतः अदा किए गए सीमा शुल्क की राशि के सम्बन्ध में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर की रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

"इनकम टैक्स आफ सकलेचा'ज सन एसेसमेंट नाट मेड इन भोपाल" शीर्षक से समाचार

11465. **श्री बसंत साठे** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1979 के स्टेट्समैन में "इनकम टैक्स आफ सकलेचा'ज सन एसेसमेंट नाट मेड इन भोपाल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) उक्त मामले के तथ्य क्या हैं, क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच से पता चला है कि श्री ओमप्रकाश सकलेचा ने दिल्ली में पहली बार कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 की अपनी आयकर विवरणी दाखिल की।

दिल्ली विकास प्राधिकरण उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़ कर, अन्य पार्टियों का कोई रिकार्ड नहीं रखता। वह सम्पति उच्चतम बोली लगाने वाले मैसर्स भाटिया तथा सहगल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन को बेची गई थी। मैसर्स भाटिया एण्ड सहगल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के भागीदार श्री ए० के० भाटिया के अनुसार, दूसरी उच्चतम बोली लगाने वाली पार्टी मैसर्स स्किपर बिल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड थी और तीसरी उच्चतम बोली लगाने वाली पार्टी मैसर्स यूनाईटेड बिल्डर्स थी।

तथापि, मामले की जांच से पता चला है कि उक्त नीलामी में श्री ओम सकलेचा नाम के एक नवयुवक द्वारा हिस्सा लिया गया जान पड़ता है।

मूल्य वृद्धि विरोधी आंदोलन

11466. **श्री युवराज** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार 'मूल्य वृद्धि विरोध आंदोलन' को बढ़ावा देने का है ; और

(ख) क्या मंत्रालय ने मूल्य वृद्धि विरोध आंदोलन' को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्वयं सेवी तथा सामाजिक संगठनों को 10 लाख रुपये दिये हैं और यदि हां तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और किस सामाजिक संगठन को राशि दी गयी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है और जब-कभी आवश्यक होता है उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है ।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान निम्नलिखित आठ स्वैच्छिक संगठनों को, जो पंजीकृत समितियां हैं, विभिन्न उपभोक्ता शिक्षा तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए 2.95 लाख रु० का अनुदान दिया गया है :—

(1) महिला दक्षता समिति, नई दिल्ली ।

(2) कंज्यूमर एक्शन फोरम, कलकत्ता ।

(3) कर्नाटक कंज्यूमर्स फोरम, बंगलौर ।

(4) कंज्यूमर गाइडेन्स सोसायटी आफ इण्डिया, बंबई ।

(5) अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पूना ।

(6) कर्नाटक कंज्यूमर्स सर्विस सोसायटी बंगलौर ।

(7) कंज्यूमर्स सर्विस सोसायटी, नई दिल्ली ।

(8) इण्डियन फेडरेशन आफ कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली ।

होटल कारपोरेशन आफ इंडिया दिल्ली एकक की टेंडर समिति के खिलाफ अभ्यावेदन

11467. **श्री डी० अमात** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 के लिये "ड्रेसड बोआलर्स" के लिये टेंडर के मामले में होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली एकक के टेंडर समिति के खिलाफ सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) टेंडर का निर्णय होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया की टेंडर कमेटी द्वारा अधिक उंचा टेंडर देने वाले के पक्ष में दिया गया था, क्योंकि कम टेंडर देने वाले निर्धारित शर्तों और

भोजन की स्वच्छता के स्तर व क्वालिटी की पूर्ति नहीं करते थे। शिकायत कर्ता ने होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ़ वर्ष 1977-78 के एक ऐसे ही मामले में लिए गए निर्णय के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दिया है मामला अभी न्यायाधीन (सब-जुडिस) में है।

मैसर्स बगड़िया ब्रदर्स और मैसर्स महेश एजेन्सी राउरकेला पर बकाया आयकर

11468. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मैसर्स बगड़िया ब्रादर्स प्लांट साइट रोड राउरकेला और मैसर्स महेश एजेंसी प्लांट साइट रोड, राउरकेला कब बनी थीं तथा उनके कितने भागीदार हैं ;

(ख) उपरोक्त दोनों फर्मों के भागीदारों के नाम क्या हैं, उनमें से प्रत्येक ने कितनी कितनी पूंजी लगा रखी है, यह पूंजी कब लगाई गई थी और उन्होंने अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया है ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक पर कितना आयकर बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) मैसर्स बगड़िया ब्रादर्स नामक फर्म तीन भागीदारों सहित, वित्तीय वर्ष 1960-61 में अस्तित्व में आई। राउरकेला में मैसर्स महेश एजेंसी के नाम से कोई कम्पनी नहीं है।

(ख) मैसर्स बगड़िया ब्रादर्स के भागीदारों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के पूंजी-निवेश का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

भागीदार का नाम	प्रारम्भिक पूंजी निवेश	अब तक किए गए पूंजी निवेश की रकम
	(रुपये)	(रुपये)
श्री रामगोपाल बगड़िया	15,000	1,86,303
श्री श्रीराम बगड़िया	15,000	85,403
श्री सांवरमल बगड़िया	11,000	1,07,871

(ग) श्री रामगोपाल बगड़िया तथा श्री श्रीराम बगड़िया की ओर आयकर की कोई रकम बकाया नहीं है जबकि श्री सांवरमल बगड़िया की ओर केवल 185 रुपये की रकम बकाया है।

तांबे की कीमत बढ़ाना

11469. **श्री ओ० बी० अलगेशन** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने 1 मार्च 1979 से तांबे का मूल्य बढ़ाकर 26,000/- रुपए प्रति टन से 34,000/-रुपए प्रति टन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ;

(ग) कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा उसका मूल्य कितना है और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के स्टाक में कितना है ;

(घ) मूल्य में इस वृद्धि से, खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कितना लाभ होने की सम्भावना है ; और

(ङ) इस मूल्य वृद्धि से हिन्दुस्तान कापर से कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के रुखों को ध्यान में रखते हुए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विक्रय के लिए आयातित तांबे की रिलीज कीमत को 1-3-79 से 25,750 रुपये प्रति मे० टन से बढ़ाकर 34,000 रुपए प्रति मे० टन किया गया था ।

(ग) 1978-79 के दौरान, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लगभग 77,000 मे० टन तांबे का आयात किया । वर्ष के अन्त में अनबिका स्टाक लगभग 11.587 मे० टन था । संविदा कीमतों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

(घ) सरकारी उपक्रमों के लाभों की गणना बताई गई विधि के अनुसार नहीं की जाती ।

(ङ) हिन्दुस्तान कापर वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, आपेक्षित जानकारी इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है ।

पहली पंचवर्षीय योजना से पांचवी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान पर्यटन के विकास के लिए मध्य प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि

11470. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पहली योजना से पांचवीं योजना तक की अवधि के दौरान पर्यटन के विकास के लिए मध्य प्रदेश को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ख) क्या आबंटित की गई धनराशि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि की तुलना में काफी कम थी ; और

(ग) छठी योजना के दौरान राज्य को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा धनराशि का आबंटन राज्य-वार अधार पर नहीं किया जाता है। पर्यटन विकास की स्कीमें राज्य सैक्टर में अथवा केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाती हैं। पिछली योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्रीय सैक्टर के अधीन पर्यटन के विकास के लिए खर्च की गई कुल राशि लगभग 72.00 लाख रुपए है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) के दौरान केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित की जाने वाली स्कीमें इस प्रकार हैं :—

पर्यटन विभाग

(1) कान्हा राष्ट्रीय पार्क में टैंटों वाला आवास (2.00 लाख रुपए)।
(1978-79 के दौरान राज्य सरकार को धनराशि रिलीज कर दी गई है)

(2) कान्हा राष्ट्रीय पार्क में वन-गृह (अनुमानित लागत-30 लाख रुपए)।

भारत पर्यटन विकास निगम :

(1) खजुराहो, इंदौर और जबलपुर में परिवहन यूनिटें (यूनिटें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और वे क्रियाशील हो गई हैं)।

(2) खजुराहो होटल का विस्तार (अनुमानित लागत-30 लाख रुपए)।

(3) भोपाल में होटल (अनुमानित लागत-75 लाख रुपए)।

(4) सांची में यात्री-गृह का विस्तार (एक सांकेतिक प्रावधान)।

आयकर अधिनियम की धारा 80 एफ० एफ० का संशोधन करने के बारे में निर्णय

11471. **श्री लक्षमण राव मानकर** : क्या **उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री** 9 मार्च 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2732 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या डोम्बीवली (महाराष्ट्र) के नगर पार्षद द्वारा दिए गए दिनांक 25 अगस्त, 1978 के अभ्यावेदन में आयकर अधिनियम की धारा 80 एफ० एफ० का संशोधन करने के बारे में किए गए अनुरोध पर सरकार ने निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) (क) जी हां। परन्तु, सुझाव स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

ओरिएन्ट पेपर मिल्स कलकत्ता द्वारा उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क का भुगतान और आयकर की बकाया राशि

11472. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों में ओरिन्एट पेपर मिल्स लिमिटेड, बिड़ला बिल्डिंग, 9/7, आर० एन० मुकर्जी रोड़, कलकत्ता ने उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क की कितनी राशि का (अलग-अलग) भुगतान किया और उनकी ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) आरम्भ से लेकर अब तक वर्षवार, इस फर्म में कितनी धनराशि लगाई जा चुकी है और इसके भागीदारों की संख्या कितनी है और उन उद्योगों तथा व्यापार के नाम क्या हैं जिनमें वे भागीदार हैं और उनमें कितनी पूंजी लगाई हुई है और उनकी ओर गत तीन वर्षों से आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं के मामले में, अदा किए गए सीमा शुल्क की राशि का वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है । अत: गत तीन वर्षों में अदा किए गए सीमा शुल्क की राशि के सम्बन्ध में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

अदा किए गए उत्पादन शुल्क की रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स ओरिएण्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता की ओर कोई आयकर बकाया नहीं है ।

(ख) मैसर्स ओरिएण्ट पेपर मिल्स लिमिटेड उड़ीसा में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसकी पंजीकरण की तारीख 19-11-1947 है ।

कम्पनी की चुकता पूंजी, जिससे इस कम्पनी में किए गए निवेश का पता चलता है, कम्पनी कार्य विभाग में उपलब्ध तुलन-पत्रों के अनुसार निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित अवधि में समाप्त तुलन-पत्र की तारीख	चुकता पूंजी (लाख रु० में)
31-3-1948 से 31-3-1950 तक	101
31-3-1951 से 31-3-1953 तक	122
31-3-1954 से 31-3-1955 तक	227
31-3-1956	277

1	2
31-3-1957	279
31-3-1958	279
31-3-1959	281
31-3-1960 से 31-3-1961 तक	327
31-3-1962	338
31-3-1963 से 31-3-1966 तक	371
31-3-1967 से 31-3-1977 तक	562

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : संविधान (46 वां) संशोधन विधेयक गिर जाने के कारण संसदीय कार्यमन्त्री के कथित त्याग पत्र के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव है । इस विधेयक का उद्देश्य-अल्पसंख्यक-जातियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना था । कल जब सदन में हल्ला गुल्ला हुआ था तब प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित थे । सत्तारूढ़ दल हरिजनों और अल्पसंख्यक जातियों की रक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य नहीं जुटा पा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी उपस्थित नहीं थे ।

श्री सौगत राय : इससे हमारा क्या सम्बन्ध है । यह सत्तारूढ़ दल का काय है । इसीकारण संसदीय कार्यमन्त्री ने त्यागपत्र दिया है ; उनके उपअवकाशधेतक भी उपस्थित नहीं हैं राज्य मन्त्री भी उपस्थित नहीं थे । मुझे उन पर दया आती है, वह सारा उत्तरदायित्व अपने पर ले रहे हैं । इस सरकार का कार्यकरण किस प्रकार का है जो अल्पसंख्यको की रक्षा के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक भी पारित नहीं करा सकती । यह एक गम्भीर मामला है । आपने इस बारे में अपनी कुछ टिप्पणियां भी की हैं । ***(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आपने 10-35 पर सूचना दी है। इन सभी बातों पर कल चर्चा हुई थी। आप अपनी कल की अनुपस्थिति को इस प्रकार पूरी नहीं कर सकते। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। कृपया आप अपने स्थान पर बैठें। कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

कतिपय संसद सदस्यों के साथ अलीगढ़ के जिला अधिकारियों के कथित अशिष्ट व्यवहार के बारे में

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, 7 मैम्बरों के साथ जो सलूक किया है एस० पी०, और डी० एम० ने उसके बारे में आप बताइये क्या कर रहे हैं ? उनके खिलाफ प्रिवलेज मोशन लें, या कोई ऐक्शन लें।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्र में छपा है कि लापता व्यापारिक जहाज जिसमें 16 भारतीय व्यक्ति थे अभी तक गायब है, उसके सम्बन्ध में सरकार बताए कि कहां गया, कौन ले गया ? सरकार उसका पता लगाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नंदा देवी परमाणु उपकरण संबंधी समाचार का प्रतिवेदन

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नंदा देवी परमाणु उपकरण सम्बन्धी समस्या का अध्ययन और मूल्यांकन करने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिकों की समिति का प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 4504/79)

(2) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ।

दिल्ली आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले पत्रकारों के बारे में 8 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10021 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लालकृष्ण अडवानी) : मैं दिल्ली आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले पत्रकारों के बारे में श्री दिलीप चक्रवर्ती के अतारांकित प्रश्न संख्या 10021 के 8 मई, 1979 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण 8 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10021 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में निम्न प्रकार से कहा गया था :—

"एक विवरण सदन की मेज पर रखा है (परिशिष्ट-1)" परिशिष्ट में निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं :—

(क) पृष्ठ 14 पर 10वें नाम अर्थात श्री बालेश्वर प्रशाद अग्रवाल के नाम के सम्मुख "समाचार भारती" के स्थान पर "हिन्दुस्तान समाचार" पढ़ा जाए ।

(ख) उसी परिशिष्ट में पृष्ठ 14 पर 20वें नाम अर्थात "श्री केवल वर्मा" के सम्मुख "दी गई राशि" के कालम के अन्तर्गत 2,900 रुपए के स्थान पर "500 रुपये" पढ़ा जाए ।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज श्रीनगर, जयपुर, सूरथकल, कर्नाटक, राउरकेला आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : मैं डा० पी० सी० चन्द्र की ओर से निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, का मार्च, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर के मार्च, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) (एक) मालवीय प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, जयपुर का जुलाई, 1977 से जून, 1978 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) मालवीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर के जुलाई, 1977 से जून, 1978 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(3) (एक) कर्नाटक प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सूरथकल का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखे, तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) कर्नाटक प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, सूरथकल के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(4) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, राउरकेला का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, राउरकेला के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(5) (एक) सरदार बल्लभभाई प्रादेशिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सरदार बल्लभभाई प्रादेशिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) उपर्युक्त (5) (एक) में उल्लिखित पत्रों के अंग्रेजी संस्करण के साथ उनका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) (एक) विश्वेश्वरैया प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, नागपुर का वर्ष 1976-77 और 1977-78 का प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) ।

(दो) विश्वेश्वरैया प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1976-77 और 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) उपर्युक्त (6) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 4506/79)

(7) छात्र असंतोष के बारे में लोक सभा द्वारा 31 जुलाई, 1978 को स्वीकृत प्रस्ताव पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 4507/79)

(8) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 4508/79)

रेशम तथा रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : मैं रेशम तथा रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये, संख्या एल० टी० 4509/79)

इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इन्डिया के क्रमशः वर्ष 1979-80 तथा 1977-78 के बजट प्राक्कलन और राजस्व का साराँश

पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : मैं वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(क) (एक) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1979-80 के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स के पूंजी शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के वास्तविक व्यय, 1978-79 बजट के प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा 1979-80 के बजट प्राक्कलन का सारांश।

(ख) (एक) एयर इंडिया के वर्ष 1979-80 राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

(दो) एयर इंडिया के पूंजी शीर्षक के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 के वास्तविक व्यय, 1978-79 के बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा 1979-80 के बजट प्राक्कलन का सारांश ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये, संख्या एल० टी० 4510/79)

निर्यात, (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण), अधिनियम 1963 के अन्तर्गत जारी की गयीं अधिसूचनायें, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय पैकिंग संस्थान बम्बई का वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) एक-एक प्रति :—

(एक) निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 5 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1442 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1979 जो दिनांक 5 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1443 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 4511/79)

(2) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये, संख्या एल० टी० 4512/79)

(3) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी *संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरिक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी *संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए, संख्या एल० टी० 4513/79)

*प्रतिवेदन तथा समीक्षा का अंग्रेजी संस्करण 9 मार्च, 1979 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(4) (एक) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) चाय बोर्ड कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल० टी० 4514/79)

(5) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक, महासंघ, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल० टी० 4515/79]

(दो) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल० टी० 4516/79]

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक महासंघ, बम्बई का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल० टी० 4517/79]

(चार) राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक महासंघ, बम्बई का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल० टी० 4517/79]

अण्डमान और निकोबार प्रशासन का वर्ष 1977-78 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिकलाल मंडल) : मैं अण्डमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक सामान्य प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल० टी० 4518/79]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 210(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूचि-12 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए । संख्या एल० टी० 4519/79]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों में दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लांरग साय) : मैं छठी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) विवरण संख्या 8 पांचवां सत्र, 1978

(2) विवरण संख्या 5 छठी सत्र, 1978

(3) विवरण संख्या 3 सातवां सत्र, 1979

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 4520/79]

आंध्र प्रदेश के कारखानों पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के बारे में विवरण

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं मई 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 1100 के एक अनुपूरक प्रश्न के दौरान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसरण में आंध्र प्रदेश के कारखानों पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की स्थिति बताने वाला एक विवरण, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 4521/79]

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश की फैक्ट्रियों के पास पड़ी गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की स्थिति

(लाख रुपये)

फैक्ट्री	1978-79 मौसम में 15-4-79 तक खरीदे गए गन्ने के लिये देय कुल मूल्य	15-4-79 तक दिया गया मूल्य	15-4-79 को बाकी बकाया राशि	निम्न मौसमों के दौरान खरीदे गये गन्ने के लिए 15-4-79 को बकाया राशि		
				1977-78	1976-77	1975-76 तथा पहले के
आंध्र प्रदेश						
सीतानागराम	10.29	5.16	5.13	—	16.66	—
वाब्बिली	85.23	67.49	17.74	—	—	2.51
अमाडलावालसा	80.47	60.92	19.55	20.63	—	31-4-79 को
चोदावरम	141.46	53.78	87.68	—	—	—
अनकापल्ली	68.32	41.27	27.05	0.39	0.07	—
एटीक्कोपक्का	115.10	78.34	36.76	—	—	—
टुनी	29.07	23.95	5.12	5.29	—	—
किरलापपुडी	45.85	40.40	5.45	—	—	4.05
समालकोट	107.18	104.56	2.62	—	—	—
आर० सी० पुरम	242.55	220.63	21.92	0.02	—	—
चंगलू	226.94	271.12	25.82	0.06	—	—
शिवकासी	—	—	—	—	—	14.77
टनुकू	276.73	276.73	—	—	—	—
पालाकोल	75.61	65.00	10.61	—	—	—
वूय्यरू	587.71	568.61	19.10	—	—	—
चल्लापल्ली	69.07	46.78	22.29	—	0.20	4.76

1	2	3	4	5	6	7
शकरनगर	392.70	358.47	34.23	—	—	0.28 15-3-79 को
चित्तूर	185.07	154.38	30.69	—	—	—
निजामाबाद	181.59	165-83	15.76	—	—	—
ज़हीराबाद	248.45	248.45	—	—	—	—
भीमडोले	104.88	98.20	6.68	14.85	2.90	—
कुडुपा	66.52	63.46	3.06	17.12	—	—
मिरयलगुडा	54.75	47.44	7·31	—	—	31-3-79 को
भीमसिंधी	52.38	52.38	—	12.90	—	—
तिरूपति	64.18	39.48	24.70	—	—	—

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्ष 1977 का समेकित प्रतिवेदन तथा राज्यों में विभिन्न ग्रामीण बैंकों के प्रतिवेदन, अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) योजना, 1979, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1979, आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर 1977 को समाप्त हुएवर्ष के कार्यकरण के समेकित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(एक) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) प्रथम बैंक, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक आरा (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सात) संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(आठ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेलारी (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू (जम्मू और काश्मीर) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारि (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव (हरियाणा) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पन्द्रह) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सोलह) फरूखाबाद ग्रामीण बैंक, फरूखाबाद (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सत्रह) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(अठारह) बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलंगीर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(उन्नीस) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खमम्म (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बीस) प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक, नलवाड़ी (आसाम) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(इक्कीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुदुप्पा (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बाईस) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी (जिला बीरभूम) (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेईस) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौबीस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नादेड़ (महाराष्ट्र) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पच्चीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छब्बीस) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सत्ताईस) श्री बिशाख ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) का 31 दिसम्बर. 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(अट्ठाईस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(उन्तीस) शेखावती ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(इक्कत्तीस) विलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विलासपुर (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बत्तीस) मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेंतीस) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जैपुर (उड़ीसा) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौंतीस) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पैंतीस) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नानूर (केरल) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक प्रतिवेदन ।

(छत्तीस) रीवा-सिद्दी ग्रामीण बैंक, रीवा (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सैंतीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला (त्रिपुरा) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(अड़तीस) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(उन्तालीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी (हिमाचल प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चालीस) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(इक्तालीस) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बयालीस) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तैंतालीस) पाण्डेयन ग्राम बैंक, सत्तूर (तमिलनाडु) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चवालीस) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पैंतालीस) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छयालीस) बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(सैंतालीस) सन्थाल परगना ग्रामीण बैंक, डुमका (बिहार) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(अड़तीलस) हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई (उत्तर प्रदेश) का 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4522/79]

(3) अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 की धारा 19 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) (संशोधन) स्कीम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 286(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये । संख्या एल० टी० 4523/79]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 666 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4524/79]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 669 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 35-कस्टम्स, 36-कस्टम्स और 37-कस्टम्स से संशोधन किये गये हैं, और यह स्पष्ट किया गया है कि मशीनों आइ० सी० पी० इंजनों आदि के हिस्सों पर शुल्क के भुगतान से छूट केवल उतने शुल्क पर है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूचि के अन्तर्गत मुख्य मशीनों अथवा इंछों, जैसा भी हो पर देय शुल्क से अधिक है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4525/79]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 303(ङ) से 310(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4526/79]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4527/79]

(दो) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) ।

[ग्रथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4528/79]

(तीन) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां—खंड 1—अप्रत्यक्ष कर ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4529/79]

(8) वर्ष 1977-78 के लिये विनियोग लेखे, डाक और तार (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4530/79]

(9) वर्ष 1977-78 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे तथा उनके वाणिज्यिक परिशिष्ठ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4531/79]

(10) खराब और कटे फटे नोटों को बदलने के बारे में श्री दया राम शाक्य के अतांरा-कित प्रश्न संख्या 5503 के 30 मार्च, 1979 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण ।

विवरण

30-3-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5503 के भाग (क) का उत्तर नीचे उद्धृत किया गया है :—

"(क) मैले कुचैले और थोड़े कटे फटे नोटों को रिज़र्व बैंक अपने कार्यालयों में स्थापित बदलने के काउंटरों पर और उन लोगों की सुविधाओं के लिए अपने कार्यालयों

में इस प्रयोजन के लिए रखे विशेष बक्सों के जरिए भी बदल देता है जोकि काउंटर पर इंतजार करना पसंद नहीं करते और डाक के जरिए भी बदलने की सुविधा दी जाती है। रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के काउंटरों पर बदले गए इस तरह के नोटों के बारे में कोई तथ्य और आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। विशेष बक्सों और डाक के जरिए जुलाई, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक बदलवाए जाने के लिए इस प्रकार के जो नोट प्राप्त हुए थे उनकी संख्या 4,49,000 अदद थी"।

इस बात का खेद है कि उत्तर में टाइप संबंधी गलती हो गई है। अन्तिम वाक्य में दी गई संख्या 4,49,000 अदद को 41,49,000 पढ़ा जाए।

———

गैर-सरकारी सदस्यों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

(कार्यवाही सारांश)

श्री विनोदभाई बी० शेठ (**जामनगर**) : ये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र में हुई 27वीं से 34वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं :—

———

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

(कार्यवाही सारांश)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के 20वें, 21वें तथा 22वें प्रतिवेदनों से संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 17 मई, 1979 को हुई अपनी बैठक में सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1979, जो लोक सभा द्वारा 9 मई, 1979 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था, से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे एतदद्वारा संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) बिधेयक, 1979, जो लोक सभा द्वारा 9 मई, 1979 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस भेंजने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उप-बन्धों के अनुसार मुझे एतदद्वारा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1979, जो लोक सभा द्वारा 9 मई, 1979 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को वापस भेजने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विधेयक पर अनुमति

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं में पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त वित्त विधेयक, 1979 सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

21वां तथा 22वां प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 21वां तथा 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

———

याचिका समिति

11वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : वाचस्पति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस छटी लोक सभा की याचिका समिति का एकादश और इस वर्तमान समिति का अंतिम प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सदन की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं । साथ ही साथ सत्ताइसवीं से पैंसठवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सदन की सेवा में प्रस्तुत करता हूं । आशा करता हूं कि यह दोनों माननीय सदस्यों के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे ।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डा० करण सिंह (ऊधमपुर) : मैं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये बोर्डों की स्थापना के लिये, ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

डा० कर्ण सिंह : मैं वायु प्रदूषण निवारण तणा नियंत्रण और उपशमन के लिये और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये बोर्डों की स्थापना के लिये ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

कराधान विधियों में दी गई रियायतों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की जाने वाली विशेषज्ञ समिति के बारे में वक्तव्य

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री : (श्री चरण सिंह) : 28 फरवरी, के अपने बजट-भाषण में, मैंने यह बताया था कि हमारे कर सम्बन्धी कानूनों में दिहित रियायतों, खासतौर पर निगम कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित रियायतों के, उद्योगधन्धों में अपनाई जाने वाली उत्पादन की तकनीकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए और उत्पादन के श्रमप्रधान तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्धेश्य से आवश्यक सुधार करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए अर्थशास्त्रियों तथा कर प्रशासकों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी। सदन यह जानकर प्रसन्न होगा कि प्रसिद्ध अर्ध-शास्त्री प्रोफेसर वी० एम० दाण्डेकर, जो कि इस समय गोखले राजनीति एवं अर्थ-शास्त्र संस्थान, पुणें के निदेशक हैं, इस

समिति का अध्यक्ष बनने के लिए सहमत हो गए है। अध्यक्ष के अलावा इस समिति में तीन गैर-सरकारी सदस्य होंगे जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान देकर तथा सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेकर ख्याति प्राप्त की है। तीनों गैर-सरकारी सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) डा० ए० वैद्यनाथन्
आर० बी० आई०
फैलो सेंटर फार डबलपमेण्ट स्टडीज
त्रिवेन्द्रम।

(2) डा० आनंद पी० गुप्ता
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र,
मारतीय प्रबंध संस्थान
अहमदाबाद।

(3) श्री एल० सी० जैन
अध्यक्ष
अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड।

दो वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात् एक अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड से और दूसरा अधिकारी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से, जिनको अपने अपने क्षेत्रों के कर सम्बन्धी कानूनों का गंभीर ज्ञान है और जिनको उनके वास्तविक कार्यचालन का लम्बा अनुभव है, इस समिति में मनोनीत किए जाएंगे। आर्थिक कार्य विभाग के राजकोषीय नीति अनुभाग के निदेशक डा० ए० बागची इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

2. समिति को जो विचारणीय विषय सौंपे जाएंगे, वे निम्नलिखित है :—

(1) केन्द्रीय कर सम्बन्धी कानूनों के उन सभी उपबन्धों को स्पष्ट रूप से बताना जो कि अर्थ-व्यवस्था में श्रम-नियंजन पर प्रभाव डालते हैं ;

(2) रोजगार पर और उद्योग, कृषि तथा आर्थिक कार्यकलाप के अन्य क्षेत्रों में उत्पादन की तकनीकों पर पड़ने वाले, इन उपबंधों के प्रभाव की जांच करना ;

(3) केन्द्रीय कर सम्बन्धी कानूनों में समुचित परिवर्तनों का सुझाव देना जिससे कि प्रशासनिक व्यवहार्यता तथा लोक नीति के अन्य उद्देश्यों, जैसे कि आर्थिक संवृद्धि और आत्मनिर्भता आदि का उचित ध्यान रखते हुए रोजगार पैदा करने तथा उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों को अपनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा सके ; और

(4) अन्य किसी भी सम्बद्ध मामले के बारे में सिफारिश करना।

3. यह स्पष्ट है कि इस समिति को भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र का अवगाहन करने के लिए कहा जा रहा है। संभवतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह पहला अवसर है जबकि हमारे कर-सम्बन्धी कानूनों का विशेष अध्ययन इस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है जिससे कि करों के माध्यम को, संकल्प पूर्वक, रोजगार को बढ़ाने के लिए इस्तमाल में लाया जा सके, जो कि मौजूदा सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है।

4. मुझे इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस समिति के निष्कर्ष तथा इसकी सिफारिशें आगामी वर्ष के बजट प्रस्तावों को तैयार कराने में तथा हमारे कर-सम्बन्धी कानूनों को इस प्रकार नई दिशा देने में बड़ी सहायक सिद्ध होंगी जिससे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। इस उद्देश्य से कि इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के लिए अगले वर्ष के बजट के दौरान विचार किया जा सके। समिति से कहा जा रहा है कि वह अपनी रिपोर्ट लगभग चार महीनों में पेश कर दे।

(एक) तस्कर तथा विदेशी मूद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) संशोधन विधेयक

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (जुल्फिकारूल्लाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापति करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनिमय, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जुल्फिकारूल्याह : मैं विधेयक पुरः स्थापति करता हूं।

(दो) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने तथा सिक्कम राज्य में सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अनिनियम, 1951 में और संशोधन करने तथा सिक्किम राज्य में सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्तावित स्वीकृति हुआ

श्री शान्ति भूषण : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ ।

(तीन) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री शान्ति भूषण : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शूल्क तथा लवण तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957, में अग्रेतर संशोधन करने का एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है :—

"कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने का एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

एक माननीय सदस्य : महोदय अलीगढ़ में..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे नोटिस निर्धारित समय के पश्चात् 10.45 बजे (पूर्वान्ह) दिया गया था । मैंने उसे मन्त्री महोदय के पास टिप्पणी के लिए भेज दिया है । **(व्यवधान)**

———

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ;

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

कई सदस्यों ने इसका विरोध करने की सूचना दी है। नियम के अनुसार विरोध करने वाले, प्रथम सदस्य को वक्तव्य देने की इज़ाज़ात दी जाती है मैं प्रत्येक दल के एक सदस्य को अपनी बात कहने की इजाज़त देता हूं। यद्यपि नियम के अन्तर्गत केवल एक ही सदस्य को यह इज़ाज़ेत दी जा सकती है, किन्तु मैं प्रत्येक दल के एक सदस्य को यह इज़ाज़त दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : मैं विधायी आधार पर इसका विरोध करना चाहता हूं। ***(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको नियमों का पालन करना होगा। नियम 72 में कहा गया है :

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के, प्रश्न रख सकेगा ;

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं नियम 72 के अधीन व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूं। इस नियम के परन्तुक में यह कहा गया है :

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस अधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सदन की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा :"

मैं नियम 72 के इस परन्तुक के अधीन एक पूर्ण चर्चा की मांग कर रहा हूं।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री लिमये को छोड़ कर किसी ने भी सदन की विधायनी क्षमता का विरोध करने की सूचना नहीं दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सूचना देता हूं ।

अध्यक्ष मपोदय : अब नहीं । आपको यह सूचना पहले देनी चाहिये थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कोई सूचना देनी आवश्यक नहीं है । मैं सदन के इस कानून को बताने की अक्षमता के आधार पर इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करना चाहता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं संविधान (50 वां संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं । हमारे अनुसार, इस विधेयक को पुरःस्थापित करना अत्यंत लज्जाजनक होगा और हमारे देश का जो थोड़ा बहुत संघीय ढांचा है, उस पर समझ-बूझ कर यह कुठाराघात किया गया है । जैसी की स्थिति है, इस देश में प्रशासन और शासन की शक्तियां पहले ही केन्द्र के पक्ष में रखी गई हैं । हमारे संविधान में यह असंतुलन इसलिए है कि इसके अन्तर्गत राज्यों पर कई महत्वपूर्ण दायित्व तथा कृत्य तो डाले गये हैं किन्तु उसके समकक्ष संवैधानिक कृत्य तथा आर्थिक साधन उनको नहीं सोंपे गये हैं ।

इस विधेयक का प्रस्ताव क्यों किया गया है ? उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि इसका आशय इस विषय संबंधी विधान में तथाकथित एक रूपता लाना है । इस विधेयक का इसलिए प्रस्ताव नहीं लिया जा रहा है क्योंकि राज्यों ने राज्य सूची की मद संख्या 15 के अधीन कानून बनाने अथवा लागू करने में किसी उतरदायित्वपूर्ण रवेये का परिचय नहीं दिया । मैं कहूंगा कि इस विधेयक पुरःस्थापना का आधार एक-रूपता बताना ब्लैक मेल के आगे घुटने टेकने के सिवा और कुछ नहीं है ।

जहां तक गौ रक्षा विधान का संबंध है, वे एक रूपता की बात कर रहे हैं किन्तु देश के आर्थिक संसाधनों के केन्द्र और राज्यों के बीच बटबारे के मामले में संदेह नहीं है । जहां तक पूर्वी राज्यों का संबंध है, हम सैदियों से भाड़ा समकरण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, किन्तु वहां एकरूपता का सिद्धान्त लागू करने वाला कोई नहीं है । हमारा यह कहना है कि यदि शक्ति वितरण का कोई असंतोष जनक संतुलन है भी, तो उस स्थिति में भी यह विधेयक और कुछ नहीं, उस संतुलन को बिगाड़ने का एक सोचा समझा कदम है ।

मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं कि जब संविधान सभा में इस मद पर चर्चा की गई थी तो श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने प्रविष्टि के अन्तरण के बारे में एक विशिष्ट संशोधन का प्रस्ताव रखा था । अर्थात तत्कालीन प्रविशिष्ट संख्या 22 को प्रारूप संविधान में सूची तीन अर्थात समवती सूची में अन्तरित करने का प्रस्ताव किया था । इस बारे में एक विशिष्ट संशोधन लाया गया किन्तु श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को उस समय विधेयक प्रस्तुत कर रहे थे, ने कहा कि इस विषय के प्रशासन की जिम्मेवारी राज्यों पर होनी

चाहिए। संविधान सभा ने श्री शिब्बन लाल सक्सेना का संशोधन अस्वीकार कर दिया और इस मद को जान बूझकर राज्य सूची में रखा।

उसके बाद क्या हुआ है ? आज क्या हुआ है जबकि समस्त राज्य सरकारों तथा राज्य विधान मण्डलों ने अपनी-अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनी नीति तथा कार्य क्रमानुसार अपने कानून बना लिये हैं। हम जानते हैं कि निशाना किस पर साधा गया है। इसका निशाना केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारें हैं। क्यों ? यह ध्यान देने योग्य बात है कि स्वत्रतां के बाद से जब कभी भी यह प्रश्न उठा, पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार ने ही नहीं आपितु शुरू से अर्थात डा० बी० सी० राय, सर पी० सी० सैन, श्री अजय मुखर्जी तथा सभी मुख्यमन्त्रियों ने बार-बार यह कहा कि जिस रूप में गौहत्या प्रतिबंध कुछ राज्यों में लागू है उस रूप में वहां इसको लागू करना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण है। क्या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्र अथवा यह संसद, यह पवित्र सदन इस प्रकार से राज्य सरकारों के विचारों की अनदेखी करेगा ? जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, क्या इस तरह के अस्थायी बहुमत को राज्य सरकारों तथा विभिन्न राज्यों की जनता के दृष्टिकोणों को एक तरफ रखने के काम लाया जायेगा ?

मेरा यह निवेदन है कि जब राज्य सरकारों के अपने कानून हैं, जब राज्य सरकारें उन कानूनों को लागू कर रही हैं, तो यह कार्य राज्य सरकारों का है। राज्य सूची में सम्मिलित किसी भी विषय में राज्य सरकारों, राज्य विधान मण्डलों को अपनी जरूरतों के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है। आज किसी विषय पर किसी राज्य के कानूनों को एकरूपता देने का तर्क देकर वह कह सकते हैं कि राज्य सूची से कोई मद समवर्ती सूची में अन्तरित कर दिया जाना चाहिये और मनमाने ढंग से शक्ति केन्द्र के हाथ में लायी जानी चाहिये।

जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा, जनता पार्टी इन्दिरा कांग्रेस तथा अन्य काँग्रेस से मिलकर यह संविधान संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करने जा रही है जिससे वह चीज़ समाप्त हो जायेगी जोकि संविधान सभा ने की थी। हम नहीं समझते कि इसके लिए कोई औचित्य है। प्रस्तावित संविधान संशोधन का आधार ब्लैंक मेल करना है। यह गुप्त तथा साम्प्रदायिक तत्वों के आगे घुटने टेकने के समान है। यही हो रहा है। अत: मेरा निवेदन है कि यह विधेयक संविधान की भावना के ही विरुद्ध नहीं अपितु इसमें विधायी क्षमता का प्रश्न भी सम्मिलित है।

हम जानते हैं कि यह कहा जायेगा कि यह संवैधानिक शक्ति के प्रयोग करने से संबंध रखता है। संविधान तो बहुत बर्षों से है। जब संविधान के जनक संविधान सभा ने उचित कार्य-वाही के बाद इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित करने हेतु एक संशोधन को नामंजूर करके किसी औचित्य बिना ही कोई उपबन्ध विशेष गृहीत किया तो आज उस संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। अतः हमारा यह कहना है कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति न दी जाये। उनको यह विधेयक पुर:स्थापित करने का कोई हक नहीं है। हमारा यह निवेदन है कि हम वर्तमान अथवा भावी 'बोवाइन' (गोजातीय) जातियों के आधार पर इस देश

में शक्ति के वितरण के आधार का फैसला नहीं कर सकते । आज जब मानव जाति की समस्याएं हल नहीं की जा रही हैं, जब हरिजन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा है, जबकि अल्पसंख्यकों के साथ तरह-तरह का दुर्व्यवहार तथा अत्याचार किया जा रहा है, तब भी कोई हड़ताल अथवा भूखहड़ताल नहीं हो रही है । अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह संविधान निर्माण के मामले में दगा न दे और राज्यों के अधिकारों पर सोच समझकर यह जो कुठाराघात किया जा रहा है, उसे रोके और विधेयक वापस लेलें ।

प्रधान मन्त्री ने कहा कि जब वह सभा में वक्तव्य दे रहे थे, तो उनको विपक्ष की चिन्ता नहीं थी । प्रधान मन्त्री ने यह रवैया इसलिए अपनाया क्योंकि अब उनको इन्दिरा कांग्रेस तथा अन्य कांग्रेस का समर्थन मिल गया है । अत: उन्होंने कहा, उनको हमारे समर्थन की आवश्यकता नहीं है । किन्तु इस विधेयक का इस सदन में ही नहीं अपितु सारे देश की जनता द्वारा पूरा-पूरा विरोध किया जायेगा । किसी एक व्यक्ति के लिए जिसने एक खास रवैया अपनाया है ऐसा नहीं किया जा सकता । देश में और भी कई अत्यंत आवश्यक समस्याएं हैं । एक व्यक्ति के विचारों को यदि अन्य राज्यों के लोगों पर थोपा जाता है तो उसका विरोध किया जायेगा । मेरा प्रधान मन्त्री से अनुरोध है कि वे इस तरह से देश की एकता में फूट न डालें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सौगत राय ।

श्री अर्जुन सिंह भादौरिया : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले आप हमारा निवेदन सुनिये । आपने इस मामले को बहुत साधारण तौर पर, लाइटली लिया है । .....(**व्यवधान**).....

श्री मनीराम बागड़ी : राज्य सभा ने काल-एटेन्शन मान लिया है, आप भी कृपा करें.....।

अध्यक्ष महोदय : कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है ।

श्री मनी राम बागड़ी : राज्य सभा में मान लिया गया है ..... राज्य सभा में काल-एटेन्शन आ रहा है, लोकसभा में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है.....।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मन्त्री की टिप्पणी मांगी है ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : होम मिनिस्टर क्लैक्टर से पूछेंगे जबकि वह खुद इसमें पार्टी हैं.....।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री अर्जुन सिंह भादौरिया : आप उन अधिकारियों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने अन्याय किया है। आप नौकरशाहों का समर्थन कर रहे हैं .....

श्री विनायक प्रसाद यादव : आज पार्लियामेंट का अन्तिम दिन है, इस पर ध्यानाकर्षण मोशन लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आज पार्लियामेंट का अन्तिम दिन नहीं है, सेशन का अन्तिम दिन है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं मैंने गृह मन्त्री की टिप्पणी मांगी है।

श्री श्याम नंदन मिश्र (बेगुसराय) : परसों जब सदन में यह मामला उठाया गया था तो पूरे सदन को इस बारे में चिंता हुई थी और माननीय उपाध्यक्ष ने कहा था कि इस मामले में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। अभी तक सदन को यह नहीं बताया गया है कि कौन से कदम उठाये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें बता दिया है। आप अनुपस्थित थे।

श्री श्याम नंदन मिश्र : परसों ही यह मामला उठाया गया था, और हमने सोचा कि इस अंतराल में इस मामले में सभापति महोदय ने कुछ कदम उठाये होंगे। आज माननीय सदस्य को विवश होकर दो स्पष्ट दिनों के बाद उन अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार मांग की सूचना देनी पड़ी। पूरे सदन का यह विचार है कि यह उसकी गरिमा और सम्मान पर आक्षेप है। जब इस सदन के सात सदस्यों की गरिमा और उनके सम्मान पर आक्षेप किया गया है तो पूरा सदन अपमानित महसूस करता है अतः हमने सोचा कि सभापति महोदय सरकार से तत्काल कदम उठाने के लिए कहेंगे और सदन को इस बारे में अवगत करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विशेषाधिकार की सूचना का संबंध है, यह मुझे आज 10-20 बजे प्रातः दी गई थी। (**व्यवधान**) मैं केवल उसी सूचना के बारे में बात कर सकता हूं जो मुझे दी गई है। जहां तक अन्य बात का सम्बन्ध है, वह मेरा काम नही है, वह सरकार पर निर्भर है।

श्री श्याम नंदन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने गृह मन्त्री को सूचित किया है।

श्री श्याम नंदन मिश्र : पिछले दो दिनों में क्या हुआ है ? सदन को यह बताया जाना चाहिए कि पिछले दो दिनों में क्या किया गया है। आज सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रहा है। क्या सदन को इसके बारे में बताया नहीं जाना चाहिए था ? (**व्यवधान**) सरकारी पक्ष की ओर से कोई हमें बताये कि इस मामले में क्या किया गया है।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरे कार्यालय का संबंध है हमने लोक सभा का कार्यवाही-वृत्तांत सरकार को तत्काल कार्यवाही के लिए भेज दिया है ।

श्री श्याम नंदन मिश्र : सरकार ने इन पिछले दो दिनों में क्या किया है ? सभापति महोदय ने कहा था कि वह आवश्यक कार्यवाही करने जा रहे है । (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : हमारे अनेक साथियों ने इस मामले को उठाया है । दो बातें बुनियादी हैं एक है-समय । आज अंतिम दिन है । यदि आपने जानकारी मंगाई भी है और यदि वह आज 6.30 बजे शाम तक नहीं पहुंचती है, यदि आप निर्णय नहीं ले पाते है तो मामला समाप्त हो जाएगा ।

दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जब एक नहीं अनेक सदस्य खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है । तो आप उसे वैसा ही मानिये जैसा वह कह रहे हैं और यह मानकर चलिये कि वे सच बोल रहे है । आप किस बात की जांच कर रहे हैं ? यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये सरकार को रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना आवश्यक हो । मेरा कहना यह है कि यह संसद सदस्य यह कह रहे हैं कि उनके प्रति दुर्व्यवहार किया गया है । आप सरकार से पुलिस के द्वारा गोली चलाने या लाठी चार्ज करने या अश्रु गैस छोड़ने या अन्य किसी ब्यौरे के बारे में तो पूछ सकते हैं किन्तु जब संसद सदस्य, एक नहीं सात संसद सदस्य सदन में आकर शपथ लेकर यह कहते हैं कि उनका अपमान किया गया है और उनकी गरिमा पर आक्षेप किया गया है तो आप किस बात की जांच कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मुझे सुनिए ।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, हाउस आफ़ कामन्स में ऐसी कन्वेनशन है कि सदन में जो सदस्य कहता है, उसको सही मान लिया जाता है । आप भी इसे सही मानिये ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरा संबंध है ...(**व्यवधान**) उग्रसेन जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं आपको संसदीय तौर-तरीकों का कुछ पता होना चाहिए ।

जहां तक मेरा संबंध है, दो दिन पहले यह मामला उठाया गया था और उपाध्यक्ष के अनुदेशों के अधीन पूरी कार्यवाही सरकार को भेज दी गई थी । इस प्रकार मेरा काम आज शुरू होता है जब विशेषाधिकार सूचना दी गई है .....(**व्यवधान**) । उस समय तक यह सरकार की चिंता का विषय है । सरकार कार्यवाही करेगी और मेरा कोई काम नहीं हैं । विशेषाधिकार की सूचना आज 10-20 बजे सवेरे प्राप्त हुई थी ।.....(**व्यवधान**)

श्री कृष्णकान्त (चंडीगढ़) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । क्या आप सरकार से यह कहेंगे कि इस सदन के आज उठने से पहले वह सदन को यह बतायेंगे कि आपने जो टिप्पण

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

भेजा था उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? मैं आपसे बस यही चाहता हूं ? यह बहुत सरल बात है। मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री वयालार रवि (चिरयंकील) : एक परम्परा है। जब एक माननीय सदस्य-जो उस समय विपक्ष में थे—का दो वर्ष पहले नागपुर में अपमान किया गया था। श्री चह्वाण उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने सदन को जानकारी दी थी और अध्यक्ष महोदय ने जो सदन और संसद तथा सदस्यों की गरिमा के बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थे, तत्काल विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, उस अधिकारी को सदन के समक्ष बुलाया गया था और उसे चेतावनी दी गई थी और इस प्रकार सदन और सदस्यों की गरिमा की रक्षा की गई थी। आप अध्यक्ष हैं, आप सरकार पर निर्भर करते हैं, सदस्यों पर नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि आप सदस्यों पर विश्वास करेंगे या सरकार पर ? मैं बस यही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विशेषाधिकार प्रस्ताव का संबंध है, यह मुझे आज केवल 10.20 बजे सवेरे प्राप्त हुआ है।

श्री के० गोपाल (करुर) : किसी भी सदस्य द्वारा जब कोई वक्तव्य दिया जाता है तो आपको उसे सही मानना चाहिये। आपको सदस्य पर निर्भर करना होगा, आप पुलिस अधिकारी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं।

के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागर्रा) : जो मूलबात सामने आती है वह यह है कि क्या आप सदन में किसी सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य को स्वीकार करेंगे या आपके पास ऐसा कोई अंतर्निहित अधिकार है जिसके अधीन किसी सदस्य द्वारा सदन में कुछ कहे जाने की विशेष कर तब जब वह यह कहे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है—जांच करेंगे कि वह बात सही है अथवा नहीं ? क्या आपके पास ऐसा कोई अधिकार है ? हमारे विचार से आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। यह सूचना मुझे आज 10.20 बजे सवेरे दी गई .....**(व्यवधान)**

श्री के० गोपाल : उन्होंने सदन में यह मामला आज उठाया क्योंकि आपने कोई कार्यवाही नहीं की थी .....**(व्यवधान)**

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मेरा नियम 227 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 227 के अन्तर्गत है .....(**व्यवधान**)

श्री एम० एन० गोविंदन नायर (त्रिवेन्द्रम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। न केवल सदस्य बल्कि आप भी उनके व्यवहार से अपमानित हुए है। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में भी घट सकती हैं। मान लीजिए सदन के सदस्यों द्वारा कोई बात आपके ध्यान में लाई जाती है और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आप कोई जानकारी मगाते हैं तो क्या वे आपको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं ? यहां दो दिन गुज़र गये हैं और कुछ हुआ ही नहीं है। सरकार का रवैया उपेक्षा का है। आप चुप हैं। यह न केवल सदन का अपमान है बल्कि आपके उच्च पद का भी अपमान है यह एक प्रकार से देश के किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई याचिका की तरह है। यदि यही स्थिति रही तो सदन किस प्रकार ठीक से काम कर सकता है मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय मेरा नियम 227 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं पढ़ रहा हूं :—

"इन नियमों में किसी बात के अतर्विष्ट होते हुए भी ....."

आप कृपया नियम 222 से आगे देखें। नियम 227 के अन्तर्गत अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा। इस प्रकार महोदय, यह एक गम्भीर मामला है और सात सदस्य इस से सम्बद्ध हैं। उनका पुलिस अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नर आदि द्वारा अपमान किया गया है। सदस्यों ने आपको लिखकर दिया है- हो सकता है 11 बजे दिया हो या उसके बाद या अभी। यह मामला किसी भी समय उठाया जा सकता है। आप सदस्यों के विशेषाधिकारों के रक्षक हैं यह आपका कर्त्तव्य है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई सदस्य भी कार्य नहीं कर पायेगा। उन्हें किसी जगह जाने के लिए कहा गया और उनका इस प्रकार से अपमान किया गया है। आप नियम 227 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को यह मामला सौंपने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ रहा हूं किन्तु यह व्यस्था का प्रश्न नहीं है। उन्हें मुझे 10 बजे से पहले सूचना देनी चाहिए थी।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह किसी भी समय दिया जा सकता है। आप इसे जांच के लिए भेज सकते हैं। अतः मैं सुझाव देता हूं कि आप इसे जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दें। ऐसा इसलिए कि क्योंकि आज सत्र का अंतिम दिन है। आपको इसे आज ही करना चाहिए। क्या आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप रहे हैं ?

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बातों पर विचार करूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मेरा एक निवेदन है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, आपने क्या उत्तर दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर बिलम्ब नहीं देता हूं । मैं केवल सुनता हूं ;

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उचित कार्यवाही करूंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह उचित कार्यवाही क्या है ? आप अध्यक्ष हैं, मंत्री नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : निस्सन्देह ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उचित कार्यवाही से क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी है । मैं उनका अध्ययन करूंगा और आदेश दूंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप कब आदेश देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जो भी कार्यवाही होगी आज ही की जायेगी ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आज अन्तिम दिन है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही आज ही की जायेगी । (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे (अकोला) : कोई ठोस आरोप नहीं लगाया गया है । आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को कैसे सौंप सकते हैं ? (**व्यवधान**) इनसल्ट हो गई, मैजिस्ट्रेट ने इंसल्ट कर दी अलीगढ़ में यही कह रहे हैं न ? रामलिंगम को मारा गया । क्या आप में से किसी ने भी कुछ कहा ? आप दोहरे मानदंड नहीं अपना सकते । रामलिंगम संसद सदस्य को पीटा गया । उनकी हड्डी टूट गयी । क्या आपने इस बारे में एक शब्द भी कहा ? अगर आपका संसद सदस्य पीटा गया होता ? (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । कृपया उसका जवाब दीजिए । आपको इसका अधिकार है कि आप नियम 227 के अन्तर्गत मामले को किसी भी समय* विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं । मैं आपका निर्णय चाहता हूं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इस लोक सभा में एक स्पष्ट पूर्वोदाहरण विद्यमान है, इसी प्रकार की परिस्थितियों के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन न्यास के चेयरमैन के विरुद्ध विशेषाधिकार

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

का प्रस्ताव पेश किया गया था और अध्यक्ष महोदय ने मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा था। विशेषाधिकार समिति सभा की न्यायपालिका है, यह निर्णय नहीं देती है। समिति साक्षियों का साक्ष्य लेती है और तत्पश्चात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

श्री बसन्त साठे : नहीं, नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तुम चमचागीरी करते हो। आप इस सभा में विशेषाधिकार समिति का मजाक उड़ा रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय वसु : महोदय, मेरा निवेदन है कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय ने दोष सिद्ध कर लिया है। अतः जब सात सदस्यों ने बिना किसी अन्तर्विरोध के एक वक्तव्य दे दिया है तो उपाध्यक्ष महोदय को इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, अन्यथा नौकरशाही के हावी होने की स्थिति में हमारे लिए कार्य करना कठिन हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु तथा श्री साठे मुझे अपना सहयोग दें। इस सभा में पिछले दिन यह प्रश्न उठाया गया था और मैंने कहा था कि मैं सारे मामले की जांच करूंगा और जो कुछ कार्यवाही करनी होगी, वह की जायेगी।' मैंने यही कुछ कहा था।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने क्या किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने सम्पूर्ण कार्यवाही मंत्री महोदय को भेज दी है। हमने कार्यवाही करने के लिए सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही भेज दी है और मुझे आशा है कि की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, यह आखिरी दिन है। हमारी मांग है कि सरकार आपके कहने पर वक्तव्य दे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बीच श्री हरिकेश बहादुर ने सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय के सभा में पहुंचने से कुछ ही देर पहले विशेषाधिकार के भंग होने संबंधी प्रस्ताव दिया। (**व्यवधान**) मैंने यह नहीं कहा है कि वह ग्राह्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव का अवलोकन करना चाहते थे और मेरा अनुमान है कि वे प्रस्ताव का अवलोकन कर रहे हैं और वह उस पर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

अब, हमें सभा की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : कौन सी उपयुक्त कार्यवाही ?

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम उन्हें टिप्पण का अवलोकन करने का अवसर तो दीजिए ।

एक माननीय सदस्य : वे इसका अवलोकन कर चुके है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, आपको दो मसले हल करने हैं । पहला यह कि गृह मंत्री महोदय को सूचना दे दी गई थी और सभा इस मामले में सरकार से कुछ जानकारी मिलने की पिछले दो दिन से प्रतीक्षा कर रही है । सभा को अभी तक इस बारे में कुछ पता नही चला है और आज शाम सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने जा रही है, इस मामले में सभा का स्पष्ट कर्तव्य है । उपाध्यक्ष महोदय वस्तुतः इस बात को समझते हैं कि यह सम्पूर्ण मामला अविलम्बनीय है । हम अपने घरों पर जाकर चुपचाप नहीं बैठ सकते और अगले दो महीने तक इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि सरकार इस माल्ले में क्या कार्य-वाही करती है । हम इस बात से अवगत होना चाहते है कि सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं । जब कुछ माननीय सदस्यों ने दो दिन पहले यह मामला उठाया तो उन्होंने सोचा कि संभवतः शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी और विशेषाधिकार भंग करने के लिए प्रस्ताव पेश करने की कोई आवश्यकता न होगी । अब चूंकि सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी है । यदि उपाध्यक्ष महोदय को भी यह यह पता चले कि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि विशेषाधिकार भंग करने संबंधी इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दें । जब तक हमें यह आश्वासन नहीं दिया जाता कि उपाध्यक्ष महोदय भी मामले को अविलम्बनीय मानते हैं, तब तक हम चुप नही रहेंगे । इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए । महोदय, सरकार इस सभा को बताये कि उसने इस मामले में क्या कार्यवाही की है । इस बात पर मुझे न केवल आश्चर्य हुआ है अपितु मुझे आघात भी पहुंचा है कि सरकार चुप्पी साधे बैठी है । सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति इस मामले में कुछ नहीं कह रहा है । हम सब पिछले आधे घण्टे से इस मामले के बारे में बहस कर रहे हैं । मैं नही जानता कि सरकार सत्ता में क्यों है जबकि वह इस सभा के सम्मान तथा गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती । हम वस्तुतः नहीं जानते कि सरकार किस लिए है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र, मैं आपकी उत्तेजना का कारण समझता हूं ।

श्री कवर लाल गुप्त : मैं नियम उद्धृत करना चाहूंगा । कृपया नियम 223 देखिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त नियम उद्धृत करने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, नियम 223 देखिये । यह नियम बहुत ही स्पष्ट है । जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना सभा की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व महा सचिव को देगा । उन्होंने सभा की बैठक प्रारम्भ होने पूर्व सूचना दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप केवल नियम को दोहरा रहे हैं, श्री गुप्त आप और मैं भी जानते हैं कि उस नियम के बारे में कोई विवाद नहीं कर रहा है। उस नियम का दोहराने से कोई फायदा नहीं है। उस नियम के बारे में कोई आपत्ति नहीं हैं। (**व्यवधान**)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : महोदय, यह मामला दो दिन पूर्व इस सभा में उठाया गया था और गृह मंत्री महोदय, ने सभा को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की जांच करेंगे। मैंने जांच की है और मुझे पता चला है कि वह कार्यवाही हमारे पास नहीं पहुंची है जो आपके अनुसार गृह मन्त्री महोदय को भेज दी गई थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हस इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे.....(**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : यह प्रश्न तभी उठता है जबकि किसी मामले में सभा द्वारा हस्तक्षेप किया जाना जरूरी हो, हमें देखना चाहिए कि क्या हम इस मामले में सभा द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं था यह मामला प्रशासनिक अथवा विभागीय स्तर पर निपटाया जा सकता है ? आरोप क्या हैं ? ये आरोप लगाये गये हैं कि कुछ संसद सदस्य मामले की जांच करने के लिए गये और वे जिलाधीश से मिले। चूंकि जिलाधीश सिगरेट पी रहे थे, संसद सदस्यों ने कहा ; "आप धूम्रपान नहीं कर सकते। यदि आप धूम्रपान करना चाहते हैं तो बाहर जाइये।" जिलाधीश ने कहाः "मैं बाहर जाता हूं"। मैं नहीं समझता कि इसमें सदस्यों का क्या अपमान हुआ। क्या उनका अपमान किया गया ?.....(**व्यवधान**) यह तो सभी संसद सदस्यों को प्रशासन का विरोधी बनानें जैसा है जो कि बहुत गलत है। यह एक बेकार का व बेहूदा मामला है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सौगत राय

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस चीज़ पर व्यवस्था है ?

श्री मनोहर लाल : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। और मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 222 का है।

उपाध्यक्ष महोदय : 222 की कोई बात नहीं है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (पचासवां संशोधन) विधेयक को पेश किये जाने का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक गम्भीर तथा नाजुक विषय है और मैं प्रारम्भ में ही इस पर आपत्ति कर रहा हूं। इस विधेयक के संबंध में समस्याएं हैं और प्रत्येक दल में अलग अलग विचार हैं.....(**व्यवधान**) मुझसे कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल के कई सदस्य, जिन्होंने इस विधेयक को पेश करना चाहा है, इस विधेयक को पेश करना

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

चाहा है, इस विधेयक को पेश किये जाने के बारे में विरोध कर रहे हैं। यह एक ऐसा विधेयक है जिससे इस देश के अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इसलिए सरकार को ऐसा विधेयक लाने से पूर्व बड़े पैमाने पर परामर्श कर लेना चाहिए था और संबंधित सरकारों की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

जहां तक पश्चिम बंगाल के लोगों का संबंध है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने सदैव यही बात कही है कि वह गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं करती। कांग्रेस के सभी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्रियों ने भी यही बात कही है। केरल में हमारी पार्टी मिलीजुली सरकार में है और उस सरकार ने कहा है कि गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक नहीं है विधेयक पर मतदान करते समय विभिन्न दल जो कुछ भी रवैया अपनायें किन्तु विधेयक के विचार के वर्तमान चरण में यह जता दिया जाये कि जिस देश में देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्राय: विवाद का विषय बना रहता है वहां हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राज्यों के अधिकारों के बारे में कोई दोष निकालने तथा उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने से विवादास्पद प्रश्न का उठना अनिवार्य है। दूसरे, जिस देश में लोग पहले ही प्रोटीन की कमी से पीड़ित है, वहां किसी वर्ग को स्वयं का विकास करने के लिए प्रोटीन के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरे यदि देश में दो राज्य किसी कानून के बारे में कोई गम्भीर आपत्ति उठा रहे हो, तो वहां उनके विचारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि मैं प्रारम्भिक चरण में ही इस सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि इस विधेयक के बारे में लोगों की गम्भीर आशंकाएं हैं मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सभा से वापस लेने के बारे में विचार करें। (**व्यवधान**) मेरा पहला वाक्य यह था कि "क्योंकि मैंने इस विधेयक को पेश करने का विरोध करने के लिए सूचना दी है"। (**व्यवधान**)

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस विधेयक को वापस ले और ऐसा विधेयक लाने से पूर्व इस बारे में फिर से विचार करे तथा सभी दलों और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ व्यापक रूप से विचार विमर्श करे।

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बरनाला ने जो संविधान (संशोधन) विधेयक पेश किया है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं।

यह जो विधेयक है, और उसका जो विषय है, उसका हमारी पार्टी के घोषणापत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे चुनाव घोषणापत्र में ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनके बारे में अभी तक कानून नहीं बने है, और ऐसे फालतू विषयों को लेकर—(**व्यवधान**) बिल्कुल! मैं अपनी बात कहूंगा ऐसे फालतू विषयों को लेकर संविधान में परिवर्तन लाने का जो विचार किया जा रहा है, और वह भी दबाव में, उसका मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकता हूं।

श्री विनोबा भावे के बारे में मेरे मन में आदर है, लेकिन जब इमर्जेन्सी के दौरान लोकतंत्र की हत्या हुई, तो उसके विरोध में उन्होंने अनशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने "अनुशासन पर्व"

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

कह कर उसका स्वागत किया। और आज जनता पार्टी की सरकार पर दबाव डालने के लिए, और फिर्केवाराना विचारों को भड़काने के लिए, महात्मा गांधी के चेले जब इस तरह का काम करते हैं, तो हम लोगों को हिम्मत के साथ अपनी बात कहनी चाहिऐ, और आज मैं कहना चाहता हूँ।

कौन नहीं जानता है कि महात्मा गांधी ने अपने लम्बे जीवन-काल में, जो उन्होंने पूरे राष्ट्र, दुनिया और मानव-जाति की सेवा में बिताया, कई बार अनशन किया। लेकिन उन्होंने अनशन किया अस्पृश्यता के खिलाफ़ हिन्दू समाज की विवेक-बुद्धि को जाग्रत करने के लिए। उन्होंने अनशन किया हरिजनों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ़। महात्मा गांधी ने अनशन किये अल्पसंख्यकों के प्राण और इज्ज़त की रक्षा करने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी भी गौहत्या के विरोधी थे और गौरक्षा के पक्षधर थे। उनके 70, 75 ग्रन्थ प्रकाशित हो गये हैं। आज सवेरे मैं देख रहा था। उन्होंने काऊ स्लाटर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि गोरक्षा का मामला एक आर्थिक मामला है और उन्होंने कहा है कि जो बात आर्थिक हितों के खिलाफ़ जाती है, वह कभी धार्मिक नहीं हो सकती है।

उन्होंने गौ-रक्षा के लिए बहुत सारी बातें बतायी हैं कि भैंस पालना और भैंस का दूध पीना बन्द करो, लेकिन सायद ही यहां कोई आदमी होगा, इक्के दुक्के होंगे जो गाय का दूध पीते हों। तो गांधीजी ने बहुत सारी बातें कहीं। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं है कि कानून से गौहत्या बन्द करने के लिए गांधीजी ने कभी अनशन किया है। इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। अगर मंत्री महोदय इस के ऊपर रोशनी डालेंगे तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं।

लेकिन महात्मा जी की विचारधारा के बारे में हम सभी लोगों के मन में प्रेम है। इस-लिए पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गौ-हत्या को कानून से बन्द करने के लिए और विनोबा जी के दबाव में आकर आप जो यह विधेयक पेश कर रहे हैं इसका सिद्धांतत: मैं विरोधी हूं। पहला आक्षेप तो मेरा यह है।

मेरा दूसरा आक्षेप यह है कि जनता पार्टी विकेन्द्रीकरण के और सत्ता के वितरण के सिद्धांत की पक्षधर है। इस की पक्षधर नहीं है कि और केन्द्रीयकरण किया जाय। कौन नहीं जानता है, 8 अगस्त 1942 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रस्ताव था जिस प्रस्ताव को पारित करने के बाद महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया और हम लोगों ने भूमिगत रह कर आन्दोलन चलाया, माननीय यशवंत राव चव्हाण जी भी बैठे हैं, वह भी 1942 के आन्दोलन में थे, बहुत सारे सज्जन उधर के विरोध पक्ष के लोग भी थे, तो क्या लिखा था 8 अगस्त के प्रस्ताव में ? 8 अगस्त के प्रस्ताव में क्विट इंडिया की बातें तो थी ही, आने वाले संविधान के ढ़ांचे के बारे में उसमें कहा गया था कि हम लोग संघ राज्यीय संविधान चाहते हैं और जिन विषयों की सूची नहीं बनाई जायगी, रेज़िड्युअरी लिस्ट, उसके अधिकार राज्यों को रहेंगे। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रस्ताव था और उस समय हम सभी

लोग कांग्रेस में थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी थे, डा० राम मनोहर लोहिया भी थे, आचार्य कृपालानी जी भी थे, सभी लोग थे।

उस के बाद देश का विभाजन हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे राष्ट्रीय नेता बहुत ज्यादा चिन्तित हो गए कि देश कहीं बिखर न जाय और इसलिए जो संविधान बनाया गया, वह उस समय तक की जो परम्परा थी उससे थोड़ा हटकर केन्द्र मजबूत बनाने की दृष्टि से बनाया गया। इसमें सारे विषयों की सूची दी गई है और तीन भागों में बांट दिया गया है। उसके बाद बहुत कम विषय बचते है। यह सोच समझ करके कि केन्द्र के विषय क्या होंगे, राज्य के विषय क्या होंगे और समानान्तर सूची में क्या विषय होंगे, यह उन्होंने किया। आज क्या वजह है कि जनता पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत आप समानान्तर सूची में नये नये विषय डालते चले जा रहे हैं। शिक्षा और वन-विभाग पहले राज्य की सूची में थे लेकिन हम लोगों को जेल में डाल कर संविधान में परिवर्तन किया गया और समानान्तर सूची में ये विषय लाये गए. हम लोगों ने जैसा वादा किया था, इन विषयों को हम लोग वापस राज्य की सूची में ले जाना चाहते थे लेकिन विरोध पक्ष के विरोध से यह काम नहीं हो पाया। ज़ाहिर बात है कि राज्य सभा में हमारा बहुमत नहीं है। बाकी आपके मन से हुआ लेकिन इस के ऊपर आप ने अपनी सहमति नहीं दी और नतीजा यह हुआ कि राज्य सभा के सामने वह पारित नहीं हो सका और फिर लोक सभा के सामने वह आया और हम लोगों ने जो आपकी इच्छा थी उनके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पास किया।

अब यह नई बात आ गई। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि केशवानन्द भारती कैस में बहुमत इस के पक्ष में था कि संविधान में जो भी परिवर्तन करना है वह करते हुए संविधान का जो मूल ढ़ांचा है, संविधान की जो बुनियाद है उस में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो बहुमत का निर्णय सीकरी साहब ने दिया——(**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य महोदय को इस विधेयक के बारे में विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं इनसे यह आशा करता था कि भाषण देने के बजाय कांस्टीच्यूंशनल कांपिटेंस पर यह कुछ बात कहते——

श्री मधु लिमये : वही तो कह रहा हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप तो यह कह रहे हैं कि विनोबा जी के दवाव में आकर कर रहे है, यह क्या कांस्टीच्यूशनल काम्पीटेंस की बात है ?

मेरा कहना यह है कि डीटेल्स के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता। अगर इन्हें कुछ एतराज करना है तो कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट्स पर एतराज करें।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री मधु लिमये : आप मेरा नोटिस पढ़ लीजिए। मैंने दो आक्षेप उठाए हैं एक आक्षेप मेरा सब्सटेंटिव है, नियम 72 के अन्तर्गत मुझे उसका अधिकार है और दूसरा आक्षेप कांपिटेन्स के सवाल पर है जिस पर मैं चाहता हूं पूरी बहस हो। यह नोटिस मैंने दिया है। आजकल मैं बोलता नहीं हूं लेकिन कार्य-प्रणाली को मैं भूला नहीं हूं। मैंने समय पर नोटिस दिया है और यह दोनों बातें उसमें रखी हैं—एक तो सब्सटेंटिव मोशन है और दूसरे कांपिटेन्स का सवाल है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : सदस्यों ने विधेयक प्रस्तुत किए जाने का विरोध करने का नोटिस दिया है। यहां एक सदस्य हैं जो इसको प्रस्तुत किए जाने का विरोध कर रहे हैं। मंत्री महोदय का समर्थन करने की दृष्टि से श्री कंवर लाल गुप्त सदस्य का विरोध करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान लकप्पा आप निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। मैं उसका ध्यान रखूंगा।

श्री मधु लिमये : सीकरी साहब के जजमेंट से मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं, केशवा नंद भारती केस है :—

"सही स्थिति यह है कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान का संशोधन किया जा सकता है वशर्ते कि परिणाम स्वरूप संविधान का आधारभूत बातें और ढांचा वैसा का वैसा ही रहे। यह कहा जा सकता है कि आधारभूत ढांचे में निम्न बातें हैं :—

(एक) संविधान की सर्वोच्चता,

(दो) सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप ;

(तीन) संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप" श्री कंवर लाल गुप्त नोट कर सकते हैं।

(चार) विधायिका कार्यपालिका और न्यायाधीश के बीच शक्तियों का पृथ्थकीकरन, और

(पांच) संविधान का संघीय स्वरूप।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं :

"राज्य सूची से समवर्ती सूची या केन्द्रीय सूची को विषयों का मात्रात्मक स्थानान्तरण कुछ स्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन पैदा नहीं करेगा ?

एक एक करके आप सारे विषय राज्य की सूची से हटाकर समानान्तर या केन्द्र की सूची में डाल देंगे तो क्या आपके पास कोई अरिथमेटिकल फार्मूला है कि इतने विषय ट्रान्सफर करने के बाद गुणात्मक परिवर्तन हुआ और इतने पर फेडरल स्ट्रक्चर को आंच पहुंची ? शांति भूषण

कानून के पण्डित हैं, मैं तो कानून का पण्डित नहीं हूं लेकिन मेरी स्वल्प बुद्धि को लगता है कि एक एक करके इस तरह से विषय राज्य की सूची से हटाये जायेंगे तो जो संघ राज्यीय स्वरूप है, जिसको इन्होंने बुनियाद माना है. अन्य जजों ने भी माना है और इस केस में जो समरी जजमेंट दिया गया है वह भी आप देखें, उसमें भी कहा गया है कि संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं आपको आज चेतावनी देना चाहता हूं कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जिस पर अगर हम चल पड़ेंगे तो जो काम इन्दिरा जी ने आपातकाल में किया था, राज्यों के अधिकारों के हनन का, वही आप विनोबा जी के दबाव में या अन्य किसी के दबाव में करते जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, विकेन्द्रीकरण और सत्ता के वितरण का, उससे यह नीति कहां मेल खाती है ? (**व्यवधान**) आज किसानों के लिए असम्भव हो गया है, उन सभी गायों को विजय कुमार जी और कंवरलाल जी के घर पर भेज दिया जाये।

इन्दिरा गांधी : आप देखिये बड़ी अजीबोगरीब बात है—हर दिन धर्म-निपेक्षता की हामी भरती हैं और कहती हैं कि में अकेली सिद्धान्तवादी हूं, लेकिन उधर विनोबा जी को उन के सलाहकारों के जरिये अनशन के लिये उकसाया गया। मैं जानता हूं—वे कौन लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ———।

श्री बसन्त साठे : यह बिल्कुल झूठ है———(**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : धर्मनिर्पेक्षता और साम्प्रदायिक-एकता के लिये हम इन्दिरा गांधी से सबक सीखने के लिये तैयार नहीं हैं, जो हर बाबा के सामने, ढोंगी महात्माओं के सामने साष्टांग नमस्कार करती है, शंकराचार्यों के आसपास घूमती है—क्या वह हमको धर्मनिर्पेक्षता और साम्पदायिक-एकता का पाठ पढ़ायेंगी ? यह ढोंग-धतूरा नहीं चलेगा।

प्रधान मंत्री जी ने कहा था—अगर दोनों कांग्रेस पार्टियां समर्थन देंगी तो में इस को यहां पेश कर दूंगा। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने यह वायदा नहीं किया था कि इस को पास करवाने की मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हैं———

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह उगते सूरज को सलाम करने की शुद्ध अवसरवादी प्रवृत्ति है।

श्री मधु लिमये : कांग्रेस पार्टी ने क्या तय किया है, मुझे पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों से में चाहता हूं कि इस पर पूरी बहस हो। यह काम्पिटेंस का सवाल है, धीरे-धीरे संघ राज्य का स्वरूप पतला होता जा रहा है, केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हिन्दुस्तान जैसे विशाल देश में—मैं नहीं मानता हूं कि केन्द्रीकरण से मुल्क की एकता बनी रहेगी। अति-केन्द्रीकरण से पाकिस्तान टूटा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि उस रास्ते पर मत चलिये। आप विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को, जो हमारे मेनीफेस्टो में हैं, उस को मत छीनिये। उसमें बहुत

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहां किया गया।

सारी बातें हम ने कही हैं—10 साल में बेकारी को दूर कर देंगे। अब कुछ लोगों ने यह परिभाषा की है कि 10वें साल में बेकारी को दूर करेंगे। आप उसके लिये कानून लाइये। श्री यमुना प्रसाद शास्त्री कानून लाये थे—उसके लिये क्या किया ? यह सवाल छोड़ दीजिये—मैं आप से कहता हूं—इंदिरा गांधी इस मामले में बहुत बेनकाब हुई है। उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि विनोबा जी के साथ सहानुभूति रखने के लिये एक दिन का अनशन कीजिये—इस से ज्यादा पाखण्ड और क्या हो सकता है ? क्या साठे ने अनशन किया था या रात में चोरी से पेड़ा खाया था ?——

श्री बसंत साठे : चोरी से काम करने की हमारी आदत नहीं है।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं—इन लोगों के चक्कर में मत पड़िये। इंदिरा गांधी के चक्कर में मत पड़िये—आप समझ लीजिये कि यह इन की चाल थी, इसलिये इस में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिये। आप ने इस को आर्डर-पेपर पर रखा है, आप इस को वापस ले लीजिये, यही मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मैं कहना चाहता हूं—**(व्यवधान)** महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त, आप कार्यविधि से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे आपकी वह चिट अभी मिली है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री कवर लाल गुप्त : कृपया मेरी बात सुनिए ; मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, किस नियम के तत्व वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

श्री कवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि कानून के तेहत, प्रोसीजर के तेहत जिन्होंने नोटिस दिया है और जो इसका विरोध करना चाहते हैं, केवल वे ही इस पर बोल सकते हैं। लेकिन कांस्टीट्यूशनल आस्पेक्ट पर जब सवाल उठाया गया है, जैसा मेरे मित्र मधु लिमये ने उठाया है, कांस्टीट्यूशनल इशू पर तो पूरी डिबेट इस पर हो सकती है और इसके फेवर में और इसके एगेन्स्ट में दोनों बातें कही जा सकती हैं और इसीलिए मैंने मधु लिमये जी से पूछा था———**(व्यवधान)** कृपया सुनिए। कम से कम, आप मुझे बोलने का अधिकार दीजिए।

अगर इन्होंने यह कांस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट उठाया है, तो मुझे यह अधिकार होता है कि मैं इसके बारे में अपनी राय रखूं क्योंकि पूरी डिबेट इसमें होनी जरूरी है। अगर ये कांस्टीट्यूशनल इशू न उठाते, तो मैं इस पर कुछ न कहता।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मैं उनको ही बुला रहा हूं जिनके नाम मेरे पास हैं।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मैं नियम का हवाला दे सकता हूं। कृपया आप उसका जवाब दें। (**व्यवधान**)

श्री राज नारायण (राय बरेली) : आप ने इनका प्वाइन्ट नहीं माना है, तो आप इन को बैठा दीजिए। आप इनसे कहें कि ये बैठ जाए।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप मेरे प्वाइन्ट आफ आर्डर का जवाब दीजिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राज नारायण : यह हाऊस किसके पजेशन में है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चूका हूं कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने श्री गोविन्दन नायर को बुलाया है।

श्री राज नारायण : श्री शान्ति भूषण जी ने हमारी इलैक्शन पैटीशन में काऊ पर बहुत अच्छी बहस की थी। अब सदन के सदस्य इस पर बोलें, चाहे मानें या न मानें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोबिन्दन नायर

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह हमारे राज्य के अधार-भूत ढांचे पर कुठाराघात है और राज्यों के अधिकारों का भी एक अतिक्रमण है। यहां पहले भी इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी। संविधान पर चर्चा के समय, एक दृष्टिकोण यह भी व्यक्त किया गया था कि गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिये। संविधान सभा में इस प्रश्न पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी और उन्होंने निर्णय किया था कि गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

आप उन हालातों के बाकिफ हैं जिनके तहत यह विधेयक लाया गया है। यह जानकर मुझे बहुत आघात पहुंचा है कि मोरारजी देसाई जैसे एक पुराने अनुभवी कांग्रेसजन ने, जो इस बात के साक्षी रहे हैं कि हमारे देश का संविधान किस तरह बनाया गया था और जो स्वतन्त्रता संग्राम के एक सेनानी भी रहे हैं, अब इस तरह का विधेयक प्रस्तुत किया है। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान विभिन्न मतावलम्बियों और लोगों के विभिन्न वर्गों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय नेता और लोगों के विभिन्न वर्गों के नेता अंततः विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और सामाजिक असमानताओं से त्रस्त लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिये अंततः कुछ मानदण्डों पर सहमत हो गए। हसारे संविधान में उन संरक्षणों और परित्राणों को सम्मिलित कर लिया गया था।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अब आप संविधान के मूल ढांचे में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमारे कई साथी हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताओं को पहले ही बता चुके हैं। भारत अनेक धर्मों का एक राष्ट्र है। लोगों के विभिन्न वर्गों और धार्मिक समूहों की जीवन पद्धति और भावनाओं का मेल-मिलाप करने की दृष्टि से संविधान में प्रावधान किए गए हैं। इसी आधार पर संविधान सभा ने गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध की दलील को स्वीकार नहीं किया था। मुझे इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि आदिवासी, हरिजन, ईसाई, मुसलमान निःसन्देह ये सभी व्यक्ति गोमांस खाते हैं। उनकी जीवन पद्धति में यही उनके भोजन का एक अंग है। हमें उनकी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि गांधी जी ने, जिनको कि आप भी राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करते हैं, इस विषय पर स्पष्ट रूप से और सुनिश्चित तौर पर कहा कि हमारे देश में गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

इस बात को यहां कई माननीय सदस्यों ने बार-बार दोहराया है। मैं गांधी जी की अंतिम इच्छा को यहां उद्धृत नहीं करना चाहता। परन्तु दुर्भाग्य से, सारा का सारा मामला गांधी जी के एक तथाकथित विषय द्वारा आगे लाया गया है मेरा मतलब श्री विनोबा भावे से है। एक समय था जब मेरा भी विश्वास था कि वह श्री भावे, गांधी जी के शिष्य हैं। जब कोई व्यक्ति गांधी जी के बारे में सोचता है तो उसे ईसा और ईसा के अनुभव की याद आ जाती है, अपनी मृत्यु के बाद भी गांधी जी जिसका सामना कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता, विनोबा भावे जूडास हैं। परन्तु वह संत पीटर हैं। ईसा ने अपने अन्तिम रात्रि भोजन के दिन कहा था कि संत पीटर, जो कि उनका (ईसा का) एक शिष्य था, उनकी तीन बार अवहेलना करेगा। विनोबा भावे ने भी गांधी जी के साथ वैसी ही बात की है।

इस देश में गत दो वर्षों के दौरान, आये दिन हम हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में चर्चा करते रहे है। आप जानते हैं कि गांधी जी को हरिजन कितने प्यारे थे। परन्तु गांधी जी के इस चेले ने, जो कि पवनार के आश्रम में हैं, हरिजनों की हत्याओं के विरुद्ध अपना मुंह एक बार भी नहीं खोला। यह पहला अवसर था जब उन्होंने गांधी जी की अवहेलना की। दूसरी बार उन्होंने उस समय गांधी जी की अवहेलना की जब कि इस देश में मुसलमानों की हत्या की गई और उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई। तीसरी बार उन्होंने गांधी जी की उस समय अवहेलना की जब कि गांधी जी की इस उलट इच्छा के विपरीत कि इस देश में गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने अनशन आरम्भ कर दिया।

आप कहते हैं कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल विशेषताएं हैं। एक व्यक्ति का इस बात को लेकर अनशन करना और कानून बनाने के लिए जोर देना गैर लोकतांत्रिक और संविधान वाह्य है। एक हिन्दु परिवार में जन्म लेने वाले के रूप में मैं इस गो-पूजा के बारे में यह महसूस करता हूं कि इसे किसी समय ब्राह्मणों में गैर-ब्राह्मण समुदाय पर थोपा था। संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें अपने अनुयायियों से धर्मग्रन्थों के अध्ययन के लिए मनाही की गई हो। परन्तु यहां हमारे देश में ब्राह्मणों ने कहा "शुद्रो, आपको गीता, वेद आदि

धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ने की अवश्यकता नहीं है। यदि तुम इनका अध्ययन करोगे तो अंधे हो जाओगे, यदि तुम मंत्रों का उच्चारण करोगे तो तुम्हारी जिह्वा चलेगी नहीं। इसलिए, आपका कार्य है गाय और ब्राह्मणों की पूजा करना।" इस तरह हिन्दू धर्म को विकृत कर दिया गया और इसके अधिकांशत: अनुयायियों को मानवीय स्तर से नीचे गिरा दिया गया। अब कुछ भलेमानस उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं।

गांधी जी एक कट्टर हिन्दू थे-कोई व्यक्ति इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि श्री अडवानी इस बात से सहमत होंगे कि वह (गांधी जी) स्वंय उनकी, (अडवानी जी) अपेक्षा अधिक कट्टर हिन्दू थे। परन्तु गांधी जी का यह चेला गौ-पूजा वाली बात को वापस लाना चाहता है, और निश्चय ही इसके पीछे ब्राह्मण होगा। मान लीजिए कल कोई आचार्य—यहां बहुत से आचार्य हैं। इस बात पर अनशन शुरू कर देता है कि ब्राह्मणों को उनकी अपनी पुरानी स्थिति में पुन: प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, तब इस देश के हिन्दुओं का भाग्य क्या होगा? मै दूसरे पहलू पर नहीं बोल रहा हूं, परन्तु तब इस देश में हिन्दुओं की कितनी दुर्दशा होगी?

इसलिए, यह दवियानूसी विधेयक है जो उन उच्च सिद्धान्तों और मानदण्डों को निकाल बाहर करने के लिए यहां लाया गया है जो कि पहले ही हमारे संविधान में सम्मिलित कर लिए गये हैं। यह इस कारण नहीं है कि केरल सरकार द्वारा इसकी विरोध करती है अथवा पश्चिम बंगाल सरकार इसका विरोध करती है-यह बात नहीं है। परन्तु इस विधेयक द्वारा आप भारतीय जनता का, इस देश के 6 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय का प्रश्न नहीं है। इसलिए, मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

इन सबसे अधिक एक अन्य आधारभूत प्रश्न है। आपने धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर दिया है। आपने लोकतन्त्र को समाप्त कर दिया है और अब आप केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को विकृत करना चाहते हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बहुत सही ध्यान दिलाया है, यदि आप राज्यों के लिए संविधान में सुनिश्चित किए गए अधिकारों में हस्तक्षेप प्रबल बहुत प्राप्त था, करेंगे तो आप बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगे। आपको इस सदन में जबर्दस्त बहुमत प्राप्त है। इससे पहले उस ओर बैठे लोगों को प्रबल बहुमत प्राप्त था, और जब उन्होंने संविधान और संवैधनिक अधिकारों में हस्क्षेप किया तो आप सभी अत्यधिक कुपित हुए थे। परन्तु इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही सब कर रहे हैं। आप इस सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करने का साहस इसलिए किया कि आप महसूस करते थे कि आपको यहां प्रबल बहुमत प्राप्त है। मैं नहीं समझता कि विपक्ष का कोई भी सदस्य आपकी इस बात से सहमत होगा, परन्तु फिर भी आपने यह विधेयक लाने का साहस किया क्योंकि आप इस सदन में अपने आपको प्राप्त प्रबल बहुमत पर निर्भर कर रहे हैं। यदि आप इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तो न केवल यही अधिकार, परन्तु संविधान द्वारा सुनिश्चित प्रत्येक अधिकार समाप्त किया जा सकता है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, कि ऐसी कोशिश मत कीजिए। मुझे याद आता है कि कुछ वर्ष पूर्व .....(**व्यवधान**)

---

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री कंवर लाल गुप्त : इनको केवल एक छोटा सा वक्तव्य देना था। आप इन्हें लगभग 15 मिनट तक बोलने की अनुमति दे रहे हैं।

श्री ए० बाला पजनोर (पांडिचेरी) : एक व्यवस्था का प्रश्न है किस अधिकार के तहत वे आपके निर्णय को चुनौती दे रहे हैं ?

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : जब केरल में साम्यवादी सरकार बनाई गई थी, तब आपने संविधान को अनदेखा करते हुए उस सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय किया जिसको कि बहुमत प्राप्त था। एक बार जब आप किसी राज्य सरकार को भले ही उसे विधान सभा में बहुमत प्राप्त हो सत्ता में बने रहने के अधिकार को समाप्त करते हैं तो अन्य कई सुरक्षित सरकारों पर भी जिनको कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हो इसकी प्रतिक्रिया होगी . बाद के वर्षों में बहुमत वाली कई सरकारों को सताच्युत कर दिया गया। यदि आप राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप शुरू करते हैं तो आप खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे।

इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मैं सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक के बारे में अपने स्वेच्छा अधिकार का उपयोग करें। मैं प्रधान मन्त्री की ओर से आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप इस विधेयक के विरुद्ध मत देंगे, तो वह त्यागपत्र नहीं देंगे और संकट उत्पन्न नहीं करेंगे। वह कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप इस विधेयक का विरोध करने के अपने अधिकार का उपयोग करें। मैं नहीं जानता कि कंवर लाल गुप्त क्या करेंगे, परन्तु वह एक सही आदमी है और अगर वह चाहते हैं कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता रहे, अगर यह चाहते हैं कि इस देश में लोकतन्त्र कायम रहे और अगर वह चाहते हैं कि संघीय ढाँचे के आधार पर केन्द्र राज्य संबंध बने रहें, तो वह भी इस विधेयक का विरोध करने में सहायता करेंगे।

मुझे आश्चर्य है कि कृषि मंत्री, श्री बरनाला ने यह विधेयक कैसे पेश किया। मुझे उनके साथ सहानुभूति है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बाला पजनोर। (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। हमने अपने नाम पार्टी के माध्यम से नहीं दिये हैं। यह पार्टी का मामला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जिन्होंने पार्टी की पूरी सूची दे दी है। स्पष्टतः हम सभी को बोलने का अवसर नहीं दे सकते।

श्री ए० बाला पजनोर : अपनी पार्टी की ओर से मैं अकेला भाषण कर रहा हूं।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कुछ स्व-विवेक से काम लेना होगा। हम वैसा करेंगे। बड़ी पार्टियों में से दो-दो वक्ता भाषण कर सकते हैं।

श्री ए० बाला पजनोर : श्रीमान् जी, अपनी पार्टी अन्नाद्रमुक और अपनी ओर से मैं इस विधेयक को पेश किये जाने का विरोध करता हूं। अगर मैं श्री वरनाला को किसी वजह से वधाई दे सकता हूं, तो वह इस वजह से होगी कि वह 50 के अंक पर पहुंच गये हैं—या पचासवें संशोधन पर पहुंच गये हैं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन द्वारा उन्होंने अर्ध-शतक बना लिया है। इस विधेयक में केवल यही घनात्मक बात-है जिसमें विधि मन्त्री का भी काफी योगदान है। मैं इस मामले के गुण-दोष की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि इस मामले पर तो तब चर्चा की जायेगी जब विधेयक को पुरःस्थापित कर दिया जाए और उस पर चर्चा करने की स्थिति आ जाए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश के कुछ व्यक्तियों की कुछ व्यक्तिगत भावनाओं को प्रसन्न करने की दृष्टि से इस किस्म के विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सरकार किस प्रकार मजबूर हुई। जब यह पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी-जैसा कि हमारे प्रिय मित्र और साथी श्री मधु लिमये ने बताया था-इस देश को उसने यह बचन दिया था कि वे सभी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण करेंगे और इस देश के संघीय ढांचे की रक्षा करेंगे और राज्यों से अधिकार लेने के बजाय उन्हें अधिक अधिकार प्रदान करेंगे। जब शिक्षा और बन को शामिल करने के प्रश्न पर पिछली सरकार द्वारा विचार किया गया था, तो एक पार्टी के रूप में हमने उसका विरोध किया था। उस समय यह कहा गया था कि संविधान का स्वरूप सघीय होते हुए भी, केवल सुविधा की दृष्टि से और नीतियों को अपेक्षाकृत बेहतर रूप में क्रियान्वित करने के लिए वे ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं और जैसा कि हम सदैव कहते हैं, इसके लिए वे 'निर्देशक सिद्धान्तों' की शरण लेते हैं। उस समय, मेरे विचार में, उनमें से अनेक सदस्यों ने, जो विपक्ष में थे, हमारा समर्थन किया था और यह कहा था कि यह बेहतर होगा कि हमारे जैसे देश में राज्यों के पास अधिक अधिकार हों, क्योंकि हमारे देश विविधता में एकता है। हमारे देश के लोगों की संस्कृति और आदतें इतनी वैविध्यपूर्ण है कि एक समान प्रणाली नहीं हो सकती और आप देश में एक प्रणाली लागू नहीं कर सकते। जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई, तो निश्चित रूप से विपक्षी नेताओं ने प्रधान मन्त्री और इस सरकार के अन्य मन्त्रीयों के साथ बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और अन्य पार्टियों से समर्थन नहीं मिला, इसलिए वे कुछ मामलों पर झुक रहे हैं। परन्तु बाद में हमने यह पाया कि जनता पार्टी में भी कुछ सदस्य ऐसे हैं, जो देश के एकात्मक स्वरूप में रूचि रखते हैं, वे शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में रखना चाहते हैं, उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल की सहायता से, जो देश में पिछले 26 या 27 वर्ष से शासन कर रही थी, सफलतापूर्वक यह कार्य किया।

अब आप यह इसलिए कर रहे हैं, क्यों आपने महान आचार्य विनोबा भावे को वचन दिया है। आचार्य विनोबा भावे के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। उस ग्रुप में हमारी पार्टी का प्रतिनिधि भी शामिल था, जो आचार्य विनोबा भावे से भूख हड़ताल समाप्त कराने के लिए अनुरोध करने के लिए गया था। गौ हत्या के मासले पर उनकी अपनी व्यक्तिगत भावनायें हो सकती हैं। इसी प्रकार कल मेरी अपनी

भावनायें भी हो सकती हैं—जब में यह कहता हूं तो किसी पर आक्षेप नहीं लगता—कि इस देश में धुम्रपान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वृद्ध हो जाने के बाद अर्थात् 40 वर्ष बाद मैं इसके लिये भूख हड़ताल करता हूं, तो मैं नहीं समझता की भावी प्रधान मन्त्री मेरे पास आयेगा और यह कहेगा कि "चिन्ता मत करो, यह निर्देशक सिद्धान्त में है या नहीं मैं इसकी संविधान में व्यवस्था करूंगा या संविधान में ऐसा उपबन्ध करूंगा कि कोई भी व्यक्ति इस देश में धूम्रपान न कर सके।" इसलिए यह मूर्खता मेरी समझ में नहीं आती। इस देश में एक ऐसे समय पर बहुत ही हास्यास्पद कार्य हो रहा है, जबकि हम अनेक अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। श्री नवु लिमये द्वारा साहसपूर्वक और स्वतन्त्रापूर्वक अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं वस्तुतः उनकी सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। आप इस देश के नवयुवकों और व्यक्तियों को, जिनके पास रोजगार नहीं है, दस वर्ष की अवधि में रोजगार उपलब्ध करने का वचन देते हैं। परन्तु गायों के लिए आप तत्काल कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। मैं कई बातों को यहां बैठे हुए सूंघ सकता हूं और देख सकता हूं। मैं नहीं कहता कि आपके घर में बहुत फूट है। परन्तु मैं आपके अन्दर कुछ कट्टरपंथी भावनाओं को अच्छी तरह से देख रहा हूं। सदन के अन्दर और बाहर लोगों का एक वर्ग यह कहता है कि वे अपने आप को धारणाओं के साथ सम्बद्ध कर रहे हैं। मैं आपकी धारणा के प्रति सन्देह प्रगट नहीं करता, परन्तु आपको उन अन्य लोगों पर अपनी धारणा को थोपने का कोई अधिकार नहीं है जिनकी भावनायें आपके समान नहीं हैं।

जिन मसलों पर आप अपना समर्थन दे रहे हैं, उन अनेक मसलों पर इस देश के अल्प संख्यक बहुत अधिक उत्तेजित हैं। देश की एकता के लिए यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह देश के अस्तित्व के लिए ही काफी गम्भीर बात है। जब हमारे सामने अनेक बहुत महत्वपूर्ण समस्यायें हैं, तब आप छोटे मोटे मुद्दों पर इस देश का ध्यान अनावश्यक रूप से आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करना संविधान के प्रति ही नहीं, बल्कि इस देश की जनता के प्रति निरादर की भावना प्रकट करना है। मैं यहां पर उत्तर-दक्षिण का प्रश्न नहीं लाना चाहता। जैसा कि मेरे प्रिय मित्र, श्री अलगसेन ने बताया कि यहां ऐसी कोई भावना नहीं है, क्योंकि आप विधेयक पारित करें या न करें, लोग ऐसा करते रहेंगे। यही बात नशाबन्दी के बारे में हो रही है। मैं अब उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है। आप अपनी व्यक्तिगत धारणाओं को इस देश की सम्पूर्ण जनता पर मत थोपिए। हम इसका इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि पश्चिम बंगाल सरकार इसका विरोध कर रही है या केरल सरकार इसका विरोध कर रही है। मेरे राज्य में गोवध पर रोक है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यह मामला राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया जाय। आप राज्यों के अधिकारों को अपने हाथ में लेने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? आप अपने अधिकार-क्षेत्र में बहुत सारे विषय रख रहे हैं और जितने कार्य की आपसे आशा की जाती है, उसका दशमांश भी आप नहीं कर रहे हैं। आपने अनावश्यक रूप से इसे पेश किया है। आप केवल लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या यह सच नहीं है कि हमारे महान गांधी जी ने एक बार कहा था कि जब बछड़ा मुसिबत हो, तो उसे

परेशान होने देने की अपेक्षा गोली से उड़ा देना बेहतर होगा और उन्होंने इसे 'निर्दय दयालुता' का नाम दिया था। मुझे नहीं पता कि हमारे गांवों में गायों के भुखमरी के कारण मरने के बारे में आपको कोई जानकारी है। आपके पास इसके लिए पशुओं का चारा नहीं है। आपके पास इसके लिए पर्याप्त मात्रा में चरागाह नहीं है और आप यह चाहते हैं कि ये सभी गायें भूख से मरती रहें और गलियों में इधर उधर घूमती रहें और देश को खराब करें ? यह किसी विषय के गुण दोष का प्रश्न है और हम बाद में इस पर व्यापक रूप से विचार कर सकते हैं। परन्तु अगर आपने फिर भी विधेयक को बहुमत की मदद से पेश करने का निर्णय किया है, जो शायद आपको न मिले मेरा ऐसा विचार है। अगर आपका बहुमत है भी, तो मैं आपसे यह अपील करूंगा कि आपके लिए और विशेष रूप से जनता पार्टी के लोगों के लिए यह एक बहुत बुरा पूर्व-उदाहरण होगा।

यह एक केवल भावात्मक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक प्रश्न भी है। इन दिनों हम अपने साथियों और अन्य लोगों को रेडियो और टेलीविजन पर आर्थिक नीति के बारे में बोलते हुए सुनते हैं। क्या आपने गाय की आर्थिक नीति का विश्लेषण किया है ? क्या आपने इस देश में भुखमरी का शिकार हो रही गायों की आर्थिक नीति का विश्लेषण किया है ? क्या इसे रोकिए। उपलब्ध आंकड़ों से मैं जानता हूं कि केरल राज्य की एक तिहाई जनसंख्या गोमांस खाती है। वे चार गायों का माँस वे खाते हैं। अगर आप अभी रोक लगाते हैं, तो क्या होगा ? आज भी-मैं आपको बता सकता हूं - कि मद्रास में बकरे के गोश्त का भाव 21 रु० हो गया है, जो तीन चार दिन पहले 11 रु० के भाव पर बिक रहा था। मैं नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल का क्या होगा। मैं नहीं जनता कि केरल का क्या होगा। आप इस देश के करोड़ों लोगों को भोजन देने में समर्थ नहीं हैं। आप उन्हें एक बार भी भोजन देने में समर्थ नहीं हैं और आप गोवध पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मानो बहुत बड़ी सम्पति प्राप्त होने जा रही हो। मेरी समझ में नहीं आता कि वरनाला जी ने इसे क्यों पेश किया है, जबकि वह धान की कीमत में वृद्धि जैसी अनेक बातों की चर्चा करते हैं और जब इतनी अधिक कठिनाईयां हैं। मैं नहीं समझता कि किस कारण की वजह से इस तरीके से उन्होंने यह विधेयक पेश किया है।

तीसरे, मैं इस साधारण कारण से इस विधेयक का विरोध करता हूं कि आपने इस मामले में विपक्ष से विचार विमर्श नहीं किया है। आपने यहां वहां कुछ लोगों से परामर्श किया है, परन्तु तस्वीर के समस्त पहलू को ध्यान में नहीं रखा है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपका बहुमत है। इसलिए, अगर आप बहुमत प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो आप विनोबा जी के पास जाकर यह कह सकते हैं कि इन पार्टियों ने इसका विरोध किया और इसलिए आप इसे पारित नहीं करवा सके। इसलिए आप इससे राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे। इस मामले पर आपकी धारणा के बारे में मैं शंका प्रकट करता हूं। अगर यह राजनैतिक मामला है, तो आप इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं या उन लोगों को बताना चाहते हैं, जो इस मामले में बहुत अधिक गम्भीर हैं, जो इस कानून के बारे में बहुत अधिक आतुर और कट्टरपंथी हैं कि "हम इसे संसद में लाना चाहते थे और

हमने इसे पुर:स्थापित करने का प्रयास किया, परन्तु इन लोगों ने इनका विरोध किया। वे शत्रु हैं।" वह तरीका नहीं है। अगर आप यह कहते हैं, तो मैं जाकर उन्हें यह बताऊंगा कि आप इस देश के 62 करोड़ लोगों के दुश्मन हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे पर लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके हैं। आप अपनी धार्मिक भावना को बीच में मत लाइये। मैं धर्म के आधार पर तर्क नहीं करना चाहता। आप साम्प्रदायिक पहलू को बीच में मत लाइए। आप अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को बीच में मत लाइए। अगर आप अल्पसंख्यकों के आंकड़ों को लें, आप अल्पसंख्यक ईसाई और अल्पसंख्यक मुसलमानों की संख्या को ध्यान में रखें और अगर आप उन लोगों की संख्या को देखें जो गोमांस खाते हैं और इस तरह की बात को हिन्दुओं में भी देखें, तो वह संख्या इन अल्पसंख्यक समुदायों से भी अधिक होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस देश के बहुमत की इच्छा का उल्लंघन कर रहे हैं। यह केवल इसकी वजह से है, जैसा कि श्री गोविन्दन नायर ने अच्छी प्रकार व्यक्त किया है कि आप एक सत्तारूढ़ वर्ग के विचारों को थोपना चाहते हो, वह सत्तारूढ़ वर्ग जिसने अतीत में इस देश का दमन किया-मैं वर्तमान सत्तारूढ़ वर्ग की चर्चा नहीं कर रहा हूं—मैं उस सत्तारूढ़ वर्ग की बात कर रहा हूं, जिसने हिन्दुत्व को नष्ट किया, वह सत्तारूढ़ वर्ग जिसने इस देश की हिन्दू धारणा को ही नष्ट कर दिया, वह सत्तारूढ़ वर्ग जिसने इस देश के आस्तित्व को ही बरबाद कर दिया और इस सत्तारूढ़ वर्ग ने इस देश को विदेशी व्यक्तियों और बाहरी व्यक्तियों को गिरवी रख दिया और अब वही वर्ग विचार धारा के आधार पर इस देश में प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं इससे सावधान रहें। यह तो इसकी शुरुआत है। रोजाना ही इस तरह के मामले इस सदन में आ रहे हैं मुझे इस बारे में शंका है और मैं आपको चेतावनी देता हूं। अगर आप इन साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रश्रय देते हैं और इन कट्टरपंथी भावनाओं को बढ़ने देते हैं, तो यह एक खतरनाक बात होगी और मैं आपको यह बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इस मामले के बारे में सारा देश एक नहीं रह सकता। हम इस देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रखने के लिए वचनबद्ध हैं, परन्तु आप ऐसे लोग हैं जो इसे विनाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे छोटा मसला मत समझिए। हम पुर:स्थापन के स्तर पर ही इसका बहुत जोरदार शब्दों में विरोध करते हैं, क्योंकि इससे राज्यों के अधिकार ही समाप्त नहीं होते, इससे केवल व्यक्तिगत स्वाधीनता का ही उल्लघंन नहीं होता, इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ही दमन नहीं होता, बल्कि इससे देश में धर्म निरपेक्षता समाप्त होती है, इससे लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त होते हैं और इससे संविधान का संघीय ढांचा पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में हम विधेयक का विरोध करते हैं तथा आशा करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक को पुर:स्थापित करने से पहले इसे वापस ले लेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का संवैधानिक औचित्य के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर तथा हमारे देश की राजनैतिक स्थिति के आधार पर विरोध करता हूं।

सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने नोट किया है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। संविधान सभा ने अपने विवेक से राज्यों के वैधानिक क्षेत्राधि-

कार तथा केन्द्र के वैधानिक क्षेत्राधिकार बांट दिये थे तथा उसने संविधान में एक समवर्ती सूची भी सम्मिलित की है। किन्तु, जैसा कि बताया जा चुका है, ऐसा पूरी तरह से विचार-विमर्श करके किया गया है। जिस समय संविधान के प्रारूप पर बहस की जा रही थी इस विशेष विषय अर्थात् पशु-पालन को समवर्ती सूची में शामिल करना अपेक्षित समझा गया। किन्तु, संविधान सभा ने इस विचार को नहीं माना तथा इसे सातवीं अनुसूची, अर्थात् राज्य—सूची में रख दिया।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब इस विषय विशेष को राज्य-सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाए जाने के क्या विशेष कारण हैं ? क्या यह उस झगड़े की शुरुआत नहीं जो अन्ततः राज्यों को उनकी वैधानिक शक्तियों से बंचित कर देगी, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने इस ओर ठीक ही इशारा किया है ? जो अन्य विषय इस समय राज्य विधान मण्डलों के अधिकार क्षेत्र में हैं उन्हें भी केन्द्र द्वारा छीन लिया जाएगा तथा इस प्रकार इस देश में एक एकल राज्य की स्थापना होने जा रही है। जनता पार्टी के भीतर एक राजनैतिक पार्टी है, एक ग्रुप है जो देश में एक मजबूत केन्द्र तथा एकल रूप की सरकार बनाने की वकालत कर रहा है। किन्तु, सदन को मालूम होना चाहिए कि भारत की एकता संघीय आधार पर ही रह सकती है। विविधता में एकता के आधार पर ही भारत एक बना रह सकता है। मैं इस विधेयक के विरोध में इसलिए हूं क्योंकि इससे देश के अस्तित्व पर सीधी चोट पड़ती है, इससे हमारे संविधान के संघात्मक स्वरूप पर चोट पड़ती है, इससे हमारे संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप पर चोट पड़ती है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी चोट पड़ती है, जिसे मैं सबसे ज्यादा जोर डालकर कह रहा हूं। महोदय, यदि हमारे संविधान की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कोई कानून बनाया जाता है तो धारा 14 तथा 15 का उल्लंघन होने की संभावना है। अतः, यदि मैं सही कहूं, तो सत्तारूढ़ दल के एक वर्ग द्वारा जानबूझकर यह प्रयास किया गया है कि राज्यों के ज्यादा से ज्यादा अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए तथा मुझे लगता है कि राज्य इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : महोदय, कांग्रेस (आई०) के एक सदस्य सेठ गोबिन्द दास द्वारा 1955 में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया था तथा उस पर 2 अप्रैल, 1955 को इस सदन में उस पर बहस भी हुई थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन्हें मैं यहां उन लोगों के लाभ के लिए उद्धरित करना चाहता हूं जो कांग्रेस (आई०) में हैं। तथा जो अब भी पंडित नेहरू की परम्पराओं को रखने का दावा करते हैं। पण्डित नेहरू ने यह कहा था :—

> "प्रारम्भ में ही मैं पूरी तरह से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार पूर्णरूपेण इस विधेयक के विरुद्ध है....."

> "मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि पशु अर्थव्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं तथा मैं समझता हूं कि मनुष्य गायों से ज्यादा महत्वपूर्ण है।"

कांग्रेस (आई०) के सदस्य इसे समझें । उन्होंने आगे कहा था :—

"मैं इससे सहमत नहीं हूं तथा मैं प्रधान मंत्री पद से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं लेकिन मैं नहीं झुकूंगा.....

"मैं पूरी तरह से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत में इस प्रकार का आन्दोलन निरर्थक, मूर्खतापूर्ण तथा हास्यास्पद है.....।"

तत्कालीन प्रधान मन्त्री पण्डित नेहरू ने जो कुछ कहा वह यह था । कांग्रेसजनों ने गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध की मांग को लेकर इस विधेयक के समर्थन में भूख हड़ताल की । जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं केवल एक बात बताना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका कुछ तो अन्त होना चाहिए । हमारे पास असीमित समय नहीं है । वास्तव में नियम में विरोध के लिए एक व्यक्ति की व्यवस्था है । फिर भी, हमने अनेक लोगों को—दल से दो को—अवसर देने की उदारता की है । कम से कम कुछ आत्म सम्मान होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आपको सभी के लिए समान दर्जा रखना चाहिए । जहां तक अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं केवल राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट से उदाहरण देना चाहूंगा :—

"हमारे देश में अलाभकारी तथा अनुत्पादक पशुओं की विशाल संख्या अर्थव्यवस्था के लिए भार बन गई है ।"

महोदय, अन्त में, मैं आपसे और सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का विधेयक समुदाय-समुदाय के बीच सम्बन्धों में अनावश्यक द्वेष उत्पन्न करेगा । इससे पुराणपन्थी तत्वों, धार्मिक रूढ़िवाद तथा पुर्नजागरणवादी तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा, जोकि हमारे संविधान में गहरे रूप से जड़ जमाए हुए लोकतांत्रिक तथा धर्म निरपेक्षता की प्रवृत्तियों के लिए हानिकर होगा ।

महोदय, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आशा है कि सरकार अपने विवेक से इस विधेयक को वापस ले लेगी । यदि सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो हमारे पास इस विधेयक का यहां इस सदन में तथा बाहर भी विरोध करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न होगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (पचासवां) संशोधन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । विधेयक का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और इससे सरकार बाद में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने में समर्थ हो सकेगी ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

महोदय, इस विधेयक से धर्मान्धता तथा रूढ़िवादिता की विजय लक्षित होती है। यह खेदजनक है कि अब खाने की आदतों में भी जनसंख्या के एक वर्ग के विचारों तथा विश्वासों को समूचे राष्ट्र पर थोपे जाने का प्रयास किया जा रहा है। गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर मैं विस्तार से बोल चुका हूं। मैं उन सभी तर्कों को दोहराना नहीं चाहता जिन्हें मैं पहले बता चुका हूं।

महोदय, आज गाय संविधान में बताये गये संघीय ढांचे तथा हमारे संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन में गड़बड़ पैदा कर रही है। यह नोट करने योग्य बात है कि जब से जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई है, उसकी सिर्फ यही उपलब्धि रही है कि वह संघर्ष के क्षेत्रों को बढ़ा रही है। संघर्ष के अनेक क्षेत्र खोल दिए गए हैं और अब संघर्ष का एक और क्षेत्र सामने आ रहा है—केन्द्र सरकार का राज्यों के साथ संघर्ष। सभी को यह ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल सरकार तथा केरल सरकार ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपनी असहमति तथा, अनिच्छा पहले ही प्रकट कर दी है। इस प्रकार का कदम कलह के, बीज ही बोयेगा, तथा इसलिए सदस्यों को इसका विरोध अपनी पूरी ताकत के साथ करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कदम एक विशेष धारणा का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार मानवों के जीवन की अपेक्षा गोहत्या के बारे में ज्यादा चिन्तित है। हमने जब कभी मानव हत्या के विषय में यहां प्रश्न उठाया, माननीय गृह मंत्री ने हमेशा खड़े होकर घृणा की दृष्टि से यह दोहराया कि शान्ति एवं व्यवस्था राज्य का विषय है। किन्तु आज गोहत्या पर प्रतिबन्ध के विषय को उच्चस्तर प्रदान करके अनुवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है तथा मानव जीवन की रक्षा की अपेक्षा गाय की सुरक्षा के मामले को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। मैं विधेयक के पुरः-स्थापित किये जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं सदन से अपील करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि मध्ययुग की अवस्था में वापस जाने के इस प्रयास को विफल किया जाए। मैं संविधान संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागारा) : प्रारम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं अपनी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूं। मेरी पार्टी ने इस मामले पर लोकतांत्रिक रूख अपनाया है और वोट देने के मामले में हमें स्वतन्त्रता प्रदान की है। मैं इस विधेयक का संवैधानिक आधारों पर, राजनैतिक तथा मूलभूत आधारों पर तथा इन सबसे ऊपर अन्तःकरण के आधार पर विरोध करता हूं क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिससे यह प्रकट होता है कि सदन का भारी बहुमत हमारे संविधान की भावना की हत्या करने का प्रयास कर रहा है, इसकी लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष भावनाओं पर आक्रमण करने तथा उनकी हत्या करने तथा इसके मूल सिद्धान्तों की भी हत्या करने का प्रयास कर रहा है। यह बड़े दुःख की बात है कि जबकि देश गरीबी, बेरोजगारी तथा विकास की जटिल समस्याओं में उलझा हुआ है, ऐसे समय में कुछ पुराणपन्थी तत्व लोगों का ध्यान महान राष्ट्रीय कार्यों से हटाकर उनका ध्यान अविवादास्पद बातों तथा सीमित क्षेत्रीय विवादों और ऐसे विवादों की ओर आकर्षित कर रहे हैं जिसकी प्रवृत्ति हममें एकता की भावना उत्पन्न करने की अपेक्षा

हमें विभक्त करने की है । इतिहास में यह होता आया है उन सुधार विरोधी और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने हमेशा यही किया है, विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह बताया गया है कि हमारे संविधान को अनुच्छेद 48 के अनुसरण में अनेक राज्यों ने गाय और उसकी संतति के वध पर प्रतिबन्ध के लिए कानून बना दिये हैं, और 'कानून में एकरूपता' के लिये —'कानून में एकरूपता' पर ध्यान दें, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा,—'यह विधेयक गाय और उसकी संतति के वध पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित राज्य विषय के बारे में कानून बनाने के, संसद को अधिकार प्राप्त कराने के बारे में है । अब इस पर चर्चा करने के पहले मैं कहना चाहूंगा कि विधेयक के लिये दिये गए उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कोई राजनीतिक इरादा छिपा है । ऐसा सत्ता के केवल उन्हीं कठोर रूख वाले आक्रामक, प्रतिक्रियावादियों को संतुष्ट करने के लिये किया गया है, जिन्होंने पौनार —विनोबा जी —से बिल्कुल असंबद्ध रूप से उनके उपवास का इस्तेमाल किया है ।

महोदय, अब प्रश्न यह है कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि हम इस देश में एकता या एकरूपता ला रहे हैं ? यह केवल कानून में ही एकरूपता नहीं लाना चाह रहे हैं, किन्तु यह ऐसी एकरूपता जो देश की एकता के लिये खतरा बन सकती है । क्या हम एकता को अनेकता से सशक्त बनाना चाहते हैं या एकरूपता को आरोपित करना चाहते हैं ? इसी प्रश्न का हमें उत्तर देना है । हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हुआ । एक प्रणाली, एक भाषा लागू करने के अनेक प्रयास किये गये क्योंकि इस उप महाद्वीप में यह महसूस करना बहुत आवश्यक है कि यह एक भिन्न राष्ट्र है, यह अभी तक निर्मिति की ओर अग्रसर राष्ट्र है, राजनीतिक दृष्टि से हम केवल 30 वर्षों से ही राष्ट्र बने हैं । इससे पहले हम विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के समुच्चयर्थ जो एक विशेष प्रकार की एकता में अवद्ध था ।

किन्तु यदि हम राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें पर्याप्त सतर्कता से ही नहीं वरन् अत्यधिक कूटनीति से काम लेना होगा ।

महोदय स्पष्टतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांत तो न्यायालय भी बलात् लागू नहीं कर सकते । कानून बनाते समय इस बात पर ध्यान देना होगा । उच्चतम न्यायालय में अनुसार कुरैशी केस में गौवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं, उसके लिए वह (क) वैज्ञानिक विधि से पशु-पालन के विकास के अनुरूप हो तथा (ख) संविधान के अनुसार प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के अनुरूप हों, और कानून के इस परीक्षण में खरा उतरना होगा । मेरे पास विस्तार से बताने के लिए समय नहीं है । फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा, कि जब 1958 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह केस आया था तो उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी, कि उस समय जो विशेषज्ञतायुक्त विचार प्रस्तुत हुए और जिनकी सहायता उपलब्ध थी वह इस सभा के भूतपूर्व सदस्य न्याय-मित्र पंडित डाकुर दास भार्गवा ही थे, और उन्होंने इस बात का संकेत किया था, कि 1955 की गौ सुरक्षा विशेषज्ञ समिति ने स्पष्टतः कहा है कि गौवध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना असंभव और अनपेक्षित है । कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने भी यही विचार व्यक्त किए

हैं। यदि आप, इस सभा में पिछले 15 वर्षों से जो उत्तर दिए गए हैं उन्हें पढ़ें उन सभी को पढ़ कर सुनाने का मेरे पास समय नहीं है—स्पष्ट है कि यही नीति लागू रही है और इससे पहले एक बार जब डा० रामजी सिंह ने विधेयक प्रस्तुत किया था, तो स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था "यह कानूनी सक्षमता से परे है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते"। इस प्रकार अवसरवादी नेतृत्व वाले कांग्रेस इ० के नेता जिनकी अनुपस्थिति से बहुत आश्चर्य हुआ। उन पर नियंत्रण के लिए एक राजनैतिक समझौता हो चुका था वे अनुपस्थित हैं, अन्यथा मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछता। इस समय जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि: यदि आप संविधान सभा के बाद विवाद पढ़ें संविधान के धर्म निरपेक्ष पहलू या विधायी सूची में संविधान की रूप रेखा बनाने वालों ने यह विशेष रूप से धर्म निरपेक्षता के संबंध में जब गौवध का प्रश्न उठाया गया था, क्योंकि सेठ रामकृष्ण डालमियां ने यह आंदोलन चलाया था, तथा पंडित भार्गव, डा० रघुबीर और अन्य ने इसे प्रस्तुत किया था तो यह बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी और प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में विधान के लिए विस्तृत मार्ग निर्देश को शामिल करने के अलावा कुछ भी शामिल करने का घोर विरोध किया है। यह उस समस्या की जटिलता के प्रति एक स्पष्ट समझौता किया गया था, जिस समस्या का हमें सामना करना पड़ा था। यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि इस देश की एकता को बनाए रखना है, तो इसे धर्म निरपेक्ष रहना होगा, और हमें यह भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जहां मैं अपने राज्य के बहुमत का विचार व्यक्त कर रहा हूं, और यह हमारे लिए बहुत ही गंभीर मामला है, और बिल्कुल भी साधारण मामला नहीं है, इसलिए यह संविधान से धर्मनिरपेक्षता के तत्व के क्षरण का प्रश्न है। संविधान के संशोधन की आड़ में क्या आप संविधान की मूल संरचना को बदल सकते हैं ? विधि मंत्री जो यहां उपस्थित हैं, संविधान के संशोधन पर बाद-विवाद के समय केशवानंद भारती केस में उन्होंने न्यायमूर्ति खन्ना के वक्तव्य में से उदाहरण दिए हैं। मैं भी न्यायमूर्ति खन्ना के कथन को ही उद्धत करना चाहूंगा:

> "किसी संशोधन की आड़ में यह उचित नहीं है कि, उदाहरणार्थ प्रजातांत्रिक शासन को निरंकुश, पैतृक या एकतंत्र बना दिया जाए और या लोकसभा या राज्य सभा को समाप्त करने की अनुमति दी जाए। राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप, इसके अनुसार धर्म के आधार पर किसी नागरिक के विरूद्ध भेद-भाव नहीं बरता जाएगा, और इसे इस तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।"

वस्तुतः इसका आशय यही करवाने का प्रयास है और दृढ़ता से इसका विरोध किया जाना चाहिए। क्या यह संशोधन सुधारू है ?

दूसरी चीज विधायी सूची है। विधायी सूची का इतिहास 1919 के संविधान में सुधारू—जबकी राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रांतीय सत्ता की मांग की थी—से भी पहले का है। यह सूची क्यों है ? क्योंकि तुलनात्मक रूप से यह एक संघात्मक शासन है, जिसका हमने विकास किया है, अतः विधान के लिए प्राधिकरण और सक्षमता के लिए स्पष्ट सीमा रेखा होनी आवश्यक है। यही

कारण है कि कृषि और भूमिसुधार, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, गौवध पर प्रतिबंध से भी महत्वपूर्ण हैं. उन्हें राज्य सूची में रखा गया है। यदि कृषि राज्य की सूची में रहे तो उसे राज्य से ले लेने के लिए क्या तर्क दिया जा सकता है या तर्क के पीछे क्या औचित्य है ?

मैं इस विधेयक का विरोध ही नहीं करता वरन् सभा को चेतवानी भी देता हूं कि जहां तक हमारा राज्य संबद्ध है, वहां इसके गंभीर परिणाम होंगे ; इसके अनुसरण में यह सभा जो कानून लागू करेगी हम उसे स्वीकार करने से इंकार कर देंगे और दल तथा किसी भी प्रकार के अंतर से निरपेक्ष हो कर पूरे राज्य में जनमत तैयार करेंगे और अंत तक इसका विरोध करेंगे।

श्री एल० के० राय (धनबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। पुरः स्थापन प्रक्रमण्यं समय हम जानते हैं कि इस बाद-विबाद का एक सीमित क्षेत्र है। यह चर्चा सामान्यत: संविधान की या वैधानिक सक्षमता की दुर्बलता प्रकट करती है। यहां आपने उचित ही—मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा—चर्चा के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयास की उपेक्षा भी है। जैसा कि मैंने कहा आपने ठीक ही किया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नियमों का सुखद उलंघन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नियमों का उलघंन नहीं किया है।

श्री एम० के० राय : मैं यह बताना चाहता हूं कि अनेक ऐसे दुर्भाग्यशाली या कम भाग्यशाली सदस्य हैं जिनमें इस विस्तार के पूर्वानुमान की अंतर्दृष्टि या दूर दृष्टि नहीं थी इसीलिए वे अपना नाम नहीं दे पाए। इसीलिए वे इसमें भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिए गए। क्या आप कृपया इस पर ध्यान देंगे, और हमें नाम देने की अनुमति देंगे, ताकि हम भाग ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे समझौता करने से इंकार करता हूं।

श्री एस० आर० दामाणी : इस पर हम पिछले दो घंटे से चर्चा कर रहे हैं—

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास 24 नाम आए हैं पर मैं सभी को बोलने के लिए,समय नहीं दे सकता हूं, किंतु मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसे दल हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, मैं उनमें से एक या दो को अवसर दूंगा।

श्री एडुआर्डो फेलीरो : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फेलीरो आपके दल से पहले ही 3 सदस्य बोल चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: इससे पहले कि मैं असली विषय पर आऊं, मुझे आश्चार्य है कि किस प्रकार श्रीमती गांधी खरगोश के साथ दौड़ने और शिकारी कुतों के साथ पीछा करने का अपना पुराना खेल खेल रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में अपने दल के सदस्यों को उन्होंने विनोबा जी की बाजीगरी की सहानुभूति में उपवास करने का आह्वान किया था। कौन हैं ये विनोबा भावे ? आपात् स्थिति में जब हम बेड़ियों में जकड़े हुए जेल में देश के हजारों लोगों के

साथ कष्ट झेल रहे थे, यह व्यक्ति नागपुर में बैठे-बैठे आपात् स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा था, और इसे अनुशासन पर्व कह कर आपात् स्थिति की गिरफ्तारियों और संक्षिप्त विचारणों को न्यायोचित ठहरा रहा था। ये ही तो हैं वह व्यक्ति।

वैधानिक सक्षमता के बारे में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीति निर्देशिक सिद्धांत सरकार के लिए बंधनकारी नहीं हैं, किंतु मौलिक अधिकार अवश्य ही बंधनकारी हैं। मौलिक अधिकार के उल्लंघन का यह एक स्पष्ट मामला है, क्योंकि इसका स्वरूप— (व्यवधान) श्री शांति भूषण, आप हमें बहला नहीं सकते। जब आप मुख्य आर्थिक समस्याओं, देश की मुख्य समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, तो आप इस तरह की तुच्छ समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर वाहवाही लूटना चाहते हैं; आप इसमें सफल नहीं होंगे। आप लिख कर रख लें कि आप इस संविधान संशोधन विधेयक को कानून नहीं बना सकते। यह आपसी समझौते के मूल सिद्धांत से हटना ही है, जो कि प्रधानमंत्री की सरकार और विरोधी दल के नेताओं के बीच हुआ था। इस आपसी समझौते के सिद्धांत क्या क्या थे? वे थे—पहला यह अल्प संख्यक विशेषतः मुसलमानों पर लादी गयी थी दूसरी यह राज्य का विषय था। और तीसरा यह राष्ट्रीय अखंडता में बाधा उत्पन्न कर सकती थी। और आपने क्या किया? आपने एक ही रात में एक व्यक्ति को संविधान के ऊपर मान कर सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। यदि आप इसी तरह जनता से धोखा करते रहे तो सरकार पर विश्वास कैसे बना रहेगा? श्री शांति भूषण आप सुखद् भ्रम में हैं, यदि आप यह विश्वास करना चाहते हैं, कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। किंतु यदि आप उस भद्र पुरुष को धोखा देना चाहते हों, तो जो जी में आए कीजिए। (व्यवधान) मेरा अभिप्राय उन्हीं पौनारवासी भद्र पुरूष ये है, मैंने उन्हें एक और नाम दिया है। मैं उसका उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे मित्रों ने मुझसे ऐसा न करने का अनुरोध किया है।

इस सरकार ने चुनाव के बाद गांधी जी की शपथ ली। नयी सरकार शपथ लेने के बाद राजघाट गई। वहां ढेरों आंसू बहाए गए। उन्होंने शपथ ली कि वे गांधी जी का अनुसरण करेंगे। इस विषय पर गांधी जी ने क्या कहा था? मैं दिनांक 31 अगस्त, 1947 के 'हरिजन' से उद्धत कर रहा हूं। उसके अनुसार:

> "गांधी जी ने भारत संघ में कानून द्वारा गौवध बन्द करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा की उनकी राय थी कि यदि उन्होंने भी कानून के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास किया तो उनकी यह महान गलती होगी। वे अर्द्ध शताब्दी से गाय भक्त रह चुके थे। गाय का भारत की अर्थ व्यवस्था में स्थाई स्थान है। गाय को वास्तव में बचाया जा सकता है यदि वे मुस्लिमों के हृदय को प्रभावित कर सकते।"

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

गांधी जी कानून द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाने के पूर्ण रूप से खिलाफ थे। फिर यह सरकार, जिसने की गांधी के मार्ग पर चलने की शपथ ग्रहण की है इस मार्ग पर चलने का कैसे सहारा लिया है ? (व्यवधान) मैं निदेशात्मक सिद्धांतों से उदाहरण देना चाहूंगा। वे एक विशेष अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद-48 पर क्यों अंगुली रखे हुये है। अन्य अनुच्छेद क्या है ? अनुच्छेद 39 (क) के बारे क्या है—समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 41 के बारे क्या है कुछ अवस्थाओं में काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार ? अनुच्छेद 42 के बारे में क्या है— काम की मान्य तथा मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति-सहायता का उपबन्ध ? अनुच्छेद 43 के बारे में क्या है—श्रमिकों के लिए निर्वाह-मजूरी आदि ? अनुच्छेद 43-क के बारे क्या है— उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना ? अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता के संबंध हैं। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध के संबंध में है। इसके बारे में उन्होंने क्या किया है ? अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति के संबध में है। आपने इसके बारे में क्या किया है तथा आदि आदि।

3.30 अप्राह्न बजे गैर-सरकारी विधेयक कार्य है।

उपाध्यक्ष मोहदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संसार के शुष्क व बांझ पशु तथा बेकार पशु की सबसे अधिक संख्या इस देश में है। 1966 के आंकड़ों के अनुसार जो नवीनतम आंकड़ें हैं इस देश में हमारे पास है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः आप मुझे संबोधित करें। उस तरफ मत देखिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु: दो किस्म की जनता है-आम जनता और खास जनता। 1966 के आकड़ों के पशु हैं अर्थात विश्व पशु संख्या का 25% है। इस देश में दूध उत्पादन प्रति पशू निम्नतम 500 कि० ग्रा० प्रति वर्ष है जो विश्व औसत में 3000 कि० ग्रा० है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। यदि आप गेहूं खरीदना चाहते हो तो 80 पैसे किलो खरीद सकते हो परन्तु यदि आप चारा अर्थात गेहूं का भूसा खरीदना चाहते हो तो यह 1.25 रु० कि० मिलेगा। हमारे सरदार जी यहां बैठें हुये है। इस बात का उल्लंघन करने के लिए उन्हे यह गधे का काम दिया गया है। (व्यवधान) मुझे सरदार जी के लिए खेद है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केवल 38 प्रतिशत गाय दूध दे रही हैं। यह मुस्लिमों समेत 1150 लाख अल्पसंख्यकों के लिये बड़ी मौलिक खाद्य वस्तु है। आप उनको कैसे बंचित कर सकते हैं जिनके लिये आप मूल भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हो ? हमारे प्रोटीन का उपयोग विश्व में सबसे कम है। और गौवध पर इस प्रतिबंध को लगा कर आप देश को सबसे बड़ी हानि पहुंचा

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

रहे हो जो लोगों में ह्रास तथा पत्तन लायेगा। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने आदि-वासियों उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र, ईसाइयों, मुस्लिमों, नागाओं तथा नैपालियों के लिए क्या करने का विचार है ? वे सभी गाय का मांस खाते है। आप उनको छू नहीं सकते है। इस विधेयक के लिए अनुसमर्थन किस प्रकार प्राप्त करने का विचार है जबकि आप इसको पास कराने में असमर्थ है। श्री बरनाला आप गलत है। आपने यह विधेयक लाने से इंकार कर दिया होता। आप इस हिन्दू पुनःप्रवर्तक के शिकार हो चुके हैं और इसीलिए आप इस विधेयक को ला रहे हैं।

यह सारी अर्थव्यवस्था को बेकार कर देगा। मैं केवल एक आकड़े का उदहारण दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करें। आप आंकड़े के बारे में भूल जाइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हजारों में दूध के उपलब्ध आकड़ों के अनुसार 25503 शुष्क गायों के साथ क्या करने का विचार है ? (व्यवधान) केवल 38 प्रतिशत गाय दूध दे रही है। भारत में हरे ब्यारे की औसत उपलब्धि कुल जरूरत की एक चौथाई है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप भाषण समाप्त करें। अन्यथा मुझे दूसरे बोलने वाले को बुलाना पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सारी अर्थव्यवस्था कच्ची खालें, चमड़ा उद्योग, रसायनिक उद्योग और उर्वरक उद्योग, औषधि, उद्योग तथा चरबी उद्योग आदि को बेकार कर देगी। मैं श्री बरनाला से इस विधेयक को वापस लेना तथा पौनार में बैठे हुये उस भद्र पुरुष के सामने घुटने न टेकने का अनुरोध करूंगा। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां अनेक नाम है। मै प्रत्येक को नहीं बुला सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सारे मार्कसवादी दल अपने नाम दिये हैं परन्तु सभी को नहीं बुलाया जा सकता है।

उस तरफ से श्री राम केवल एक व्यक्ति। एक सदस्य श्री मधु लिमये बोल चुके हैं। इस लिए मैं श्री कंवर लाल गुप्त को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह विधायी सक्षमता पर बोल रहे हैं जो सदन में उठायीं गई है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मि० चन्द्रप्पन, आप को नियमों का ज्ञान होना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हमने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचार बाहर सुने है परन्तु सदन में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा गैर-राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित नहीं हूं। आप अपने स्थान पर बैठिये।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महदोय: आप अपने स्थानों पर बैठें। आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते हो।

कोई भी बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जाएगी।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जाएगी।

यदि दर्जनों सदस्य खड़े हो जाते हैं, यह कोई तरीका नहीं है—

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : मि० हालदर कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको अनुमति दी जानी चाहिए।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : नाम है। 25 नाम है। कोई भी बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जाएगी।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान ग्रहण करे। आप उस तरफ से खड़े नहीं हो सकते है तथा चिल्ला सकते हो।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : मि० चन्द्रप्पन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें। श्री कंवर लाल गुप्त, आप भी अपने स्थान को ग्रहण करें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां प्रायः जंगल है। मै नहीं समझता हूं कि यह किस प्रकार का संसदीय व्यवहार है? श्री हल्दर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जब उपाध्यक्ष महोदय खड़े हुये हैं तो आप उस तरह से नहीं खड़े हो सकते हैं। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही वृत्तांत मे समिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको कोई अवसर नहीं दूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें। कोई नियम नहीं है जो लागू होता हो कि आप को अवसर दिया जाना चाहिये। यह बहुत ज्यादती है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस व्यवहार में क्या ज्यादती है एक बार में दर्जनों व्यक्ति खड़े हो रहे हैं।

श्रीमती रांगनेकर : इस तरह से उत्तेजित मत हो। मि० हाल्दर अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे मि० हाल्दर के विरुद्ध कुछ कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। (व्यवधान) कृपया इन्हें सदन से बहार निकाल दो।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं सदन से बाहर नहीं जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को सदन से बहार जाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती अहिल्या रांगनेकर : वे किन नियमों के अधीन बोल रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती रांगनेकर तथा मि० हाल्दर आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि सदन में कैसे व्यवहार किया जाता है।

(व्यवधान)

क्या आप किसी तरह से किसी को सुन रहे है ?— क्या आप का मिजाज किसी को सुनने का है या जो आप कहना चाहते हैं उसे कहे जा रहे है ? (व्यवधान)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मै इसे स्पष्ट करूं कि यदि किसी को कुछ कहना है, केवल वही खड़ा हो तथा कहे। यदि लगभग दर्जनों सदस्य एक साथ खड़े हो जायें तो हम सदन की कार्यवाही कैसे चलायेंगे।

श्री० सी० के० चन्द्रप्पन : पिछले कुछ घंटो से हम कुछ मुद्दों पर सदस्यों का भाषण कर रहे है तथा वे इस विधेयक के पुनः स्थापन का विरोध कर रहे है। उसके संबंध में नियम बहुत विशिष्ट है। जिन्होंने विचाराधीन विधेयक का विरोध करने के लिए नियम के अनुसार नोटिस दिया है केवल उन्हीं को अनुमति दी गई है तथा तदनुसार चूंकि उनके अनेक नाम दिये गये हैं अध्यक्ष ने अपनी बुद्धिमत्ता से विभिन्न दलों के कुछ सदस्यों को बुलाने का निर्णय किया है। और तब आप को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा गया था। आप बहुत से लोगों को बुला

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

चुके हो। अब यदि नामों की सूची समाप्त हो गई है तो मंत्री उत्तर देंगे और तब हम इस प्रश्न पर विचार करने की आगे कार्यवाही करेंगे कि पुन:स्थापन को अनुमति दी जाए या नहीं। नियमानुसार ऐसा कोई उपबंध नहीं हैं जिस के अन्तर्गत वह सदस्य खड़ा हो सकता है तथा सरकार का समर्थन कर सकता है जिसने विधेयक के पुन: स्थापन का विरोध करने का नोटिस नहीं दिया है। यही कारण है कि हम विरोध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को मालूम होना चाहिए कि श्री कंवरलाल गुप्त भी अपना भेज चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : किस बात के लिए? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं।

रेल मंत्री प्रो० मधु दंडवते) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मै मामले के गुणावगुण में नहीं जाना चाहता हूं। व्यवस्था का मेरा प्रश्न प्रक्रिया से संबंधित है। नियम 72 में क्या व्यवस्था है?

"यदि किसी विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा के बाद बिना अग्रेतर विवाद के प्रश्न रख सकेगा :

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष, उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।

इसलिये, यदि कोई सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, उसे बहस में बोलने का हक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कहना चाहता था उसे मैंने अभी पूरा भी नहीं किया है।

प्रो० मधु दंडवते : गाय की रक्षा की जाये या न कि जाये लेकिन सदस्यों के अधिकारों की रक्षा अवश्य की जाये। इसलिये मैंने इस प्रश्न को उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा आप सबने किया है उन्होंने भी आपना नाम भेजा था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अन्य किसी तर्क के बारे बिल्कुल जानकारी नहीं है। यह बहुत बुरा है। यह सदन में कार्यवाही करने का कोई तरीका नहीं है। और आप जिस बात को स्वीकार

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

भी कर रहे हैं उसके लिये भी यह ठीक नहीं है। मैं उसे अच्छी प्रकार स्पष्ट कर सकता हूं। आखिरकार सदन में विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। आपमें सहनशक्ति होनी चाहिये।

उसने अपना नाम भेजा है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दे दें। उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है कि वह विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने जिस समय श्री मधु दण्डवते बोल रहे थे, अपने कथन को गुणायुक्त बना दिया तथा उन्होंने सदन की विधायिनी क्षमता के बारे में प्रश्न उठाया था तथा इसलिये वह बोलने के इच्छुक हैं।

इसलिये मैं उन्हें उस दल की ओर से बुला रहा हूं। मैं यहां किसी भी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैंने दो कांग्रेस तथा दो मार्क्सवादी दल से बुलाये हैं। जनता पार्टी जो एक विशाल दल है उससे केवल एक सदस्य बुलाया है। श्री मधुलिमये जी बोल चुके हैं और चूंकि श्री कंवरलाल गुप्त जी ने अपना नाम भेजा है, मैं उन्हें बुला रहा हूं। मैं यह नहीं जानता हूं कि वे विधेयक का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं रेल मन्त्री प्रोफेसर मधु दण्डवते जी के तर्क से पूर्णरूप से सहमत हूं कि नियम 72 का उपबंध यहां लागू होता है। यदि आप श्री कंवरलाल गुप्त जी को बुलाते हैं तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि सभापति महोदय ने पूरी चर्चा के लिये समय बढ़ा दिया है। इसलिये सर्वप्रथम सभापति यह फैसला दें कि क्या उन्होंने समय बढ़ा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि अब तक हम क्या करते रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : हमने नियम 72 के अन्तर्गत विधेयक प्रस्तुत करने के विरोध का नोटिस दिया है तथा हममें से उनको जिन्होंने इस प्रकार का नोटिस दिया था, अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, उसने भी नोटिस दिया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : लेकिन उन्हें नियमों के अन्तर्गत ठीक-ठीक बताना है। सदन में यह भी प्रथा रही है। उसे निश्चय ही बोलने के लिये बुलाया जा सकता है। सदन की विधायिनी क्षमता के प्रश्न पर नियम 72 के उपबंध के अनुसार बहस होने जा रही है। मैं अध्यक्ष से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या हम उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। यदि यह ऐसा है, तो श्री कंवरलाल गुप्त को बोलने का अवसर दिया जाये तथा अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाये। श्रीमान् जी मेरी आपसे यह प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, हम बहस समाप्त करने वाले हैं (व्यवधान) अन्यथा एक सदस्य को विरोध करने के लिये बुलाया जाता तथा मंत्री महोदय उत्तर देते।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक बहुत नाजुक प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, यह बहुत नाजुक है इसलिये मैं आपको बोलने के लिये कह रहा हूं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : श्रीमान् जी, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर प्रश्न कह रहा हूं । अब, इसमें कोई सन्देह नहीं कर सकता है कि नियम 72 की स्थिति में बहस पहुंच रही है हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं । लेकिन मेरा निवेदन है कि जब बहस उस स्थिति में पहुंचे उस समय सभापति को यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये कि जब कोई सभापति के पास पर्ची भेजे या उनसे अनुरोध करें तो उसे बोलने के लिये बुलाया जाये । (व्यवधान) ।

जब बहस चलती है, उस समय मामले को सचेतकों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। सचेतक इधर-उधर दौड़ते हैं, प्रार्थनापत्र एकत्रित करते हैं तथा उन्हें सभापति जी के पास भेजते हैं। इसलिये सभापति को यह दृष्टिकोण नहीं लेना चाहिये चूंकि माननीय श्री कंवरलाल गुप्त ने पर्ची भेजी थी इसलिये वह बोलने का हकदार है और अन्य सदस्य जो सभापति की आज्ञा चाहता है, उसे बोलने की अनुमति नहीं दी जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् जी, मैं बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करूंगा कि मैंने विधायिनी सक्षता पर बहस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है ।

श्री ज्योमिर्मय बसु : श्री कंवरलाल गुप्त कैसे बोल रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिस प्रकार कि वह इस पर बोलना चाहते थे ठीक उसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी आपकी तरह बोलना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी, नहीं । (व्यवधान) मैं इस बारे में सभापति से स्पष्ट शब्द विन्यास चाहता था कि क्या हम नियम 72 के क्षेत्र के अन्तर्गत चल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हमने अब काफी चर्चा कर ली है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं किसी प्रकार की चर्चा नहीं चाहता हूं । अब मैं केवल आपसे इतना चाहता हूं कि आप सदन को यह बतलायें कि क्या आप अब नियम 72 के उपबंध के अनुसार कार्य कर रहे हैं ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब उसके अनुसार नहीं चल रहा हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : उपाध्यक्ष जी, आपका और सदन के दूसरे सदस्यों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत देर में ही क्यों न हो लेकिन मुझे बोलने की आज्ञा दी ।

यहां पर एक बात कही गई है कि इसमें संविधान का मूलस्वरूप समाप्त हो जायेगा, उस पर इसका बुरा असर पड़ेगा । यह बेसिक करैक्टर क्या है यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है लेकिन उसमें इस चीज का बिल्कुल जिक्र नहीं आता । उन्नीकृष्णन जी ने यह बात कही है कि सेक्युलरिज्म पर इसका असर होगा । मेरा कहना यह है कि जहां पर करोड़ों लोगों की भावनाओं का इन्वाल्वमेंट हो, जहां पर देश के कोने-कोने से इस चीज की मांग हो, तो उसमें सैक्युलरिज्म पर असर नहीं पड़ता है । सैक्युलरिज्म के लिये जरूरी है कि गऊ की रक्षा होनी चाहिये ।

मैं आपसे सहमत हूं कि इन्दिरा गांधी डबल-फेसेड लेडी है । एक तरफ उन्होंने ए० आई० सी० सी० में लोगों से कहा कि आप फास्ट पर जाइये, दूसरी तरफ आप देख लीजिये उनका एक आदमी भी यहां पर नहीं है वे इसको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं । तो यह डबल फेस है—इन्दिरा गांधी का—और मैं इसको पूरी तरह से निन्दा करता हूं । मैं भी उन लोगों में हूं—जैसा हमारे साथी मधुलिमये जी ने कहा—जो रोल बिनोवा जी का एमर्जेन्सी में रहा—वह किसी से छुपा हुआ नहीं है (व्यवधान) आप सब लोग उसमें साथी थे, जरा गर्दन नीची कर लीजिये जिससे मुझे खुशी हो जाए । मैं उन्नीकृष्णन जी से कहूंगा—जरा गर्दन नीची कर लें, आप सब उसमें साथी थे । जब हम लोग जेलों में सड़ रहे थे, उस समय विनोबा जी ने क्या कहा था ?

मेरा विचार है कि वह 20वीं शताब्दी के सबसे बड़ा धोखा है । यह मेरा अपना निजी मत है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : कैसे भी हो, किसी व्यक्ति के उससे विचार नहीं मिल सकें ।

उनकी इस प्रकार टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए । यह पूरी तरह से गलत है ।

श्री वयालार रवि : यह महात्मा गांधी जी के विरोध में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या आप श्री बिनोवा भावे जी का समर्थन करते हैं ?

श्री वयालार रवि : यह मामला दूसरा है । मैं उन्हें धोखा नहीं कह रहा हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह मेरा अपना निजी विचार है । मैं छिपाना नहीं चाहता हूं मैं आपकी तरह से झूठा नहीं हूं जिसने आपातकालीन स्थिति का समर्थन किया ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसको कानकरेंट लिस्ट में लाने का सवाल है—यह कानकरेंट लिस्ट में कब आयेगा ? हम इसमें स्टेट की पावर को छीन नहीं रहे हैं, इसमें सेन्टर भी पावर ले रही है और स्टेट को तो पावर है ही । कानकरेंट का मतलव है—स्टेट को भी पावर है और सैन्टर को भी पावर है । सैन्टर को पावर कब आयेगी ? क्या इसके यहां पास हो जाने के बाद सैन्टर को पावर आ जाएगी ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । सैन्टर को पावर तब आयेगी, जब आधे से ज्यादा राज्य इसको स्वीकार कर लेंगे । आधे से ज्यादा राज्यों के स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि देश की अधिकांश जनता इसके साथ है । मैं यह समझता हूं कि देश की इन्टीग्रिटी के लिए, देश के सैकुलर करैक्टर के लिये, कांस्टीचूशनल आस्पेक्ट के लिए, यह जरूरी है कि इसको हम यहां पास करें । इससे सैन्टर और स्टेट के रिलेशन में कोई बाधा नहीं आती है । मेरे साथी बारबार यहां चिल्ला रहे हैं...(व्यवधान)...कि लोग इसके खिलाफ हैं । मैं उन को बतलाना चाहता हूं—काश्मीर में मुसलमानों का बहुमत है, लेकिन काश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां गऊ-हत्या कानूनन बन्द है । शेख अब्दुल्ला ने एक बार नहीं अनेक बार इसका समर्थन किया है । किसी भी माइनारिटी के धर्म में यह नहीं लिखा है कि बीफ़ का खाना जरूरी है । अगर हम चाहते हैं कि माइनारिटीज़ की भावनाओं की कद्र हो, चाहे क्रिश्चियन माइनारिटी हो या मुस्लिम माइनारिटी हो, तो क्या आप बहुमत की भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे ? ऐसा करना गलत होगा, केवल भावनाओं की बात नहीं, इकानामिक कन्सीड्रेशन से भी गऊ-हत्या बन्द करना जरूरी है ।

मैं श्री उन्नीकृष्णन को चेलेंज करता हूं कि सरकार देश में रेफ्रैन्डम इस इशु पर करा ले, तो रेफ्रेन्डम दो-तिहाई मेजोरिटी इसके हक में होगी ।

श्री के० पी० उन्नीकृन्णन : दो राज्य हैं जिन पर प्रभाव पड़ा है । दो राज्यों में लोकमत संग्रहण रहने दीजिए । मैं आपको चुनौती देता हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : सम्पूर्ण देश में मत संग्रह होना चाहिये ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जिन दो राज्यों पर प्रभाव पड़ने जा रहा है उन राज्यों में ही जनमत संग्रह होना चाहिए ।

श्री कंवरलाल गुप्त : देश में केवल दो राज्य ही शामिल नहीं हैं । इसमें सभी राज्य शामिल हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसका प्रभाव हम पर पड़ा है आप पर नहीं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : इस देश में केरल तथा पश्चिमी बंगाल सहित सभी राज्य शामिल हैं ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

मेरा कहना है कि हम देश के फेडरल करेक्टर को खराब नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई कम्युनल चीज उठाई जाए। इसमें कोई कम्युनल चीज नहीं है और हम यह चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गौ रक्षा के बारे में हुआ है, उसकी लाइट में इसका पूरा समर्थन होना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : तब उच्चतम न्यायालय के फैसले पर एक बहस होनी चाहिए। सदन को भी पता लगना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का क्या फैसला है।

(व्यवधान)

श्री कंवरलाल गुप्त : इस हाउस में जो यह बिल आया है, वह वैधानिक तरीके से और मेरिट पर दोनों चीजों पर मैं इसका समर्थन करता हूं और जो लोग इसके अपोज करते हैं, वे देश की भावना को व्यक्त नहीं करते, देश के वह विपरीत है। मैं समझता हूं कि अगर रेफ्रेन्डम हो जाए, तो देश के 80 परसेन्ट लोग, 85 परसेन्ट लोग, इसका समर्थन करेंगे।

(व्यवधान)

श्री कंवरलाल गुप्त : आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इन्दिरा गांधी का समर्थन किया। क्या आप अब बातें कर रहे हैं ? आप में बात करने की हिम्मत नहीं है। आप दुमुहे हैं। आप इन्दिरा से प्रेरणा नहीं लेते हैं, कहां से — केरल से नहीं लेकिन मास्को से। मैं इस देश से प्रेरणा लेता हूं। मैंने इस देश में जन्म लिया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (कन्नानूर) : मैंने इस देश में जंम लिया है

(व्यवधान)

श्री० के० गोपाल (करूर) : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। मैं दोबारा नियम 72 का हवाला दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय वसु :— आप डा० सरदीशराय को कब बुला रहे हैं। वह बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं।

श्री के० गोपाल : नियम 72 के अन्तर्गत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा। नियम 72 इस प्रकार है:-

> यदि किसी विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर बाद-विवाद के, प्रश्न रख सकेगा :

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष, उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।

मेरा प्रश्न यह है कि इस विधेयक पर पिछले तीन घंटे से बहस हो रही है। आप एक के बाद एक करके उन्हीं व्यक्तियों को बुला रहे हैं जिन्होंने विधेयक का विरोध करने का नोटिस दिया है जो सदन के समक्ष लाया गया है। बाद में श्री गुप्त ने आपके पास यह कहते हुए एक नोट भेजा की वह बोलना चाहते हैं और आपने उन्हें अनुमति दे दी। उसने क्या कहा ? उन्होंने विधायिनी क्षमता के विषय पर नहीं कहा। आपने उस समय तक बहस की अनुमती नहीं दी जब तक वह बोलते रहे। अब उन्होंने अपनी बात समाप्त कर ली है। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। अब आप को यह मानना पड़ेगा कि आपने बहस की अनुमति दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री के० गोपाल : यदि आपने पूरी बहस की अनुमति नहीं दी है, तो इसकी क्या वजह है कि आपने श्री कंवर लाल गुप्त को बोलने की अनुमति दी। यदि आपने बहस की अनुमति दी है, कृपया आप उसे बता दें और बहस होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पूरी बहस की अनुमति नहीं दी है।

श्री के० गोपाल : उसने विधेयक का विरोध नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस बात को वह कहने जा रहे हैं उसकी मैं आशा नहीं कर सकता।

वह खड़े हो कर कहते हैं कि वे विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री के० गोपाल : इसका अभिप्राय यह है कि आपने बहस की अनुमति दी है। तब कुछ अन्य सदस्य भी हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बहस नहीं। मैं केवल दो सदस्यों को ही अनुमति दूंगा, कांग्रेस दल से एक सदस्य तथा मार्क्सवादी दल से एक सदस्य।

श्री वयालार रवि : यह दुर्भाग्य है कि श्री शान्ति भूषण जिन्हें संविधान की विशेषताओं का एक सबसे बड़ा चैम्पियन होना चाहिए उन्हें श्री बरनाला जी का एक विधेयक लाने में समर्थन करना चाहिए जो संविधान के बुनियादी ढांचे की विचारधारा के विपरीत है। उन्हें यह भी बताआ चाहिए कि उन्होंने सरकार में आने से पहले संविधान की बेसिक विशेषताओं की रक्षा के

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

लिये क्या कहा था। अब आप केवल प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी संविधान की वेसिक विशेषताओं को हानि पहुंचा रहे हैं। आप राज्यों के अधिकारों को भी हानि पहुंचा रहे हैं तथा आप केन्द्रीय सरकार को इकाई का स्वरूप बनाने की दिशा में जा रहे हैं। संविधान के मुख्य सिद्धांत हैं :

प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघ राज्य, केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन, इनकी संविधान में घोषणा की गई है। श्री शांति भूषण संविधान के बेसिक ढांचे की पवित्रता के बारे में बातें करते रहे हैं। वह संविधान के लिये कसाई बन गये हैं। यह प्रश्न केवल गाय हत्या का ही नहीं हैं लेकिन यह खुद संविधान की हत्या है। आप इस कानून के द्वारा साम्प्रदायिक तनाव तथा साम्प्रदायिक दंगों को पनपा रहे है। यदि कोई साम्प्रदायिक दंगा होता है तो साम्प्रदायिक हठ-धर्मी इस युक्ति का सहारा लेगें कि ये कानून के उल्लंघन के कारण हुआ है और इसमें खून खराबी होगी। इसके देश में गम्भीर परिणाम होंगे। अल्प संख्य पहले ही आंतकित हैं और इससे साम्प्रदायिक हठधर्मियों द्वारा पैदा की हुई स्थिति और भंयकर-हो जायेगी।

मैं केरल का निवासी हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केरल तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में आपको कानून को क्रियान्वित करने में परेशानी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि केन्द्र तथा राज्यों के मध्य में एक बराबर झगड़ा बना रहेगा जिससे केन्द्र तथा राज्यों के मध्य बंटवारे दर बंटवारे की भी समस्या बनी रहेगी। अन्ना डी० एम० के० तथा डी० एम० के० सभी पार्टियां राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता "की पक्ष पाती हैं।" इस कानून से आप राज्यों की स्वायत्तता को कम कर रहे है। इससे देश में एकता की बजाय फूट पैदा हो जायेगी। इसलिये मैं आपने से, देश की एकता, मनुष्यों में सौहार्दपूर्ण भावना जाग्रति करने तथा राज्यों और केन्द्र में एकता बनाने के लिये कार्य करने की प्रार्थना करता हू मैं आपसे विधेयक को वापस लेने का भी अनुरोध करता हूं। आप संविधान के लिए कसाई न बनें।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप विधेयक का विरोध/समर्थन कर हैं।

श्री वयालार रवि : मैं विधेयक का विरोध कर रहा हूं। मेरा दल एक प्रजातांत्रिक दल है। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की छत्रछाया के नीचे है।

श्री कंवर लाल गुप्त : श्री चव्हाण विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा० सरदीश राय : (बोलपुर) : हर अखबार ने इसके प्रति अपनी अरुचि जाहिर की है तथा पश्चिमी बंगाल सरकार का समर्थन किया है हालांकि आम मामलों में उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की अलोचना की है इस प्रकार जनमत ऐसे विधान के विरूद्ध है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

मधुलिमये ने जिसका उल्लेख किया है उसी संबंध में मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि आपने चुनाव घोषणापत्र में जनता पार्टी ने गौवध निषेध का कोई उल्लेख नहीं किया है केवल एक जनसंघ दल ही है जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है किंतु वह दल अब टूट चुका है और जनता पार्टी में उसका विलय हो गया है अब पिछले दरवाजे से वे अपने पुराने कार्यक्रम को कियान्वित करना चाहते हैं। केवल ये दो राज्य सरकारें ही इसका विरोध नहीं करती समूचे पुर्वी क्षेत्र में ऐसा कोई कानून नहीं हैं गोवा में ऐसा कोई कानून नहीं है।

जनमत ऐसे विधान के विरुद्ध है। केवल जनसंघ ने ही अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था और उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है किंतु उनकी लड़ाई जारी है और अब पिछले दरवाजे से इसे वे प्रस्तुत करना चाहते हैं मैं इस कार्यवाही का विरोध करता हूं।

मैं दो बातें और स्पष्ट करना चाहता हूं जिसका जिक्र अभी नहीं हुआ है जनमत पूरी तरह इस विधान के खिलाफ है हालांकि विधेयक के उद्देश्यों में यह बताया गया है कि इस विधान के पक्ष में भारी जनमत है। जबकि जनमत इस प्रकार के किसी भी विधान के पक्ष में नहीं है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि अखबारों ने सम्पादकीय अथवा अन्य रूप से गौवध के पूर्ण निषेध का विरोध किया है यहां तक कि आनन्द बाजार पत्रिका तथा स्टेट्समैन जैसे मुफास्सिल अखबारों ने पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा अपनाये गये रुख का समर्थन किया है, केवल एक अखबार 'स्वास्तिक' को छोड़कर सभी अखबारों ने इस विधान का विरोध किया है।

न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्री श्री शांति भूषण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही सीमित उद्देश्य से अपनी बात कहने की आपसे इजाजत चाहता हूं अनेक माननीय सदस्यों विशेषत: श्री मधु लिमये ने विधेयक को पेश करने के लिये विधायी सक्षमता के आधार पर जो आपत्ति की है, उसी संबध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सवाल यह उठाया गया है कि संविधान के संशोधन के लिए यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो उससे संविधान के संघीय ढांचे को क्षति पहुंचेगी अथवा वह खंडित हो जायेगा। अब जहां तक संविधान के संघीय ढांचे अथवा अर्द्ध-संघीय ढांचे का संबंध है मैं इस विचार पर कोई विवाद नहीं करता कि यह खंडित नहीं किया जा सकता अथवा कि उसे क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। किंतु मुख्य सवाल यह है कि क्या इस संशोधन विधेयक में कोई ऐसी बात है जिसमें संविधान के मूल अर्द्ध-संघीय ढांचे को क्षती पहुंचती हो अथवा कि वह खंडित होता हो।

अब जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसका बहुत सीमित उद्देश्य यह है कि संविधान को सूचियों में छोटा सा समायोजन किया जाना है एक छोटे से मद को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया जाना है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

यह आज पहला अवसर नहीं है कि ऐसा संविधान संशोधन पेश किया जा रहा हो। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सूचियों में ऐसे संशोधन संविधान के लागू होने के समय से ही शुरू हो गये थे।

(व्यवधान)

संविधान का तीसरा संशोधन बिल्कुल ऐसा ही है जो 1954 में पास हुआ था और जिसमें विभिन्न विधायी सूचियों के पुर्नविकास की व्यवस्था थी तथा कुछ विषय एक सूची से दूसरी सूची में स्थानान्तरित किये गये थे। आपने देखा होगा कि 1956 में संविधान के छठें संशोधन से भी यही किया गया है और बाद के संविधान संशोधनों में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि विधायी सूचियों में रखे गये विभिन्न विषयों के पुर्नविकास की विधायी सक्षमता क्या है ? क्या इससे संविधान के मूल अर्द्ध-संघीय स्वरूप को कोई क्षति पहुंचती है या कि वह खंडित हो जाता है। क्या ऐसी कोई संभावना है ? जहां तक इस बात का सवाल है कि राज्य विधान सभा अथवा संसद क्या राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित करने के लिये कानून बना सकता है ? ऐसे संविधान संशोधन से पूर्व केवल राज्य ही।

(व्यवधान)

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

इसका अर्थ यह तो नहीं है कि देश में अब एकात्मक संविधान होगा तथा इसका स्वरूप अर्द्ध-संघीय नहीं रहेगा। यह बात इस प्रकार तो समझी जा सकती है कि राज्य सूचि को समाप्त कर केवल मात्र ससद को ही सभी विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सौंपा जा रहा हो। उससे तो निश्चय ही संविधान के अर्द्ध-संघीय स्वरूप को क्षति पहुंचेगी तथा वह विनष्ट हो जायगा। किंतु यदि हम इस प्रस्तुत संविधान संशोधन को स्वीकार कर लेगें तो उसका अर्द्ध-संघीय स्वरूप बरकरार रहेगा।

इस विषय का निष्कर्यात्मक तथ्य पेश करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 249 का हवाला देना असंगत न होगा। संविधान के अनुच्छेद 249, जो मूल संविधान का ही एक अंग है, में यह व्यवस्था है कि जब बिना किसी राज्य विधान सभा आदि के हस्तक्षेप के राज्य सभा, केवल राज्य सभा के दो तिहाई बहुमत की राय में राज्य सूची में अन्तर्विष्ट किसी विषय विशेष के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाया जाये, तो राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है और उस प्रस्ताव के आधार पर संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ? मूल संविधान का यही प्रयोजन है किंतु जब कोई संविधान संशोधन स्वीकार किया जाता है तो उसके लिए साथ ही लोकसभा का दो तिहाई बहुमत भी जरूरी हो जाता है किंतु जब इसमें विधायी सूचियों के पूर्भाविन्यास का प्रश्न भी निहित हो, और

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

जब किसी संविधान संशोधन से विभिन्न विधायी सूचियों में उल्लिखित विषयों में हस्तक्षेप होता है, तो अनुच्छेद 368 जो कि मूल-संशोधन का ही अनुच्छेद है, में यह प्रावधान है कि ऐसा संविधान संशोधन केवल राज्य विधान सभाओं के पुष्टिकरण के बाद ही संभव हो सकता है। यदि विचार यह होता कि एक बार राज्य सूची के अर्न्तगत आवंटन के बाद कोई विषय समवर्ती अथवा संघ सूची में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता तब उस स्थिति में अनुच्छेद 368 के अधीन की गई व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रहता। स्वयं संविधान में ही यह व्याख्या की गई है अनुच्छेद 368 के अर्न्तगत किसी विषय का एक सूची से दूसरी सूची में स्थानान्तरण संभव अवश्य है किंतु शर्त यह होगी कि इसके लिये न केवल संसद को दोनों सभाओं का दो तिहाई बहुमत होना चाहिये बल्कि इसके अतिरिक्त देश के आध से अधिक राज्य विधान सभाओं का पुष्टिकरण भी अपेक्षित है। यदि ऐसा है तथा मूल संविधान में यह प्रावधान है कि केवल राज्य सभा के दो-तिहाई बहुमत से संसद द्वारा राज्य-सूची के संबंध में कानून बनाया जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि इससे संविधान के मूल ढांचे में क्योंकर उल्लघंन होगा उसे क्षति पहुंचेगी। अथवा कि वह विनस्ट हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : विधेयक की विषयवस्तु क्या है तथा उसके लक्ष्य तथा प्रयोजन क्या होंगे ?

श्री शांति भूषण :— अत: यह स्पष्ट है कि इस संविधान संशोधन में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि इस सभा के अधिकार से परे हो।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस विधेयक के जरिये आप बहुमत के सहारे अपनी दमनकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो राज्यों को अपनी अधीनता में लाना चाहते हैं। इस विषय में उनके पास कहने के लिये कुछ नहीं है। यही वह आधार है जिससे कि अर्द्ध-संघीय ढांचे को क्षति पहुंचती है।

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : हमने संविधान के संशोधन की कार्य पद्धति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है, कि उससे संविधान का अर्द्ध-शासकीय स्वरूप प्रभावित होता है। श्री शांति भूषण केवल संविधान संशोधन की उस कार्य-पद्धति पर ही कार्य कर रहे हैं जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई थी। उन्होंने उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया है जो कि हमने उठाये हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल उठाये हैं आखिर यह विधि मंत्री तथा सरकार पर निर्भर करता है कि वह उनके उत्तर दे। हम इस विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। यह काफी गंभीर विषय है। सभी दृष्टिकोण सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिये किंतु यह

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

सरकार पर ही निर्भर है कि वह उनके उत्तर दे। **(व्यवधान)** माननीय सदस्यों ने अपने सकल विशिष्ट रूप से तथा दृढ़ता पूर्वक उठाये हैं। अब मैं सरकार पक्ष से अपील करूंगा कि यदि वे उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं यह उन पर निर्भर करता है। संसदीय लोकतान्त्र के उचित रूप से कार्य करने की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि वे विरोधी पक्ष का उत्तर दें, किंतु यदि वह आपको सुनने के बाद कुछ और भी कहना चाहें तो वे यह कर सकते हैं।

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जो कुछ मेरे सहयोगी श्री शांतिभूषण ने कहा है, उससे आगे मैं कुछ और नहीं कहना चाहता।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या आप हमें कुछ सवाल रखने की अनुमति देंगे ? यह एक मूलभूत तथा गम्भीर विषय है। कृपया इससे बचने का प्रयास न करें। सवाल यही है कि इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे। **(व्यवधान)**

क्या मैं आपको अनुरोध कर सकता हूं कि आप उन्हें निर्देश दें, क्योंकि हमारे अनेक मूल प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं।

सभापति महोदय : आप जानते हैं, मैं यह कह चुका हूं कि जो भी सवाल माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, यह आशा की जाती है कि वे उनके उत्तर दें। किन्तु यह उन पर निर्भर करता है यदि वे समझते हों कि वे महत्वपूर्ण हैं। यदि वे उन्हें महत्वपूर्ण नहीं मानते तब मैं क्या कह सकता हूं ? **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल किये हैं कि इस सभा को यह विधेयक पास करने का अधिकार नहीं—यह पहला सवाल है।

अन्य दूसरी बातें भी हमने कही हैं जो राजनितिक दर्शन से संबंधित है.....।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप किस प्रकार इसकी अनुमति देते हैं? दूसरी बार वे बोल रहे हैं। सविधान संशोधन के संबंध में उन्होंने काफी स्पष्ट उत्तर दिया है। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : हमने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि संविधान में सुस्थापित मूलभूत अधिकार सरकार के लिये बाध्यकारी है। इस कानून को बनाते हुए वे संविधान में सुरक्षित मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पुनः वे इसे बहस का रूप दे रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री बसु, आपने यह प्रश्न पहले भी उठाया है अथवा नहीं ?

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हां, श्रीमान, किंतु उत्तर नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : फिर आप उसे क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधानमंत्री ने विरोधी पक्ष के नेताओं का सम्मेलन बुलाकर बहुत अच्छा कार्य किया था। उसमें कुछ सिद्धान्तों के आधार पर कुछ निर्णय लिया गया था। और तब सरकार——

श्री उग्रसैन (देवरिया) : हमारे सामने अनेक अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। आप यह क्या कर रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, विपक्षी नेताओं तथा प्रधान मंत्री के बीच हुई बैठक में यह एक एकमत राय थी क्योंकि यह समझा गया, तथा स्वीकार किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय पर यह एक अनुचित बन्धन है, यह एक राज्य विषय है तथा अन्य राज्यों के रास्ते में भी यह रुकावट डालता है। किंतु श्रीमान उन्होंने अभी तक इसका उत्तर, नहीं दिया है।

मैं यह मांग करता हूं कि इससे पूर्व कि मतदान पूरा हो, मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरे विचार में अब मामला खत्म हो गया है। क्या माननीय मंत्री जी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नहीं।

सभापति महोदय : मैंने उससे यह पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा 'नहीं।' अतः अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। **(व्यवधान)**

प्रश्न है :

"कि भारत के संविधान में आगे और संशोधन के लिये विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

सभापति महोदय : लोबियां खाली हो गई है, प्रश्न है :

"कि भारत के संविधान में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या 29 2.48 बजे म० प०

पक्ष में

अर्गल श्री छविराम

अयात, श्री डी०

आहूजा, श्री सुभाष

उग्रसेन, श्री

ओंकार सिंह, श्री

कपूर, श्री लखन लाल

कर्ण सिंह, डा०

कृष्ण कान्त, श्री

कामत, श्री हरि विष्णु

कुशवाहा, श्री राम नरेश

कैलाश प्रकाश, श्री

खां, कुँवर मुहमूद अली

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

गंगा भक्त सिंह, श्री

गंगा सिंह, श्री

गुप्त, श्री कंवर लाल

गोरे, श्रीमती मृणाल

धोषाल, श्री सुधीर

चतुर्भुज, श्री

चतुर्वेदी, श्री शंभूनाथ

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चावड़ा, श्री के० एस०

चौधरी, श्री मोतीभाई आर०

चौहान, श्री नवाब सिंह

चौहान, श्री भारत सिंह

जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह

जैन, श्री निर्मल चन्द

जायस्वाल, श्री अनन्तराम

जोशी, डा० मुरली मनोहर

तिवारी, श्री बृजभूषण

तिवारी, श्री मदन

तेज प्रताप सिंह, श्री

त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद

त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश

दन्डवते, प्रो० मधु

दवे, श्री अनन्त

दास, श्री श्याम सुन्दर

दिग्विजय नारायण सिंह, श्री

दुर्गाचन्द कंवर, श्री

देसाई, श्री मोरारजी

धुर्वे, श्री श्यामलाल

नथवानी, श्री नरेन्द्र पी०

नायक, श्री लक्ष्मीनारायण

नेगी, श्री टी० एस०

पटेल, श्री धर्मसिंह भाई

परमार, श्री नटवरलाल

परभाई लाल, श्री

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पस्लेकर, श्री बापूसाहिब

पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद

पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पाटिल, श्री एस० बी०

पाटिल, श्री चन्द्रकान्त

बटेश्वर हेमराज, श्री

बरनाला, श्री सुरजीत सिंह

बलदेव, प्रकाश डा०

बलबीर सिंह, चौधरी

बल, श्री प्रद्यूमन किशोर

बालकराम, श्री

बालकृष्णय्या, श्री टी०

बोंडे, श्री नानासाहिब

बृजराज सिंह, श्री

भंवर, श्री भागीरथ

मंगलदेव, श्री

मंडल, श्री घनिक लाल

मंडल, डा० विजय

मछण्ड, श्री रघुवीर सिंह

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह

मल्होत्रा, श्री विजय कुमार

महीलाल, श्री

मृत्युजंय प्रसाद, श्री

मिश्र, श्री जी० एस०

मिश्र, श्री श्यामनन्दन

महालगी, श्री आर० के०

यादव, श्री रामजी लाल

यादव, श्री रूपनाथ सिंह

यादव, श्री विनायक प्रसाद

यादवेन्द्रदत्त, श्री

युवराज, श्री

राकेश, श्री आर० एन०

राघवजी, श्री

राघवेन्द्र सिंह, श्री

राज केशर सिंह, श्री

राजदा, श्री रत्न सिंह

राठौर, डा० भगवान दास

राय, श्री रामदेनी

राम गोपाल सिंह, श्री

रामचरण श्री

रामजी सिंह, डा०

रमापति सिंह, श्री

राय, श्री गौरी शंकर

राघव, श्री जगन्नाथ

बर्मा, श्रीं रीतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्री रवीन्द्र

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार

शाक्य, श्री महादीपक सिंह

शास्त्री, श्री भानु कुमार

शास्त्री, श्री रामधारी

शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद

शिव नारायण, श्री

शुक्ल, श्री चिमन भाई एच०

शेर सिंह, प्रो०

श्रीकृष्ण सिंह, श्री

षाडंगी, श्री रूद्र प्रताप

सत्यदेव सिंह, श्री

साय, श्री लारंग

सामन्त सिंहेरा, श्री पदयाचरण

सिन्हा, श्री एच० एल० पी०

सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण

सिन्हा, श्री सत्येद्र नारायण

सुमन, श्री सुरेन्द्र झा

सूरजभान, श्री

सैनी, श्री मनोहर लाल

सोमानी, श्री रूप लाल

सोमानी, श्री एस० एस०

स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम

विपक्ष में

अहलाज, श्री एम० ए० हनान

अहमदहुसैन, श्री

अहसन जाफरी, श्री

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

कल्याणसुन्दरम, श्री एम०

काम्बले, श्री बी० सी०

कासर, श्री अमृत

किदवई, श्रीमती मोहसिना

किस्कू, श्री जदुनाथ

कुन्डम्बू, श्री के०

खां, श्री इस्माइल हुसैन

गवई, श्री डी० जी०

गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष

चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप

चन्द्रप्पन, श्री सी० के०

चौधरी, श्री त्रिदिव

चौधरी, श्रीमती रशीदाहक

* चौहान, श्री बेगाराम

जोरदार, श्री दिनेश

टिर्की, श्री पायस

दास, श्री रेणुपद

नायर, श्री एम० एन० गोविन्दन

पटनायक, श्री शिवाजी

पार्वती देवी, श्रीमती

---

* गलती से विपक्ष में मत दिया ।

पेरियास्वामी, डा० पी० वी०

प्रधान, श्री अमर राय

वनातवाला, श्री जी० एम०

बर्मन, श्री पलाश

बसु, श्री चित्त

बसु श्री ज्योतिर्मय

भगतराम, श्री

भट्टाचार्य, श्री दीनेन

भट्टाचार्य, श्री श्याम प्रसन्न

मंडल, श्री मुकुन्द

महाटा, श्री सी० आर०

*महाला, श्री के० एल०

मुखर्जी, श्री समर

मोदक, श्री विजय

मोहम्मद, हयात अली श्री

*यादव, श्री शरद

रवि, श्री वयालार

रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी०

राजन, श्री के० ए०

रामास्वामी, श्री के० एस०

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राव, श्री जी० मल्लिकार्जुन

रेड्रिक्स, श्री रुड्रोलक

लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर०

सरकार, श्री शक्ति कुमार

साहा, श्री ए० के०

साहा, श्री गदाधर

---

* गलती से विपक्ष में मत दिया ।

सुना साहिब, श्री ए०

सेन, श्री रोबिन

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का *परिणाम निम्न प्रकार है :—

पक्ष में : 119 ; विपक्ष में 55

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिड़ला उद्योग समूह के विरुद्ध कर की बकाया राशियों के बारे में

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, नियम 377 के अधीन बिड़ला परिवार एवं गोयनका परिवार के संबंध में कुछ तथ्यों की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसका विवरण इस प्रकार है :—

1. स्मारिका केस के सम्बन्ध में सी० बी० आई० ने 3-10-77 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जबकि 21-3-79 तक आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया है ।

2. श्री विड़ला के ऊपर विभिन्न मदों के कर की काफी बड़ी राशि बाकी है परन्तु उसका हिसाब सरकार के पास नहीं है । अतारांकित प्रश्न 2911/8 जुलाई, 1977 के उत्तर में 3-2-79 को बताया गया है कि सीमा शुल्क मद में 31-12-76 तक 18,412 रुपया बाकी था जबकि अतारांकित प्रश्न 5469/29 जुलाई, 1977 के 19-1-79 के उत्तर में 31-12-76 तक 42,107.46 रु० बताया गया है । अतारांकित प्रश्न सं० 2911/8 जुलाई, 1977 के 3-2-79

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पक्ष में मत दिया । सर्वश्री राम देव सिंह, काज़िम अलीमिर्जा, जगन्नाथ प्रसाद, स्वतन्त्र, हलीमुद्दीन अहमद, बेगाराम चौहान, के० एल० महाला और डा० वसन्त कुमार पंडित ।

के उत्तर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि 1,26,80,267 रु० 31-12-76 तक बताया गया है जबकि 5469/29 जुलाई, 1977 के उत्तर में यह राशि 1.21 करोड़ रु० बताई गई है।

3. अतारांकित प्रश्न सं० 9867/10 मई, 1978 के उत्तर में 21-11-78 को बताया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बिड़ला ग्रुप की कुछ कम्पनियों और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कतिपय मामले पंजीयित किए हैं, इनमें से अधिकांश मामले निर्णयाधीन हैं। अतारांकित प्रश्न सं० 3229/13-12-78 के उत्तर में साफ इनकार किया गया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की है। लोकहित के नाम पर अन्य घरानों के नाम भी बताने से इनकार किया गया जबकि चार कम्पनी का नाम दिया भी गया। यह और भी खेद की बात है कि अतारांकित प्रश्न सं० 2911/8 जुलाई, 1977 के 3-2-79 के उत्तर में कहा गया है कि मात्र एक मुकदमा सी० बी० आई० की जांच में है और बाकी अपील/पुनरीक्षण याचिका की स्थिति में पड़े हुए हैं। इसमें उत्तर विरोधात्मक है।

4. अतारांकित प्रश्न सं 8311/18-11-77 के उत्तर में 29-8-78 के अनुसार बिड़ला परिवार पर आयकर के मद में 31-10-77 तक 7.92 करोड़ रुपए, केन्द्रीय उत्पादन कर का 2,50,59,217 रु० सीमा शुल्क का 48,534.55 रु० तथा व्यक्तिगत हैसियत से उन के परिवार के सदस्यों पर 23.52 लाख रुपया बाकी था। अतारांकित प्रश्न सं० 171-3 मार्च, 1978 के उत्तर के अनुसार 31-12-77 तक सीमा शुल्क का 15.27 लाख, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 3.31 करोड़, आयकर का 60.4 करोड़ तथा धन-कर का 1957-58 का 47 हजार रुपया और 1959-60 का 14 हजार रुपया बाकी था। अतारांकित प्रश्न सं० 2911-8 जुलाई, 1977 के उत्तर के अनुसार आयकर का 339 लाख, धन-कर 6.82 लाख, दान-कर 0.27 लाख और अतिकर का 24 लाख रुपया बाकी था। जब कि अतारांकित प्रश्न सं० 179-2 मार्च, 1979 के अनुसार 31 दिसम्बर, 1978 को बकाया कर 129.77 लाख और वसूली योग्य नहीं बर्ना मांगें 197.60 लाख तथा गोयन्दका पर 7.43 लाख रुपया बाकी था।

5. अतारांकित प्रश्न सं० 2911-8 जुलाई, 1977 के 3-2-79 के उत्तर के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद कर के सम्बन्ध में 30 मुकदमे दर्ज किये गये, जिनमें 11 मुकदमे अपराधों के मुकदमें थे, जिनमें उन्हें दोषी पाया गया और 1,30,600 रुपया जुर्माना किया गया। इस अपराध के कारण न तो उनकी कम्पनी को काली सूची में दर्ज किया गया और न बैंकों से कर्ज़ देना बन्द किया गया, बल्कि उन कम्पनियों को आयात-निर्यात का आदेश भी मिलता रहा।

6. यह भी खेद की बात है कि बिड़ला एवं अन्य बड़े घरानों के लिये 18 फरवरी, 1970 को सरकार ने आयोग नियुक्त किया जिस पर 1,66,81,506 रुपया खर्च किया जा चुका है जब कि इस अवधि में कमीशन की मात्र छः बैठकें हुई।

7. विदेश में बिड़ला परिवार की कम्पनी है, जिस की पूंजी का कोई हिसाब-किताब भारत सरकार के पास नहीं है।

जब भी कोई सूचना इस विषय में पूछी गई, तब यह बताया गया कि इस प्रकार की सूचना नहीं दी जाती, जैसा कि अतारांकित प्रश्न सं० 6379/5-8-78 के उत्तर से विदित है।

इस लिए मैं मांग करता हूं कि इन मामलों की जांच एक संसदीय समिति द्वारा की जाय। टैक्स को लेने के लिए कठोर कदम उठाये जायें तथा सरकार और अन्य संस्थायें उनको कोई कर्ज़ न दें। उनकी अचल तथा चल सम्पति कि जांच की जाय तथा कम्पनी के खर्चों और उनकी शान-शौकत के रख-रखाव तथा ऐसे सभी मामलों की जांच की जाए। मैं चाहता हूं कि लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी मिले।

(दो) आसनसोल, अन्दाल और दुर्गापुर के रेलवे यार्डों में मालडिब्बों को तोड़कर सामान चुराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : श्रीमान्, माल डिब्बे तोड़ने वालों के कई कुख्यात गिरोह आसनसोल, अन्दाल रेलवे यार्ड और दुर्गापुर के स्लेक बैंक यार्ड में कई बर्षों से बराबर माल डिब्बे तोड़ने और उनको लूटने में लगे हुए हैं। जिसको रेलवे सुरक्षा दल भी प्रतिरोध नहीं करता। इससे यह गम्भीर शंका होती है कि ये गिरोह रेलवे सुरक्षा दल के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, स्थानीय व्यापारी वर्ग भी इन माल डिब्बे तोड़ने वाले गिरोह के साथ मिला हुआ है माल डिब्बों से लूटा जाता है तथा काला बाजार में बेचा जाता है। व्यापारी लोग ही इस लूटपाट की योजना बनाते हैं और इस प्रकार वह दोहरा मुनाफा कमा रहे हैं एक ओर रेलवे से खोये गये माल के रूप में मुआवजा प्राप्त करते हैं तथा दूसरी ओर वे इस लूटे गये माल को, जिन्हें बे छुपे हुए गोदामों में वन्द रखते है, काला बाजार में बेच देते हैं। और भारी मुनाफा कमाते हैं। इस प्रकार समाज विरोधी तत्वों, रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों तथा स्थानीय कार्यालयों का यह एक दुष्चक्र बना हुआ है जो न केवल रेलवे को ही नुकसान पहुंचाता है बल्कि गरीब लोगों को भी इसका फल भोगना पड़ता है। यदि स्थानीय लोग उनके काम में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें रेलवे सुरक्षा दल के सहयोग से सशस्त्र गुडों द्वारा, मार दिये जाने तक की धमकी दी जाती है। स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों, श्रमिक संघों, प्रतिष्ठित व्यक्तितों के परामर्श सहित सरकार को इस दुस्चक्र को तोड़ने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

(तीन) काम के बदले आनाज आदि ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के लिये पश्चिम बंगाल को आबंटित गेहूं तुरंत भेजने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्दर हल्दर (दुर्गापुर) : गेहूं की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में काम के बदले 'अनाज' और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम प्रायः निलंबित कर दिये गये हैं। यह गेहूं केन्द्र द्वारा सप्लाई किया जाता है और इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को उनके काम के बदले दिया जाता है।

वर्तमान सरकार द्वारा पिछले अनेक महीनों से व्यापक रूप से चलाये जाने वाले किसी भी कार्यक्रम विशेषतः बठेत्तर पुनःनिर्माण कार्य के अन्तर्गत काम करने वाले आदमी को सामान्यतः 2 रु० नकद मिलते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं तथा 2 किलोग्राम गेहूं मिलता है जो कि केन्द्र द्वारा दिया जाता है।

वर्षा की कमी के कारण अनेक जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है और साथ ही साथ लीन-मौसम भी शुरू हो गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों के पास रोजी का कोई साधन नहीं होता। इसलिए इन कार्यक्रमों के निलंबित कर देने से अपेक्षाकृत गरीब इलाके के लोगों पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है।

इसमें वामपंथी सरकार को परेशानी में डाल दिया है। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार उनको वर्तमान वर्ष में इस प्रयोजन के लिए लगभग 2,65,000 टन गेहूं चाहिए था जबकि अब तक केवल 25,000 टन गेहूं सप्लाई किया गया है। बल्कि यह थोड़ी सी प्रमात्रा भी जिलों तक नहीं पहुंच पाया है। एक के बाद दूसरे जिला न्यायाधीश ने गेहूं अथवा चावलों की मांग की है।

केन्द्रीय कृषि मन्त्री को यह आश्वासन देना चाहिए की पश्चिम बंगाल सरकार को गेहूं की पूरी मात्रा सप्लाई की जायेगी।

(चार) पुलिस सत्यापन प्रणाली गारंटी बोंड और शपथ पत्र को पुनः आरक्षण करने के कारण पासपोर्ट प्राप्त करने में आंरही कठिनाई

श्री भगत राम (फिल्लौर) : संसद सदस्यों और विधायकों को सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिये जाने से पारपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करने के कार्य का भारत की जनता ने स्वागत किया था। जिससे पारपत्र-एजेन्टों के शोषण से लोगों को काफी राहत हुई थी। इसके साथ ही, पारपत्र कम समय में तथा कम खर्च पर आसानी से उपलब्ध हो जाता था, किन्तु नये नियमों के तुरन्त बाद में पुलिस के सत्यापन की प्रक्रिया पुरःस्थापित की गई; जिस के अन्तर्गत गारंटी बांड और शपथ पत्र जरूरी कर दिये गये हैं किन्तु इस नई कार्य प्रणाली से काफीः परेशानी ; बिलबं और भ्रष्टाचार होगा। सामान्यतया आदमी के लिए इस नई प्रक्रिया से पारपत्र प्राप्त करना अधिक कठिन हो जायेगा।

एक संसद सदस्य अथवा विधायक के हस्ताक्षरों के बाद पुलिस सत्यापन ; गाँरटी बांड इत्यादि की क्या आवश्यकता रह जाती है। पुलिस सत्यापन, गारंटी बांड अथवा सही होने के लिये अन्य सूचना को सुनिश्चित करने के लिए इनके स्थान पर संसद सदस्य के हस्ताक्षरों के साथ-साथ सरपंच या निगमायुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त करना काफी होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन नये नियमों को समाप्त कर दें क्योंकि इससे बिलंब होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

(पांच) उन विधेयकों को जो संसद के विचाराधीन हैं, अधिनियमों के रूप में अग्रिम प्रकाशित करने की प्रथा के बारे में मामला

श्री रीतलाल प्रशाद बर्मा (कोडर्मा) : श्रीमान् विगत कुछ समय से विधि प्रकाशकों ने एक अवांछित प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रकाशक ऐसे विधेयक छाप देते हैं जो कि अभी संसद के विचाराधीन होते हैं जिससे ऐसा भ्रम होता है कि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास

कर दिया गया है और राष्ट्रपति ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। ऐसे विधेयकों को अधिनियम के रूप में दिखाया जाता है। मैं उसके कुछ कारण प्रस्तुत करूंगा। वित्त विधेयक, 1979 जो लोकसभा में पुर:स्थापित हुआ तथा लोक सभा द्वारा पास होने के बाद राज्य सभा को भेजा गया था, उसे बम्बई के प्रकाशक फुदेर पब्लिशिंग हाउस, कोर्ट हाऊस, धोबी तालाव, बम्बई ने छापा और 5, मई 1979 को ही पुस्तक के रूप में मैसर्स जैन बुक एजेन्सी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के पास उपलब्ध था, यद्यपि विधेयक की दोनों सभाओं की अंतिम स्वीकृति 8-5-1979 को प्राप्त हुई थी।

इसी प्रकार सेंट्रल ला एजेन्सी, इलाहाबाद ने न केवल वित्त विधेयक को छाप दिया बल्कि आयकर अधिनियमों में संशोधनों को समाविष्ट कहा। सी० आई० ए० का आयकर अधिनियम (संशोधित तथा प्रवितर्त रूप में) शीर्षक से पुस्तक रूप में छाप दिया तथा शीर्षक को 1979-80 के प्रकाशन का नाम दिया गया। यह पुस्तक मैसर्स जैन बुक एजेन्सी के पास भी 2 मई, 1979 से ही उपलब्ध हो गई थी।

इसके अतिरिक्त गाजियाबाद के मैसर्ज सत्य ला पब्लिशर्ज ने भी आयकर अधिनियम को संसद के अधिनियम के रूप बेचा, जबकि अभी संसद की दोनों सभाओं में पास नहीं हुआ था।

चौथा उदाहरण गाजियाबाद के ला एंड पब्लिशर्ज हाऊस का है, जिन्होंने 'गर्ग का आयकर रैडी रैकनर के शीर्षक से एक प्रकाशन यह कहते हुए निकाला कि वित्त विधेयक, 1979 संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास हो चुका है तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था।

पांचवां उदाहरण भी आयकर अधिनियम का है जो कि बाजार में इस रूप में आ चुका है कि वह वित्त विधेयक, 1979 द्वारा आजतक संशोधनों सहित प्रस्तुत किया गया है। इसे नई दिल्ली के टैक्सेशन पब्लिशर्ज प्राईवेट लि० ने प्रकाशित किया है।

इस कदाचार से लोग गुमराह होकर यह विश्वास कर लेते हैं कि यह विधेयक कानून बन गया है जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसे कार्यों को प्रशासनिक, कानूनी तथा कार्यकारी कार्यवाही द्वारा रोका जाना चाहिये।

(छह:) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के स्वंय सेवकों को अग्नेयाश्त्रों के लाइसेंस जारी किये जाने के समाचार

श्री जी० एम० बनातवाला (पोलानी) : टाइम्स आफ इंडिया ने 13 मई, 1979 के अपने दिल्ली अंक में यह समाचार छापा है कि महाराष्ट्र सरकार की समाज कल्याण तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती शांति नायर ने यह वक्तव्य दिया है "महाराष्ट्र में प्रगतिशील प्रजातांत्रिक मोर्चा सरकार बनने के बाद वहां के राष्ट्रीय स्वंय सेवकों को कई आग्नेय शास्त्र लाइसेंस दिये गये है।" इस समाचार को मंत्री महोदय ने यह भी कहा बताते हैं कि "जनता

पार्टी का जनसंघ घटक राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के उद्देश्यों को सुदृढ़ करने के लिए अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहा है।"

यह एक गम्भीर मामला है और इससे विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में चिंता तथा अशंका पैदा हो गई है। सरकार को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए और ऐसे आग्नेय अस्त्र लाइसंसों को अबिलम्ब रद्द करना चाहिए।

(सात) तिब्बत के लोगों को उनके स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने की आवश्यकता

श्रीमती पार्वती देवी (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं लोक सभा में कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की और लोक सभा और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं :—

ब्रिटेन और चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार होकर सन् 1959 में तिब्बत की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बतवासियों ने जो संघर्ष आरम्भ किया था उसे चीन ने क्रूरतापूर्वक कुचल दिया। हजारों तिब्बतवासी मौत के घाट उतार दिये गये और पवित्र देव स्थान एवं गोम्फा रक्त रंजित हो गये। तिब्बत की सभ्यता, संस्कृति, रहन-सहन, धर्म, रिति रिवाज अब केवल इतिहास की वस्तु बन कर रह गये हैं।

आज विश्व की राजतीति में महान परिवर्तन आ गया है। देशों के परस्पर सम्बन्ध बदल गये हैं। पहले चीन और अमेरिका परस्पर विरोधी थे, अब दोनों नजदीक आ रहे हैं। पहले अमेरिका की नीति थी कि तिब्बत स्वतंत्र बना रहे किन्तु अब अमेरिका इस विषय पर मौन है। सन् 1962 में भारत और इस बर्ष वीएतनाम में चीनी आक्रमण से अब इस विषय में किसी को भ्रम नहीं रहा है। चीन के मानचित्र आज भी तिब्बत, नेपाल और भारत के कुछ भागों को चीनी साम्राज्य का अंग बताते है। चीन ने आज तक इन मानचित्रों में संशोधन नहीं किया है। इस विषय में दिये गये चीन के वायदे असत्य सिद्ध हुए हैं। कैलाश और मानसरोवर भारत भूमि के अंग रहे हैं किन्तु अब चीन का उन पर अधिकार है।

हमारे विदेश मंत्री राष्ट्रीयता, देशभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति, भारत की प्रतिष्ठा स्वाभिमान और गौरव के समर्थक हैं। उन्होंने सदा तिब्बत की स्वधीनता का समर्थन किया है। कैलाश और मानसरोवर उन्हें हृदय से भी अधिक प्रिय हैं। देश को पूरा विश्वास है कि वह तिब्बत की स्वतंत्रता के लिये पूरा प्रयत्न करेंगे।

आज तिब्बत में मुक्ति के लिए लोग अधीर और अशांत हो रहे हैं। भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह तिब्बत की जनता को स्वाधीनता अंदोलन में पूर्ण योगदान दे। बौद्धों का प्रिय हृदय स्थल अब अधिक दिनों तक पराधीन नहीं रहना चाहिये।

श्रीमती पार्वती देवी : सांस्कृतिक परम्परा और इतिहास की दृष्टि से तिब्बत और भारत में गहन एवं निकट सम्बन्ध रहा है। अत: तिब्बत की स्वतन्त्रता का प्रश्न प्रत्येक भारतीय का प्रश्न है। सरकार को इस विषय में ठोस रूप से योगदान देना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं सदन से मार्गदर्शन चाहता हूं। अब 15.10 बज चुके हैं। 3.30 बजे हम गैर सदस्यों के विधेयक का कार्य शुरू करेंगे। किन्तु 377 की सूचनायें काफी आई हुई हैं। उनमें से एक श्री राय की भी है।

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : यह वाध्यकारी नहीं है । नियम 26 विद्यमान है। अन्तिम 2½ घण्टे हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर लगायेंगे और आज सदन ने 6.45 शाम तक बैठना स्वीकार कर लिया है।

सभापति महोदय : आपको बाद के 2½ घण्टे मिलेंगे।

श्री हरि विष्णु कामथ : 2½ घण्टे मिलने चाहिए।

सभापति महोदय : आपको 2½ घण्टे मिलेंगे। दो प्रस्ताव भी हैं।

श्री हरि विष्णु कामथ : इन प्रस्तावों के बाद आपको 2½ घण्टे दिये जायेंगे।

सभापति महोदय : मैं, सदन की इच्छा के अनुसार सरकार का प्रस्ताव पहले लेता हूं। किन्तु उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। श्री राय पहले कुछ कहना चाहते थे क्योंकि उन्हें किसी और बैठक में भाग लेना है। यद्यपि उनका नाम दो नामों के बाद आता है। मैं आपकी अनुमति से उनसे अनुरोध करता हूं कि वह जल्दी-जल्दी समाप्त कर लें। श्री राय आप जरा जल्दी-जल्दी समाप्त कर लें।

सभापति महोदय : सभी काम पूरे होंगे। हर एक को अवसर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने सदन की इच्छा पूछी थी।

(आठ) धनबाद में पोस्टकार्डों, पत्रों और डाकटिकटों आदि की भारी कमी

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं :—

बिहार के धनबाद जिले के औद्योगिक समूह में जहां देश के सभी हिस्सों से लोग आते हैं और काम करते हैं और जिन्हें प्रतिदिन अपने परिवार को लिफाफे आदि की आवश्यकता होती है, लिफाफों के अलावा पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्रों और टिकटों की कमि है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों की कमी कभी कभार होती हो। यह तो धनबाद के डाकखानों की रोजमर्रा की बात बन गई है। संचार मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिए और इस क्षेत्र की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय : अब हम पहले श्री मंडल की मद लेते हैं।

श्री हरि विष्णु कामथ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे मालूम है कि समय समाप्त हो रहा है।

सभापति महोदय : हम हर बार निर्णय बदल नहीं सकते।

श्री हरि विष्णु कामथ : 3.30 का समय कोई उल्लंघनीय नहीं है। समय समाप्त हो रहा है। आप इस बात से सहमत होंगे और सदन भी सहमत होगा कि हमें सभी परिस्थितियों में सदैव सदन का कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों और संविधान के अनुसार चलाना चाहिए। इन्हें इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मैं आपका ध्यान नियम 74, 75, 76, 300, 302 और 304 की ओर दिलाना चाहता हूं। संयुक्त समितियों और प्रवर समितियों का गठन तथा उनका कार्यचलन इन्हीं नियमों से संचालित होता है।

सभापति महोदय : हम उनका किस प्रकार से उल्लंघन कर रहे हैं ?

श्री हरि विष्णु कामथ : इस प्रस्ताव को पहले लोक सभा ने 14 अगस्त, 1978 को पारित किया था और 17 अगस्त को राज्य सभा ने इस पर सहमति दी थी। इस सदन और दूसरे सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में संयुक्त समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया। यह प्रस्ताव कैसे आरम्भ हुआ इस बारे में कुछ अस्पष्टता है।

सभापति महोदय : आप मद संख्या 27 पर बोल रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामथ : जी हां, 27 श्री मंडल की मद, संयुक्त समिति सम्बन्धी प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की उत्पति के बारे में मेरे विचार से कुछ अस्पष्टता है। इस सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी उस समय मिली जब इस सदन में दो एक दिन पहले संयुक्त समिति के सभापति ने समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा था। सदन ने, अपने विवेक से ठीक ही यह निर्णय लिया था कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए अगले वर्ष तक समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। किन्तु समय दिसम्बर के अन्त तक---इस वर्ष के शीतकालीन सत्र के अन्त तक---बढ़ाया गया। पिछले वर्ष जो प्रस्ताव रखा गया था, अब उसमें संशोधन करना चाहते हैं। वह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया था और पारित हुआ था। उसी प्रस्ताव के अनुसरण में समिति का गठन किया गया था। संयुक्त समिति कार्य कर रही है और कुछ कार्य उसने कर भी दिया है। किन्तु अब उस प्रस्ताव पर जिसे लगभग दस मास पहले अर्थात् पिछले वर्ष रखा गया था और जिसे स्वीकार किया गया था, संशोधन रखा गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया के किस नियम के अन्तर्गत रखा जा रहा है क्योंकि इस प्रकार का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। मैं सदन में पिछले 25 वर्ष से तो नहीं हूं लगभग 13 या 14 वर्षों से तो हूं ही। मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार के प्रस्ताव को कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। जिसके द्वारा पिछले वर्ष पारित किसी प्रस्ताव में संशोधन करके यह शक्ति दी जाए कि समिति अब संशोधित प्रस्ताव के अनुसार कार्य करे। कौन सा ऐसा नियम है ?

शायद केवल एक ही नियम है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह थोड़ा बहुत इस बारे में लागू होता है—वह नियम है 301। किन्तु उससे सरकार को कोई सहयता नहीं मिलती। यही एक मात्र नियम है जो इस बारे में थोड़ा बहुत सहायक हो सकता था। इस मामले में मैं कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर सका किन्तु जो थोड़ा बहुत प्रयत्न मैंने सुबह किया, उससे मुझे पता चला नियम 301 को छोड़कर कोई भी ऐसा अन्य नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत

पिछले वर्ष पारित किसी प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा जा सकता हो। वह प्रस्ताव क्रियान्वित हो चुका है। समिति कार्य कर रही है और अपना कुछ कार्य कर भी चुकी है। अब समिति आगे और कार्य करना चाहती है। कृपया नियम 301 देखिए।

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने 377 के अंतर्गत सूचना दी है, वे व्याकुल न हों। उन्हें निश्चय ही अवसर दिया जाएगा। इस बारे में सदन निर्णय कर चुका है।

माननीय सदस्य : किन्तु कब ?

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव के तुरन्त बाद।

श्री हरि विष्णु कामथ : यदि प्रस्तावों में 10 मास बाद संशोधन करने के सम्बन्ध में किसी सदस्य द्वारा भी कोई सूचना दी जाती है तो वह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण होगा।

> "जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा चुका हो तो विधेयक के किसी खण्ड के संशोधन की किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना समिति को सौंपी गई समझी जाएगी, परन्तु जब संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो जो प्रवर समिति का सदस्य नहीं है तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब नहीं लिए जायेंगे जब तक कि वे समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किए गए हों।"

हालांकि यह लागू नहीं होता है और यह किसी प्रकार से सहायक नहीं है फिर भी यही एक ऐसा नियम है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि शायद यह थोड़ा बहुत लागू होता हो, या थोड़ा बहुत संगत हो।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री हरि विष्णु कामथ : कृपया हमें यह बताइए कि यह प्रस्ताव किस नियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

श्री उग्रसेन : माननीय कामथ साहब ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। यह भी बता दें कि 14 अगस्त, 1978 का जो प्रस्ताव था उसको आज बदला जा रहा है दूसरे संशोधन से तो यह क्यों बदल रहे हैं ? और जो कमेटी ने काम किया है क्या यह जो निर्णय लेंगे तो उस कमेटी के काम पर भी रेट्रोस्पेक्टिव इंफेक्ट से लागू होगा ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रत्यक्षत मामला पूरी तरह से स्पष्ट है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से व्यवस्था के प्रश्न को समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, परचांस में उस कमेटी का चेयरमैन हूं जिसके बारे में इतराज है। उसमें केवल एक ओमीशन थी जो हाउस ओमिट कर गया था ओरिजिनल मोशन में। 1950 के दो आर्डर्स हैं, एक शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में और दूसरा

शेड्यूल्ड ट्राइबस के बारे में, उस गल्ती को दूर किया जा रहा है और वह दोनों के दोनों आर्डर्स स्टेट्स से रिलेट करते हैं। यूनियन टैरिटरीज़ के बारे में जो आर्डर हैं वह 15 के करीब हैं उनको इस कमेटी के परव्यू में लाने के लिए यह मोशन किया जा रहा है।

सभापति महोदय : परियोज़न ठीक है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० आडवाणी) : यदि इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई विशिष्ट नियम होता तो मैं उसका पूरा ध्यान रखता। किन्तु मैं इस प्रकार से समझता हूं कि जो कुछ किया जा रहा है। वह नियम 389 के अन्तर्गत किया जा रहा है। जो अवशिष्ट शक्तियों के बारे में है। इसे फिर से सदन के सम्मुख रखा जा रहा है। सरकार या प्रवर समिति द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। सदन की सहमति से ही कुछ किए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो एक गल्ती हुई है, उसको ठीक करने के लिए सदन के सम्मुख एक प्रस्ताव लाया गया है। मेरे विचार से ऐसे प्रस्ताव को न लाने के बारे में कोई नियम नहीं है। यदि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में, या संविधान में ऐसा कोई नियम है जो इस प्रकार के प्रस्ताव को सदन में लाने से रोकता है तो बात दूसरी है।

श्री हरि विष्णु कामथ : यह एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रो० पी० जी मावलंकर : मेरी समझ में नहीं आता कि नियम 389 का सहारा किस प्रकार से लिया जा रहा है अवशिष्ट शक्तियां अध्यक्ष को दी जाती हैं, सदन को नहीं।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एल० के० आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को सदन में रखने की अनुमति दी है। अन्यथा प्रस्ताव नियम संगत न होता। मुझे विश्वास है कि जब अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी है तो सदन इस पर विचार कर सकता है।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि श्री कामथ द्वारा उठाया गया व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की कोई विशिष्ट रोक नहीं है। मुझे इस प्रकार का भी कोई पूर्वोदाहरण पता नहीं है जिसमें ऐसा कोई प्रस्ताव रखा गया हो और उसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया गया हो।

श्री हरि विष्णु कामथ : क्या नियम 389 में किसी भी प्रस्ताव को रखने की बेरोकटोक अनुमति है ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जो भी आप निर्णय देते हैं वह भविष्य के लिए पूर्वोदाहरण बन जाता है। अतः जब तक आप पूरी तरह से आशवस्त न हों, आप कह सकते हैं आपने केवल विचाराधीन मामले के लिए ही निर्णय लिया है।

सभापति महोदय : इस मामले के गुण-अवगुण के आधार पर मैंने यह निर्णय दिया है। श्री मंडल प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (सशोधन) विधेयक, 1978 को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव, जिसे लोग सभा द्वारा 14 अगस्त, 1978 को स्वीकृत किया गया था और राज्य सभा द्वारा 17 अगस्त, 1978 को सहमति प्रदान की गई थी, के तीसरे पैराग्राफ में,

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में सम्मिलित सूचियां"

के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया** जाए :—

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956,

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962,

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964,

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसुचित जातियां आदेश, 1968,

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978,

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951,

संविधान (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959,

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968,

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 और

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 में सम्मिलित सूचियां में और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपर्युक्त संशोधन से सहमत हो और अपनी सहमति से इस सभा को सूचित करे।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978 को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताब, जिसे लोक सभा द्वारा 14 अगस्त, 1978 को स्वीकृत किया गया था और राज्य सभा द्वारा 17 अगस्त, 1978 को सहमति प्रदान की गई थी, के तीसरे पैराग्राफ में,

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में सम्मिलित सूचियाँ"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956,

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962,

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964,

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968,

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978,

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचिन जनजातियां आदेश, 1959,

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967,

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968,

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 और

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 में सम्मिलित सूचियां में और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपर्युक्त संशोधन से सहमत हो और अपनी सहमति से इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एल० के० आडवाणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियाँ परिनिश्चित करने और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले बिधेयक को सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा के 30 अर्थात् :—

(1) श्री अब्दुल लतीफ

(2) श्री आर० के० अमीन

(3) श्री वी० अरुणाचलम उर्फ 'अलादि अरुणा'

(4) श्री ए० ई० टी० बैरी

(5) श्री चित्त बसु

(6) श्री सोमनाथ चटर्जी

(7) श्री नवाब सिंह चौहान

(8) श्री तुलसीदास दासप्पा

(9) श्री अशोक कृष्ण दत्त

(10) श्री के० गोपाल

(11) श्रीमती मृणाल केशव गोरे

(12) श्री कंवरलाल गुप्त

(13) श्री निर्मल चन्द्र जैन

(14) श्री अनन्तराम जायसवाल

(15) श्रीमती पार्वती कृष्णन

(16) श्री एम० वी० कृष्णप्पा

(17) श्री के० एल० महाले

*(18) श्री बसन्त सिंह खालसा

(19) श्री गौरी शंकर राय

(20) श्री के० राममूर्ति

(21) श्री जगन्नाथ राव

(22) श्री राम चन्द्र रथ

(23) श्री एम० राम गोपाल रेड्डी

(24) श्री दयाराम शाक्य

*आपकी अनुज्ञा से क्रम संख्या 18 के सामने मूल नाम के स्थान पर श्री बसन्त सिंह खालसा' प्रतिस्थापित करता हूं——

(25) श्री दिग्विजय नारायण सिंह

(26) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंहा

(27) श्री एस० एस० सोमानी

(28) श्री रामजी लाल सुमन

(29) श्री वी० तुलसीराम

(30) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

और राज्य सभा से 15 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी ।

कि समिति आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ, जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रो पी० जी० मावलंकर : प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी । परन्तु हमेशा का अनुभव यह रहा है कि इस समय—सीमा का कभी पालन नहीं किया गया । अत: अधिक ईमानदारी की बात तो यह होगी कि हम समिति को पर्याप्त समय दें तथा समय का पालन करने के लिए जोर दें क्योंकि यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा समिति इस बात की गहराई से जाँच करना चाहेगी । मैं यह बात गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं । समिति को इसकी विस्तार से जांच करनी होगी इसलिए यह अवधि कम प्रतीत होती है । अत: वजाय इसके कि समिति समय बढ़ाए जाने के लिए सभा से अनुमति मांगे, अभी से समिति को पर्याप्त समय क्यों न दे दिया जाए ?

श्री हरि विष्णु कामथ : यदि समिति भारत दर्शन या विश्वदर्शन के लिए न जाए तो वह इस काम को समाप्त कर सकती है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिन्ता को पूरी तरह समझता हूं । जिस समय मैंने प्रेस परिषद विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा था

तब मैंने कहा था कि प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा । उस समय मेरे मन में और अन्य माननीय सदस्यों के मन में संदेह था कि समिति अपनी इस समय सीमा पालन कर सकेगी या नहीं । हमने समय सीमा का पालन करने का प्रयास किया और उसमें सफल हुए । इस मामले में भी हम यह प्रयास करेंगे कि समय-सीमा का पालन किया जाए । यदि ऐसा सम्भव न हो सका तो मैं निश्चित से सभा से फिर समय बढ़ाने जाने की अनुमति लूंगा । परन्तु उस समय सरकार इस बात के लिए उत्सुक होगी कि विधेयक शीघ्र से शीघ्र अधिनियम बना दिया जाए । हम इसको आगे के लिए टालना नहीं चाहते । अतः हमने इतना समय देने का निर्णय किया है । वस्तुतः यह समिति पर निर्भर करता है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना, उसके गठन, कृत्य तथा शक्तियां परिनिश्चित करने और उनसे सम्बन्धित या उनके अनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक को, सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा के 30 अर्थात् :—

(1) श्री अब्दुल लतीफ

(2) श्री आर० के० अमीन

(3) श्री वी० अरुणाचलम उर्फ "अलादि अरुणा"

(4) श्री ए० ई० टी० बैरी

(5) श्री चित्त बसु

(6) श्री सोमनाथ चटर्जी

(7) श्री नवाब सिंह चौहान

(8) श्री तुलसीदास दासप्पा

(9) श्री अशोक कृष्ण दत्त

(10) श्री के० गोपाल

(11) श्रीमती मृणाल केशव गोरे

(12) श्री कंवर लाल गुप्त

(13) श्री निर्मल चन्द्र जैन

(14) श्री अनन्तराम जायसवाल

(15) श्रीमती पार्वती कृष्णन

(16) श्री एम० वी० कृष्णप्पा

(17) श्री के० एल० महाले

(18) श्री बसन्त सिंह खालसा

(19) श्री गौरी शंकर राय

(20) श्री के० राममूर्ति

(21) श्री जगन्ननाथ राव

(22) श्री रामचन्द्र रथ

(23) श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी

(24) श्री दयाराम शाक्य

(25) श्री दिग्वजय नारायण सिंह

(26) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंहा

(27) श्री एस० एस० सोमानी

(28) श्री रामजी लाल सुमन

(29) श्री वी० तुलसीराम

(30) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्

और राज्य सभा से 15 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी ।

कि समिति आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ।

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ, जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति राज्य में सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

——०——

(नौ) कलकत्ता में टेलीफोन विभाग के कार्यकरण के बारे में मामला

श्री एम० ए० हनान अलहाज (बसिरहाट) : कलकत्ता नगर में तथा इसके उपनगरों में टेलीफोन प्रायः खराब रहते हैं । कलकत्ता महानगर में सम्पूर्ण टेलीफोन व्यवस्था में भारी

गड़बड़ी और कुप्रबध है। कभी-कभी टेलीफोन खराब रहता है अथवा दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता और अकसर टेलीफोन कतई काम नहीं करता। इससे कलकत्ता के नागरिकों को बड़ी असुविधा हो रही है। इससे खीज तथा निराशा पैदा हुई है। व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक फर्मों को इस वजह से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रोगी व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई हो रही है। प्रतिदिन लाखों रुपये की हानि हो रही है जीवन का हर पहलू इससे प्रभावित हुआ है। आम नागरिक की पीड़ा और कठिनाई अवर्णनीय है। अतएव, मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि टेलिफोन विभाग में सामान्य स्थिति बनाने और उसे कार्य कुशल बनाने के लिए वह इस मामले में हस्तक्षेप करे क्योंकि पहले यह एक ख्यातिप्राप्त विभाग था। कलकत्ता टेलीफोन विभाग का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और गत समय में कार्यकुशलता की दृष्टि से इसे खूब ख्याति मिली किन्तु अब यह अकुशल हो गया है। आशा है, इस संबंध में शीघ्र कदम उठाये जायेंगे।

इस संबंध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप लिखित वक्तव्य के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। मुझे खेद है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(दस) नेपाली को संवीधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करना

श्री के०बी० क्षेत्री (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार समस्त देश में लगभग 15 लाख नेपाली-भाषी लोग हैं। किन्तु वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हैं। नेपाली भाषा सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों की राजभाषाओं में से एक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों ने पहले ही इस आशय के संकल्प पारित कर लिये हैं कि नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये। हमारे प्रयासों के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय नेपाली लोगों में बड़ा रोष व्याप्त है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भरती की वर्तमान पद्धति से, जिसके अनुसार उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई किसी एक भाषा में अनिवार्य प्रश्न-पत्र लेना पड़ता है, उन लोगों के लिए समस्या और भी जटिल हो गई है। उन उम्मीदवारों को, जिनकी मातृभाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है, अपनी ही भाषा में लिखने का विशेष लाभ मिलेगा जबकि दूसरे उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई भाषाओं में से एक हो, लिखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना वस्तुतः अनुचित है जहां संविधान के अनुच्छेद 15(1) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में भरती की

वर्तमान पद्धति के संबंध में सरकार का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 15(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। हाल ही में, सभा में इस मामले पर उत्तेजनापूर्ण बहस हुई थी और सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई थी कि इस अनिवार्य प्रश्न-पत्र की शर्त को केवल एक वर्ष के लिए माफ कर दिया जायेगा। लेकिन, आश्चर्य की बात है कि यह छूट केवल पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवारों को दी गई। भारतीय नेपालियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है ? यद्यपि नेपाली, सिक्किम राज्य की राजभाषा और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के राज-भाषाओं में से एक है फिर भी उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में उचित स्थान नहीं मिला है फिर, सरकार की ओर से यह शर्त रखे जाने पर क्या औचित्य है कि भारतीय नेपाली एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से किसी एक भाषा में दें ? इस एक पक्षीय निर्णय से भारतीय नेपाली बहुत उत्तेजित हुए हैं जबकि वे देश के प्रति पूर्ण वफादार हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह सुनिश्चित करे कि संविधान में दिये गये "समानता के अधिकार" का उल्लंघन न हो और इन लोगों को एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र तब तक अंग्रेजी में लिखने की अनुमति दी जाये जब तक कि वे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी एक भाषा को नहीं सीख लेते। उपर्युक्त विषय के बारे में सरकार के रवैये की पुनरीक्षा करने में न केवल भारतीय नेपालियों को न्याय मिलेगा अपितु सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) द्वारा दिये गये परित्राणों का सम्मान भी करेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इसे गम्भीरता से लेगी और सभा में शीघ्र ही एक वक्तव्य देगी।

(ग्यारह) अलहिलाल ट्रेवल एजेंसी, लखनऊ, द्वारा लोगों को धोखा दिये जाने का समाचार

श्री उग्रसेन (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देता हूं। दिनांक 28 अप्रैल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवकों को विदेशों में नौकरी दिलाने वाले और तस्करी के धन्धें में संलग्न एक बहुत बड़ी फर्म अलहिलाल ट्रेवल एजेन्सी से पुलिस ने छापा मारकर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सैंकड़ों फर्जी पासपोर्ट, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों की फर्जी फर्म की मोहरें तथा विदेशी सरकारों के अनेक फर्जी नोट बरामद किए। अलहिलाल नामक फर्म ने भारत के प्रायः सभी प्रमुख समाचार पत्रों में एक एक पृष्ठ के विज्ञापन प्रकाशित करके इस बात को प्रचारित किया था कि यह श्रम मंत्रालय से अपने देश में और विदेशों में बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने में योगदान कर रही है। इसका मुख्य कार्यालय लखनऊ में था और नयी दिल्ली में भी उसका कार्यालय था जिस पर छापा पड़ा। गत वर्ष उसने पांच हजार युवकों को नौकरी दिलाने का लालच देकर 50 लाख रुपया धोखाधड़ी करके बनाया है। कम्पनी के दो प्रमुख कर्मचारियों तथा कम्पनी के महाप्रबंधकों पर भी छापा मारा गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक ने बयान दिया है कि मैंने अपराध किया है और मुझे सजा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ जिन लोगों ने इससे लाभ कमाया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बताया जाता है कि 8 हजार लोगों से लगभग दो

करोड़ रुपया लिया गया है। यह एक गंभीर मसला है जिस पर श्रम मंत्री के तत्काल वक्तव्य देने और कार्यवाही की मांग करता हूं।

(बारह) गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को भरने के मामले को लेकर त्यागपत्र देने की धमकी के समाचार

श्री अनन्त दवे (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

गुजरात उच्च न्यायालय में 6 रिक्त पदों को भरने में सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीति के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश ने त्यागपत्र देने की धमकी दी है।

यह एक गम्भीर मामला है। मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पदों के लिए जिन नामों की सिफारिश की थी उनमें से कोई भी नहीं चुना गया इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुना गया जिन्होंने आपातकाल का समर्थन किया था। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार मुख्य-न्यायाधीश का परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

(1) क्या ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिसे मुख्य-न्यायाधीश ने अनुपयुक्त पाया हो ?

(2) क्या उच्च न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश को इसके कारण नहीं बताये जाने चाहिए कि उसकी राय की अवहेलना क्यों की गई और उनकी राय के विरुद्ध नियुक्तियां क्यों की गई ?

(3) उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का उपांग मात्र है ? यह आरोप भी लगाया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही जानबूझ कर की गई है ताकि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आसानी से अपना पद छोड़ दें। इन सभी बातों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

(तेरह) आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में अभूतपूर्व समुद्री तूफान द्वारा किया गया विनाश

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : महोदय, मैं आंध्रप्रदेश के समुद्रतटीय जिलों अर्थात् नेल्लौर, ओंगोले, गुन्टूर और कृष्णा जिलों में 12-5-79 को एक अभूतपूर्व तूफान आने के कारण हुई भारी तबाही की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस तूफान के कारण दस लाख से अधिक लोग बेघर हो गये, खड़ी फसलों को भारी क्षति पहुंची, मकान ढह गये और अनेक लोगों की जानें गई। तूफान 12-5-79 को टाडा से आरम्भ होकर कृष्णा और गोदावरी जिलों

तक पहुंचा। तूफान की गति 160 कि० मी० प्रति घण्टा थी और 30 घण्टों में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। नेल्लौर नगर पर तूफान का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा और वह शेष दुनिया से अलग-थलग पड़ गया। विशेष रूप से कमजोर वर्गों के झोपड़ियों और छोटे मकानों में रहने वाले हजारों गरीब लोग बेघर हो गये और बकिंघम नहर और नेल्लौर के समुद्र के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र जल की एक विशाल चादर में तबदील हो गया। कृष्णा जिले के दीवी तालुक के सोगलागुंडी गांव के पास हाल ही में निर्मित संरक्षण दीवार को ज्वारीय तरंगों से भारी क्षति पहुंची और बांध में दरारें पड़ गई। तूफान की निम्नलिखित उल्लेखनीय बातें हैं :—

(1) नवम्बर, 1977 में आये तूफान से मुख्यत: लोगों की जानें गई किन्तु इस तूफान से न केवल लोगों की जानें गई अपितु नेल्लौर, प्रकाशम और गुन्टूर जिलों में सम्पत्ति तथा खड़ी फसलों को भी भारी क्षति पहुंची। दिनांक 17-5-1979 के **टाइम्स आफ इण्डिया** की रिपोर्ट के अनुसार एक हजार से अधिक लोगों की जानें गई। सही आंकड़े अभी मालूम किये जाने हैं ;

(2) 15 से 20 गांवों में नदियों अर्थात् पलारू, मुसी और अन्य नदियों के लबालब भर जाने और समुद्र में पानी जाने का रास्ता न रहने के कारण बाढ़ आ गई और उस दिन नदियों ने भीषण रूप धारण कर लिया ;

(3) भारी वर्षा के कारण 40 से अधिक टैंकों में दरारें पड़ गई ;

(4) एक अकेले नेल्लौर जिले में लगभग 1500 गांव तूफान से प्रभावित हुए और लगभग 1.6 लाख मकान ढह गये। भेड़, ढ़ोरों और मुर्गियों को बहुत नुकसान पहुंचा ;

(5) सड़कों और रेल लाइनों पर भारी दरारें पड़ जाने के कारण रेल और सड़क दोनों यातायात अस्त व्यस्त हो गया ;

(6) केले और पान की 6000 एकड़ क्षेत्र में फैली फसल को क्षति पहुंची ;

(7) सुलरपेट, वेंकट गिरी, गुडूर, कोबवुर, कवाली, आत्मकुर, उदयगिरी आदि तालुकों और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा।

(8) इस बात की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सर्वपल्ली नहर के साथ लगे हुये हटमैंटों में रहने वाले लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है और यह बताया गया है कि वे गत शुक्रवार से भूखे मर रहे हैं। वेंगलराव नगर के निवासियों द्वारा दु:ख की इसी प्रकार की कहानी सुनाई गई जहां झोपड़ियों में 2500 लोग रह रहे हैं और यह स्थान नेल्लौर नगर से तीन मील की दूरी पर स्थित है। झोपड़ियों में रहने वाले लोग अधिकांशत: हरिजन हैं।

(9) कुल 500 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस क्षेत्र में बार-बार तूफान आते रहते हैं। स्थायी हल ढूंढ निकालने के लिए इस समस्या पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए और यह समस्या राज्य सरकार पर नहीं छोड़ देनी चाहिए। छठे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इस प्रकार की आपदा में कोई भी राज्य सरकार समस्या को हल करने की स्थिति में नहीं होगी। राज्य सरकार को आपात कार्यों के लिए आबंटित की गई राशि के भीतर ही खर्च करने की केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति पर्याप्त नहीं है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वह इस मसले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और 500 करोड़ रुपये से अधिक की हानि को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाये।

(चौदह) बैराइट्स का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से करने के बाद बैराइट्स खान मालिकों और पुलवराहंजिग मिल मालिकों के सामने पेश आ रही कठिनाइयां

श्री दारुर पुलय्या (अनन्तपुर) : सरकार ने 30 मार्च 1979 को संसद में यह घोषणा की थी कि बेरिटीज का निर्यात किसी एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा। तब से एक माह और 18 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने या माध्यम एजेंसी, खनिज और धातु व्यापार निगम ने खान मालिकों तथा चूर्ण बनाने वाली मिलों के मालिकों से बेरिटीज खनीज अर्थात् चूर्ण या पिण्ड खरीदने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। मद्रास पत्तन तथा रेलवे स्टेशनों पर बेरिटीज पिण्डों तथा चूर्ण का विशाल स्टाक जमा हो गया है।

प्रमाणीकृत लाइसेंसों के अन्तर्गत ऐसे आर्डर मौजूद हैं जो सरणीकरण से पहले प्राप्त किये गये थे। अचानक सरणीकरण आर्डरों के कारण उत्पादक-निर्यातक सरणीकरण से पहले की वचनबद्धताओ को पूरा नहीं कर सके। यद्यपि उन उत्पादक-निर्यातकों ने, जिनके पास पहले से आर्डर आये हुए थे, सरणीकरण के तत्काल बाद निर्यात और आयात मुख्य नियंत्रक तथा वाणिज्य मंत्री महोदय की अनुमति लेने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया था ताकि वे सरणीकरण से पहले की वचनबद्धताओं को पूरा कर सकें किन्तु वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

लगभग 2 करोड़ रुपये के मूल्य का बेरिटीज के चूर्ण तथा पिण्डों का विशाल स्टाक जमा हो गया है और खान मालिकों को भारी वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने खनन तथा चूर्ण बनाने वाले उद्योग बंद कर दिये हैं और इस तरह लगभग 10,000 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। इस बेरिटीज खनिज का उत्पादन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के पिछड़े क्षेत्र में किया जाता है जहां कि और कोई अन्य उद्योग नहीं हैं। इस क्षेत्र में हमेशा सूखा पड़ता है। यह आश्चार्य की बात है कि सरकार इस मामले में

कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है जबकि इस सामग्री की विदेशों में बहुत मांग है और बड़ी मात्रा में इसका स्टाक जमा है तथा देश में इसकी मांग बहुत कम है ।

जब 1976-77 में निर्यात माध्यम की व्यवस्था थी निर्यात करने वाली एजेंसी भारतीय खनिज एवं धातु निगम 27 महीने तक तीन लाख टन खनिज का निर्यात नहीं कर सकी । वर्तमान सरकार ने अनुभव किया कि निर्यात माध्यम असफल रहा है और भारतीय खनिज एवं धातु निगम इस खनिज को बेचने में सफल नहीं हुआ है । इसलिए सरकार ने 1-4-78 को निर्यात माध्यम की व्यवस्था समाप्त कर दी और भारतीय खनिज एवं धातु निगम को तथा मूल उत्पादनकर्त्ताओं को उस सीमा तक निर्यात करने की अनुमति प्रदान कर दी और बिचौलियों को जो कि अब तक उत्पादनकर्त्ताओं से खरीदकर निर्यात कर रहे थे, बीच से निकाल दिया । निर्यात माध्यम व्यवस्था के केवल बारह महीनों में मूल उत्पादनकर्त्ता तीन लाख टन खनिज का निर्यात कर सके थे जो निर्यात माध्यम व्यवस्था के 27 महीनों की अवधि में निर्यात की गई मात्रा के बराबर था । मूल उत्पादनकर्ता कच्चे पिण्ड के बजाय तैयार उत्पादों जैसे कि पाउडर का अधिक निर्यात भी कर सके । जिससे उन्हें अधिक विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई ।

यह एक लघु निर्यात व्यापार है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता होती है और पोत पर्यन्त निःशुल्क और लागत एवं भाड़ा सहित मूल्य पर तत्काल माल की सुपुर्दगी के आधार पर इस उत्पाद की बिक्री के लिए भी निजी प्रयास करने पड़ते हैं । भारतीय खनिज एवं धातु निगम एक बड़ा संस्थान है इसे बड़े पैमाने पर बिक्री वाले महत्वपूर्ण खनिजों की ओर ध्यान देना होता है और वह इस छोटे व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर नहीं सकेगा । निर्यात माध्यम की व्यवस्था के 27 महीनों में भारतीय खनिज एवं धातु निगम को जो असफलता मिली है सरकार के सामने स्पष्ट है । इसलिए वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री के लिए पूणतः सिद्ध हो चुका है कि भारतीय खनिज एवं धातु निगम इस छोटे व्यापार को संचालित नहीं कर सकता और निर्यातकर्ता मूल उत्पादक ही इस छोटे व्यापार को इतने कारगर ढंग से चला सकता है ताकि अपने छोटे उद्योग चालू रहें, 10,000 मजदूरों को रोजगार मिल सके और देश का हित हो । इसलिए, माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह यथापूर्व स्थिति को बनाये रखें या वर्तमान निम्नतम मूल्यों पर सामग्री की खरीद के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठायें और निर्यातकर्ता उत्पादकों को निर्यात माध्यम व्यवस्था के पहले किए गए अपने वायदों को पूरा करने की अनुमति दें । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस मामले में तत्काल कार्यवाही करेंगे जैसे कि अन्य निर्यात व्यापार के अन्य मामलों में प्रशंसनीय काम किया गया है ।

(पन्द्रह) केरल साइलेंट वैली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना

श्री के० के० राजन (त्रिचुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं आवश्यक सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूं ।

केरल के जिला पालघाट माल्गपुरम में साइलेंट वैली जल-विद्युत परियोजना फिर कठिनाइयों में पड़ गई है ।

जब इस योजना का प्राथमिक कार्य आरम्भ किया गया उस समय वास्तव में कोई आपति नहीं की गई। तथापि, शीघ्र ही वैज्ञानिक तथा प्रकृतिविशेषज्ञों ने वहां उस परियोजना के शुरू हो जाने के कारण देश के 'एकमात्र वर्षा कराने वाले जंगल' के समाप्त हो जाने की संभावनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया। पश्चिमी घाटों की परिस्थिति की योजना के लिए कार्य करने वाले दल ने भी स्वयं इस परियोजना की कार्यविधि के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया क्योंकि इससे परिस्थिति का असन्तुलन पैदा हो सकता था। उसने तमिलनाडु सरकार द्वारा गोयर नदी घाटी में एक ऐसी ही योजना को इस आधार पर कि इससे क्षेत्र में परिस्थिति की अव्यवस्थित हो जाएगी, स्थगित किए जाने का उदाहरण बताया। कार्यकारी दल ने बहुत ही संकोच के साथ कहा कि साइलेंट वैली परियोजना को स्वीकृति दे दी जाये और वह कुछ ऐसी शर्तों पर जो कि केरल सरकार को इस परियोजना को क्रियान्वित करते समय पूरी करनी होगी।

कार्यकारी दल के सुझावों के अनुसार जंगलों का सफाया करने का काम कम से कम किया जाना है। परियोजना क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उस क्षेत्र में बकरियों को नहीं पाला जाये और अन्य मवेशियों के लिए पशुशालाएं नहीं बनाई जायें। जंगल में लगने वाली आग से बचाव के लिए समुचित उपाय भी करने होंगे।

कार्यकारी दल द्वारा लगायी सभी शर्तों को केरल सरकार ने स्वीकार कर लिया और यह भी मान लिया कि सुझाये गए रक्षा-उपायों के कार्यान्वियन की देखभाल करने के लिए एक 'नियंत्रण समिति' गठित की जाए। इस सम्बंध में राज्य सरकार ने पहले ही एक कानून बना लिया है।

इस सब के बावजूद, अभी तक परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

चूंकि यह महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठावाली परियोजना है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे तत्काल मंजूरी दे।

(सोलह) देश के प्रमुख बन्दरगाहों पर मिट्टी के तेल का एकसमान संस्थापना-पूर्व मूल्य का निर्धारण

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कलकत्ता के मौरी ग्राम में मिट्टी के तेल का संस्थापन-पूर्व मूल्य देश भर में सर्वाधिक है बम्बई के 1193.98 रुपये, कोचीन के 1196.50 रुपये, विशाखापत्तनम के 1201.78 रुपये, मद्रास के 1204.40 रुपये मूल्य की तुलना में कलकत्ता में यह मूल्य 1229.37 रुपये प्रति किलो लीटर है, यद्यपि कलकत्ता में बन्दरगाह और पाइप लाइन सम्बन्धी दोनों सुविधाएं मौजूद हैं तथा पास में ही तेल शोधक कारखाने भी हैं। हम भारत सरकार पर इस बात के लिए जोर देते रहे हैं कि कम से कम सभी बड़े बन्दरगाहों पर तो मिट्टी के तेल के संस्थापन-पूर्व मूल्य में

फिलहाल समानता होनी चाहिए और अन्ततोगत्वा मिट्टी के तेल जैसी सामुहिक खपत की आवश्यक वस्तु सम्पूर्ण देश में लगभग एक ही दाम पर बेची जानी चाहिए।

केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री के प्रेस वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि नई संविदा के अन्तर्गत खरीद मूल्य अधिक नियत होने के कारण भारत सरकार द्वारा मिट्टी के तेल का संस्थापन-पूर्व मूल्य शीघ्र ही बढ़ाया जाएगा। यह उचित समय है जब संस्थापन-पूर्व मूल्य इतना तय किया जाना चाहिए कि कम से कम देश के प्रमुख बन्दरगाहों पर तो उसका संशोधित निकासी मुल्य एक समान हो जाए। यदि भारत सरकार का विचार संस्थापन मूल्य बढ़ाने का नहीं है तो संस्थापन-पूर्व मूल्यों में मौजूदा असमानता तत्काल समाप्त की जाएं।

मैं पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह देश के इस भाग में गरीब उपभोक्ताओं के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए इस न्याय संगत निवेदन को स्वीकार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० आर० दामानी यहां उपस्थित नहीं हैं, श्री ब्रह्म प्रकाश यहां उपस्थित नहीं हैं ; श्री सी० एम० विश्वनाथन यहां उपस्थित नहीं है।

(सत्रह) ठेका श्रम प्रणाली के कारण बीड़ी उद्योग में मजदूरों का शोषण

डा० विजय मण्डल (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से, नियम 377 के तहत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

बीड़ी उद्योग में मजदूरों का सर्वाधिक शोषण किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में खास तौर पर पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरूलिया जिलों में उन्हे ठेके के आधार पर काम पर लगाया जाता है। कारखाना मालिक का इस मामले से कतई सरोकार नहीं रहता। वह काम कराने के लिए कोई ठेकेदार नियुक्त कर लेता है और वह ठेकेदार बीड़ी बनाने के लिए ठेके के आधार पर मजदूर रखता है। इस प्रकार, ये श्रमिक बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, भविष्य निधि आदि जैसी अनेक सुविधाओं से बंचित रह जाते हैं। और बीड़ियां लपेटते हुए उनके स्वास्थ्य पर तम्बाकू का हानिकार प्रभाव पड़ता है और इस तरह वह क्षय, अस्थमा आदि जैसे विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते है।

बीड़ी मज़दूरों की सेवा शर्तों को सुधारने, उनके न्यूनतम वेतन निर्धारित करने और अन्य उद्योगों में लगे श्रमिकों को मिलने वाले सभी लाभ उन्हें भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार को एक समुचित कानून बनाना चाहिए और इस तरह बीड़ी मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति (चौंतीसवें प्रतिवेदन) के प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, दो-ढ़ाई घंटे अब से माने जाएंगे। आपकी थोड़ी सी अनुपस्थिति के दौरान यह निश्चय किया गया था कि नियम 26 के तहत "3-30 बजे सायं" का समय ठीक नहीं है। अब हम सिर्फ गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब है यह शाम के 6-25 बजे तक चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां। इसलिए हम आधे घंटे की चर्चा 6-25 बजे शाम शुरू करेंगे।

श्री विनोद भाई सेठ : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मान् जी, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन 9 मई 1979 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संकल्पों के सम्बन्ध में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा शुरू करने से पहले 10 मई, 1979 गुरुवार को उसे स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, प्रतिवेदन स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं किया गया क्योंकि उस दिन सायं 4 बजे एक स्थगन प्रस्ताव शुरू कर दिया गया था और गैर सरकारी सदस्यों का नियत कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

मैं प्रतिवेदन के पैरा 5 और पैरा 7 के खंड (तीन) की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिसमें 10 मई 1979 की कार्य सूची में दर्ज संकल्पों के लिए समय नियतन के बारे में समिति की सिफारिशें दी हुई हैं। चूँकि वह कार्य उस दिन पूरा नहीं किया गया था इसलिए उपर्युक्त पैराओं में शामिल की गई सिफारिशें अनावश्यक हो गई है। इसलिए, प्रतिवेदन की स्वीकृति का प्रस्ताव उस सीमा तक परिवर्तित किया जाना है।

श्रीमान् जी, इसलिए मैं परिवर्तित रूप में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

> "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 34वें प्रतिवेदन से जो सभा में 9, मई, 1979 को प्रस्तुत किया गया था, इस रूपभेद के अध्याधीन रहते सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 5 और संकल्पों के लिए समय के आबंटन सम्बन्धी उसके पैरा 7 के भाग (तीन) का लोप किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 34वें प्रतिवेदन से, जो इस सभा में 9 मई, 1979 को प्रस्तुत किया गया था, इस

रूपभेद के अध्याधीन रहते सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 5 और संकल्पों के लिए समय के आबंटन सम्बन्धी उसके पैरा 7 के भाग (तीन) का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(एक) सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क अधीनियम, 1962, स्वर्ण [नियंत्रण] अधिनियम 1968 और विदेशी मुद्रा विनियमन, 1973 का और संशोधन करने वाले विधायक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962, स्वर्ण, [नियंत्रण] अधिनियम 1968 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनोहर लाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(दो) सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक धारा 5 आदि का प्रतिस्थापन)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिगरेट (उत्पादन पूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक धारा 1 का संशोधन ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधायक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेक को पुर:स्थापित करता हूं ।

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक अनुछेद 33क का संशोधन

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राम विलास पासवान : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक नये भाग 23क का अन्त:स्थापन

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री विनोदभाई बी० शेठ (जामनगर) : मैं विधेयक का विरोध करता हूं । श्री बहादुर इस विधेयक को पेश कर रहे हैं और श्री शेठ इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन न तो वे 'बहादुर' हैं और न ही मैं शेठ हूं ।

फिलहाल, आय कर है, सम्पत्ति कर है तथा सम्पदा कर है और एक व्यय कर लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मगर देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास 1 करोड़ रुपये की पूंजी होगी। मुझे बताया गया है कि ऐसे केवल 16 पूंजीपति हैं। ये शायद भूतपूर्व रियासतों के महाराजा या महारानी होंगे जिन्हें अपनी जमीन, अचल सम्पत्ति या पुश्तैनी जेवर बेचने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये यह विधेयक बेकार होगा क्योंकि इसे 1960 से भूतलक्षी प्रमाद देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो इस विधेयक को 1960 से प्रभावी बना सके। सरकार की यह प्रवृत्ति रही है कि जब वह कोई विधान बनाती है तो कराधान भूतलक्षी प्रभाव से करती है परन्तु धन-वापसी भूतलक्षी, प्रभाव से कभी नहीं करती। क्योंकि उस हालत में, महालेखा—परीक्षक और आटार्नी जनरल आपत्ति करेंगे।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप बाद में संशोधन पेश कर सकते हैं, मगर आप विधेयक का इस चरण पर विरोध क्यों कर रहे हैं ? कृपया विधेयक का विरोध मत कीजिए।

श्री विनोदभाई बी० शेठ : जब सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व विनियमों में संशोधन करने की बात उठती है तो वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने का प्रचलक सा हो गया है कि वह सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व के संबंध में एक व्यापक विधेयक लायेंगे। हालांकि, मंत्रालय आते और जाते रहेंगे मगर सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व पर एक व्यापक विधेयक कभी नहीं आयेगा।

मैंने परेषण बिक्रियों को कर योग्य बिक्रियां बनाने के लिये एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था।

मैंने इस विधेयक को पेश करने के सरकार की प्रवृत्ति का विरोध करता हूं।

महोदय, मैं श्री हरिकेश कृष्ण बहादुर द्वारा प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं जिसमें कराधान को भूतलक्षी प्रभाव देने वाले बिनियम को लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, सरकार के पास इस विधेयक को लागू करने का कोई तंत्र नहीं है। देश में ऐसा कोई करदाता नहीं है जिसके पास 1 करोड़ से अधिक की पूंजी हो। मैं नहीं जानता कि श्री बहादुर उन व्यक्तियों का पक्ष क्यों ले रहे हैं जिनके पास 99 लाख या उसके लगभग पूंजी है। मैं उन लखपति लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो, जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो भिखारी होंगे क्योंकि कर बचाने के लिये उन्होंने पूरी योजना बना रखी थी।

सभापति महोदय : अब आप की संवैधानिक बारीकियों में जा रहे हैं, विधेयक की खूबियों पर बात नहीं कर रहे।

श्री विनोदभाई बी० शेठ : कराधान को भूतलवी प्रभाव देना संभव नहीं है।

सभापति महोदय : यह एक तर्कसंगत मुद्दा हो सकता है। सभा इस पर विचार कर सकती है कि कराधान को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है अथवा नहीं। श्री हरिकेश बहादुर, क्या आप अपने विधेयक के विषय में कुछ और कहना चाहेंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर : यदि आवश्यक हो, तो मैं एक बात कह सकता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये इस विधेयक पर चर्चा के समय उचित संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा, विधेयक के प्रस्तुत हो जाने के बाद, यदि वे उचित संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सभा उस पर विचार कर सकती है।

चौ० बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की अनुमति दे दी जाये। जब इस पर डिसकशन होगा, तो मेम्बर्ज अपने अपने संशोधन दे सकते हैं। इसमें जो एक करोड़ रुपये की सीलिंग रखी गई है, यह तो बहुत ज्यादा है। जब इस पर डिसकशन होगा, तो हम तो कहेंगे कि यह सीलिंग पांच लाख रुपये होनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं जो बात कहना चाहता था वह यह है। मेरे विचार में व्यक्तियों के हाथ में पूंजी शोषण का माध्यम बन जाती है। इसीलिये मैं यह विधेयक लाया हूं। यदि माननीय सदस्य उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। यह सभा पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकार करे अथवा नहीं।

महोदय, मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(छ) मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैं भारत में मृत्यु दण्ड उत्सादन का उपबन्ध करने के लिए अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में मृत्यु दण्ड उत्सादन का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

क्या मैं एक वाक्य जोड़ सकता हूं ।

महोदय, मैं प्रथम बार, विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार मिलने पर प्रसन्न हूं । मेरे पिता ने, जब वे पहली लोक सभा के अध्यक्ष थे, मृत्यु दण्ड समाप्त करने के आंदोलन में बहुत रुचि लेते थे । मुझे आशा है कि इस विधेयक को यथा संभव शीघ्र पारित करने में मुझे माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा ।

———

संविधान (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम श्री विनायक प्रसाद यादव द्वारा 4 मई, 1979 को प्रस्तावित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात् :—

> "भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री महीलाल (विजनौर) : जो बोल रहे थे । वे अब यहां नहीं है । अब मंत्री अपने विचार प्रकट करें ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : महोदय, इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर पिछली बार विचार किया गया था । इस संविधान (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिये उचित आरक्षण की आवश्यकता पर बल देना था ।

महोदय, इस विधेयक के समर्थन और विरोध में बहुत कुछ कहा गया है । मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि जैसा कि सब जानते ही हैं, सरकार ने पिछड़े वर्गों संबंधी आयोग की नियुक्ति की है जो इस पूरी समस्या पर विचार करेगा, जिसने हाल ही में एक बड़ी समस्या का रूप धारण कर लिया है । जहां तक सरकारी नौकरियों में तथाकथित पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रश्न है, देश के कुछ भागों में इस बारे में बहुत बाद-विवाद हुआ है । देश के कुछ भागों में बहुत गम्भीर बातावरण बन गया है । इस प्रकार के विवाद हमारे देश में वांछनीय नहीं है क्योंकि इस देश को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन समस्याओं को केवल सौहाद्रता से, सही तरीके से सुलझाया जा सकता है जबकि सभी मतों के

लोग एक जुट होकर देश की उन्नति के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग करें। इसलिये हमें इस समस्या को उस परिप्रेक्ष्य में देखना है। अन्ततः जो भी समाधान निकले वह पूरे देश को स्वीकार्य होना चाहिये। तभी-वह समाधान सार्थक होगा। परन्तु दूसरी ओर यदि लोगों की शक्तियां अनावश्यक झगड़ों में नष्ट होती रही तो उस हालत में, संबिधान में चाहे जो भी उपबंध बना दिया जाये वह संविधान के प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो सकेगा।

महोदय, जहां तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, यह सर्वविदित है कि सरकारी-नौकरियां देश के रोजगार क्षमता का अंशमात्र है। उस देश में जहां बेरोजगारी की समस्या इतनी व्यापक है वहां केवल तथाकथित पिछड़े वर्गों को कुछ आरक्षण प्रदान करके उन्हें तथा-कथित उन्नत वर्गों की बराबरी पर नहीं लाया जा सकता। दरअसल यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो ; चाहे वह किसी अन्य पिछड़े वर्ग का हो, उस पिछड़े वर्ग का आधार चाहे जाति हो शैक्षिक पिछड़ापन हो, आर्थिक पिछड़ापन हो या सामाजिक पिछड़ापन हो, पूरे देश को प्रयत्न करना चाहिये कि अब से कोई भी व्यक्ति पिछड़ा न रहे। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान मिले और कानून की नजर में सब बराबर हों।

महोदय, विभिन्न माननीय सदस्यों ने इस सभा में इस देश में वर्षों से प्रचलित वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हुये अपने भाव प्रकट किये हैं। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों की स्थापना करना था क्योंकि हरेक व्यक्ति की रुचि और विशेषता अलग-अलग होती है और इसलिये वह अलग अलग किस्म के कामों के योग्य होता है। परन्तु यह योग्यता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती जिसमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है। यह मनुष्य की विविध बौद्धिक क्षमताओं पर निर्भर करता है। दरअसल, आज कुछ परिवारों में स्थिति यह है कि एक ही परिवार में पैदा हुये भाइयों में से अपनी रुचि के कारण एक किसी एक व्यवमाय के लिये योग्य है तो दूसरा किसी बिल्कुल दूसरी तरह के व्यवसाय के योग्य है जहां तक इस जाति व्यवस्था का प्रश्न है अनेक परिवारों में यह व्यवस्था दूर रही है क्योंकि परिवार के विभिन्न सदस्य अलग-अलग पेशा अपना रहे हैं लेकिन संस्था के रूप में यह प्रथा अभी तक चल रही है और यह निश्चित रूप से निन्दनीय है। इस जाति प्रथा के जारी रहने से, कुछ लोगों को पिछड़ा बने रहने के लिये बाध्य होना पड़ता है—और इसका प्रभाव सबसे अधिक हरिजनों पर पड़ा है। समाज के कतिपय वर्गों को अछूत बना दिया गया, जिनसे दूसरे लोग कुछ लेन देन नहीं रखेंगे। यह स्थिति उस समुदाय के सदस्यों के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध हुई जबकि यह जाति प्रथा के रूप में विकृत हो गई जिसके अंतर्गत किसी पेशे के लिये व्यक्ति की क्षमता अथवा उपयुक्तता के स्थान पर उसका जन्म उसके पेशे की कसौटी बन जाता है। तब स्थिति यह थी कि एक विशेष परिवार में उत्पन्न व्यक्ति एक खास निम्न स्तर का जीवन बिताने के लिये अभिशप्त था और उसे बराबर यह एहसास होता था कि यह देश उसका नहीं है। महात्मा गांधी ने इस छुआछूत की व्यवस्था के विरुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। जब डा० अम्बेडकर ने कानूनी पेशा या सरकारी-नौकरी शुरू की थी तब हालत यह थी कि अनुसूचित जातियों के लोगों को फाइलें हाथ में न

देकर उनके सामने फेंक दी जाती थीं। एक मामूली आदमी भी उनकी तरफ फेंक कर देता था। उन्हें यह पसन्द नहीं था कि जिस फाइल को तथाकथित अनुसूचित जाति का सदस्य छुए उसी को वह भी छुएं। इसीलिये डा० अम्बेडकर ने भी इस व्यवस्था का विरोध किया और इन तथाकथित अछूतों का उद्धार करने के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज हम देखते हैं कि उस काल के अछूत आज समाज के हर वर्ग में उच्चतम पदों पर पहुंच रहे हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुछ दिनों पहले ही... ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आप के विभाग में क्या है ?

श्री शांति भूषण : मेरे विभाग में भी वे बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। शायद माननीय सदस्य को नहीं मालूम कि जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, कोटा पूरा नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : हाई कोर्ट में क्या स्थिति है ?

श्री शांति भूषण : यदि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में सोच रहे हैं तो स्थिति अवश्य ही इतनी संतोषजनक नहीं है, किंतु अन्य महत्वपूर्ण पदों पर श्रेणी-I सेवा सहित सरकारी सेवाएं, आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरणों का कोटा पूरा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति की अभी शुरुआत नहीं हुई है किंतु... ।

एक माननीय सदस्य : क्या आप सचमुच यही समझ रहे हैं कि ये टुकड़े जो आपने उनकी ओर फेंके हैं, उससे उनकी दशा में सुधार हो रहा है ?

श्री शांति भूषण : मैं यह नहीं कह रहा, कि जो लक्ष्य प्राप्त करने थे उन सभी की प्राप्ति हो गई है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज है उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति आज से पचास वर्ष पहले थी। क्या उस समय सर्वोच्य न्यायालय अर्थात-उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बारे में कोई सोच भी सकता था, कि वह किसी हरिजन को दिए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा ? पचास वर्ष पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इन समुदायों को मेरी शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने इन विरोधी स्थितियों से इतनी वीरता से संघर्ष किया।

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलालगंज) : 50 साल पहले सभी लोगों का यह हाल था, इसमें कोई नई बात नहीं है। उस वक्त देश गुलाम था।

श्री शान्ति भूषण : देश गुलाम था लेकिन फिर भी उच्च जातियों के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट में जज बना करते थे। फेडरल कोर्ट में, जो हायस्ट कोर्ट आफ दि में उच्च जाति का जज था लेकिन आज यह अवस्था आ गई है कि एक हरिजन को सुप्रीम कोर्ट लैंड था, 1937 की जजशिप आफ़र होती है और वह हरिजन कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनना चाहता हूं क्योंकि मेरे सामने अभी कुछ कठिनाई है।

श्री आर० एल० कुरील : कितने और लोगों को आफ़र दिया गया है ?

श्री शान्ति भूषण : कितनों का सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो थोड़े जज ही होते हैं।

जो कुछ हो चुका है, वह बीत गया है। वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए देश को अभी काफी प्रयत्न करने हैं। मैं जो कहना चाहता था वह यह है, जो अधिक महत्वपूर्ण है, वह है.....

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : यदि आप वास्तव में महसूस कर रहे हैं, कि आप प्रगति की दिशा में बढ़ रहे हैं तो क्या मुझे केवल इतना कहना की अनुमति मिल सकती है ? मैं स्वीकार करता हूं, कि जब महात्मा जी जीवित थे उस समय हम जरूर एक विशेष दिशा में बढ़े थे, किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा, कि उनके बाद प्रक्रिया अधोन्मुखी ही रही है। आज हमारी स्थिति यह है कि दुर्भाग्य से देश के कुछ भागों में हम जातिवाद की उस सीमा तक पहुंच चुके हैं जो कि देश के लिए खतरा बन गया है।

श्री शांति भूषण : यह खतरा बन गया है क्योंकि राजनीति में जातिवाद का अत्याधिक इस्तेमाल होने लगा है, क्या कभी कल्पना भी की गई थी, कि जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे ? किन्तु जाति अब अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मैं सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, कि वे अपने दिल पर हाथ रखें, और सोचें कि क्या जातिवाद को पुष्ट करने के लिए अनेक कार्य नहीं किए गए। इसे समाप्त करने के स्थान पर क्या हमने चुनावों और अपने राजनीतिक जीवन में इसे अधिक महत्व नहीं दिया ? यही समस्या है। क्या हमने इस लाइन पर सोचना शुरू नहीं किया है ; ठीक है कि यदि इस कार्यक्रम को मैं स्वीकार करूं और इसका प्रचार करूं, तो मुझे इस और उस जाति के सदस्यों से समर्थन मिलेगा या नहीं अतः ये बातें जाति प्रथा को बनाए रखती हैं, जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं।

किन्तु मैं यह नहीं कह रहा, कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण न्यायोचित नहीं है। मैं केवल यही कह रहा हूं : और जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा वह भी मेरे विचार का ही समर्थन करता है। हरिजनों के लिए आरक्षण काफी समय पहले ही किया गया था। किन्तु अब भी स्थिति क्या है ? हरिजनों की वह स्थिति नहीं है, जैसी की होनी चाहिए थी। फ़िलहाल तो यही स्थिति है।

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलालगंज) : क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि उन्होंने उन्नति की है, इसलिए फिलहाल अभी इसे हटाने का कोई विचार नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : एक मिनट के लिए मेरा कहना यह है कि जब अंग्रेज हिन्दुस्तान से जा रहे थे, तो वे उस समय सभी इंडियंस को नालायक कहते थे। क्या अंग्रेजों के जाने के बाद सभी इंडियन लायक हो गए हैं ? अंग्रेजों के जमाने में जो लोग लायक नहीं थे, वे उनके जाने के बाद सदा लायक हो गए।

सभापति महोदय : आप पहले उनका पूरा भाषण तो सुन लीजिए। कृपया उनकी बात तो सुन लीजिए।

श्री शांति भूषण : मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, वह यह है कि । जाति प्रथा की इस बुराई की जड़ें बहुत गहरी हैं । इसके बहु आगामी रूप हैं । इस पर अनेक मोर्चों पर नियंत्रण करना होगा । केवल आरक्षण से ही इसकी सभी बुराईयों को समाप्त नहीं किया जा सकता । केवल इसी से बुराई दूर नहीं हो सकती क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण करने मात्र से ही बुराई दूर नहीं हो गई । बहुत से काम किये जाने हैं । हमें अपने इस लक्ष्य को आंखों से ओझल नहीं होने देना है, कि हमें अपने समाज को जाति हीन समाज बनाना है । अंततः यही हमारा लक्ष्य होगा । अतः एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है । इस समस्या के समाधान के लिए उसे संतुलित विधि से कार्यरूप देना अपेक्षित है । केवल इसी से विभिन्न जातियों के बीच बंन्धुत्व बढ़ेगा और इसीसे वे अपनी पुरानी जातियां भूल पायेंगे, तथा इन मामलो में उन्हें सहायता मिल पाएगी.....।

श्री आर० एल० कुरील : क्या आप जाति-प्रथा अर्थात वर्ण व्यवस्था समाप्त करने जा रहे हैं ? और ऐसा क्या शीघ्र ही कर लेगें ?

श्री शांति भूषण : कृपया मेरी बात सुन लीजिए । मैं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं । फिर भी कुछ माननीय सदस्य यह कल्पना करने लगते हैं कि कोई वक्ता संभवतः पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का विरोध कर रहा है, और इसीलिए वे बाधा डालने लगते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि..... ।

श्री डी० डी० देसाई : हमें केवल आपकी सहायता की आवश्यकता है कुछ भी हो, हम ईमानदारी से यही महसूस करते हैं कि गांधी जी की मृत्यु के बाद स्थिति उलट होती जा रही है । आज हमारी स्थिति यह है कि जाति-प्रथा अधिकाधिक प्रवल होती जा रही है । इस सम्बन्ध में संविधान में उपबंध हैं । यदि राजनीति या कोई और बात इस संवैधानिक उपबंध के प्रतिकूल हो तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए और जो किया जाना है उसकी व्यवस्था करें । जो भी कानून बनाया जाना अपेक्षित हो, सरकार उसे बनाए ताकि, सभी संवैधानिक उपबंध के अनुरूप हों और आज की भांति ढंग से होने की अनुमति न दी जाए .....

श्री शांति भूषण : जटिल समस्याओं का अत्यधिक सरलीकरण असंभव है । एक ओर कुछ समाधानों में कुछ गुण हैं, और कुछ अवगुण भी हैं । एक ओर यदि कुछ समाधान प्रस्तुत करते हैं, कुछ लोगों के लिए आरक्षण कर समुचित स्थान प्रदान करते हैं, किन्तु इनसे विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति कुछ अन्य प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है और संघर्ष भी पैदा होते हैं । इस प्रकार यह निर्णय करना भी समस्या बन जाता है कि समुचित समाधान क्या है, क्योंकि एक पक्ष को देखते समय हम दूसरे पक्ष को नहीं भूल सकते ।

श्री डी० डी० देसाई : खड़े हुए ।

सभापति महोदय : मैं आपको दो वार बोलने की अनुमति दे चुका हूं, और ऐसा अब संभव नहीं है ।

श्री शांति भूषण : तथ्य तो यह है कि यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है, और यही वह तथ्य है, जो इस बात की जिम्मेदार थी, कि जब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने विचार किया, तो अपने निर्णय में उसे विवश होकर विभिन्न बातें कहनी पड़ी, कुछ बातें एक दिशा की ओर संकेत कर रही हैं, तो दूसरी बातें दूसरी दिशा की ओर संकेत कर रही हैं। बहुत सी बातों पर विचार हुआ था जो सरकारी सेवा में आरक्षण से संबंधित थीं। सर्वप्रथम, सरकारी कर्मचारी जनता द्वारा निर्वाचित विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित विभिन्न नितियों को लागू करने का साधन है। देश बहुत पक्षों में पिछड़ा हुआ है ; विभिन्न जाति और वर्गों को भूल जाइए, जन सामान्य को समग्र रूप में देखें ; तो पाएंगे देश कितना पिछड़ा है। पचास प्रतिशत से भी अधिक लोग अत्यधिक गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यदि आप कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं तो उससे हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम सशक्त होना चाहिए, जिससे ऐसी परिस्थितियों हों जो देश की आर्थिक स्थिति का ऐसा आमूल परिवर्तन कर दें जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति नौकरी पा सके, नौकरी से उसे पर्याप्त आय ही नहीं होगी, वरन् वह ससम्मान जी सकेगा, और अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा और उसे सुविधाएं प्रधान कर सकेगा। ये वे परिस्थितियां हैं जो उत्पन्न की जानी है। ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए कार्यकुशल सरकारी कर्मचारी आवश्यक हैं। यह एक कारण है जिसके लिए संविधान उपबंध करना है कि राज्य के अन्तर्गत रोजगार के अवसर की समानता होनी चाहिए। यह आधारभूत सिद्धांत था, जिसे स्वीकार किया गया था। राज्य के अन्तर्गत रोजगार के अवसरों की समानता से ही समानता का सिद्धांत लागू कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सेवाओं में भर्ती किये जाने वाले अधिकतम सक्षम कर्मचारी होंगे। इस समय नौकर शाही और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कहा जाता है, उसमें काफी उचित भी हैं। जब तक समर्पित, कार्यकुशल और सक्षम कर्मचारी न हों, जो अपना काम जानते हों तब तक विकसित की जाने वाली विभिन्न नीतियां लागू करना कभी भी संभव न होगा, और न ही देश का उस ढंग से विकास न हो पाएगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले और वह सम्मानित जीवन-यापन के लिए पर्याप्त आय प्राप्त कर सके, कहानी का एक पक्ष तो यह है। संविधान को इस दृष्टि से आश्वस्त करना चाहिए कि सरकारी सेवाएं यथासंभव अधिकतम कार्यकुशल हों, और यह तभी हो सकता है, जब समानता का सिद्धांत लागू किया जाए अर्थात् खुली प्रतियोगता की जाए। किन्तु पूरी तरह से ही यदि खुली प्रतियोगता की जाएगी, तो जो शिक्षा आदि की दृष्टि से परंपरागत ढंग से सुविधाओं से मुक्त रहे हैं, उनका एकाधिकार हो जाएगा। यदि आप समुचित रूप से शिक्षित हों, तो स्पष्ट है कि विशेष प्रकार के समाज में आप होशियार हो जाएंगे, आपका सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा, सरकारी कर्मचारी के रूप में प्रभावशीलता भी बढ़ जाएगी, और इसीलिए स्पष्टतः ज्ञान और योग्यता अर्जित करने के अवसरों पर समाज के वर्ग-विशेष का ही एकाधिकार रहेगा। परिणामतः अतिवादी स्थितियों के बीच समझौता किया जाना था। एक अतिवादी मांग करते हैं, कि सरकारी सेवा में भर्ती के लिए कार्यकुशलता मात्र ही अपेक्षित होनी चाहिए। इसके साथ ही दीर्घकालीन हित का ध्यान

रखा जाना चाहिए । हमारे देश में यह विभाजन जाति के आधार पर है । इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न व्यवसायों के आधार पर भी विभाजन हैं ।

व्यक्ति-व्यक्ति की पृष्ठभूमि, धर्म आदि भिन्न-भिन्न हैं । किन्तु जन-सामान्य को वर्गीकृत करने में जाति एक महत्वपूर्ण घटक है । और जब तक ऐसे घटक हैं, जो देशवासियों को विभाजित करता है, वह देश में परंपरित दुर्बलताएं उत्पन्न करता रहता है । देश को मजबूत सशक्त और विकासोन्मुख तभी बनाया जा सकता है ये प्रवृत्तियां समाप्त कर दी जाएंगी, और ये तब तक समाप्त नहीं की जा सकती हैं, जब तक विभिन्न वर्गों में बंटे लोग इस राष्ट्र में जाति भी सम्मिलित है—को यह विश्वास न होगा कि समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए उनके बीच अंतर्निहित सीमाएं नहीं हैं । अतः स्पष्ट है कि कुछ सीमा तक आरक्षण आवश्यक है । कुछ वर्गों का पता लगाया जाना आवश्यक है, अर्थात् यदि वे पिछड़े हैं, और पिछड़ापन लगातार बना हुआ है, और इस प्रकार जाति प्रथा को भी निरंतरित किए हुए है, तो विशेष प्रयास करने होंगे ताकि वे वर्ग उन्हीं बाध्यताओं से पीड़ित न रहें । और इसीलिए आरक्षण की संकल्पना ने जन्म लिया है । और इसीलिए इससे पहले अनुच्छेद 16 बनाया गया । इसमें यह व्यवस्था की गई है, कि गुणता के साथ-साथ पिछड़े वर्गों द्वारा समुचित स्थान लेने के योग्य बनाने के लिए आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा । और अंततः यदि देश की समग्र उन्नति की जानी हो, तो दोनों सिद्धांत के बीच तालमेल आवश्यक है । इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहने का प्रयास किया था, कि इन प्रतियोगी सिद्धांतों में तालमेल बैठाया जाना चाहिए ; और उससे भी अधिक समाज के विभिन्न वर्गों में तालमेल सुनिश्चित किया जाए । यदि हम झगड़ते रहेंगे तो क्या फायदा ? मैं सही हो सकता हूं ; कोई और सही हो सकता है, किन्तु पूरी बात यह है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है । केवल सर्वशक्तिमान भगवान ही जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है क्योंकि विभिन्न पहलूओं पर इतना कहा जाना है, और इनके दोनों पक्षों के बारे में भी इतनी चर्चा की जानी है । यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सही है और कोन बिलकुल गलत । वस्तुतः पूर्णतः उचित और पूर्णतः अनुचित की अवधारण अस्तित्वमान नहीं है । ये सभी सापेक्ष हैं ।

इसीलिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तो यह है कि यदि हम अनावश्यक वाद-विवाद में शक्ति नष्ट न करें, तभी तालमेल बैठा पाएंगे, अन्यथा, कुछ भी नहीं हो पाएगा । वस्तुतः महात्मा गांधी ने बताया था कि हिंसा का मार्ग प्रगति का मार्ग नहीं है ।

यह अहिंसा का मार्ग है, यह सहनशीलता का, समझौते का, उन विभिन्न प्रतियोगी दावों और सिद्धान्तों के एकीकरण का मार्ग है, जिनसे यह मार्ग बना है, जिससे सिद्धान्तों का संघर्ष होता है, प्रतियोगी दावों के बीच संघर्ष होता है और इसी प्रकार की अन्य बातें होती हैं, और एक समन्वित तरीका, एक मध्य मार्ग निकालना होता है । जो समाज के सभी वर्गों को मोटे तौर पर सन्तुष्ट करेगा, क्योंकि जब तक समाज के सभी वर्गों को मोटे तौर पर सन्तुष्ट करने के लिए समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक हम अनावश्यक विवादों में अपनी ताकत बरबाद करते रहेंगे और हरेक पिछड़ा रहेगा । सारा देश पिछड़ा रहेगा ।

मुझे उस बात का स्मरण है, जब विदेशों के अनेक व्यक्ति यह कहते थे कि अनेक शताब्दियों पहले भारत, निश्चित रूप से, सर्वाधिक अग्रणी देश था। यह विश्व का सर्वाधिक अग्रणी राष्ट्र था। ऐसा होने का इसे अधिकार है, क्योंकि यह किसी भी देश द्वारा सृजित सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक सुसंस्कृत सभ्यता को जन्म देने का दावा कर सकता है। (व्यवधान) नहीं, नहीं। यह मध्यकालीन युग नहीं है। मैं प्राचीन धारणा के बारे में बात कर रहा हूं, जबकि जाति प्रथा नहीं थी। वह एक ऐसी संस्कृति है जिसका इस देश में विकास हुआ है। यह देश विश्व में सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्र था। अनेक देशों में लोग इस बात पर आश्चार्य प्रकट करते हैं कि भारत अब पीछे क्यों है, किस वजह से विश्व के अन्य देशों की तुलना में यह पीछे रह गया है। इसकी सुन्दर भोगोलिक स्थिति है, ऐसा अच्छा मौसम है, जो बहुत उत्पादक है, इसके पास उर्वरा भूमि है, सभी प्रकार के प्राकृतिक स्रोत है, बड़ी बड़ी नदियां और ऊंचे पर्वत हैं, सभी पर्याप्त मात्रा में हैं, विद्युत ऊर्जा और सिंचाई के लिए क्षमता है, सभी प्रकार के खनिज और विशाल जनशक्ति है, शान्तिप्रिय लोग हैं, सहनशील लोग हैं जो कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। जहां तक विभिन्न संसाधनों का सम्बन्ध है, ईश्वर इस देश के प्रति काफी दयालु रहा हैं, और यह काफी गम्भीरता से विचार करने का मामला है कि जहां तक राष्ट्रों के समूह का प्रश्न है, यह देश क्यों पीछे है। और एक कारण यह हो सकता है कि कोई ऋसि रहा होगा जिसने — भगवान द्वारा दी गई इन सब चीजों के बावजूद — कोई श्राप दिया होगा कि सभी अच्छे भारतीय लोग विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन होगा, वर्गों के बीच एक दूसरे के प्रति संघर्ष होगा, जिससे उनकी 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत क्षमता एक दूसरे के साथ विवादों में ही नष्ट हो जायेगी, वे यह महसूस नहीं करेंगे कि इन विवादों से सभी वर्गों का विनाश होगा। किसी प्रकार अगर हम विभिन्न वर्गों के बीच इन विभिन्न विवादों को भूल जांय, चाहे वे धर्म, क्षेत्रीयता या जाति के आधार पर हों और यह सोचते हुए कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और अपने में से प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए हम सभी को एक साथ प्रयास करना है, हमें पूरी तरह एक हो जाना है, तभी शायद एक बहुत ही थोड़े समय में भारत एक भिन्न भारत बन सकता है। परन्तु वह एक सवाल है। एक जादूगर यहां पर आये और एक फार्मूला तैयार करे। (व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये। (व्यवधान)**

श्री शान्ति भूषण : हमें यह आशा करनी चाहिए कि आरक्षण के इस अत्यधिक जटिल प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है, जिसने देश के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में सही या गलत तरीके से भावनाओं को भड़काया है, जिससे इस देश के लोगों की शक्ति नष्ट होती है, जिससे देश अधिक पिछड़ता जा रहा है, फिर भी इस पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के गठन के बाद और देश के विभिन्न वर्गों के बारे में पिछड़े वर्गों सम्बन्धी प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद, विभिन्न वर्गों के व्यक्ति इस बात को समझेंगे और यह महसूस करेंगे कि संघर्ष का मार्ग अपनाने से सम्पूर्ण देश

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

का केवल विनाश होगा । यह समझौते का मार्ग है, यह आधुनिकीकरण का मार्ग है, यह समझौते का ही मार्ग है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग में बेहतरी हो सकती है ।

इसलिए, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पिछड़े वर्गों का पता लगाने की, उनके पिछड़ेपन के कारणों का और एक ऐसे फार्मूले का पता करने की आवश्यकता है, जिससे सभी प्रकार के मतों के लोगों को राजी किया जा सके और अन्ततः ये समाधान प्रवर्तन की भावना से नहीं, बल्कि पारस्परिक प्यार और स्नेह की भावना से समाज के विभिन्न वर्गों को स्वीकार्य हों । अगर ऐसे आदमी हैं, जो इन चीजों से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं, जो कुछ विचारों को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे है, इसलिए नहीं कि इससे सारे देश का वस्तुतः भला होगा, बल्कि इससे उन्हें इस वर्ग या उस वर्ग के उन्हें वोट प्राप्त हो सकेंगे । इसलिए मैं उनसे यह अपील करूंगा कि उन्हें देश के कल्याण हेतु अपने आप प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें यह महसूस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वे अपनी जनता के साथ क्या नुकसान कर रहे हैं जो उसके बाद होगा और उनके बच्चों, उनके पोत्रों के साथ क्या होगा । अपने छोटे से उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अगर हम देश के वास्तविक हित की परवाह नहीं करते और ऐसे विवादों को पैदा करते हैं, जो आगे आने वाले बहुत लम्बे समय तक बने रहें, तो देश के लिए प्रगति कर सकना बहुत कठिन होगा । जहां तक इस देश में राजनीति का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से, स्वयं लोकतन्त्र ने इस देश की जनता के साथ बहुत भलाई की है, परन्तु इसके साथ ही, राजनीति ने कुछ ऐसी ताकतों को भी जन्म दिया है जिनमें लोग अपने वास्तविक हित को भूलने लगते है । वे अपने संकीर्ण हित पर अधिक ध्यान देते हैं । वोटों की राजनीति भी सामने आने लगती है और लोग अत्यधिक तेज रूप में सोचने लगते हैं जिससे उन्हें अधिक वोट मिल सकें और इस प्रक्रिया में वे भूल जाते हैं कि वे अपने देश के साथ अथवा स्वयं अपने भाइयों के साथ, अपनी स्वयं की जाति के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं । व्यक्तिगत हित आदि की इस भावना को दबाया जाना चाहिए । यह मेरी गम्भीर अपील है । इसके साथ ही, सरकार को इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि इस देश में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिनका समुचित रूप से पता लगाने की आवश्यकता है ; और उनके लिए कुछ विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है परन्तु वह तरीका इस तरह का होना चाहिए कि वास्तविक उद्देश्य भी समाप्त न हो । हम उद्देश्य की उपेक्षा नहीं करेंगे, साधनों को लक्ष्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । इस देश में एक वर्गहीन समाज, एक समृद्ध समाज एक अत्यधिक विकसित समाज स्थापित करने का हमारा निश्चित लक्ष्य है । उस स्थिति के लिए सभी परिस्थितियां तैयार हैं । हमें यह देखना है कि इस देश के सामने जो समस्यायें आ रही हैं, उनका समुचित भावना के साथ समाधान किया जाय । वास्तविक फार्मूले की अपेक्षा भावना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वह 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 15 प्रतिशत हो और इसी प्रकार अन्य कुछ हो । इस प्रतिशतता से बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है । बहुत अधिक फर्क जिससे पड़ने वाला है, वह है उस प्रकार की भावना जो हम समाज में स्थापित करेंगे । निश्चित रूप से, परिस्थितियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलती रहती है । विभिन्न राज्यों में भी काफी कुछ किया गया है, फिर भी काफी कुछ करना बकाया रहता है । यह एक ऐसा देश है, जिसमें परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पृथक पृथक हैं और इसलिए, एक फार्मूला प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं हो

सकता आदि आदि। इसलिए, बहुत गहन विचार, बहुत व्यापक विचार इस विषय पर किये जाने की आवश्यकता है, इसलिए प्रत्येक वर्ग यह महसूस कर सके कि सही न्याय किया जा रहा है। जिसकी वस्तुतः जरूरत है, वह किया जा रहा है। काफी प्रचार भी किया जा रहा है। लोगों का समाधान करना होगा। कई लोगों को जानकारी नहीं है और समाज के अनेक वर्ग अनविज्ञ हैं। वे इन बातों को नहीं समझते। यह बात बताई जानी है। यह उन्हें स्वीकार्य करानी होगी। जब तक कुछ समाधानों को सभी लोगों को स्वीकार्य नहीं कराया जाता- उनसे कभी भी कोई मतलब हल नहीं होगा, सिवाय इसके कि उससे राजनैतिक प्रचार होगा जिससे कुछ लोगों को इस वर्ग के और उस वर्ग के वोट मिल सकें। आदि आदि। इस देश की राजनीति का जितना अधिक ध्रुवीकरण जाति के आधार पर होगा, उतना ही अधिक खतरा इसे सारे देश के लिए उपस्थित होगा। इसलिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और इस विधेयक के प्रस्तावक से अपील करता हूं कि पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है और वह विभिन्न जटिलताओं की सम्पूर्ण व्यापकता, विचारों और तथ्यों का अध्ययन करेगा। हम सभी को उस दिशा में प्रयास करने चाहिए-जिससे सौहार्य की भावना से पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग से कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा ही, जैसा कि हरिजनों आदि के मामले में आरक्षण किया गया था। उसके बारे में कोई वास्तविक विवाद नहीं है। ऐसा किया गया है। इसका काफी परिणाम निकला है। सारा परिणाम अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, परन्तु फिर भी हम अस्पृश्यता की समस्या का समाधान करने के मार्ग पर हैं आदि आदि। इसलिए, पिछड़ेपन की इस समस्या का समाधान उपयुक्त समय पर होगा। परन्तु इसका समाधान केवल समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्य की भावना से ही हो सकता है।

इन शब्दों के साथ, इस विधेयक के माननीय प्रस्तावक से मैं अपील करूंगा कि वे अपने विधेयक पर जोर न दें और अपने विधेयक को वापस ले लें, जिससे पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग अपना काम करता रह सके। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का भली भांति अध्ययन करने के बाद, एक ऐसा उचित फार्मूला तैयार किया जा सकता है जो सारे देश को स्वीकार्य हो। केवल तभी पिछड़े वर्गों के हितों को एक वास्तविक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, न कि राजनैतिक प्रचार के माध्यम से।

सभापति महोदय : श्री विनायक प्रसाद यादव।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, क्या इस विधेयक पर और बहस नहीं चलेगी ? इस पर बहस जारी रहनी चाहिए।

चौधरी बलबीर सिंह : सभापति महोदय, और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दें।

श्री आर० एल० कुरील (मोहनलालगंज) : मैंने इस पर एमेंडमेंट दिया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पिछले बार की प्रोसीडिंग्ज को देखें। यह तय किया गया था कि पहले श्री महीलाल की स्पीच होगी, उसके बाद मिनिस्टर साहब इन्टरवीन करेंगे और फिर मूवर साहब जवाब देंगे। पहले ही यह फैसला हो चुका है।

श्री आर० एल० कुरील : मंत्री महोदय ने बड़ी डैकोरेटिव स्पीच दी है और गलत चीजों को डेकोरेट करके पेश किया है। क्या हमें उनकी कान्ट्राडिक्ट करने का अधिकार नहीं है ?

सभापति महोदय : यह अधिकार मूवर को है। श्री यादव।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया है, उसके बारे में मैं बाद में निवेदन करूंगा। जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संविधान (संशोधन) विधेयक पर हुए वाद-विवाद में हिस्सा लिया है और बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उनके प्रति मैं आभारी हूं।

सब से पहले मेरा निवेदन यह है कि मेरा मकसद या आशय किन्हीं वर्गों या जातियों के प्रति कोई दुर्भावना व्यक्त करने का नहीं था। मैंने अपने बिल के उद्देश्यों या अपने भाषण में जो कुछ कहा है, वह कोई दुर्भावना के दृष्टिकोंण से नहीं कहा है, बल्कि भारतीय समाज और प्रशासन में जो कठोर सत्य है, उसका इजहार किया है। इसलिये मैं सब से पहले यह साफ कर देना चाहता हूं — यदि किन्ही माननीय सदस्य पर मेरे कथन का ऐसा प्रभाव पड़ा हो, तो मैं उस के लिये क्षमा प्रार्थी हूं।

सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक पर अपने विचार रखते हुए यह कहा है कि बिल में सभी को रोजगार देने की गारन्टी होनी चाहिये थी। इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि जितने भी स्वस्थ लोग अपने देश में हैं और काम करना चाहते हैं सभी को रोजगार, यानी काम पाने का मौलिक अधिकार होना चाहिये। सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि सभी को काम दे। लेकिन जहां तक मौजूदा विधेयक का सवाल है, इसका सम्बन्ध भारतीय समाज के उन वर्गों से है जो भारतीय समाज के विकास में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से हजारों वर्ष पीछे छोड़ दिये गये हैं, बल्कि यों कहिये धक्का दे कर पीछे कर दिये गये हैं। उन्हें पड़ने-लिखने से महरूम रखा गया, ज्ञान की बातों से अलग रखा गया। इसीलिये आजादी के 30 वर्षों के बाद भी उनका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में नगण्य हो गया। इस का मूल्य राष्ट्र को बहुत बार चुकाना पड़ा है जब विदेशियों ने इस देश पर आक्रमण किये तो मुट्ठी भर आदमी उनका मुकाबला करने जाते थे और बाकि ये यह आबादी चुपचाप तमाशा देखती थी। उन को कहा गया था कि देश की रक्षा उनका काम नहीं है, वह तो क्षत्रीय का काम है, पढ़ना-लिखना और राज चलाना उनका काम नहीं है, वह तो ब्राह्मणों का काम है। इसी का नतीजा था कि पानीपत की लड़ाई में सिर्फ 1200 विदेशी फौज ने हिन्दुस्तान को हराकर गुलाम बना लिया। इसके पहले भी जब सिकन्दर ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था, तब भी भारतीय सेना भाग खड़ी हुई थी। ऐसे दर्जनों मिशाल है। जब इस जाति व्यवस्था के चलते देश को विदेशियों के सामने घुटने टेकना पड़ा।

सभापति महोदय, वर्ण व्यवस्था ने अधिकांश आबादी को राज-काज की व्यवस्था से, इज्जत की जगहों से अलग कर दिया था, नतीजा यह हुआ कि देश दर्जनों बार गुलाम हुआ। मैं अभी माननीय शान्ति भूषण जी के भाषण को बड़े गौर के साथ सुन रहा था। हम को भाषण

सुनने के वक्त ऐसा लगा — जब हम लोक सभा में आते हैं तो सैन्ट्रल हाल के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है :—

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे यह सूत्र इन्हीं का लिखा हुआ है ।

सभापति महोदय, वास्तव में यह सूत्र जिनका है, मैं उन्हीं की लिखी हुई किताब से कुछ पढ़ कर सुनना चाहता हूं —यह किताब है—मनुस्मृति । अभी कानून मंत्री जी ने कहा कि जातिव्यवस्था और वर्णव्यवस्था कोई जन्म से नहीं है । माननीय कानून मंत्री जी मुझ से ज्यादा विद्वान हैं और जिनका लिखा हुआ यह सूत्र है—शायद उन को भी वे अपना पूज्य मानते होंगे । उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मुख, बाहु, पेट और पैर से चार वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शुद्ध उत्पन्न किये । ब्राह्मणों के लिये पढ़ना-लिखना, यज्ञ करना, दान लेना, दान देना—ये 6 कर्म नियत किये गये हैं । क्षत्रिय के लिये प्रजा रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, विषयों से दूर रहना—आदि क्रम नियत किये गये हैं । वैश्यों के लिये पशु-पालन, दान देना, वेदाध्यन, कृषि और व्यापार आदि विधान है । और शुद्रों के लिए इन तीन जातियों की सेवा करना माना है । यह मनु भगवान का लिखा हुआ है । मनु भगवान कहते हैं कि चारों चार जगहों से पैदा हो गये और मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और पैदा होते ही विद्वान बन गया जो पैर से निकला उस के बारे में भगवान मनु कहते हैं कि उस को कभी ज्ञान मत सुनने दो और अगर सुन भी ले तो कान में शीशा डाल दो । हम कानून मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कानून की किताबें तो उन्होंने बहुत पढ़ी हैं, मनु भगवान का जो बनाया हुआ कानून है, उसको भी पढ़ लें, तो मालूम पड़ेगा कि यह जो रिजर्वेशन वाला सवाल है यह कैसे हल किया जाएगा और इस देश में कास्टलैस सोसाइटी कैसे कायम होगी । सिर्फ गांधी जी, का नाम लेने और वर्ण समन्वय की बात करने से यह कष्ट खत्म होने का नहीं है ।

सभापति महोदय, नौकरी में जो संरक्षण का प्रश्न है, वह बेरोजगारी मिटाने का नहीं है बल्कि आबादी के हर हिस्से की राजकाज में साझीदारी का है, उन्हें यह अहसास कराना है कि देश में प्रजातंत्र है और राजकाज में सभी की हिस्सेदारी है । यदि ऐसा नहीं होगा, तो फिर देश गुलाम बन सकता है, दर्जनों बार गुलाम बन सकता है । मुट्ठी भर आबादी, जिनकी मोनोपली सरकारी नौकरियों में हैं, उनका जुल्म और अत्याचार चलता रहेगा इस देश की आबादी के बड़े हिस्से पर । अभी कानून मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमारा मकसद होना चाहिए, इस देश में अल्टीमेट मकसद यह होना चाहिए कि कास्टलैस सोसाइटी कायम की जाए । हम लोगों ने मार्क्स को पढ़ा है । मार्क्स ने कहा था कि दुनिया में क्लासलैस सोसाइटी कायम करनी चाहिए और यह कैसे कायम होगी । इसके लिए मार्क्स और एंजिल्स ने लिखा था, मार्क्स ने कहा था कि क्लासलैस सोसाइटी बनाना चाहते हो, तो क्लास स्ट्रगल को तेज करो, खूब धुंआदार स्ट्रगल करो और क्लास स्ट्रगल को तेज करने के बाद क्लासलैस सोसाइटी कायम होगी । मैं कानून मंत्री जी से पूछना

चाहता हूं, उनका बहुत नोबिल आइडिया है, और कोई भी आदमी जिस में थोड़ी सी भी सैन्स होगी, वह कानून मंत्री जी की बात से तफरका नहीं रख सकता कि क्लासलैस सोसाइटी कायम होनी चाहिए लेकिन होगी कैसे, मैं पूछना चाहता हूं कास्ट कोलाब्रेशन से होगी? अभी कोई जज का सवाल आता है, तो किस का प्रोमोशन होगा। किसी के स्वार्थ पर कुठाराघात होता है, तो फिर लड़ाई होती है, सारी चीजें होती हैं। आज मुट्ठी भर लोग इस देश में 90, 95 परसैन्ट जगहों पर दखल किये हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कैसे कास्टलैस सोसाइटी कायम करने के लिए काम करेंगे। इतने बड़े स्वार्थ की लड़ाई है। स्वार्थ पर कुठाराघात करने के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत कास्ट स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है और उससे यदि घबड़ाएंगें, तो इस देश में जो मोनोपली है, वह कभी नहीं टूटेगी। इस देश में हजारों वर्षो से जो लाखों हरिजनों को सरकारी नौकरियों में दखल नहीं देने दिया गया है. वह कभी भी बराबरी में नहीं आ सकते। मैं नम्रता के साथ अपने कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं की अभी उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन हरिजनों के लिए हुआ लेकिन फिर भी उन की ज्यादा तरक्की नहीं हुई लेकिन जो भी थोड़े बहुत हरिजन बढ़े हैं, वे रिजर्वेशन के चलते ही बढ़े हैं, यह मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह भी कहूंगा कि अगर सरकार 30 साल तक ईमानदारी से काम करती और रिजर्वेशन को मुस्तैदी से लागू करती, और जो यह 15 परसेन्ट या 11 परसेन्ट रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसको एन्फोर्स करती, तो यह स्थिति नहीं होती। हमारे कानून मंत्री जी ने कहा है कि बाबा अम्बेडकर साहब बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने यह भी बताया है कि कालेज में उनको पानी तक नहीं दिया जाता था और पानी फैंक दिया जाता था, ऐसी स्थिति थी। पानी के लिए यह स्थिति थी। ये कहते है कि देश बदल गया है लेकिन मैं कानून मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब पर रोटी का टुकड़ा फेंका जाता था या पानी फेंका जाता था ; लेकिन इस देश में जो दूसरे सबसे बड़े अम्बेडकर हैं, सब से बड़े नेता हैं—बाबू जगजीवन राम जी, उनके साथ बनारस में क्या हुआ ? उनके पत्थर की मूर्ति छूने पर उसे 12 बार गंगा जल से धोया गया। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके जरिये से कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे गफलत में न रहें ' हिन्दुस्तान आज भी जाति के मामले में, वर्ण के मामले में वहीं पर है जहां पांच हजार वर्ष पहले था। यदि हम इस जाति-पांति को, जाति-पांतिके झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं तो वास्तविकता को हमें फेस करना चाहिए। इसके नाम पर जो झगड़े और मार-पीट होती है उसे भी फेस करना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे समाज में सुधार आयेगा। जब तक संघर्ष नहीं होगा, थोड़ी बहुत लड़ाई, नहीं होगी परिवर्तन का चक्का आगे बढ़ नहीं सकेगा।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक आधार क्राइटेरिया होना चाहिए। मंत्री जी ने भी इस ओर इशारा किया था। मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि संविधान में इकोनोमिक क्राइटेरिया कहीं नहीं है सभापति महोदय मैं मनुस्मृति से उद्धृत करना चाहता हूं—मनुस्मृति में लिखा हुआ है—

"शूद्र को बुद्धि न दे और उसे उच्छिष्ट तथा हविष्कृत नहीं देवे। शूद्र को धर्म का उपदेश नहीं देवे और व्रत का भी आदेश नहीं करना चाहिए। जो कोई शूद्र को धर्म की बात करता है

और व्रत का आदेश दिया करता है वह उसके साथ असंवृत नाम वाले तम में डूब जाता है।"

सभापति महोदय, इस के साथ ही मैं एकलव्य की कहानी आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि एक फिशरमैन, मल्लाह का लड़का द्रोणाचार्य के पास गया और कहा कि मुझे बाण चलाने की शिक्षा दे दो। इस पर उन्होंने कहा कि हम मल्लाह के लड़के को शिक्षा नहीं दे सकते। वह मल्लाह का लड़का द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर जंगल में बैठ गया और बाण विद्या सीखने लगा। वह कुछ समय के पश्चात् बाण विद्या में पाण्डवों से भी तेज हो गया। जब वह बाण चलाने में तेज हो गया तो द्रोणाचार्य के पास गया और कहा कि हम आपकी मूर्ति से बाण चलाना सीख गये हैं। मुझ से गुरुदक्षिणा लें। द्रोणाचार्य ने यह सुना और उससे कहा कि तुम अपना अगूंठा काट कर दे दो। मल्लाह का लड़का मूर्ख था। उसने अंगूठा काट कर दे दिया। उसके बाद वह जिन्दगी भर बाण नहीं चला सका।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जो संविधान संशोधन विधेयक लाये हैं वह इसी उद्देश्य से लाये हैं कि अगर आपको इस देश में जाति-पांति को मिटाना है तो निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरियों में से ऊंची जाति के लोगों की मोनोपली को खत्म करना होगा। राजनीतिक पार्टियों को नेतागिरी ऊंची सरकारी नौकरियों, पलटन की पसरी से व्यापार और सभी ऊंची और इज्जत की जगहों पर देवें कुचले लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में जगह देनी होगी तभी इस देश में कास्टलैश सोसायटी कायम होगी और राष्ट्र का सर्वांगीन विकास होगा।

मैं आपका अधिक वक्त लेना नहीं चाहता हूं। मैं कानून मंत्री से निवेदन करता हूं कि इसको मान करके वह इस देश से जातपात को मिटा दें।

सभापति महोदय : क्या आप इसको वापिस लेना चाहते है ?

श्री विनायक प्रसाद यादव : आपका मन देखते हुए मैं इसको वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताब स्वीकृत हुआ

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : अब हम मद सं० 8—श्री डी० डी० देसाई के जाति उल्लेख पर रोक सम्बन्धी विधेयक पर आते हैं।

जात-पात के उपदर्शन का प्रतिबन्ध विधेयक

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नाम के साथ जाति, धर्म, समुदाय या प्रदेश आदि उपदर्शित करने के प्रतिषेध का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आज भारत अपने आप में ही बंटा हुआ है तथा माननीय मंत्री ने हमारे गौरवमय अतीत के बारे में कुछ संदर्भ दिये हैं और मैं बाद में इसके बारे में उल्लेख करूंगा।

महोदय, मुझे कई बार दुनिया भर में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां जाति, धार्मिक नाम हों तथा इस प्रकार की बातें हों जिन्होंने हमारे निर्धन देश को विभक्त किया है। भगवान ने मनुष्य की रचना की। उसने किसी पर न तो जाति की ही छाप लगाई और न ही उसने उसे कोई विशेष नाम आदि दिया। यह मामला केवल मनुष्य का बनाया हुआ है तथा हमें अनुभव करना चाहिए कि हमने जो कुछ भी किया है, क्या इसका कोई उपयोग है अथवा हमारे समाज को यह किस सीमा तक नुकसान पहुंचा रही है।

महोदय, आदि मानव पहले शिकारी थे, तथा उन्हें खेती करना भी नहीं आता था तथा हम सब जानते हैं कि उस समय एक वर्ग के लोग थे। हमने देखा है कि जैसे समाज का विकास हुआ, कुछ जनजातियां आगे आई और इन जनजातियों के अपने सरदार थे और ये सरदार कुछ व्यवसायों में, कामों तथा क्रियाओं में इन जनजातियों का नेतृत्व करते थे। उस समय में भी कोई जातियां नहीं थीं। तब जनजातियां थी, किन्तु दुर्भाग्यवश ये जनजातियां आपस में लड़ा करती थीं, किन्तु इस बात के लिए हम आज उतने चिन्तित नहीं हैं। उसके बाद मानव के लक्षण विकसित हुए जो द्रविड़, आर्य आदि से मिलते जुलते थे।

श्री मही लाल : देसाई जाति सूचक है या नहीं ?

श्री डी० डी० देसाई : 'देसाई' एक उपाधि है। 'देश' का अर्थ देश है तथा 'आय' का अर्थ राजस्व है। यदि यह जाति के अर्थ में आता है तो हमें "देसाई" शब्द भी छोड़ देना चाहिए। आर्य वंश में भी कोई जाति नहीं थी ; और न ही वे ऐसा कोई नाम लगाते थे जैसा आजकल पहले लगा रहे हैं। यदि सबूत चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि आर्य लोग केवल भारत में ही नहीं रहते हैं। ईरान तथा अन्य देशों में भी आर्य लोग हैं, और हम देखते हैं कि इन आर्यों में से किसी भी देश में, ईश्वर द्वारा परित्यक्त भारत जैसे देश जैसी कोई जाति प्रथा नहीं है।

वैदिक युग में भी कोई जाति नहीं थी तथा बाद में भारत की साख बढ़ने के परिणाम-स्वरूप भारत का महत्व दुनिया भर में इस सीमा तक बढ़ गया कि प्रयेत्क व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। प्रो० पारकिन्सन ने पूर्व और पश्चिम की एक बहुत ही रोचक कहानी में बताया है कि ईसा से 250 वर्ष पूर्व तथा ईसा से 850 वर्ष बाद तक के 1,100 वर्षों में भारत ने दुनिया पर

शासन किया, जैसा कि कोई अन्य देश नहीं कर पाया। वह कहते हैं कि सोवियत रूस ने 150 वर्ष, अमरिका 150 वर्ष, युनाइटेड किंगडम 250 वर्ष तक दुनिया पर शासन किया है, किंतु दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने दुनिया पर लगातार 1,100 वर्षों तक शासन किया हो। और भारत ने तलवार के बल पर शासन नहीं किया, अपितु अपने धर्मप्रचारक भेजकर, सेवाओं का विस्तार करके किया, जिसके लाभ आज हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म आज जापान, मंगोलिया तथा दूर-दूर के देशों में फैला हुआ है, और यदि भारत की कोई छवि इस समय विदेशों में है तो वह इसी कारण से है।

प्रो० पारकिन्सन का कहना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय लंदन में एडमायरल्टी की इमारत का आकार भारत द्वारा लंका जैसे छोटे देश में अनुराधापुरा में प्रशिक्षण के लिए बनाये गए विस्तार भवन से छोटा था। अन्य शब्दों में उसका कहना है कि भारत ने श्री लंका के लिए शिक्षा तथा औषधि के शिक्षण के लिए एक इतनी विशाल इमारत का निर्माण किया।

जब मैं पहली बार जापान गया, तो उन्होंने मुझे एक फल दिखाकर पूछा कि आपके यहां इसका क्या नाम है ? मैंने कहा कि भारत में हम इसे सपरचन्द अथवा सेव कहते हैं। उन्होंने बताया : "हम इसे हिमालय का फल कहते हैं। लगभग 2,000 वर्ष पहले पूर्व बौद्धों द्वारा इसे यहां लाया गया था, और यह आज भी हमारे यहां मिलता है। इसे हिमालय का फल कहा जाता है।"

यह सेवा प्रसार ही है आज जिसकी नकल मिशनरियों द्वारा की गई है। आज हम मिशनरियों के विरुद्ध अनेक बातें कर रहे हैं, किंतु प्रो० पारकिंसन ने कहा है कि ईसाइयों ने मिशनरी व्यवस्था बौद्ध धर्म की प्रसार सेवा की नकल करके सीखी। उन्हे इसके बारे में पहले मालूम नहीं था।

हमारा दुर्भाग्य, हमारा ह्रास ईसा के पश्चात 850 में शुरू हुआ। विश्व में हमारा महत्व समाप्त हो गया, तथा हमारी स्थिति विकृत हो गई। यह उस समय की बात है जब शंकराचार्य को उनके स्वयं के विचारों से, उनके स्वयं के विरोध तथा द्वन्द्वात्मक तर्कों के आधार पर ख्याति मिली जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म को बाहर निकाल दिया तथा वर्णाश्रम तथा जातिवाद के साथ, जो आधिमानतः भारत में समाप्त हो चुकी थी, हिन्दुत्व को वापस ले आये। जब यह विकास हुआ, कुछ लोगों ने मुसलमानों का पक्ष लिया, और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। 1,100 वर्षों तक हमारे ऊपर उन लोगों का शासन होता रहा जो हमेशा यह सोचते रहे कि भारत इतना ज्यादा समृद्ध देश है।

उन्होंने यह भी बताया है कि भारत समृद्ध क्यों था। ईसा से 250 वर्ष पूर्व तथा ईसा से 850 वर्ष बाद तक, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल की बिक्री अन्य देशों के माल से 25% अधिक बिक्री होती थी। इससे प्रकट होता है कि भारत का अतीत गौरवमय था तथा यह बात अकारण नहीं थी, अपितु यह निश्चय एकरूपता में से थी, हमारे देश को प्राप्त कुछ प्राकृतिक लाभों

से थी । हम इन लाभों को खो चुके हैं, क्यों ? इसका कोई कारण नहीं है । आज ऐसा क्यों है कि हमारे स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम कष्ट भोगते जा रहे हैं ? यही वह मुद्दा है जो हमें सबसे अधिक उत्तेजित कर रहा है । स्वतन्त्रा प्राप्त हुये 30 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं तथा चाहे कांग्रेस सरकार हो या जनता सरकार या कोई अन्य सरकार हो, किसी न किसी तरह, हम उस परिधि से बाहर नहीं आ रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने लोगों की दशा सुधार सकें । हमारे माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि जाति प्रथा को समाप्त करना आसान नहीं है । मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है । महात्मा जी ने इसके लिए प्रयास किया और इसके लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे । किंतु मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ योगदान दिया तथा वह मूल्यवान था तथा आज हम उसे बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं । इसी कारण मैंने यह सुझाव दिया है ।

जैसा कि विश्व के अन्य हिस्सों में है, हमें कोई जाति-प्रथा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जाति-प्रथा से किसी भी रूप में कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है । ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्गों को लाभ हो । यह कठिन नहीं है । आज यदि कोई दक्षिण भारत में जाता है तो वह देखेगा कि वहां पर ब्राह्मण संकट में हैं । क्यों ? वे कहते हैं कि प्रारम्भ के वर्षों में, वे सरकारी सेवाओं में हुआ करते थे तथा ब्राह्मणों का प्रभुत्व इतना था कि अन्य लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और जब शासन में इन लोगों का अधिक्य है, तो वे ब्राह्मणों के पीछे पड़ गये तथा उन्होंने दक्षिण भारत से इनका पीछा किया है । ऐसा लगता है कि एक ब्राह्मण लड़के को कुछ स्कूलों तथा कालेजों में दाखिला नहीं मिलता । फिर भी ब्राह्मण भी तो भारतीय हैं । ब्राह्मणों तथा अन्य किसी के विरुद्ध हमारी कोई शिकायत नहीं है । बात यह है कि भारत को इसकी ख्याति तक किस प्रकार से वापस लाया जा सकता है तथा भारत को समविन्त करके तथा इसके विकास से मिलने वाले लाभों से ब्राह्मणों के हितों की अच्छी रक्षा की जा सकती है ?

यहां मैं एक छोटी बात बताना चाहूंगा । दुर्भाग्यवश लोग यह महसूस नहीं कर रहे कि एक गुट बनने जा रहा है । देश के सबसे उत्तरी भाग में, कश्मीर से देश के सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी में, द्वारिका से मणिपुर तक ब्राह्मण यह महसूस करते हैं कि उनकी एक बिरादरी है तथा इस बात की परवाह किये बिना कि वह किस भाग से आ रहा है, यदि वह ब्राह्मण है, तो उसकी पदोन्नति कर दी जाती है । 30 वर्ष पहले जब हमने इसे समाप्त करना शुरू किया, हमारे समक्ष एक स्थिति थी जो इतनी बुरी नहीं थी । 1947 के आसपास जब संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी तथा उसके बाद जब श्री बैनर्जी को उसका कार्यभार सौंपा गया, उन्होंने 17,000 लोगों की भर्ती की तथा ये लोग आज उन्नत स्थितियों में हैं । तब से, भर्ती को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि किसी भी तरह, यदि वह चैटर्जी, अय्यर, आयंगर, भट्ट त्रिवेदी, अथवा द्विवेदी हैं, तब इन लोगों को अवसर मिलता है । इस प्रकार की बात हुई तथा उसके बाद में भी यह हो रही है । आज हम कह रहे हैं कि हम हरिजनों को कुछ लाभ दे रहे हैं । लाभ क्या है ? फिर भी, हमें यह जरूर महसूस करना चाहिए कि वे हजारों वर्ष तक अत्यधिक दबे रहे हैं अथवा दबाए गए हैं और यदि यत्र-तत्र कुछ अवसर दिए जाने से, हम कोई महान् कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा सोचना हमारे चिन्तन की विकृति होगी । जो कुछ हम उनके

लिए कर रहे हैं यह उसके साथ किए गए के जुर्माने के बराबर भी नहीं है यह कुछ ऐसे है जिसे मैं आगे बताना पसन्द नहीं करूंगा ।

साधारण तौर पर मैं मात्र यही कहना चाहूंगा ? अभी-अभी माननीय मन्त्री ने कहा है कि उन्होंने उन्हें नौकरी दी है । हमारी संसद के बहुत ही पास में, किसी डाकघर में—मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा है—एक हरिजन लड़की को नौकरी दी गई तथा दो सहयोगियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया तथा पुनः सहायक पोस्टमास्टर ने बलात्कार किया । दिल्ली के सबसे पास में ये बातें होती हैं । आप कल्पना कर सकते हैं कि अन्य केन्द्रों में क्या हो रहा है जहां हरिजन पृथकरण परिस्थिति में हैं । दुर्भाग्यवश हमारी यह स्थिति है । अतः मैं कहूंगा, कि इसके बारे में हम जितना सोचते हैं, हमें उतना ही ज्यादा दुःख होता है । यह जानने के लिए ज्यादा समझ की आवश्यकता नहीं कि अमुक व्यक्ति ब्राह्मण है , अमुक इस-इस जाति से सम्बन्ध रखता है । दुर्भाग्यवश यह उस सीमा तक जा चुका है कि यह हमारा अनादर करता है ।

चुनाव जाति के आधार पर लड़े जाते हैं ; राजनीति में भी जाति पर जोर दिया गया है । इसने और समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं । मन्त्री महोदय इस बात को मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं । यदि हम देश की एकता बनाए रखना चाहते हैं, यदि हम एक वर्ग हीन समाज चाहते हैं तथा हम देश के विकास का लक्ष्य रखना चाहते हैं तथा यदि हम लोगों में सौहार्द लाना चाहते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हमें इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न नहीं करने चाहिए जो देश की उन्नति में अनावश्यक व्यवधान बनें । महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों तथा सरकार से, यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने नाम से पहले अथवा बाद में जाति नाम हटा देना चाहिए ।

अन्ततोगत्वा, धारणा कुछ भी हो, यदि आप सिर्फ देखें कि इसके लिए कि यह कौन है जानने के लिए ज्यादा ज्ञान अथवा बुद्धि की जरूरत नहीं है । यदि वह "भट" है, हम जानते हैं कि वह ब्राह्मण है, यदि वह "पटेल" है तो हम जानते हैं कि वह क्या है । यदि यह जाति नाम कुछ और है तो हम जानते हैं कि वह कौन है । यह एक मुद्दा है जिस पर विचार होना चाहिए ।

अब, एक दूसरा मुद्दा है । दुर्भाग्यवश धर्म भी, किसी न किसी रूप में, खेल में आ गया है । उदहारण के तौर पर, हमारे यहां "जैन" हैं । सभी जानते हैं कि एक "जैनी" एक निश्चित धर्म से सम्बन्ध रखता है । एक "जैनी" दूसरे "जैनी" की सहयता करेगा ! यह भी एक ऐसी बात है जो राष्ट्र-हित के पक्ष में नहीं जाती ।

क्षेत्रीय परेशानियां भी हैं । हमारे सामने पहले से ही काफी क्षेत्रीय समस्याएं हैं । यदि हम उनका नाम दर्शाते हुए बल देते हैं तो हमें उससे भी दुःख पहुंचेगा । हमारे अधिकांश देवताओं की जातियां नहीं हैं । हम सभी जानते हैं "राम" क्या है तथा "कृष्ण" क्या हैं । यह बताने के लिए कि "राम" कौन हैं तथा "कृष्ण" कौन हैं, किसी उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए यदि किसी व्यक्ति को यह भय है कि अपने नाम से प्रत्यय अथवा उपसर्ग लगाए वगैर उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है तो मैं समझता हूं

कि वह किसी धोखे का शिकार है। उदाहरण के लिए पंजाब में अकाली हैं, वे "सरदार" लिखते हैं। "सरदार" का अर्थ क्या है ? किसी चीज़ की जब तक निश्चित व्याख्या नहीं है, तो वह कुछ नहीं है। फिर भी उनकी एक प्रकार की मान्यता चलती रहती है। अतः मैं कहूंगा कि यदि नाम के साथ प्रत्यय अथवा उपसर्ग नहीं है तो पहचान बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकती। यह पूरी तरह से अनावश्यक है। इन बातों पर ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ज्यादा महत्व दिया गया था क्योंकि उनकी धारणा फूट डालने की थी। वे भारतीय जनता को शांति, एकता एक दूसरे के साथ रहने देना नहीं चाहते थे। अतः वे फूट डालना चाहते थे। 'फूट डालो, राज्य करो' उनकी अनेक नीतियों में से एक थी। सबसे सरल युक्ति जाति, धर्म, सम्प्रदाय अथवा क्षेत्रीय आधार पर फूट डालने की थी। अनेक बुराईयों के लिए ये सभी बातें जिम्मेदार थीं, जिन्हें हमने अनेक वर्षों तक भोगा है।

हमें इसकी पूर्ति करनी है। हम अपनी स्वतन्त्रता के 33वें वर्ष में हैं। हमने 1947 में सरकार का शासन लिया था। अब हम 1979 में हैं। 1947 से लेकर 1979 तक, इन 33 वर्षों तक हमने संघर्ष किया है। हमें यह देखना है कि क्या यह संघर्ष सफल रहा है। हमें एक बात जरूरी माननी होगी। हमें यह खोजना होगा कि इन 33 वर्षों में कौन-कौन से सम्प्रदाय एक निश्चित स्थिति तक पहुंचने में समर्थ रहे हैं। हमें यह मालूम है कि किसी व्यक्ति की हैसियत* का पता लगाए बिना किसी व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थिति तक पहुंचना संभव नहीं है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि समाचारपत्रों पर एक समुदाय विशेष का नियंत्रण है। एक समुदाय विशेष का व्यक्ति यदि कुछ कहता है, तो उसे खूब प्रचारित किया जायेगा, लेकिन यदि किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति बोलता है तो उसे छोड़ दिया जायेगा और समाचारपत्र में कुछ भी नहीं छपेगा। यह सब इसलिये किया जा रहा है क्योंकि नाम से ही पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है और इसके अनुसार वह तय कर लेते हैं कि उसे कितना महत्व दिया जाए, कितना प्रचार किया जाये। वे उसकी पूरी तरह से उपेक्षा भी कर सकते हैं।

नाम के आगे या पीछे जाति का संकेत देने या धर्म का संकेत देने या और किसी संकेत के प्रभावों को हमें समझना चाहिए। इससे देश का नुकसान होगा और लोगों में मतभेद पैदा होगा। यह प्रथा लाभदायक नहीं, नुकसान दायक है। यदि हमारे संविधान को कोई लाभ होता है या हमारे लोगों को कोई भौतिक, आध्यात्मिक या कोई और लाभ होता है, तो मैं यह कहूंगा "इसे भूल जाइये, और हम इस संकेत को बने रहने दें।" लेकिन इससे कुछ भी लाभ नहीं है। मैंने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या इस संकेत से किसी भी लाभ की संभावना है—क्या इससे व्यक्ति की अपनी खास पहचान अधिक सुदृढ़ होगी या इस संकेत का और कोई लाभ है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो सहायक हो या जिससे मदद मिलती हो। यह अस्वाभाविक भी है—क्योंकि देवताओं, भारतीय वेदों में इसकी व्यवस्था नहीं है और न ही बौद्ध धर्म जैसे बाद के धर्मों में ही इसके बारे में कुछ भी कहा गया है। यह कुछेक लोगों की सनक का परिणाम था, जिसे हम ढो रहे हैं।

जापान जैसे छोटे देश या अमरीका या सोवियत संघ जैसे बड़े देश में या विश्व के किसी भी अन्य देश में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जाति या धर्म का संकेत मिलता हो। इसलिए किसी

भी ऐसी प्रथा या किसी भी चीज़ को क्यों बरकरार रखें, जिसका एक भी लाभ न हो, बल्कि भारत के विघटनकारी तत्व हों ? स्वयं संविधान में जब देश की अखंडता और लोगों में सद्भाव, निश्चित प्रगति और सभी के लिए समान अवसरों के व्यवस्था की गई है, तो नाम के आगे या पीछे कुछ जोड़ने की इस प्रवृत्ति को हम क्यों बरकरार रखें, जबकि उसका हमारे लिए किसी भी रूप में कोई लाभ नहीं है।

मुझे और बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन मेरे विचार से बहुत से सदस्यों ने इस पर बोलने का संकेत दिया है। मैं चाहता हूं कि वे भी इस पर जो कुछ कहना चाहें, कहें.....।

सभापति महोदय : इसके लिए जितना समय दिया गया था, उसका 1/6 समय आप ले चुके हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मुझे इस पर खेद है। मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी किसी भी प्रथा में विश्वास न करें जो पिछले 1,100 वर्षों में शुरू हुई हो, क्योंकि ये 1,100 वर्ष श्रेष्ठ वर्ष नहीं रहे हैं। अपनी परंपरा और इतिहास को देखने से आपको पता चलेगा कि इन सब बातों के न होने पर भी हम कितने समृद्ध थे। हम दुनियां में अधिक से अधिक समृद्ध, समर्थ, साहसी और प्रिय बनना चाहते हैं। इसलिए हमें वह सब करना होगा, जो हम कर सकते हैं। यह सभी समस्याओं के लिए रामबाण नहीं है, लेकिन हमारे विकास की दिशा में यह एक छोटा सा कदम है और यह कदम उठाया जा सकता है।

सभापति महोदय : श्री विनायक प्रसाद यादव। उनका सर्कुलेशन के लिए अमेण्डमेंट था-वह मौजूद नहीं है, इसलिए उसके मूव होने का कोई प्रश्न नहीं है।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, आज जब सत्र का अवसान समीप है, माननीय देसाई महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन विवाद-रहित विधेयक उपस्थित किया है। मैं समझता हूं कि कोई भी विधेयक जो सामाजिक सुधार के लिए कोई भी काम करता हो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए लेकिन मैं यह मानता हूं कि केवल नाम के आगे जो टाइटिल है और पहले जो टाइटिल है, उसको हटा देने से जाति प्रथा का अन्त नहीं होगा।

सभापति महोदय, प्राचीन काल में चार वर्ण थे और केवल चार ही टाइटिल थे हमारे माननीय समर मुखर्जी जी को शायद मालूम हो कि पहले ये चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और केवल चार ही टाइटिल थे, ब्राह्मण का टाइटिल शर्मा, क्षत्रिय का टाइटिल वर्मा वैश्य का टाइटिल 'गुप्त' और शूद्र का टाइटिल दास। ये चार टाइटिल थे लेकिन यह वर्ण व्यवस्था उसी समय समाप्त हो गई जब हम ने सतयुग से त्रेता में चरण रखा।

श्री धनिक लाल मण्डल : सतयुग और त्रेता कब हुए ?

डा० रामजी सिंह : मंडल जी पूछ रहे हैं कि सतयुग और त्रेता कब हुए ?

यहां इस वक्त इतिहास की परम्परा में जाएगें, तो बहुत समय लग जाएगा दस, दस लाख वर्ष का एक युग होता था और वह विवादास्पद विषघ हो सकता है लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पहले जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, भले ही आज वह विकृत हो गई है और विकृत होने से कुत्सित और गर्हित हो गई है और आज वह ग्राह्य नहीं है लेकिन वह अपने आप में एक व्यवस्था थी और उसका एक आधार था । सचमुच में मनुष्य की जो प्रकृति है, मनुष्य का जो स्वभाव है, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं और ब्रडले ने जो अपने नीति शास्त्र में लिखा हैं "माई स्टेशन एण्ड ड्यूटीज", कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्थान होता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है जो व्यक्ति अपने स्थान को भूल जाता है और अपने कर्म को भूल जाए, वह व्यक्ति उस लोटे की तरह, उस बर्तन की तरह रहेगा, जिसमें पेंदा नहीं होता है । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्थान होना चाहिए और अभी जो हमारे माननीय विनायक प्रसाद जी ने मनुस्मृति से पढ़ा, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति की जो गन्दी बातें हैं, उनको हटा दीजिए लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको अपनाएं । उन्होंने कहा है :

"वैदाश्यासो ब्राह्मणस्य
क्षत्रियस्य च रक्षणम् ।
वार्ता कर्मो वैश्यस्य
विशिष्टानि स्वकर्मसु ।।

यह मनुस्मृति में लिखा है उस में चार वर्णों की बात कही गई है लेकिन आज तो वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण अव्यवस्था है और आज हिन्दुस्तान में 2,700 जातियां हैं । मैं काका कालेलकर की रिपोर्ट देख रहा था । उसमें लिखा है कि अजमेर में बैकवर्ड क्लासेज की 39 जातियां हैं और आंध्र में 124 हैं । सब मिलाकर 2,700 जातियां भारतवर्ष में हो गई हैं लेकिन प्रारंभ में चाहे वेद को लें, चाहे मनुस्मृति को लें, चाहे गीता को लें केवल चार वर्णों की ही बात कही गई है :

ब्राह्मणोयस्य मुखमासीत्
बाहूराजन्यः कृतः ।
ऊरू ततस्य यद्रवैश्यः
पद्म्स्यां शूद्रो अजायत ।।

लोग कह देते हैं कि ईश्वर की सृष्टि में ब्राह्मण वह है, जो मुख से पैदा हुआ और शूद्र वह है जो पैर से हुआ । यह उपमा की बात है । साहित्य की उपमा और अलंकार का कुछ स्पर्श होता, तो वे समझते कि असल में चार व्यूह हैं, शिक्षा व्यूह, रक्षा व्यूह, जीविका व्यूह और सेवा व्यूह और इसलिए जब जैसा संस्कार होता है, तो शूद्र से वैश्य और वैश्य से ब्राह्मण होता है । विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन कर्म के आधार पर ब्राह्मण बने ।

इसलिए सभापति महोदय, मैं किसी विवाद में न पड़कर इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय जन्मना जाति की व्यवस्था आई उस समय वर्ण व्यवस्था भंग हो गई थी। आप गीता की बात कहते हैं। गीता में स्पष्ट है :—

चातुवर्ण्यमया सृष्टं गुण कर्म विभागशः
तस्य कर्तारमययां विद्धय कर्तारं वयं ।

जैसे मैंने निवेदन किया था कि सचमुच में त्रेता के समय में ही यह वर्ण व्यवस्था भंग हो गयी थी। मैंने पहले भी निवेदन किया था और जिसकी ओर हमारे विनायक बाबू ने भी इशारा किया था कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथों से महर्षि बाल्मीकि ने शम्बूक का वध कराया था। दोष उसका इतना ही था। (व्यवधान)

गोस्वामी तुलसीदास ने उस प्रकरण को नहीं अपनाया है क्योंकि जब समाज में परिवर्तन होता है (व्यवधान), आप तुलसीदास जी पर यह बात लागू कर सकते हैं -ढोल गंवार ..... से लेकिन उसका अर्थ मैं यहां नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जब भीलनी कहती है :—

अधम अधम अधम अतिनारी

भगवान रामचन्द्र क्या कहते हैं :—

सुन रघुपति कहे भामिनी वाता।
मानहु हों एक भक्ति करि नाता ।।

सचमुच में भक्ति के आगे कोई नेह नाता नहीं है। यही कारण है वशिष्ठ जी ने निषाद को गले लगाया था, शबरी के झूठे बेर राम ने खाये थे। इसलिए प्रश्न है कि निहित स्वार्थ सचमुच में अपने को जनहित में जब खण्डित पाता है तो वह वर्णाश्रम व्यवस्था के बदले कुण्ठित, गर्हित जाति व्यवस्था को फैलाता है ताकि समाज पर उसका अधिकार रहे। इसलिए सभापति महोदय, चावकि ने आज से तीन हजार वर्ष पहले ब्राह्मणवाद को चुनौती दी और कहा था :—

ये पयोवेदोस्य कर्तार
भण्ड भूत निशाचरा

व्यास ने कहा था —

यह पण्डित पाण्डवना व्यासच पटु कवि

सचमुच में उन्होंने कौरवों को ब्लेक कलर में पेण्ट किया और पांण्डवों को अच्छे कलर में पेण्ट किया। कार्तिकेय के चरित्र के समान श्री कृष्ण का भी चरित्र नहीं था। यह बात अलग

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो विधेधक माननीय श्री देसाई जी ने प्रस्तुत किया है यह बहुत छोटा-सा विधेयक है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : महाभारत के हीरो कौन थे ?

डा० रामजी सिंह : महाभारत के हीरो नहीं लेकिन इस सदन के हीरो तो आप हैं। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि यह जाति व्यवस्था केवल हिन्दू जाति में ही है, ऐसी बात नहीं है काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी जातियों, यहां तक कि मुस्लिम में भी शेख और सैय्यद अलग अलग हैं। क्रिश्चियनियटी में भी दोष आया है। भारत रत्न डा० भगवानदास की पुस्तक - अशेंशल यूनिटी आफ आल रिलीजन्स - से आपको दिखलाना चाहता हूं कि यह गुण और कर्म के आधार पर संसार के विभिन्न-भागों—यूनान, रोम, इंग्लैंड में हर जगह यह व्यवस्था रही है। वहां लार्ड थे तो दास भी थे, शूद्र भी थे। लेकिन मैं इस समय उस सब में नही पड़ना चाहता। इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर भारतवर्ष को बचाना है तो हिन्दू जाति जो कि यहां कि मेजोरिटी कम्युनिटी है, इसके अन्दर जो गन्दगी है, उसको समाप्त करना होगा। उसके लिए यह छोटा-सा और निर्दोष सा विधेयक लाये हैं। इससे जाति प्रथा का अन्त होने वाला नहीं है मैं चाहता हूं कि हमारे मंडल जी इस को स्वीकार कर लें और उस के बाद अपने नाम से मंडल शब्द को हटा दें।

काका साहेब कालेलकर ने भी इस प्रश्न को रखा था। जाति सूचक जो चिन्ह हैं—उनके द्वारा समाज में प्रतिष्ठा होती है हमारे यहां एक व्यक्ति था उसका कुछ नाम था। पहले उन्होंने राम चरण सिंह रखा। उसके बाद कोई बड़े नेता आए तो उनकी देखा देखी चूंकि वह मेहता थे जो कि एक टाइटिल है अपना नाम मेहता राम चरण सिंह रख लिया। यह अस्वाभाविक भी नहीं है मानव प्रतिष्ठा का भूखा होता है और जहां प्रतिष्ठा होती है वहीं आदमी जाता है। चाहे आप हटाएं या न हटाएं लेकिन कम से कम पिछले तीस बरस के सामाजिक आन्दोलन के कारण इतना तो आप मानेंगे ही कि आज जाति सूचक शब्द आम हो गए हैं और इन पर किसी का एकाधिकार या एकाधिपत्य नहीं रह गया है। सिंह टाइटल जो है इसका सब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जाति में ही इसका इस्तेमाल नहीं होता है।

अब इसकी आवश्यकता क्या थी प्राचीन काल में यह आप कहेंगे ? क्या इसकी सामाजिक आवश्यकता थी ? पहले गौत्र होता था मूल हुआ करता था पारासर, कौशिक, काश्यप ये सब गौत्र थे। अब यहां रामजी सिंह भी है और रामजी लाल सुमन भी हैं। कैसे आप पुकारेंगे। यह आप न सोचें कि इसकी सोशियोलोजिकल आवश्यकता नहीं थी इसकी भी आवश्यकता थी। क्या पुकारेंगे अगर दो राम जी हुए ? नम्बर एक और नम्बर दो ? यहां पर जो जाति हुआ करती थी वह पेशे के आधार पर हुआ करती थी। यह बात ठीक है कि इसने बहुत गर्हित स्वरूप भारत में धारणा कर लिया। जो आदमी तेल का काम करता था उसको तेली कहते थे, जो मिट्टी के वर्तन बनाने का काम करता था, उसको कुम्हार कहते थे। पेशे के आधार

पर जातें बनी थीं। लेकिन बाद में चलकर इसको तकदीर के साथ जोड़ दिया गया और वैसे इनको बांध दिया गया कि वह बेचारा ऊपर ही न उठ सके यह कर्म का ही फल है।

ऋतं च सत्यं चाभीदात तपसोऽध्यजायत्

इसकी वजह से चारवाक दार्शनिकों ने ब्राह्मणों की बड़ी खबर ली। उन्होंने कहा कि ये सारे धर्म के ठेकेदार और पाखंडी बिना श्रम किए जन्म से पहले और जन्म के बाद दक्षिणा लेते रहते हैं। और मरने के बाद भी एक वर्ष बाद तक तर्पण में उसकी सन्तान से वे लाभ उठाते रहे हैं। यही कारण है कि आज ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी दुर्भावना लोगों के मन में आई है।

डा० लोहिया जो जातिवाद के दुश्मन थे, इतना तो आप मानेंगे कि वह इसके कम विरोधी नहीं थे, उनके हृदय में आक्रोश नहीं था, इसको आप नहीं कहेंगे, एक आर्टिकल एंटी कास्ट 1961 में लिखा था और मैं चाहता हूं कि जो प्रगतिशीलता की बात करते हैं वे इसको सुन लें :

मैं कभी भी ब्राह्मण विरोधी नहीं रहा हूं, मैं जाति विरोधी रहा हूं। लेकिन मैंने इस बात को समझने में थोड़ी गलती करदी कि दक्षिण के ब्राह्मण विरोध को जाति-विरोध में बदला जा सकता है। रेड्डियों, मुदलियरों और नायरों ने ब्राह्मणों का जो विरोध किया, वह केवल उनकी बराबरी तक पहुंचने के लिए ही किया था। अब वे कम से कम राजनीतिक स्तर पर उनके बराबर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब वे संतुष्ट हो गए हैं। उन्होंने आरक्षण की अपनी विचारधारा को अब छोड़ दिया है अब वे तथाकथित साम्प्रदायिक व्यवस्था के उतने ही विरोधी हैं जितने कि कभी ब्राह्मण थे। चूंकि समय कम है, मेरा कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मणवाद की जो खराबियां है उससे लड़ना चाहिए। जैसे गांधी जी ने कहा था अंग्रेज़ियत से लड़ना चाहिए, अंग्रेज व्यक्ति से नहीं। अगर इस तरह की भावना से चलायेंगे तो मैं समझता हूं कि समाज में एक सामंजस्य और समन्वय पैदा होगा। डांगे साहब जाति के ब्राह्मण हैं, लेकिन प्रगतिशीलता में किसी से कम नहीं हैं। माननीय समर मुखर्जी मुखोपाध्याय हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, लेकिन प्रगतिशीलता में किसी से कम नहीं। इसीलिए किसी जाति विशेष के प्रति आक्रोष की भावना रखने से सामयिक क्रांति का उद्घोष नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि आज जो माननीय देसाई ने प्रस्ताव रखा है सरकार को इसको स्वीकार कर लेना चाहिए।

एक बात उसमें उन्होंने कुछ सजा की भी कही थी। लेकिन बड़ा मुश्किल है, अब तो रिजर्वेशन के नाम पर जाति तो पूछनी ही पड़ेगी। अब तो केवल शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइबस् ही नहीं बल्कि बैकवर्ड क्लासेज का भी पूछना होगा, और रिजर्वेशन को तो सपोर्ट करना ही है। डा० लोहिया ने कहा है कि जो पीछे हैं उनको उठाना है। समता तो तब आयेगी 5 हजार सालों से जिनका रिजर्वेशन है उनका मानस और मन दूसरी बनावट से बना हुआ होगा, इसीलिए the talk of equality between unequals is unjust.

इसलिए जो नीचे हैं उनको उठाना ही होगा।

इसलिए माननीय देसाई की भावना का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और अपने गृह राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वह समर्थन दें और जहां तक हो सके स्वीकार कर इस सदन की गरिमा को बढ़ायें ।

श्री गदाधर साहा (विष्णुपुर) : सभापति महोदय, जाति, धर्म, समुदाय या क्षेत्र पर आधारित असमानतायें और अन्याय अब उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि 50 या 60 वर्ष पूर्व थे । लेकिन उस पर अभी भी बहस की जा रही है । मेरे तथा मेरी पार्टी के विचार से सभा के सामने चर्चा और वाद-विवाद के लिए जो विधेयक रखा गया है उसका उद्देश्य राष्ट्र विशेषकर उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के ध्यान को दूसरी ओर ले जाना है जो भारत में बढ़ते पूंजीपतियों के लाभ से पैदा होने वाले अन्याय के बीच समानता न्याय और समाजवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं । नये वर्गीकरण को वर्ग या जाति व्यवस्था कहा जाये या कुछ और, यह शब्दों का हेर-फेर है । लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक नयी जाति/एक नये वर्ग, एक नयी किस्म की असमानता और अन्याय का उदय हुआ है । यह नया बर्ग या नयी जाति शैक्षिक, व्यावसायिक और आर्थिक वर्गीकरण पर आधारित बतायी जाती है । इस नये वर्ग के कुछ उदाहरण भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी सिविल सेवाओं के अधिकारी, उच्च प्रबन्धक और औद्योगिक उद्यमी है । परम्परागत जातीय ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों के सामन्ती, अर्धसामन्ती भूमि सम्बन्ध वाले ढांचे और मध्यवर्ग के धार्मिक, विचारधारात्मक बाह्य ढांचे के ताने-बाने से बना था । वर्ग-शोषण और दमन के ऊपर से लादे जाने के कारण जमीदारी शक्ति के ढांचे में परिवर्तन हुआ है । वर्ग—शासन को बनाये रखने के लिए जातिगत पूर्वाग्रहों का सहारा लिया जाता है । भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण तत्व बन गयी है और भारतीय समाज जिसका बुनियादी ढांचा और खंभा अधिनायकवादी और पूंजीवादी है, में (1) पूंजीवाद (2) शिक्षा, धन, भूमि, उद्योगों के कुछ चुने हुए वर्गों तक सीमित होना और (3) सभी वर्गों को विकास के लिए बराबर अवसर न दिया जाना, तीन ऐसी शक्तियां है जो समाजवाद के मार्ग में रोड़ा अटकाती हैं । अन्त शक्तियां प्रतिक्रियावादी शक्तियां, निहित स्वार्थ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे जाति, धर्म, समुदाय और राष्ट्रीय विघटन से बंधकर किसी बात पर विचार करते हैं और कार्य करते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय दुनिया में कुछ पूंजीवादी देश है और कुछ समाजवादी देश । एक ओर समाजवाद है और दूसरी ओर पूंजीवाद और दोनों में बहुत अन्तर है । लेकिन जाति, धर्म या समुदाय के सूचक कुछ नामों के हटा देने से ही, समाजवाद, जातिहीन और वर्गहीन समाज नहीं बनाया जा सकता । भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था और विकास के पूंजीवादी तरीके, जिसमें शोषण के द्वारा भारी लाभों को संचित किया जाता है, से अन्याय और असमानता पैदा होती है । अतः पूंजीवादी सामाजिक, ढांचे और अर्थव्यवस्था, जो बुराइयों को जन्म देती है और उनकी रक्षा करती है, से इसके समाधान की आशा नहीं की जा सकती/नहीं की जाती । इसलिए मेरे विचार से वामपंथी, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील शक्तियों की एकता द्वारा हम-विकास नहीं बल्कि क्रान्ति का रास्ता अपनाकर बुराइयों को दूर किये जाने और समाजवाद की स्थापना को अच्छे अवसर की ओर से महान जनता का ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है । इस शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, श्री देसाई ने जो बिल मूव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

अभी हमारे साथी और हमारे नेता, डाक्टर साहब, ने बहुत बढ़िया तरीके से, दोनों भाषाओं में, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिये हैं, जैसा कि विद्वान लोगों का तरीका है। उन्होंने जिक्र किया कि भगवान् राम ने भीलनी के जूठे बेर खाये। हमको तो लगता है कि रामचन्द्र जी धूप में घूमते घूमते थक गये होंगे, भूखे प्यासे होंगे, इसलिए जब उन्हें जूठे बेर भी मिल गये, तो उन्होंने खा लिये होंगे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : माननीय सदस्य एक नई रामायण लिखें ।

श्री राम विलास पासवान : यदि सभापति महोदय मुझे समय दें, तो मैं एक पैरालल रामायण भी सुना सकता हूं, लेकिन वह मुझे समय नहीं देंगे ।

यह जाति व्यवस्था आज की देन नहीं है । देवता-दानव युद्ध के बारे में इस देश में सब जानते हैं । यदि आप पता लगायें कि दानव कौन थे, तो फोटो में दानवों के जो बड़े बड़े मुंह और बड़े बड़े दांत दिखाये जाते हैं, दानव की वह परिभाषा नहीं है । दानवों और देवताओं के अपने अपने नेता थे—एक तरफ शंकर थे और एक तरफ विष्णु थे । शंकर हमेशा दानवों की नेतागिरी, लीडरशिप, करते थे और विष्णु देवताओं की लीडरशिप करते थे । देवताओं के गुरू थे बृहस्पति और—दानवों के गुरू थे शुक्राचार्य । उन की संस्कृति राक्षस संस्कृति थी क्यों की शंकर का पहला नाम रूद्र था और रूद्र की संस्कृति राक्षस संस्कृति थी और आर्यों की यानी देवता लोगों की संस्कृति आर्यन संस्कृति थी । वहां से सोशलाजिकल प्वाइंट आफ व्यू से देखिए तो उसमें आपको इसकी नींव मिलेगी । मैंने उस दिन वह कहानी कही थी कि देवता और दानव इनका युद्ध हुआ था और इनके द्वारा समुद्र मंथन हुआ था, उसी में से एक से एक रत्न निकले थे । उस समुद्र मंथन में नाग को रस्सी बनाया गया था और पहाड़ को कील बनाया गया जब रस्सी को पकड़ने की बात आई तो, देवताओं ने कह दिया कि हम पूंछ पकड़ेंगे और दानवों को कह दिया कि तुम सांप का मुंह पकड़ो । दोनों ने इस प्रकार पकड़ कर समुद्र का मंथन किया तो उस में से रत्न निकले, अमृत निकला । जब बांटने की बारी आई और यह हुआ कि अमृत कौन लेगा तो देवताओं ने कहा कि हम लेंगे और दानवों ने कहा कि कमाने वाला खाएगा, जिसने मेहनत की वह लेगा । जब फैसला नहीं हुआ तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर के आए और कहा कि मैं बांटूगी । वह करती क्या थी कि अमृत बांटती थी देवताओं की तरफ और मुस्कराती थी दानवों की तरफ । उन दानवों में एक राहु बड़ा होशियार था, उसने देखा कि यह तो बड़ी चाल चल रही है तो वह जा करके देवताओं की अेणी में बैठ गया । जब वहां बैठ गया तो अमृत उसको मिल गया । लेकिन ज्यों ही मोहिनी को पता लगा कि यह तो दानव है, देवता नहीं है तो वह तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गई विष्णु भगवान के और विष्णु भगवान ने उसका सिर चक्र से काट दिया । इस

प्वाइंट आफ व्यू से सोचिए तो आप को लगेगा कि देवता और दानव जिनको कहते थे, उस समय में कहीं यही जातिगत मामला तो नहीं था।

इसके बाद त्रेता में लीजिए। त्रेता में आप यह मान कर भी चलें कि चार ही जातियों के लोग रहे होंगे और जातियां कर्म के अनुसार थीं तो शम्बूक जब तपस्या कर रहा था तो ब्राह्मण को खुश होना चाहिए था कि अच्छा है वह हमारी कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन फिर क्यों ब्राह्मण के द्वारा मर्यादा पुरूषोतम राम से कह कर उसका वध कराया गया ? भगवान राम जो मर्यादा पुरूषोतम कहलाते थे उनके द्वारा क्यों ब्राह्मण ने शम्बूक का वध करवाया ?

द्वापर में द्रोणाचार्य और कृष्ण को ले लीजिए। द्रोणाचार्य वन में जाते हुए देखते हैं कि कुत्ते के मुंह में वाण भरा हुआ है जिससे वह बोल नहीं सकता है लेकिन कहीं उसके मुंह में छेद नहीं है। आवाज उसके मुंह से नहीं निकल रही है इस तरह वाण उसके मुंह में भरा हुआ है। वह सोचते हैं कि कौन ऐसा बड़ा धनुर्धर है जिसने कुत्ते के मुंह में इस तरह से वाण मारे हैं ? आगे जाकर देखते हैं तो एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम तो वह कहता है कि मैं एकलव्य हूं। कहा कि किस की पूजा कर रहे हो, तो कहा गुरू की। कौन तुम्हारा गुरू है तो कहा कि मैं गुरू द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। जब उसको पता लगा कि यही गुरू द्रोणाचार्य हैं तो उसने उन से कहा कि महाराज, आपको याद होगा कि मैं आप के यहां धनुर्विद्या सीखने के लिए गया था लेकिन आप ने अछूत समझ कर मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, मुझको शिक्षा नहीं दी। लेकिन मैं आप की ही मूर्ति स्थापित करके उस पर अपनी धनुर्विद्या सीख रहा हूं। तुरंत उस द्विज के दिमाग में और कोई चेहरा नहीं आया, केवल अर्जुन का चेहरा आया और उसने सोचा कि यह तो ऐसा धनुर्धर है कि जो अर्जुन को मात दे देगा। तब उससे कहा कि हम को तुमने गुरू तो मान लिया लेकिन गुरुदक्षिणा तो नहीं दी। अब सुनिए, सिखलाया कभी कुछ नहीं और मांग रहे हैं गुरुदक्षिणा। तो उसने कहा कि मांग लीजिए। फिर जैसा हमारे साथी विनायक बाबू ने कहा उससे अंगूठा मांगा और उसने अंगूठा काट कर गुरु-दक्षिणा में दे दिया। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, उससे और भी प्रतिज्ञा करवाई गई। एकलव्य ने कहा कि आप अंगूठा ले लीजिए। एक धनुर्धर के लिए गर्दन कटाने की उतनी कीमत नहीं जितनी अंगूठे की है लेकिन आप हमसे अंगूठा ले सकते हैं, मगर गुरुदेव, यह बात याद रखिए कि एकलव्य न सिर्फ अंगूठे से वाण चलाना जानता है बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग से वह वाण चलाने में निपुण है। तब उससे कहा गया कि तुम एक प्रतीज्ञा और करो कि पूरे महाभारत की लड़ाई में तुम किसी तरफ नहीं जाओगे और वह नहीं गया।

तो इसका बीभत्स रूप और बढ़ाते चले जाइए। कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था की कभी मंशा रही होगी लेकिन जहां तक हमारी दृष्टि जाती है इतिहास में हमको कहीं यह बात नहीं मिलती है कि कहीं कर्म के आधार पर यह बात हुई हो। इन्होंने जो विश्वामित्र की बात कही तो मैं कहना चाहता हूं कि उस समय एक बहुत भारी घटना घटी थी और जिन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है उनको मालूम होगा कि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय का झगड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता संकल्प किया जाता था कि जब तक हम दिन में एक हजार क्षत्रिय का वध नहीं कर

लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और उधर यह घोषणा की जाती थी कि जब तक एक हजार ब्राह्मण का वध नहीं कर लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। यह ब्राह्मण और क्षत्रिय का झगड़ा बहुत दिनों तक चला और फिर अन्त में मेल मिलाप हुआ, पूना पैक्ट हुआ। कहा गया कि देखो, राजा तुम रहोगे, हम तुम को भगवान की उपाधि देंगे लेकिन तुम्हें करना होगा वही जो हम कहेंगे और आप देखिए उठा करके, चाहे राम हों, चाहे राजा जनक हों चाहे कोई हों, जितने भी राजा हुए हैं और 24 अवतार जिनको कहते हैं, कृष्ण हों, महाबीर हों. जो भी हों, सब के सब क्षत्रिय थे जिनको मैं भगवान का अवतार कहता हूं। इनको गुरुमन्त्र देने वाले और शासन चलाने वाले ब्राह्मण थे—चाहे जनक का दरबार हो जिनको विदेह कहते हैं, चाहे राम का दरबार हो और चाहे कृष्ण का दरबार हो, किसी का भी हो। तो दोनों में युद्ध के बाद संधि हुई कि राज करो तुम और ब्रेन रहेगा हमारा। भगवान मानेंगे तुमको लेकिन चलना होगा हमारे ही कहने पर। वह मामला आजतक चलता आ रहा है। इसलिए इसमें कोई साधारण ब्रेन नहीं लगा है, इसमें किसी छोटे इंजीनियर का दिमाग नहीं है। यह जो जाति का चक्रव्यूह है जिसके जाल में हम भी आज फंसे हुए हैं, हमको भी छोटी जाति के लोग नजर आते हैं तो हम भी सीना तान लेते हैं, समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं लेकिन अपने ऊपर में जब बड़ी जाति के लोगों को देखते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। डाक्टर साहब ने कहा कि अब तो सभी ने सिंह का टाइटिल और दूसरे टाइटिल लेलिए हैं लेकिन मैं पूछता हूं कौन हरिजन का टाइटिल तिवारी है, कौन हरिजन का टाइटिल मिश्रा है, कौन हरिजन का टाइटिल दुबे और चौबे है ? एक से लेकर 6 तक दुबे, तिब्बे, चौबे, छब्बे—सभी टाइटिल उन्होंने ही ले लिए हैं। 1955 में हम पढ़ते थे कि ब्रह्माजी बैठे हुए थे और कोई उनकी दाढ़ी पकड़े हुए थे, एक बाल टूट गया तो पहले वे ब्राह्मण ही थे, दो बाल टूट गए तो दुबे हो गए, तीन बाल टूट गए तो तिवारी हो गए, चार बाल टूट गए तो चौबे हो गए, पांच टूट गए तो पांडे हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि कौन हरिजन है, कौन बैकवर्ड है ? किसी के पास सिंह का टाइटिल, किसी के पास शर्मा का टाइटिल, किसी के पास वर्मा का टाइटिल लेकिन समाज के शीर्ष स्थान पर बैठे हैं शंकराचार्य। कल कंवरलाल गुप्त जी कह रहे थे कि चारों शंकराचार्यों ने मिलकर कहा है कि जाति की भावना को खत्म करना चाहिए। मैं तो गृह मन्त्री, मण्डल जी से कहूंगा कि चारों शंकराचार्य की गद्दी छीन ली जाए और जेल में बन्द कर दिया जाए। ऐसे लोग जोकि धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पर पाखण्डबाजी फैलाना चाहते हैं, इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनको क्रिमिनल ऐक्ट में गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर देना चाहिए।

श्री बी० पी० मण्डल : आप जरा बताइये, एक शंकराचार्य मर गए फ़िर चार शंकराचार्य कैसे हो गए ?

श्री राम बिलास पासवान : जैसे कि ब्रिटेन में कहते हैं राजा मर गया, राजा दीर्घायु हो उसी तरह से शंकराचार्य मर गए लेकिन उनकी गद्दी पर चार शंकराचार्य विराजमान हैं।

इसलिए मैं मंत्री जी से कहता हूं कि देसाई जी का जो बिल है उसका इन्टेंशन केवल इतना नहीं है कि टाइटिल समाप्त कर दिए जायें। हमने बिहार में जनेऊ को समाप्त करने की

बात चलाई, लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने थोड़ी सी बात कही लेकिन लोगों ने तुरन्त टर्न ले लिया। हमने कहा था कि जनेऊ तोड़ देना चाहिए क्योंकि वह जातिसूचक है। लेकिन उस पर जातिगत भावना बड़ी जोर से फैली, कहा गया कि महापाप हो जायेगा। लेकिन मैं कहता हूं यह जनेऊ, चोटी किसी बात के द्योतक हैं ? इसलिए मैं समझता हूं बिल की मंशा यह भी है कि इनको समाप्त करना चाहिए, जितनी भी चीजें कास्ट को प्रदर्शित करती हैं उनको खत्म करना चाहिए। (**व्यवधान**)।

मैं तो बिल पर ही बोल रहा हूं और सही बोल रहा हूं। यह कोई मामूली बात नहीं है। कितना गरीबों का शोषण हुआ है, कितना हरिजनों, आदिवासियों का शोषण हुआ है ; अभी हुकमदेव नारायण यादव जी कहानी कह रहे थे कि चूहा कितनी मेहनत करके बिल खोदता है और उसमें अनाज जमा करता है लेकिन जब बिल की खूब खोदाई हो जाती है तो एक बार सांप आता है और फुफकार मारता है जिससे डर कर चूहा भाग जाता है और फिर सांप बिल में राज-पाट करता है। आज पूरे देश में हम लोगों की यह स्थिति है। इसलिये मैं आप से यह कहूंगा कि माननीय सदस्य देसाई जी ने जो बिल रखा है, जिसका, सभी ने समर्थन किया है कास्ट-सिस्टम की सब निन्दा कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिल में साधारण से पक्ष को रखा है। मैं आप को सेना की बात बतलाता हूं—दूसरी बातों को आप छोड़ दीजिये—सेना में जाति के नाम पर अनेक रेजिमेन्ट्स हैं। माननीय गृह मंत्री जी कहेंगे कि जाति के नाम पर बहादुरी की गाथा गाने से खुशी होती है। पहले इस देश में क्षत्रीय इस देश का रखवाला था ब्राह्मण के पास ब्रेन था, लेकिन आज जबकि आप यह मानते हैं कि प्रत्येक जाति के लोग बहादुर हैं, विद्धान हैं तो फिर सेना में जाति के नाम पर क्यों रेजिमेन्ट्स रखे हुए है ? ब्राह्मण रेजिमेन्ट है, जाट रेजिमेन्ट है, सिख रेजिमेन्ट है, दूसरी रेजिमेन्ट्स हैं जो जाति के नाम पर हैं—इनको क्यों रखा गया है ? मैंने पहले भी इसी सदन में कहा था कि आप जाति के नाम पर इन रेजिमेन्ट्स को खत्म कीजिये, तब मुझे जवाब दिया गया था कि इन रेजिमेन्ट्स को खत्म कर देंगे तो उन जातियों के लोगों के सेन्टीमेन्ट्स को धक्का लगेगा। मैं पूछता हूं—यदि उन जातियों के सेन्टीमेन्ट्स को धक्का लगता है, तो क्या हमारे सेन्टीमेन्ट्स को धक्का नहीं लगता है, तब फिर आप हरिजन और आदिवासी रेजिमेन्ट्स भी जोड़ दीजिये। आजादी के 32 वर्षों के बाद भी जहां सरकार की इच्छा यह हो कि कास्ट के नाम पर यदि रेजिमेन्ट्स को हटाया जायगा तो उस कास्ट के लोगों को धक्का लगेगा—मैं समझता हूं भारत सरकार के लिये इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती।

इसलिये देसाई जी ने जो बिल यहां रखा है—मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि न तो इसमें कोई पैसा खर्च होगा और न कोई अन्य खर्चा होगा—इसको स्वीकार किया जाना चाहिये। जैसा हमारे डा० रामजी सिंह ने अभी कहा डा० रामजी सिंह कहेंगे या रामजी लाल सुमन कहेंगे—किस नाम से बुलाया जायगा। तो जब एक जाति के 6 टाइटल हो सकते हैं—तो उनको भी नम्बर दे दिया जायगा, रामजी सिंह—1, कृष्ण--- 2। इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं लगेगा।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

सभापति महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर कितनी उपेक्षा की जाती रही है—आप इस सदन में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सैक्रेटेरियट में जब फाइल में पढ़ा जाता है—बी० राम, फलाने पासवान, फलाना मोची तो पासवान और मोची की फाइल कभी आगे नहीं चलेगी। कोई भी आफिसर चाहे किसी भी पद पर हो, ए ग्रेड का अफसर हो, लेकिन टाइटल पढ़ने के साथ उसके मन पर दूसरी तरह का प्रभाव पड़ता है। इसलिये इस तरह के टाइटल को हटाना बहुत जरूरी है। माननीय सदस्य ने जिस अच्छी मंशा के साथ इस बिल को पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : आधे घंटे की चर्चा का क्या बना ? 6 पहले ही बज चुके है।

सभापति महोदय : प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आधे घंटे की चर्चा 6.25 बजे शुरू की जायेगी।

अगले वक्ता हुकुमदेव नारायण यादव हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, इस विधेयक से पहले श्री विनायक प्रसाद यादव के बिल पर चर्चा हो रही थी। दोनों विधेयक करीब-करीब समान हैं। इन दोनों में एक ही मूल बात है कि जाति प्रथा का नाश कैसे किया जाय। श्री देसाई साहब ने जो विधेयक पेश किया है—उन्होंने केवल एक बिन्दू को लिया है—यदि वह समझते हैं कि नाम या उपनाम से जाति का बोध होता है, उस टाइटल को समाप्त करने से जाति प्रथा का नाश हो जायगा, यदि उनकी यही मंशा है तब तो मैं इसका विरोध करता हूं। इसलिये कि जाति प्रथा का नाश करने के अन्य उपायों में से यह एक छोटा-सा उपाय है। इसी तरह से जाति प्रथा का नाश करने के उपायों में से श्री विनायक प्रसाद जी यादव का बिल भी एक छोटा सा सुझाव था। जाति प्रथा का समूल नाश न तो केवल उपनामों के हटा देने से होगा और न केवल पिछड़े वर्गों, हरिजन, आदिवासियों को आरक्षण देने से होगा। ये सब तो केवल बीच की रण-नीति है, दीर्घकालीन नीति नहीं है, अल्पकालीन नीतियां हैं। इसके लिये हमें दीर्घकालीन नीति पर विचार करना पड़ेगा।

डा० रामजी सिंह ने डा० लोहिया की किताब को कोट किया है, लेकिन उन्होंने उनकी किताब "कास्ट-सिस्टम" को कम पढ़ा है। डा० लोहिया ने स्पष्ट लिखा है कि हिन्दुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों का नेतृत्व द्विजों के हाथों में है और जब कभी भी हिन्दुस्तान में उनके स्वार्थों का सवाल पैदा होता तो कहीं-न-कहीं अन्तर्मिलन हो जाता है।

सभापति महोदय, अगर इन बातों को दूर तक ले जाएं, तो अगर कहीं हुकमदेव नारायण यादव कांग्रेस के श्री यशवन्त राव चव्हाण से बात कर लें या किसी रेड्डी से बात कर लें, तो हमारी आनेस्टी और इनटेगरिटी पर डाऊट हो सकता है लेकिन अगर श्री मोरारजी देसाई श्रीमती इन्दिरा गांधी से बात कर लें, तो सिद्धान्त का रूप धारण कर लेता है। मुझे यह कहने में आपत्ति-नहीं हो सकती क्योंकि द्विज के चरित्र का यही दोष रहा है। डा० राम मनोहर

लोहिया ने लिखा है कि द्विज के चरित्र में यह गुण है कि वह अवगुण को सिद्धान्त के जामें इस तरह से पहना देते हैं कि उनके सारे दुर्गुण सिद्धान्त में छिप जाते हैं और शुद्रों में यह दुर्गुण है कि वे अगर सच्ची भी कहें, तो वह सिद्धान्त का रूप उसको नहीं दे सकते। यह हम में कमजोरी है लेकिन यह हजारों, लाखों और करोड़ों वर्षों की कमजोरी है क्योंकि हमारे बाप-दादा भैंस चराने वाले थे, हमारा बाबा हलवाही करने वाले थे और हमारे बाप-दादा लौटा ले कर गांवों में बाहर पखाना करने के लिए जाते थे लेकिन जिसके बाप-दादा जिन्दगी भर संगमरमर के साफ लेटरिन्स में पाखाना करते रहे हैं, उनमें इस तरह की कमजोरी नहीं है। जब मैं दिल्ली में आकर रहता हूं और ऐसी लेटरिन्स देखता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा घर तो मुझे सोने को भी नहीं मिला है, तो मुझे उसमें पाखाना करने में जरूर शर्म आ जाती है। यही पिछड़ेपन का दोष है। इसके लिए अपराधी कौन है ?

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर जाति प्रथा तोड़ने की जो बात की जाती है, उसके लिए सब से बड़ी बात डा० लोहिया ने कही थी और वह यह थी अन्तरजातीय विवाह होने चाहिए और डा० लोहिया ने लिखा है कि इस काम को करने के लिए बहुत जोखिम उठाने पड़ेंगे। यह साधारण जोखिम से नहीं होगा। मैं अंग्रेजी ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूं लेकिन डा० लोहिया ने जो बात अपनी किताब "कास्ट सिस्टम" में कही थी, उसके दो चार शब्द पढ़ कर बताता हूं। उन्होंने लिखा था कि जाति, योनि दो कटघड़े हैं और जो जाति प्रथा को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, उसको बहुत बड़ी जोखिम उठानी पड़ेगी। उन्होंने यह लिखा है :

> "धर्म, राजनीति, व्यवसाय और प्रचार द्वारा संस्कृति के नाम पर कीचड़ की रक्षा का षडयंत्र रचा जा रहा है।"

यह केवल एक ही जगह नहीं, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो और चाहे व्यापार हो, सभी से जाति प्रथा की गन्दगी को हटाना पड़ेगा, जहां भी वे इससे ग्रसित हैं। आज होता क्या है कि लोग मनुष्य की बात को नहीं देखते, वे आदमी के नाम को देखते हैं। अगर हुकम नारायण झा बोल रहे हैं, तो हमारे दरभंगा के बहुत से लोगों को उनकी बातें मीठी लगेंगी लेकिन' अगर वही बात हुकमदेव नारायण यादव बोल रहे हैं, तो वे बातें उनको खट्टी लगेंगी क्योंकि उसके आगे 'यादव' लिखा है और उसके आगे 'झा' लिखा है। आज बात की कीमत नहीं है बल्कि उस आदमी की जाति की कीमत है। इसलिए अगर जाति प्रथा को मिटाने का काम करना है, तो जैसा डा० लोहिया ने कहा था कि जाति की जो रेखा खड़ी है, उस जाति की रेखा को 'पड़ी' करना पड़ेगा, उसको गिरा देना होगा और बराबरी में लाना पड़ेगा। समाज के अन्दर जो जितना ऊंचा है, वह इस हिसाब से है अंग्रेजी भाषा, ऊंची जाति और दौलत, ये तीनों चीजों में से तीन जिसके पास हैं, वह हिन्दुस्तान का नम्बर एक का आदमी है, जिसके पास इन तीन में से दो हैं, वह नम्बर दो का आदमी है, जिसके पास इन तीनों में से एक है, वह नम्बर तीन का आदमी है और जिसके पास इन तीनों चीजों में से एक भी नहीं है, वही शोषित समुदाय है। श्री राम विलास पासवान ने ठीक ही कहा है कि उपनाम क्यों जोड़ दिये गये। कौन हरिजन है ? उसने अपने नाम के आगे शर्मा लिख लिया, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि

किसी ब्राह्मण ने अपने नाम के आगे पासवान लिखा है, किसी भूमिहर ने पासवान लिखा है, राम लिखा है, दास लिखा है। किसी ने अपने नाम के आगे यादव लिखा है ? आप सिंह का टाइटिल लें लें, शर्मा बन जाएं, वर्मा बन जाएं, बन जाओ, लेकिन अफसोस की बात है, सभापति महोदय, मैं सदन में खड़े हो कर भले ही कहूं लेकिन जो इस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए काम करना चाहते हैं, मैं उनसे ईमानदारी से कहूंगा कि वे यह करें नम्बर, (1) सरकारी नौकरियों के लिए अन्य योग्यताओं के साथ साथ अन्तरजातीय विवाह को अनिवार्य कर दें। रोटी का सवाल जब पैदा होगा, तो जाति रेखा को तोड़ कर हिन्दुस्तान के करोड़ों युवक युवतियां धर्म, सम्प्रदाय के बन्धन तोड़कर सरकारी नौकरियां करने के लिए अन्तरजातीय विवाह करेंगीं और तब उनको रोटी मिलेगी और वे जातियों के बन्धन को तोड़ कर उन्मुक्त बनेगें। इसको करने का सवाल है, सहभोज करने का सवाल है। जाति—बोधक नामों को हटाने का एक आधार है ।

सभापति जी जाति प्रथा का प्रचार करने वाले साहित्य को नष्ट करना होगा। चाहे मनुस्मृति हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई स्मृति हो, इन सारे ग्रंथों को हिन्दुस्तान की लाएब्रेरियों से उठा कर आग में जलाना होगा। आज संविधान में लिखा है कि छुआछूत का प्रचार करना और मानना अपराध है। मनुस्मृति में कहा जाता है कि शूद्र को सम्पत्ति अर्जित करने का हक नहीं है। अगर वह सम्पत्ति अर्जित करता है तो राजा का कर्तव्य है कि उससे सम्पत्ति छीन कर ब्राह्मण के बीच में बांट दे।

हिन्दुस्तान में शरीर का श्रम करने वाला नीच माना गया है, शुद्र माना गया है और श्रम की चोरी करने वाला समाज में ऊंची कुर्सी पाता है। जब तक इस देश में यह रहेगा तब तक देश कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। काम करने वाला शोपित, पतित, नीच, अधम, हरिजन और चोरी करके खाने वाला ब्राह्मण। जो शरीर से पसीना बहाता है वह दलित, जो पसीना नहीं बहाता है वह दौलत इकट्ठा कर रहा है। जाति प्रथा को समाप्त करने के साथ साथ हमें पैसे और पसीने के रिस्ते को भी ठीक करना होगा। जहां पसीना है। वहां पैसा देना होगा, जहां पसीना नहीं है उससे पैसे को छीनना होगा। तब कहीं जा कर यह जाति प्रथा टूटेगी।

सभापति जी, डा० लोहिया ने कहा है कि पेट और मन दो तरह की भूख है। एक गरीब वह है जिसका पेट जला हुआ है, एक गरीब वह है जिसका पेट और मन दोनों जले हुए हैं। एक भूखा ब्राह्मण जब किसी के दरवाजे पर जाता है तो ऊंचा आसन पाता है लेकिन जब एक भूखा हरिजन किसी के दरवाजे पर जाता है तो लात और जूते खाता है। गरीब दोनों हैं लेकिन भीख मांगने वाला ब्राह्मण मन से ऊंचा है, मन का धनी है और भीख मांगने वाला हरिजन मन और पेट दोनों से गरीब है। इसलिए जाति समाप्त करने के साथ साथ मन और पेट का जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, मन और पेट से दोनों से जो दुर्बल है, उसको उठाने के लिए हिन्दुस्तान की सारी दौलत को लगाना पड़ेगा। जो पेट और मन दोनों से भूखा है उसको इज्जत और रोटी दोनों देनी पड़ेगी। इसलिए हिन्दुस्तान में आज जातियों के साथ साथ रोटी और इज्जन का भी सवाल पैदा होता है। इनके बारे में भी देश को सोचना होगा।

सभापति जी हमें इतिहास का भी पुनर्विश्लेपण करना होगा। हिन्दुस्तान में इतिहास हमें सिखाता है कि हिन्दुस्तान के बार बार गुलाम होने का कारण आपसी फूट है। यह बच्चों को पढ़ाया जाता है। किस में आपसी फूट थी ? हरिजनों को अगर संरक्षण दिया तो कह दिया कि कैसे दे दिया। हरिजनों को कह दिया कि जाओ सीमा पर जाकर लड़ो। आरक्षण देने से देश कमजोर होगा। इन ना-काबिलों के हाथ में सत्ता देने से राष्ट्र कमजोर होगा। लेकिन जिन्होंने कहा कि हथियार चलाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मानसिंह ने, राणा प्रताप ने, पृथ्वीराज से लेकर शिवाजी तक ने हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा की गारन्टी ली लेकिन हिन्दुस्तान की सीमाओं की रखवाली नहीं कर सके, वे इस हिन्दुस्तान में कमजोर और गद्दार साबित हो चुके हैं। जब पूरे हिन्दुस्तान में जनतंत्र आया और कमजोर के हाथ में सत्ता गयी तो हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा पहले से ज्यादा हुई। यह इतिहास की सत्य बात है। इस पक्ष को भी हमें देखना होगा कि हजारों वर्ष तक जिन्होंने हिन्दुस्तान की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेवारी ली और कहा कि हथियार चलाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वे हिन्दुस्तान की सीमाओं को नहीं बचा सके। इसलिए हमें इतिहास का पुनर्विश्लेषण करना होगा।

संस्कृति के चार अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर ने वही लिखा है जो डा० लोहिया ने लिखा है, जो स्वामी विवेकानन्द ने कहा है। अगर हमारे देश से जाति-प्रथा को मिटाना है तो शिक्षा में बच्चों को ऐसी पुस्तकों को देना होगा जिसमें कबीर की जिन्दगी हो, गुरु नानक, बुद्ध और गांधी की जिन्दगी हो। अगर बचपन से, मां के पेट से पैदा होते ही बच्चे को शंकराचार्य के उपदेश दोगे, मनुस्मृति के उपदेश दोगे, उनको भारतीय संस्कृति के हजारों वर्षों के कुसंस्कारों को कहोगे तो उससे जातियों का नाश नहीं हो सकता है। अगर ईमानदारी से जातियों का नाश करना है तो उपनाम को हटाना एक छोटा-सा काम है।

डा० राम मनोहर लाहिया ने कहा था गतिहीन वर्ण वर्ग बन जाता है और गतिशील वर्ण वर्ग बन जाता है। उनका कभी कभी साम्यवादी दल तक से टकराव हो जाता था लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि जब जाति संकुचित कठघरे में जम जाती है तो वह क्लास से कास्ट बन जाती है और जो गतिशील रहती है वह क्लास बन जाती है। मास्टर का बेटा मास्टर अगर होता है तो वह एक जाति हो जाएगी लेकिन जब सभी जातियों के लोग मास्टर होंगे तो मास्टर एक क्लास हो जाएगी। तब वह कास्ट नहीं रहेगी। ब्राह्मण भारत में एक कास्ट बन गई है। शायद किसी समय में वह क्लास रही होगी लेकिन आज वह कास्ट बन गई है। इस बंधन को तोड़ना होगा। सही रास्ते पर चिन्तन करना होगा और सोचना होगा। मैंने कई बार कहा कि किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो और आज मैं फिर कहता हूं उनका आपस में मिलन जरूर होगा। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है, पिछड़ों के चरित्र का दोष रहा है दबे हुए लोगों का दोष रहा है कि वे इकट्ठे नहीं सके हैं, एक स्थान पर मिल बैठ नहीं सके हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने भोजन करने के लिए राक्षसों और देवताओं को आमंत्रित किया। दोनों गए। ब्राह्मणों ने कहा कि हम आगे और दानवों ने कहा नहीं हम आगे, दोनों ने कहा कि हम पहले खाएंगे। ब्रह्मा जी आए। दानवों को बुला लिया और एक शर्त लगा दी कि

हाथ में लकड़ी बांधी होगी। दानव तैयार हो गए। लकड़ी बांध दी गई। दानवों ने खाना शुरू किया। पतलें परोस दी गई, खाना रख दिया गया। अब दानव रसगुल्ला उठाते थे या जलेबी उठाते थे तो चूंकि लकड़ी बंधी हुई थी इस वास्ते रसगुल्ला या जलेबी सीधे मूंह में न जा कर कभी इधर गिर जाती थी और कभी उधर। नतीजा यह हुआ कि वे भूखे ही उठ गए। इसके बाद देवताओं को बुलाया गया और आमने सामने कतारों में वे बैठ गये। उनके हाथों में भी लकड़ी बांध दी गई। अब उन्होंने एक तरकीब सोची। सामने वाली पंक्ति के देवताओं ने दूसरी पंक्ति वालों के मुंह में डाला और दूसरी पंक्ति वालों ने अपने सामने वाली पंक्ति में बैठे देवताओं के मुंह में डाला और सब खा पी कर उठ गए। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप इस पंक्ति में हो या उस पंक्ति में हम दोनों की क्लास एक है, हम दोनों को हाथ मिलाना होगा। सब पिछड़ों, आदिवासियों और दबे हुए लोगों को एक जगह आना होगा। किसी भी जगह हो, किसी भी दल में हो कहीं न कहीं वर्ग स्वार्थ इकट्ठी रहती है। चूंकि हम एक नहीं है इस वास्ते क्रान्ति फूट नहीं रही है। क्रान्ति को फोड़ना है तो पिछडों, दलितों को भी चाहे और बातों का ध्यान न हो लेकिन अपने स्वार्थ और हितों की रक्षा के लिए मौका पड़े तो किसी की भी सरकार को, किसी भी पार्टी हो, वे तोड़ दें और उन्मुक्त गंगा की धारा जैसे वह चलती है, उसी तरह से वह चलें, कहीं न कहीं किनारा जरूर मिलेगा। इस तरह से जरूर जातपात मिटेगी और हमारी तकदीर का परिवर्तन अवश्य होगा।

श्री पी० वेंकट सुब्बया (नन्दयाल) सभापति महोदय, श्री डी० डी० देसाई द्वारा पुर:स्थापित किये गए विधेयक के पीछे अच्छी भावना निहित है, लेकिन उन्होंने जो उद्देश्य बताये हैं उनकी व्यावहारिकता और प्राप्ति में मुझे सन्देह है। सवाल यह है कि क्या जाति, समुदाय, धर्म और क्षेत्र का निषेध संभव है। देश में जातियों के उल्मूलन के सुझाव के पीछे अच्छी भावना है। मुझे नहीं मालूम कि कजरोल्कर नाम से जाति का संकेत मिलता है या नहां। इसी प्रकार वेंकट सुब्बया से किसी जाति का संकेत नहीं मिलता।

लेकिन सदियों से विद्यमान जाति व्यवस्था, ने निहित स्वार्थ को जन्म दिया है, और नारा यह है कि "समुदाय देश से ऊपर है और मैं समुदाय से ऊपर हूं।" जाति-व्यवस्था निहित स्वार्थ बन गई है। लोग जाति के नाम का लाभ उठा रहे हैं और लोगों पर अपने नियंत्रण को बनाए हुए हैं।

दो वर्ष के बाद भी जनता पार्टी के घटक अपनी मूल जाति को नहीं भुला पा रहे हैं, तो सदियों से विद्यमान जाति व्यवस्था का उन्मूलन क्या संभव है ? आज भी कुछ नेताओं को कुछ जातियों और समुदायों के रक्षकों के रूप में जाना जा रहा है। एक बड़े नेता को एक विशेष समुदाय के नेता के रूप में जाना जाता है उस समुदाय की ताकत के आधार वह मंत्रिमंडल में आ सके। इस प्रकार के मामलों पर विचार करते समय इन बातों को ध्यान में रखना होगा।

श्रीमान, मैं महसूस करता हूं कि यह जाति प्रथा किसी ने नहीं बल्कि राजनीति ने चलाई है। यदि आप चुनावों को लेते हैं जो इस देश में 1937 से 1977 तक हुए हैं आपको

भारी परिवर्तन मालूम होगा तथा कोई भी राजनैतिक दल हो जब उम्मीदवारों का चयन होता है तो वे उम्मीदवारों के गुणावगुण की जांच नहीं करते हैं बल्कि वे यह देखते हैं कि उस विशेष निर्वाचन-क्षेत्र में इस प्रथम अर्हता का पता लगाया जाना चाहिए कि वहां कौन सी प्रमुख जाति या समुदाय है तथा उस हदतक वे चाहते हैं कि विशेष उम्मीदवार का चयन किया जाए। ये राजनीतिज्ञ हैं जो इस देश में इस जाति संकट के उत्तरदायी रह चुके हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : आप 1977 तक की ही बात क्यों करते हैं यह अभी भी जारी है।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : जी हां यह अभी भी जारी है एक बार मार्क्सवादी नेता श्र सुन्दरैया ने स्वेच्छापूर्ण रूप से अपने को "सुन्दरैमा" कहा जबकि उनका नाम "सुन्दर रामा रेड्डी" था। कुछ व्यक्ति हैं जो इस देश में इस बात को जानने के लिए इस अन्दोलन को चला रहे हैं कि यह जाति-प्रथा समाप्त हो जाए। मैं किसी की चापलूसी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं परन्तु आप देखते हैं कि इस देश में दो राज्य विशेष रूप से प्रमुख हैं जो अधिक हद तक जातिवाद पर नियंत्रण करने में समर्थ हुए। एक प० बंगाल है तथा दूसरा केरल है। हालांकि समरमुखर्जी अभी अपना उपनाम 'मुखर्जी' अपने नाम के साथ रखना चाहते हैं परन्तु ज्यादा हद तक मैं समझता हूं कि साम्यावादी विचार धारा इन दो राज्यों में जातिबाद पर नियंत्रण करने की उत्तरदायी थी। परन्तु दूसरे राज्यों में भयंकर रूप से प्रचलित है तथा वे राजनीतिज्ञ जातिवाद को निरन्तर बनाए रखने में अपने लाभ के लिए इसका शोषण कर रहे हैं।

श्रीमान जी, श्री देसाई जाति के नाम को लेने का निषेध करना चाहते थे, यह सही है, जाति का नाम लेने का निषेध सही है। परन्तु जब क्षेत्र के नाम को लेने का निषेध करते हैं तो मैं नहीं समझ पाता हूं। मैं अपने नेता का नाम कैसे बदल सकता हूं, श्री स्टीफन तथा कुछ अन्य के नाम ? और मैं जफ्फर शरीफ का नाम कैसे बदल सकता हूं जिससे कि वह बिना किसी धर्म के हो जाए। ये अव्यवहार्य बातें हैं। परन्तु एक तथ्य है। उन्होंने कहा "जाति, समुदाय, धर्म तथा क्षेत्र के सकेत पर निषेध"। उन्होंने कहा कि धर्म का उल्लेख नहीं किया जा सकता है परन्तु वही नाम स्वयं कभी-कभी धार्मिक अर्थ देता है। इसलिए श्रीमान् जी, यह अच्छी शुरुआत है तथा प्रत्येक को यह जानने के लिए प्रयास करना चाहिए कि इन जातिबंधनों को काट दिया जाए तथा उसके पश्चात् हमारा जातिविहीन समाज हो सकता है। श्रीमान जी, इस संबंध में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने हैं। उन्हें अन्तर-जातीय तथा अन्तर-धर्म विवाहों को प्रोत्साहित करना है तथा कुछ बढ़ावा होना चाहिए तथा प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए ताकि आप इस देश से इस जाति प्रथा को पूर्णतया समाप्त किया जा सके। जब तक इस विधेयक अथवा किसी ऐसी वस्तु द्वारा यह नहीं किया जाता है तब तक आप जातिवाद की इस बुराई का उनमूलन नहीं कर सकेंगे जो सदियों से कुछ हितों के लिए चली आ रही है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकट सुब्बैया बाद में बोलें।

विधेयक पर अनुमति

सचिव : श्रीमान मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विशेष न्यायालय विधेयक, 1979 पटल पर रखता हूं ।

आधे घंटे की चर्चा

राज्यों में मद्यनिषेद नीति की कार्यान्विति

अध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करते है श्री फैलीरो ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : अध्यक्ष महोदय, मद्यनिषेद के संबंध में आधे घंटे की चर्चा के इस विषय पर शुरू में ही यह कह सकता हूं कि मद्यनिषेध नीति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस समेत संसार में सभी जगह असफल हो चुकी है जहां कानून को लागू करने का तंत्र इस देश की अपेक्षा अधिक ससक्त है । जहाँ तक इस देश का संबंध है, यह प्रधान मंत्री थे जब ये तत्कालीन बम्बई राज्य के मुख्यमन्त्री थे तथा जिन्होंने वहां मद्यनिषेध विधेयक पुनःस्थापित किया था । यह वह राज्य है जो मेरे क्षेत्र से मिला हुआ है । कोई यह तो जानता है कि आखिरकार यह ऐसी हद तक असफल हुई थी कि महाराष्ट्र में इस नीति को छोड़ दिया गया होता । मुझे महाराष्ट्र के सदस्यों द्वारा बताया गया है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे जो सदन के सदस्य हैं जिन्होंने प्रैस-सम्मेलन में यह कहा था कि उन्होंने मद्यनिषेध लांबी के साथ बैठक की थी तथा उस बैठक में उन्हें मालूम हुआ कि शराब के समर्थकों की संख्या अधिक थी तथा वे व्यक्ति जो अवैध शराब तैयार करते थे वे व्यक्ति कठोररूप से मद्यनिषेध के पक्ष में थे ।

मद्यनिषेध की सबसे लम्बी अवधि तमिलनाडु तथा गुजरात में रही है । अध्यनों से मालूम होता है कि अवैध शराब के पीने के कारण देश में इन दो राज्यों में सबसे अधिक मोतें हुई हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले चुनाव के दौरान अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रो० मावलंकर, गुजरात के एक प्रमुख सदस्य ने हमें यह जानकारी दी है ।

श्री अरविंद बाला पजनौर (पांडिचेरी) : वे इसको पांडिचेरी में भी पुनःस्थापित करना चाहते हैं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : तमिलनाडु में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार वार्षिक बिक्री राशि कई सौ करोड़ है तथा सभी प्रकार की रिश्वत तथा अधिक यातायात खर्चे की अदायगी करने के बाद लाभ 35 तथा 50 प्रतिशत के दरमियान है । फिर तमिलनाडु में सरकार को राजस्व की हानि संतुलित रूप से लगभग 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है । इस तथ्य पर विचार करते हुए यह बहुत बड़ी राशि है कि राज्य का राजस्व सभी स्रोतों से लगभग 600 करोड़ रुपए वार्षिक है ।

पिछले समय मुझे धनवाद की दुर्घटना के बारे में यह मुद्दा उठाने का अवसर मिला था । उसके बाद बिहार सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच समिति का प्रतिवेदन राज्य की विधान सभा के पटल पर रखा गया है । समिति के अध्यक्ष राजस्व बोर्ड के सदस्य श्री नवल किशोर प्रसाद थे । इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ जो यहां एकदम संगत नहीं, यह कहा गया है कि मद्यनिषेध की शुरूआत द्वारा आप शराब पीने की बन्द करने की भावना से शराब पीने पर मद्यनिषेध नहीं कर रहे हो बल्कि आप केवल अवैध शराब पीने को बढ़ावा दे रहे हो तथा शराब बनाने के अवैध धन्धे को प्रोत्साहन दे रहे हो ।

इस से पूर्व कि मैं यहां विशिष्ट प्रश्न पूछूं इंडिया टूडे के नवीनतम अंक से उदाहरण दूंगा जो आज ही प्रकाश में आया है । यदि उसमें दिये गये आंकडे सरकार को स्वीकार्य नहीं है तो सरकार को यह कहना चाहिए कि वे आंकड़े स्वीकार्य नहीं है और सही आंकड़े क्या हैं । जब तक इंकार नहीं किया जाता है या उनसे वैकल्पिक आंकड़े नहीं आते हैं तब तक हम इन को विश्वासनीय मानने के लिए बाध्य हैं जो लोक प्रिय जरनल से आये हैं । इसमें इस प्रकार कहा गया है :—

> "इस समय देश में 100 मद्यनिर्माणशालायें तथा शराब कारखाने हैं जिनमें 1,200 करोड़ रुपए का निवेश है ; प्रत्यक्षरूप से 4 लाख व्यक्तियों को तथा परोक्ष रूप से 11 लाख व्यक्तियों को रोजगार देते हैं । इसके अतिरिक्त संबंध उद्योग बोतल भरने, पैकिंग करने तथा यातायात में 2,000 करोड़ रुपयों का निवेश है कर वसूल कर्त्ता इस व्यापार से हर वर्ष 500 करोड़ रुपये से अधिक वसूल करते है—एक रकम जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर के मिश्रित बजट से कहीं अधिक है—लगभग 10,000 मजदूरी करने वाले 8,000 ताड़ी बनाने वाले समेत पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं । "

क्या ये आंकड़े सही हैं । क्या संख्या इतनी बढ़ी है ? मैं कह सकता हूं कि जहां तक गोवा का संबंध है, जनसंख्या का दसवां भाग शराब के धंधे में लगा हुआ है । उनका व्यवसाय ताड़ी बनाना है । आप उनको कुछ और धन्धा करने के लिए नहीं कह सकते हैं ।

इन सब सन्देहजनक आंकड़ों पर विचार करते हुए पहले सरकार से मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इन संयंत्रों में परिवर्तन लाने के लिए क्या उपाय किए हैं जो कुछ अन्य उद्योगो में भी हैं। उन लोगों की बड़ी संख्या को रोजगार देने की क्या विशिष्ट योजनाए हैं जो वेरोजगार हो जाएंगे। वे वैकल्पिक प्रयोग क्या है जिन्हें एलकोहल का प्रयोग किया जाना है जो मद्यनिषेध नीति से फालतू बच जाएगी। दूसरा भाग उस प्रश्न का स्पष्टीकरण है जिससे यह आधे घंटे की चर्चा उत्पन्न हुई है। उत्तर में कहा गया है" "नीति चार राज्यों के विचाराधीन है तथा दो राज्यों ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है परन्तु कुछ उपाय नहीं किये हैं, दो राज्य पूर्णतया शुष्क है तथा दो राज्यों ने नीति को स्वीकार नहीं किया है।" वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी है ? उन्होंने क्या कारण दिये हैं और सरकार का क्या करने का विचार है ? अन्तिम तिथि 1982 है क्या सरकार अन्तिम तिथि को बढ़ाने जा रही है ? हमें यह अवश्य जानना चाहिए। क्या सरकार बड़ी वाधाओं के विचार से नीति को त्याग रही है जैसे मैं सुझाव दे रहा हूं या क्या सरकार एकदम मद्यनिषेध की अपेक्षा मद्यत्याग, मद्यत्याग के प्रचार तथा मद्यत्याग के स्वभाव की नीति पर आग्रह कर रही है।

गोवा के प्रश्न पर मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाए। आप वहां मद्यनिषेध लागू इस कारण नहीं कर सकते है, कि कहीं दूसरी जगह की अपेक्षा लोग वहां अधिक शराब पीना चाहते हैं बल्कि इस कारण की अधिकांश लोग इस धन्धे में फंसे हुए हैं और बेरोजगारी की समस्या को सुलझाना बड़ा मुश्किल है। जहां तक मद्यनिषेद का संबंध है श्री ठाकुर ने कहा कि वे कोई आश्वासन नहीं दे सकते। एक लोकप्रिय सरकार कोई आश्वासन नहीं देगी। क्या सरकार नीति को दूसरे ढंग से लायेगी अर्थात् राष्ट्रपति शासन का लाभ उठा कर क्या सरकार इसे लाएगी ? मैं कहता हूं कि यह अनुचित होगा। क्या सरकार आश्वासन देगी क्या सरकार गोवा में अथवा किसी अन्य स्थान पर मद्यनिषेध नीति लाने से राष्ट्रपति शासन का लाभ नहीं उठायेगी। ये मेरे प्रश्न हैं और मैं आपका अभारी हूंगा यदि मंत्री महोदय विशिष्ट रूप से उत्तर देता है तथा इस मामले में हम पर विश्वास करता है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चंद्र चंद्र) : मुझे आश्चर्य है कि गोवा के माननीय सदस्य जो शायद कांग्रेस पार्टी के हैं वे नशाबंदी की नीति का विरोध कर रहे हैं। मैं गोवा में अविभाजित कांग्रेस का सदस्य था तथा माननीय विरोधी दल के नेता भी उसके सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि देश में नशाबंदी को लागू किया जाये। तथा मैं यह नहीं सोचता हूं कि विभाजन, विभाजन के बाद विभाजन होने के बाद कांग्रेस की किसी शाखा ने नशाबंदी की नीति को त्याग दिया है।

श्री वयालार रवि : इसके पश्चात, गोवा में कांग्रेस को एक भी स्थान नहीं मिला।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : क्या मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए ? कांग्रेस पार्टी सहित अन्य किसी भी पार्टी की अपेक्षा मेरा जनता के प्रति दायित्व अधिक है जिन्होंने मुझे चुना।

डा० प्रताप चन्द्र चंद्र : यह जनता सरकार की नीति नहीं हैं लेकिन संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में समाविष्ट है संशोधित संविधान के अन्तर्गत इसे मौलिक अधिकारों पर पूर्वता प्राप्त है। इसलिये यह एक राष्ट्रीय नीति है और यह सरकार इस नीति को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि नशाबंदी नीति असफल हो गयी है। उन्होंने अमरीका और रूस का नाम लिया है। मुझें यह मालूम नहीं है कि इसे रूस में कब लागू किया गया था। लेकिन जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है वहां लगभग 80 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं जबकि हमारे देश में केवल 20 प्रतिशत ही व्यक्ति सुरापान करते हैं। लेकिन वह न तो यहां है और न वहां। दो साल की अवधि में बहुत से राज्यों ने नशाबंदी नीति को अपना लिया है। केन्द्रीय नशाबन्दी समिति की बैठकें हुई जहां राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके मुख्य मंत्रियों या मंत्रियों ने किया और उन्होंने दो बार यह स्वीकार भी किया है कि चारवर्षों के भीतर नशाबन्दी नीति सारे देश में लागू की जाये तथा उन्होंने इस बात को बहुत से राज्यों में भी लागू करने का प्रयत्न किया फिर भी दो या तीन राज्यों ने इसे नहीं माना। मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। 12 राज्यों ने नीति को स्वीकार करने के बारे में बता दिया है तथा इसके कार्यान्वयन के लिये भी कदम उठाये हैं इन राज्यों, के नाम ये हैं, असम, बिहार, हरियाणा, हिमालय प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर भी, मणीपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश। वे राज्य जिनके नशाबन्दी नीति विचाराधीन हैं लेकिन जिन्होंने इसके बारे में कुछ, कार्यवाही की है, उनकी संख्या चार है. महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैन्ड तथा त्रिपुरा। वह राज्य जिसने नशाबन्दी नीति को अपनाया नहीं है लेकिन जिसने इस संबंध में कुछ तदर्थ कदम उठाये है वह राज्य पश्चिम बंगाल है। केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों ने *नशाबंदी नीति को चार वर्षों में लागू करने के लिये सहमत होने के बाद भी इसे लागू करने से इन्कार कर दिया है। फिर भी नशाबन्दी नीति के कार्यान्वयन के सन्बन्ध में मैं आपको कुछ आंकडे दूंगा। इन आंकडों से आपको पता लगेगा कि 1976-77 में आसाम में 12 शराबबन्दी के दिन थे लेकिन अब ये 119 हैं। बिहार के बारे में 1976-77 की जानकारी हमारे पास नहीं है लेकिन बिहार में पहली अप्रैल से पूर्ण नशावन्दी लागू कर दी है। हरियाणा में 1976-77 में 12 शराबबन्दी के दिन थे लेकिन आजकल 79 दिन है। हिमाचल प्रदेश में 1976-77 में 22 शराबबन्दी के दिन थे, अब वहां 76 शराबबन्दी के दिन हैं। नागालैन्ड में 94 शुष्क दिन होते थे जबकि अब वहां 172 शुष्क दिन होते हैं। इसी प्रकार मैं दिखाने के लिये अन्य आंकडे भी दे सकता हूं कि बहुत से राज्यों में दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार आप यह भी देखेंगे कि बहुत से राज्यों में शुष्क क्षेत्र भी घोषित किये गये है। इस बात के अलावा कि बिहार राज्य में पहली अप्रैल से पूर्ण नशाबन्दी लागू की गई है। राजस्थान ने भी शुष्क जिलों तथा तहसीलों की संख्या की भी वृद्धि की है। पहली अप्रैल, 1978 से पहले शुष्क क्षेत्र वाले 10 जिले और 12 तहसीलें थीं। पहली अप्रैल, 1979 से 7 अतिरिक्त क्षेत्रों को शुष्क घोषित किया गया। अक्तूबर, 1979 से 3 अतिरिक्त जिलों तथा 13 अप्रैल, 1980 से 3 अतिरिक्त जिलों को शुष्क घोषित करने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 1978 में 4 जिले तथा 10 धार्मिक स्थान शुष्क थे। अब 7 और जिलों को शुष्क घोषित कर

दिया गया है। हरियाणा में भी कुछ गांवों तथा तहसीलों में पूर्ण नशाबन्दी लागू की गई है। मध्य प्रदेश में दूधी मिर्जापुर की सीमा के सहारे सहारे 10 किलोमीटर की पट्टी में पूर्ण नशाबन्दी घोषित की गई है। इससे पता लगेगा कि यह क्या शुष्क दिनों या शुष्क क्षेत्रों के विचार से घोषित की गयी है धीरे धीरे हम नशाबन्दी की नीति को देश के ज्यादा से ज्यादा भागों में लागू कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है इससे रोजगार के बारे में परेशानी होगी। यह सत्य है कि इससे कुछ समय तक रोजगार के बारे में परेशानी होगी। लेकिन यह स्थिति अस्थायी होगी क्योंकि हमने खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग से इस सम्बन्ध में बात चीत की है। कि हम शराब उद्योग के फालतू व्यक्तियों को विभिन्न खादी तथा ग्रामीण उद्योगों में खपा सकते हैं। इस बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

सदन में अलकोहल के इस्तेमाल का भी प्रश्न उठाया गया है कि इसका पेट्रोल के साथ कैसे इस्तमाल किया गया जिसकी देश में भारी मात्रा की कमी है। यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाता है तो रोजगार के बारे में कोई भारी मात्रा में गड़बड़ी नहीं होगी।

गुजरात तथा तमिडनाडु दो राज्यों में जहाँ नशाबन्दी लागू है। वहां भारी मात्रा में बेरोजगारी नहीं है। निश्चय ही ये दो राज्य उद्योगों के बारे में काफी विकसित हैं और उन्होंने उन लोगों को रोजगार दिया है जिन्हें पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। इसलिये, यह आशंका निर्मूल है कि इससे देश में रोजगार की स्थिति बिगड जायेगी, क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि इन लोगों को अन्य धधों में लगाया जा सकता है।

यह सुझाव दिया गया है कि जो लोग स्वयं अपने पर नियंत्रण रखें। इससे हमारे सारे उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने शराब पीने से हुई मौतों के बारे में कहा है। उन्होंने धनवाद में हुई दुर्घटना का हवाला दिया है लेकिन धनवाद कहां है ? उस राज्य में तब नशाबंदी लागू नहीं थी दिल्ली में भी कुछ समय पहले भारी मात्रा में विषैली शराब से मौतें हुई हैं। इन राज्यों में नशाबंदी नहीं थी।

वास्तविक कारण यह है कि यदि पूर्ण नशाबंदी होती है तो पुलिस के लिए अवैध शराब बनाने वाले को पकड़ने में आसानी होगी। अन्यथा, जिस राज्य में नशाबंदी नहीं उसमें यह पता करना असम्भव हो जाता है कि कौनसी अवैध शराब है और कौन सी वैध शराब है। ऐसे राज्यों में अवैध शराब बनाने वाले लोगों को इस प्रकार शराब बनाने से रोकना पुलिस के लिए बहुत आसान हो जायगा, सभी दृष्टिकोणों से मैं कहूंगा कि नशाबंदी नीति एक राष्ट्रीय नीति है।

यह वह नीति है जिसका माननीय सदस्य के दल ने भी समर्थन किया है तथा इसका देश के लाखों गरीब लोगों ने भी समर्थन किया है विशेषतौर से लाखों महिलाओं ने जो अपने पतियों की शराब पीने की आदत के परिणामस्वरूप ज्यादा कष्ट उठाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : गोवा का हवाला देते हुए, उन्होंने पूछा, क्या आप गोवा में राष्ट्रपति शासन के दौरान ही नशाबंदी लागू करने जा रहे हैं या वहां पर प्रजातांत्रिक शासन आने तक प्रतीक्षा करेंगे ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हमने गोवा के मामले में अब तक कोई नीति नहीं बनाई है । इस बात को निश्चय ही ध्यान में रखा जाएगा । सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है । पांडिचेरी के बारे में मैं ऐलान कर सकता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन के दौरान ही नशाबंदी को लागू करने का फैसला ले लिया गया है ।

श्री चित्त वसु : (बारसाट) श्रीमान जी, मैं सरकार की नशाबंदी नीति से बिल्कुल सहमत हूं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि नशाबंदी एक राष्ट्रीय नीति है और यह जनता के कल्याण के लिए है । लेकिन मुझे इसकी सफलता के बारे में कुछ संदेह है । मैं सोचता हूं कि सरकार मेरी इस बात से सहमत होगी कि इस विशेष बुराई को कानूनी उपायों द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है ।

कुछ अन्य पहलू भी हैं : अर्थात शिक्षात्मक पहलू या अभियान पहलू । मुझे यह जानकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ है कि सरकार ने कार्यक्रमों के अभियान पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया है ।

जहां तक मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों का प्रश्न है, गत वित्तीय वर्ष में इस बुराई के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 6.53 लाख रुपये खर्च किये गए । और इस वर्ष केवल 15 लाख रुपये शराब पीने की बुराई को दूर करने के लिए स्वैच्छिक संस्थानों को 6.53 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं इसलिए यह धनराशि जो कार्यक्रम के अभियान भाग के लिए आवंटित की गई है. वह अपर्याप्त है ।

दूसरी बात यह है कि जनता को शिक्षित करने के लिए प्रसार और प्रचार के बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं । सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने शराब पीने की बुराई के संबंध में फिल्म बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है । यह बिल्कुल अपर्याप्त है । मेरा विचार है कि सरकार यह देखने के बारे में ठीक प्रकार से नोट करें कि पीने की बुराई का वर्णन करते हुए ज्यादा से ज्यादा फिल्म बनाई जाती हैं जिससे यह नशाबंदी के पक्ष में हमारे देश की जनता में विचारों को फैलाने का एक बहुत शक्तिशाली साधन बन सके । मुझे पता लगा है कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनमें शराब पीने का भाग दिखाया गया है जिससे वर्तमान कानून अर्थात् चलचित्र अधिनियम, 1952 के कारण रोका नहीं जा सकता है । सरकार इसका उचित नोट क्यो नहीं लेती हैं ? कार्यक्रम के इस भाग पर अर्थात अभियान भाग पर केवल ज्यादा जोर देने मात्र से पर्याप्त नहीं होगा । क्या सरकार इस सदन को यह जानकारी दे सकेगा कि चार वर्षीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसे कितना महत्व दिया जा रहा है ।

अंतिम बात यह है कि सातवें वित्तीय आयोग ने सिफारिश की है कि नशाबंदी कार्यक्रम को लागू करने में हुई राजस्व की हानि का राज्य सरकारों को शत प्रतिशत भुगतान किया जायगा। भारत सरकार अब तक 50 प्रतिशत नुकसान को पूरा करने के लिये सहमत हुई है। क्या सरकार इस बात को पुनरीक्षित करेगी और उन राज्यों को क्षतिपूर्ति की धनराशि देने के मामले में सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगी जो राज्य अपने राज्यों में पूर्ण नशाबंदी लागू करने के लिए सहमत होंगे।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं अपने माननीय मित्र श्री चित्त बसु को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह मान लिया है कि नशाबंदी एक राष्ट्रीय नीति है। उन्होंने जो कुछ मैंने कहा है मान लिया है मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि नशाबंदी के शिक्षात्मक भाग पर जोर दिया जाए। सरकार इस तथ्य से सहमत है। विभिन्न राज्यों को अनेक तरीकों से नशाबंदी को कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भेज दिये गये हैं। जहां तक दीर्घकालीन अवधि के तरीकों का संबंध है। नशाबंदी के सुझाये गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में शिक्षात्मक संस्थाओं में शराब पीने को अप्रचलित करने से सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकों में जोड़े गए उपयुक्त पाठ भी सम्मिलित हैं। तथा इन सिद्धांतों में मनुष्यों को उनके बचपन से नशाबंदी के मामले में स्वेच्छिक संस्थाओं को मनुष्यों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्हें धन देना भी सम्मिलित है। लेकिन प्रचार केवल केन्द्रीय सरकार का काम नहीं है। केन्द्रीय सरकार कुछ धन व्यय करती है। उन्होंने बताया कि स्वेच्छिक संस्थाओं को कुछ लाख रुपये दिए गए हैं। स्वेच्छिक संस्थाओं के अतिरिक्त सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की मात्रा में उपयुक्त फिल्मों के लिए प्रचार सामग्री दे रहे हैं। इसी प्रकार फिल्मों को सेंसरशिप के मामले में कभी-कभी निर्देश दिये जाते हैं तथा अधिक निगरानी रखी जाती है। कुछ दिन हुए जब मैं रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा एक डिब्बे में शराब पीने के विरोध में कुछ बातें लिखी थीं। इस प्रकार प्रचार किया जा रहा है और निसन्देह ऐसा प्रचार बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य, सरकारें भी इस ओर बहुत कार्य कर रही हैं। पंजाब सरकार ने मद्यनिषेध पर एक बहुत सुन्दर फिल्म बनाई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठी में बहुत सी पुस्तकें निकाली गई हैं जो मेरे विचार से मद्यनिषेध प्रचार के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं इन पुस्तिकाओं की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद कराने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हम जनसाधारण तक सुगमता से पहुंच सकें। कानून के साथ-साथ हम शिक्षण प्रक्रिया का भी सहारा लेना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने प्रतिपूर्ति के बारे में कहा है। हमारे संविधान के अनुसार मद्यनिषेध राज्य का विषय है, सातवीं अनुसूची के अधीन राज्य सूची 11 की क्र० सं० 51 पर इसका उल्लेख है। अतः संविधान के अनुच्छेद 73 के अन्तर्गत कार्यवाही दायित्व राज्य का है।

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, फेस्ड-मैनर में चार वर्षों के अन्दर इस नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने की घोषणा हमारे प्रधान मंत्री जी ने की है और यह भी निश्चय किया है कि मार्च, 1982 तक पूर्ण रूप से यह नीति हमारे यहां कार्यान्वित होगी। लेकिन मैं

आप से यह कहना चाहता हूं—यद्यपि यह कदम बहुत साहसिक कदम है, लेकिन आज जो उच्च वर्ग के लोग हैं, आज उनका जीवनस्तर इतना ऊंचा है कि शराब पीने में वे अपनी शान समझते हैं, सरे-आम वे लोग शराब पीते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग है, जो मज़दूर हैं, जो छोटे-छोटे सीमांत किसान हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूर हैं, जिनकी पर-केपिटा इनकम इस देश में सबसे कम है—यह कदम उन लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। ऐसे लोग जो शराब पीकर गलत जीवन-मूल्यों पर चलते थे, दुर्व्यसन के शिकार हो गये थे—ऐसे लोगों के लिये यह सराहनीय कदम है। बिल्कुल निम्न-स्तर के जो लोग हैं, जो डाउन-ट्राडन हैं—उनकी मुक्ति के लिए यह एक प्रगति-शील कदम है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं—जो हमारा टूरिज़्म और सिविल एवियेशन डिपार्टमेन्ट है—उनकी स्वीकृति से होटलों और रेस्टोरेंट्स में शराब पीने की छूट लोगों को हो सकती है। इसलिए जब तक इण्डियन ड्रग्ज़ एक्ट में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक इनके बहाने शराब पीना जारी रहेगा। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि इन्डियन ड्रग्स एक्ट में भी एक संशोधन किया जाए, जैसे आयुर्वेद की दवाएं हैं. आयुर्वेद की दुकानों के बहाने आज भी वहां पर शराब बिकती है। आप दिल्ली को ही ले लेजिए। दिल्ली में पिछले दो वर्षों से शराबबन्दी लागू हुई है। 157 दिन शराब बिकती है और बकाया दिन ड्राई हैं लेकिन दिल्ली में शराब की बिक्री बढ़ी है, शराब की खपत बढ़ी है। तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप ने इन्यिडन ड्रग्स एक्ट में एमेंडमेंट करने का कोई प्रावधान किया है और क्या आपने स्वास्थ्य मंत्रालय को इस दिशा में कोई निर्देश दिया है ?

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह काम केवल कानून से नहीं हो सकता। सरकार और जनता जब तक इस काम को नहीं करेंगी, और जब तक एक सशक्त अन्दोलन खड़ा नहीं होगा, तब तक यह नहीं होगा। गांवों-गांवों में सेमिनार करके, नवयुवकों को संगठित करके इस काम को किया जाना चाहिए। क्या सरकार की तरफ़ से कोई प्रेरणा, कोई मार्गदर्शन इसके लिए दिया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि इस देश में,जो जनसेवी संस्थाएं हैं, उनको प्रेरित करने गांव-गांव में जिले-जिले में सम्मेलन बुलाकर सरकार शराबबन्दी की ओर कदम बढ़ाएगी ? मैं जानना चाहता हं कि क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : माननीय सदस्य ने प्रचार के मामले में कुछ रुचिपूर्ण बातें उठायीं हैं। मैं बता चुका हूं कि सरकार इन तथ्यों के प्रति सजग है। बहुत से महत्वपूर्ण स्वैच्छिक संगठन हैं। एक संगठन का नेतृत्व डा० सुशीला नैयर करती हैं। उन्होंने प्रचार कार्य स्वयं संभाला हुआ है। इसी प्रकार एक संयुक्त सदाचार समिति है जो देश के विभिन्न भागों में प्रचार कार्य कर रही है। जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है, हमारे मार्गदर्शी सिद्धांतों में जिनका मैंने उल्लेख किया है, एक मद ऐसी है जहां यह बताया गया है कि औषधियों तथा यूडीक्लोन, प्रसाधन सामग्री थिनर्स, टिम्चर आदि सहित अन्य ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त सावधानी रखी जानी चाहिए जिनसे अवैध शराब बनायी जाती है तथा

इनके स्रोतों का पता करने और वितरण को नियंत्रण में रखने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः ये सभी बातें सरकार के विचाराधीन हैं और जो भी संभव हो सकेगी, उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ पूरा करने के लिये व्यापक जनसमर्थन से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्देश्य से, इस समय प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करना और हाल के वर्षों में सामने आयीं समस्याओं और कठिनाईयों का समाधान खोजना वांच्छनीय है। और जस्टिस पांतजंलि शास्त्री जी ने आर्टिकल 47 में जो डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स हैं उनके बारे में ओपीनियन देते हुए कहा था कि राज्य नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर चिकित्सा मामलों के अतिक्ति रोक लगायेंगे।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : जब सत्रावसान हो रहा है, तो यह शुभ बात है कि हम शराब पी कर नहीं बल्कि शराब छोड़ कर जा रहे हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि फैलीरो साहब ने इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई है। 1954 में जब प्रोहीबीशन इंक्वायरी कमेटी बनी थी, तो उसके जो टर्म्स आफ रेफ्रेन्स में लिखा हुआ था, उसको मैं पढ़ कर सुना रहा हूं :

> "राज्य में मद्यनिषेध लागू करना पहले राज्य का दायित्व है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इस उद्देश्य से 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। यदि मद्यनिषेध धीरे धीरे लागू किया जाये और इस दिशा में कुछ सफलता मिलती है तो इसका लाभ राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों को तो होगा। अतः हानि भी दोनों को ही वहन करनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार का यही दृष्टिकोण है।"

तो जहां हमारे संविधान के निर्देशक तत्व इसको समर्थन देते हैं, वहां चीफ जस्टिस पांतजंलि शास्त्री कानूनी दृष्टिकोण से इसको ठीक समझते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से केवल साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी का मामला है लेकिन जनता साढ़े बारह सौ करोड़ रुपये की शराब पीती है। उस आर्थिक दृष्टिकोण से भी 800 करोड़ रुपये की आमदनी देश को होती है। और दुर्घटनाएं जो होती हैं उनमें तीन सौ करोड़ रुपये खर्च हो जाता है। स्वास्थ्य में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपया लगता है। इसलिए अगर आर्थिक दृष्टिकोण से भी विचार किया जाए तो शराब बंदी से देश की आर्थिक दशा सुधरेगी। जो समाजवाद का नाम लेते हैं उनको इसका हक नहीं है। क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वे तो शराब पी सकते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके पैसे तो होटलों में चले जाएंगे। उनका एक महीने का पैसा एक दिन में खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के समय में भी इन्दिरा जी ने 12 प्वाएंट रखे और 12 वर्ष में इसे करने को कहा। लेकिन अच्छा काम करना है तो चार वर्षों से कम में ही होना चाहिए।

राजाजी के पास जब कमेटी गयी थी तो राजा जी ने कहा था कि आईलेण्ड आफ नान-प्राहिबिशन बड़ा डेंजरस है। इसलिए जब तक देश के ससूचे भाग में समूचे ढंग से इसे नहीं करेंगे तो लोग कलकत्ता और बम्बई में जा कर पीयेंगे। आज आर्मी के लोग इसका अभिनन्दन

कर रहे हैं फिर गोवा में नहीं होने का क्या प्रश्न है ? इसलिए में शिक्षा मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वे संकोच को छोड़ें । हमारे बनातवाला साहब को मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, औरंगजेब ने भी इसे बन्द किया था । यह किसी भी मजहब में नहीं है । जब आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और समाजवाद के दृष्टिकोण से भी यह चीज अच्छी है तो क्या शिक्षा मन्त्री जी इस चार वर्ष की मियाद को भी कम करेंगे ?

शिक्षा मन्त्री जी इसके लिए प्रचार का भी बहुत महत्व है । अगर आप इसे शिक्षा संस्थाओं में. पाठ्यक्रमों में ला देंगे तो भारतवर्ष के नौजवानों में इसके प्रति घृणा फैलेगी और वे स्वयं नहीं पीयेंगे । इससे आपका काम भी कम होगा । क्या आप शिक्षा संस्थाओं में भी मद्य निषेध का प्रचार कर देश को उन्नति की ओर बढ़ायेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मद्यनिषेध नीति के समर्थन में बहुत से तथ्य रखने के लिये मुझे माननीय सदस्य को बधाई देनी है । मैं उन्हें आश्वस्त करा सकता हूं कि स्वास्थ्य सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों में मद्यपान के दोष दर्शाने वाले अंश दिये गये हैं । हाल ही में वयस्कों के लिये कुछ पाठ्य पुस्तकें निकाली गयी हैं और उनमें यह दिखाया गया है कि मद्यपान से उनके परिवारों स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था को किस प्रकार क्षति पहुंच रही है । इस प्रकार हम इस तथ्य के प्रति सजग हैं कि हम ऐसे उपायों के लिये प्रयास कर रहे हैं । परन्तु जैसा कि मैंने बताया है, मूलतः यह राज्य का मामला है । हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और वे कई स्थानों पर प्रचार के मामले पर बहुत जोर दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित करने से पूर्व मैं बजट सत्र में सहयोग देने के लिये सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं ।

मध्यान्ह पश्चात 7.01 बजे

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

© 1979 लोक सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महा प्रबन्धक, भारत सरकार के मुद्रणालय द्वारा मुद्रित ।

पी० एल० एस० 48. XXVII/59/79 (एन)
210

© 1979 लोक-सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और दी इण्डियन प्रैस, राजा पार्क शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 द्वारा मुद्रित ।